मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

मंगलवार, दिनाँक 17 मार्च 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>हाई और हायर सेकण्डरी स्कूल के रूप में उन्नयन</u>

1. (क्र. 143) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने किन्हीं हाई से हायर सेकेण्डरी तथा मिडिल से हाई स्कूल के उन्नयन हेतु लेख किया है और उनमें क्या धरवारा, बिछुआ, भदौरा भी सम्मिलित है? (ख) क्या विभाग ने वर्ष 2010 से 2014 की अवधि में विकासखंड बड़वारा, कटनी व ढीमरखेड़ा में किन्हीं छात्र संख्या के हाई से हायर सेकण्डरी एवं मिडिल से हाई स्कूल के रूप में उन्नयन किया गया है? (ग) क्या विभाग ने हायर सेकण्डरी एवं हाई स्कूल के उन्नयन के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित किया है और तदनुसार कौन-कौन से विद्यालय पात्रता की श्रेणी में आते हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (क) अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्र के कक्षा 10वीं के 100 से अधिक छात्र संख्या के हाई स्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल और कक्षा 8वीं के 60 से अधिक छात्र संख्या के मिडिल स्कूलों को वर्ष 2015-16 में स्वीकृत किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। घरवारा, बिछुआ एवं भदौरा हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु सम्मिलित है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में उन्नत शालाओं की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार।** (ग) जी हाँ। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार।** वित्तीय वर्ष 2015-16 की स्थिति में मापदण्डों के अनुसार पात्र स्कूलों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही ज्ञात होना संभव है। (घ) वर्ष 2015-16 के बजट में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर स्वीकृति निर्भर है।

<u>पिछड़ा वर्ग की जाति के समूहों की प्रविष्टियों में सुधार</u>

2. (क्र. 146) श्री मोती कश्यप : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के द्वारा दिनाँक 10.12.2014 के समाचार पत्रों में प्रकाशित पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची एवं संदर्भित पूर्व की किन्हीं अधिसूचना में किन्हीं समूहों की जातियों को अधिसूचित, परिवर्तित एवं विलोपित किया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) की किसी अधिसूचना में किन्हीं जातियों के कोई पेशे और कैफियत दर्शित की गई है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने माह जनवरी/फरवरी 2015 की किसी तिथि में

मा. मुख्यमंत्री जी व अन्य को प्रस्तुत पत्र में किन सरल क्रमांकों की किन जातियों पर किन संदर्भो, विसंगतियों तथा कैफियतों पर ध्यान आकर्षित कराते हुये संशोधन किये जाने का आग्रह किया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) की अधिसूचनाओं में कीर को धीमर, कहाँर, भोई, केवट, मल्लाह आदि समूह की जाति के रूप में कुछ जिलों और किसी अधिसूचना में सम्पूर्ण राज्य हेतु मान्य किये जाने पर वह धीमर, कहाँर, भोई, केवट, मल्लाह आदि समूह के हित में जारी होने वाले परिपत्र, आदेश-निर्देशों से लाभान्वित होगी? (ड.) क्या कीर जाति के लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रश्नांश (घ) से संबंधित अंतरिम आदेश के आधार पर शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनाँक 14.02.2014 की छाया व संरक्षण प्राप्त होगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तर **'क'** के अनुसार। (ग) जी हाँ। आवेदन दिनाँक 14.01.2015 पर कार्यवाही प्रचलित है। (घ) उत्तर **'क'** के अनुसार। (ड.) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनाँक 14.02.2014 को कोई निर्देश जारी नहीं किये गए हैं।

आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था के द्वारा जातियों के किये गये अध्ययन

3. (क्र. 147) श्री मोती कश्यप : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आ.जा.अ. एवं वि. संस्था का गठन किसी वर्ष में किया गया है और उसमें कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कब से पदस्थ हैं एवं उनका वेतनमान कितना है? (ख) प्रश्नांश (क) संस्था के दायित्व में किन वर्गीय जातियों का सर्वेक्षण व अध्ययन कर शासन को प्रतिवेदन एवं योजना प्रस्तुत करना है? (ग) प्रश्नांश (क) द्वारा प्रश्नांश (ख) की राज्य व्यापी किन अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ावर्ग एवं सामान्यवर्ग की जातियों का किन स्तर के अधिकारियों द्वारा किन जिला व ग्रामों का कब-कब मानव शास्त्रीय अध्ययन व वैयक्तिक सर्वेक्षण किया है और कब शासन को प्रतिवेदन व योजना प्रस्तुत की गई है? संलग्न करें? (घ) प्रश्नांश (क) संस्था द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ावर्ग की जातियों की अनुसूची की राज्य व्यापी किन-किन जातियों का मानवशास्त्रीय अध्ययन व वैयक्तिक सर्वेक्षण (केस स्टडी) नहीं की गई है और उसका कारण क्या है? विवरण देवें? (ड.) क्या विभाग ने प्रश्नांश (ख), (ग), (घ) के कृत्यों की समीक्षा की है और उन्हें असंतोषजनक पाये जाने पर किन अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था का गठन 20 अप्रैल 1954 को हुआ है। प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) संस्था द्वारा मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के मानवशास्त्रीय अध्ययन के साथ ही विभिन्न विकास विभागों द्वारा जनजातियों के कल्याणार्थ संचालित कतिपय योजनाओं का मूल्यांकन कार्य किया जाता है। (ग) संस्था द्वारा जातियों के संबंध में किये गये अध्ययनों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। राजपत्रित एवं कार्यपालिक अधिकारियों से ये अध्ययन कराये जाते हैं। मुख्यत: जनजातियों के अध्ययन पूर्ण कर लिये गये हैं। जनजातियों का अनुसंधान कार्य संस्था की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। आदित जाति मंत्रणा परिषद, मध्यपगदेश की अनुशंसा एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार संस्था द्वारा विशेष जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियों का सर्वेक्षण कार्य किया जाकर सर्वेक्षण प्रतिवेदन राज्य शासन को दिनाँक 16/04/2013, 30/07/2013 एवं 19/08/2013 को प्रषित किये गये हैं। (घ) एवं (ड.) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

विद्यालयों का उन्नयन

4. (क्र. 183) श्री राम लल्लु वैश्य : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2014-15 में माध्यमिक शाला गोभा, जिला सिंगरौली एवं शासकीय हाईस्कूल चाचर, हाईस्कूल देवरी डांड को उन्नयन करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, परंतु इनका उन्नयन प्रस्तावित वर्ष में बजट की कमी के कारण नहीं किया गया था? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 में इनका उन्नयन करने हेतु बजट में सम्मिलित किया जायेगा? (ख) सिंगरौली जिले के अंतर्गत माध्यमिक शाला करौंटी, सिद्धीकलॉ एवं शासन भी उन्नयन करने योग्य है? क्या इस वित्तीय वर्ष में इनको उन्नयन हेतु बजट में सम्मिलित किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) हाई स्कूल चाचर एवं देवरी डांड को उ.मा.वि. में उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार दूरी की पूर्ति नहीं करने से उन्नयन संभव नहीं था। राज्य के सीमित वित्त संसाधनों के कारण माध्यमिक शाला गोभा के उन्न्यन प्रस्ताव को स्वीक़त नहीं किया गया। वर्ष 2015-16 में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर तत्समय उन्नयन के लिये पात्र विद्यालयों पर निर्णय लिया जाना संभव होगा। (ख) वर्ष 2014-15 के आंकलन अनुसार मा.शा. करौंटी एवं मा.शा. शासन पात्र है। मा.शा. सिद्धीकला दूरी के मापदण्ड अनुसार पात्र नहीं है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुन: आंकलन अनुसार बजट प्रावधान संभव हो सकेगा।

शा.मा.शा.-झिगोंदर का उन्नयन

5. (क्र. 289) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के नागौद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय झिगोंदर को सन. 1902 से स्थापना वर्ष के बाद सन् 1964 में माध्यमिक शाला के रूप में उन्नयन किया गया था? इन 50 वर्षों में आज दिनाँक तक विद्यालय का हाईस्कूल के रूप में उन्नयन क्यों नहीं किया गया? कारण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त क्षेत्रान्तर्गत विद्यालय में 60% जनसंख्या अनु.जाति एवं अनु.ज.जाति की है? विद्यालय के चारों तरफ 10 कि.मी. क्षेत्र में कोई भी हाई स्कूल नहीं है तथा विद्यालय न होने के कारण शासन की मंशानुसार वहाँ के आदिवासी एवं अन्य वर्गों के छात्र, छात्राएं अशिक्षित हैं? (ग) शासन द्वारा कब तक उक्त विद्यालय का हाईस्कूल के रूप में उन्नयन किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। शा.मा. शाला झिगोंदर से 03 कि.मी. की दूरी पर शा. हाईस्कूल कोडर संचालित होने से उन्नयन नहीं किया गया। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फीस

6. (क्र. 592) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा ग्वालियर/जबलपुर/सतना जिलों में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान किस-किस निजी महाविद्यालयों में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति/फीस प्रति छात्र दी गई? (ख) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 12वीं कक्षा के बाद किस-किस प्रकार के कोर्स (इंजीनियरिंग/मेडीकल/ नर्सिंग/बी एड/एम बी ए/बी ए/एम ए/अन्य प्रकार के) करने वाले पिछड़ा वर्ग

एवं अल्पसंख्यक के छात्र-छात्राओं को किस-किस प्रकार की छात्रवृत्ति/फीस कितनी-कितनी दी जाती है? कोर्सवार/राशिवार जानकारी दें? (ग) क्या पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के पिछड़ावर्ग में आने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/फीस में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान कमी की गई है? अगर हाँ, तो किस कारण से? जारी हुये आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराये?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) पिछडा वर्ग के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति सभी जिलों के समस्त महाविद्यालयों मे समान रूप से वितरित की जा रही है। (ख) पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को 12 वीं कक्षा के बाद के कोर्स हेतु (इंजीनियरिंग/ मेडिकल/नर्सिंग/बीएड/ एमबीए/बीए/एमए/अन्य प्रकार के) पाठ्यक्रमों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति संशोधित नियम 2013 अनुसार फीस उसी सीमा तक दी जाती है जो किसी शासकीय संस्था में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों पर दी जाती है। विषयवार स्वीकृत छात्रवृत्ति की दरों का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फीस की जानकारी

7. (क्र. 593) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति विभाग के द्वारा इंदौर/भोपाल एवं उज्जैन जिलों में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान किस-किस निजी महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति/फीस दी गई? (ख) अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति विभाग के द्वारा 12वीं कक्षा के बाद किस-किस प्रकार के कोर्स (इंजीनियरिंग/मेडीकल/नर्सिंग/बी एड/एम बी ए/बी ए/एम ए/अन्य प्रकार के) करने वाले अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के छात्र-छात्राओं को किस-किस प्रकार की छात्रवृत्ति/फीस कितनी-कितनी दी जाती है? (ग) क्या अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति में आने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/फीस में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान कमी की गई है? अगर हाँ तो किस कारण से? जारी हुये आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत छात्रवृत्ति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के इन्दौर-प्रपत्र 'ए', भोपाल-प्रपत्र 'बी', उज्जैन-प्रपत्र 'सी' अनुसार है।** अनुसूचित जाति विभाग अन्तर्गत छात्रवृत्ति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के इन्दौर-प्रपत्र 'एक', 'दो' एवं 'तीन', भोपाल-प्रपत्र 'चार', 'पाँच' एवं 'छ:', उज्जैन-प्रपत्र 'सात', 'आठ' एवं 'नौ' अनुसार है**। (ख) आदिम जाति कल्याण विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के इन्दौर-प्रपत्र 'डी', भोपाल-प्रपत्र 'ई', उज्जैन-प्रपत्र 'एफ' अनुसार है।** अनुसूचित जाति विभाग अन्तर्गत पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमवार वर्तमान में दी जाने वाली छात्रवृत्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'तीन', 'छ:' एवं 'नौ' अनुसार है।** निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अशासकीय संस्थाओं में सेन्ट्रल काउंसिलिंग से प्रवेश लेने पर उल्लेखित फीस पूर्ति की जाती है :-

क्र	पाठ्यक्रम	निर्धारित फीस

1	एम.बी.बी.एस.	375000
2	बी.डी.एस.	135000
3	बी.ई.	37000
4	बी.फार्मा.	37000
5	एम.फार्मा.	140000
6	पोलिटेक्निक	22000
7	नर्सिंग	45000
8	बी.एड.	25000

(ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इन्दौर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति

8. (क्र. 662) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुकंपा नियुक्ति संबंधी परिपत्र क्रमांक सी/3-4/1/3/06, दिनाँक 18.08.2008 के क्रम में जारी निर्देश परिपत्र क्र./सी./3/17/1/3/2010, दिनाँक 13.01.2011 अनुसार दिनाँक 18.08.2008 के आदेश पूर्व के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों जो कि पूर्व आदेशानुसार अपनी अनुकंपा नियुक्ति पाने की सीमा समाप्त कर चुके हैं, (ऐसे प्रकरण जिन पर कर्मचारी की मृत्यु उपरांत संबंधित आश्रित सदस्य ने दिनाँक 18.08.2008 तक अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं की गई हैं) पर भी लागू कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई हैं? यदि हाँ, तो कर्मचारी के नाम, पदस्थ संस्था व पदस्थ दिनाँक वार सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दिनाँक 18.08.2008 के पूर्व की ऐसी अनुकंपा नियुक्ति जिन पर संबंधित ने जिले में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण भृत्य अथवा संविदा का पद समय सीमा की बाध्यता को देखते हुए स्वीकार किया है, जिसके वे उपरोक्तानुसार नियुक्त कर्मचारी से पद व ग्रेड में पिछड़ गये है, के लिये प्रदेश शासन इन्हें पद व ग्रेड में समान न्याय दिये जाने हेतु क्या व्यवस्था कर रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। (ख) एक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति स्वीकर करने के उपरान्त अन्य पद के समान पद व ग्रेड दिये जाने का प्रावधान शासन नीति अनुसार नहीं है, अतः किसी व्यवस्था का प्रश्न उदभुत नहीं होता है।

सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में मेडीकल कॉलेज की स्थापना

9. (क्र. 703) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में वर्ष 2015-16 में मेडीकल कॉलेज स्थापित करने की योजनाएं बनाई गई है या नहीं? यदि बनाई गई है, तो जानकारी देवें? (ख) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में मेडीकल कॉलेज स्थापित करने की कोई योजना को सम्मिलित किया गया है या नहीं? यदि नहीं

तो क्यों? (ग) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में मेडीकल कॉलेज स्थापित करने के लिये भविष्य में कोई प्रस्ताव संभावित है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों जानकारी स्पष्ट करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा जिला चिकित्सालयों को चिन्हांकित कर उन्नत करने की योजना बनाई गई है। (ख) जी नहीं। सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र में शासकीय अथवा निजी मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्न 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मोगिया जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना

10. (क्र. 1141) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगावली विधान सभा क्षेत्र में मीरकाबाद बरवाह, साजन महू पंचायतों के मजरों टोलो तथा क्षेत्र के अन्य गांवों में निवास करने वाले मोगिया जाति के लोगों ने कब-कब शासन को अनुसूचित जनजाति में शामिल मानने के लिये किस आधार पर आवेदन दिये हैं? जिनमें से प्रश्नकर्ता ने भी पत्र लिखा है को कब तक उनकी मांग मानकर अनुसूचित जनजाति में माना जायेगा? (ख) मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में कब से मोगिया जाति के लोग पूर्व में अनुसूचित जाति में माने जाते थे व बाद में कब से अनुसूचित जाति में माने जाने लगे तथा अभी फिलहाल में किस-किस जिले में इन्हें अनुसूचित जनजाति में मानते हैं व किन जिलों में नहीं मानते हैं? (ग) कटारिया, मीणा व रावत जाति के लोगों को क्या राजस्थान में अनुसूचित जनजाति में मानते है? लेकिन मध्यप्रदेश में नहीं मानते हैं? व पिछड़ा वर्ग में मानते हैं? क्या राजस्थान की तरह अनुसूचित जनजाति में मानने पर विचार करेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) अनुसूचित जनजाति गौंड समूह की मोगिया पूर्व से ही अनुसुचित जनजाति मान्य है, जिसे कभी भी अनुसूचित जाति नहीं माना गया है। (ग) राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची से मीना अनुसूचित जनजाति में मान्य है। कटारिया व रावत अधिसूचित नहीं हैं। कटारिया म.प्र. राज्य की पिछडा वर्ग सूची में अधिसूचित नहीं है। मीना (रावत) पिछडा वर्ग में मान्य है। शेष प्रश्नांश के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राइज़ नहीं।

भवन के किराये की वसूली

11. (क्र. 1145) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुंगावली में बहादुर रोड स्थिति डिपो नामक भवन जिसका कब्जा नवम्बर 2013 में विधान सभा चुनाव के समय आचार संहिता लगने के समय खाली कराया गया था पर किसका कब्जा किस आधार पर था तथा उसका कब से कितना किराया वसूल किया गया, तथा वर्तमान में उक्त भवन का क्या पीछे से रास्ता खोलकर किसी ने उपयोग शुरू कर दिया है या नहीं? (ख) उक्त भवन को किसी शासकीय अधिकारी या कार्यालय को शीघ्र आवंटित करेंगे ताकि भवन पर पिछले दरवाजे से कब्जा न हो तथा रख-रखाव हो? (ग) उक्त डिपो बंगलें को किस व्यक्ति से खाली कराकर आदिम जाति कल्याण विभाग के संचालक को कब्जा दिया गया, तथा अब उक्त भवन का विभाग क्या उपयोग कर रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) डिपो नामक भवन पर किसी का कब्जा नहीं था। भवन का दिनाँक 26/01/2013 से 5700.00 रूपये किराया वसूल किया गया है। पीछे से रास्ता खोलकर किसी अन्य व्यक्ति ने उपयोग शुरू नहीं किया है। (ख) भवन ग्राम पंचायत कस्बारेंज मुंगावली के आधिपत्य में है। ग्राम पंचायत द्वारा रखरखाव किया जा रहा है। (ग) किरायेदार श्री यादवेन्द्र सिंह यादव से खाली कराया गया है। जगदीश पुत्र जानकी प्रसाद ओझा को किराये से उपयोग हेतु दिया गया है।

शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

12. (क्र. 1178) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने शासकीय विद्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत हैं और उनमें से कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? पदनाम सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित रिक्त पदों पर समय रहते कर्मचारियों/अधिकारियों की पदस्थापना नहीं करने के क्या कारण हैं? इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं करने के कारण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अध्ययन पर किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित शिक्षकों की कमी के कारण उक्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र किस प्रकार हो रहे हैं? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विसंगतियों को कब तक दूर किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। पदों की पूर्ति पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के द्वारा प्रचलन में है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य किये जाने से छात्रों का अध्यापन प्रभावित नहीं हो रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।

परिशिष्ट – "एक"

शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुठोलिया का भवन निर्माण

13. (क्र. 1318) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिनाँक 12 दिसम्बर 2014 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन को राजगढ़ जिले के विकासखण्ड ब्यावरा के अंतर्गत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुठोलिया हेतु भवन एवं खेल मैदान निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त विद्यालय वर्ष 1968 में हाईस्कूल एवं वर्ष 1985 से हायरसेकेण्डरी कक्षाएं संचालित कर रहा है जिसमें वर्तमान सत्र में 1071 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है, तथा उक्त सभी कक्षाएं प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के लिये निर्मित भवनों में तथा शेष खुले मैदान में संचालित की जा रही है? हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के लिये आज तक शासन द्वारा पृथक से कोई भवन स्वीकृत नहीं किया है जबकि उक्त विद्यालय के स्वामित्व में 5 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो नवीन भवन के लिये ही आरक्षित है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन सुठालिया में उक्त विद्यालय के लिये इसी वित्तीय सत्र में नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विभाग में दिनाँक 12 दिसम्बर 2014 का पत्र प्राप्त नहीं है। अपितु माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा को सुठोलिया हायर सेकेण्डरी हेतु शाला भवन की स्वीकृति हेतु संबोधित पत्र दिनाँक 04.03.2014 प्राप्त है। (ख) जी हाँ। उक्त विद्यालय में वर्तमान सत्र में कुल 806 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय की कोई भी कक्षा स्कूल मैदान में संचालित नहीं हो रही है। विद्यार्थियों की संख्या के मान से सांसद निधि से अतिरिक्त कक्ष निर्मित किये गये हैं तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से 05 अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है, उपलब्ध भूमि लगभग 3 किलो मीटर दूर है। (ग) शाला भवनों की स्वीकृति बजट उपलब्धता पर निर्भर करती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सन् 2014 में आयोजित डी.एड. की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं गुम होना

14. (क्र. 1363) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर से ग्वालियर भेजी जाने वाली डी.एड. परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का एक बन्डल ले जाते समय रास्ते में कही गिर गया? (ख) यदि हाँ, तो वह बन्डल ले जाने वाले व्यक्ति का नाम, ले जाने का दिनाँक और कितनी और कहाँ की उत्तर पुस्तिकाएँ थी? क्या वे दिनाँक 31.01.15 तक मिल गई है? (ग) अगर नहीं मिली तो जिन परीक्षार्थी की ये पुस्तिकाएँ थी उनके परीक्षा परिणाम का क्या हुआ? उत्तर पुस्तिकाएं खो जाने की सूचना किस-किस अधिकारी को कब-कब की गई? पत्र क्र. दिनाँक बतावें? (घ) ये उत्तर पुस्तिकाएं किस विद्यालय से भेजी गई थी और उत्तरदायी व्यक्ति पर दिनाँक 31.01.15 तक क्या कार्यवाही की गई अगर नहीं की गई तो कारण बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) बण्डल ले जाने वाले व्यक्ति का नाम श्री एस.एन. त्रिवेदी, व्याख्याता शासकीय मालव कन्या उ.मा.वि. इन्दौर है जो दिनाँक 4.8.2014 को ले जा रहे थे। शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खण्डवा के बी.टी.सी. मुख्य परीक्षा 2014 के 38 छात्रों की उत्तरपुस्तिकायें थी। ये उत्तरपुस्तिकायें दिनाँक 31.01.2015 तक प्राप्त नहीं हुई है। (ग) संबंधित छात्रों को बी.टी.सी. पूरक परीक्षा 2014 में निःशुल्क खण्डवा जिला मुख्यालय पर ही परीक्षा केन्द्र स्थापित कर परीक्षा में सम्मिलित कराया जाकर परीक्षाफल घोषित किया गया। उत्तरपुस्तिकायें खो जाने की सूचना प्रथमतः मूल्यांकन केन्द्र ग्वालियर के पत्र क्र0 393 दिनाँक 5.8.14 से मण्डल मुख्यालय में प्राप्त होने के उपरांत मण्डल मुख्यालय के पत्र क्र0 807/गोपनीय/14, दिनाँक 6.8.14 द्वारा पत्र की प्रति समन्वयक संस्था मालव कन्या इन्दौर को प्रेषित करते हुये पत्र की पृष्ठांकित प्रति अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा एवं संबंधित आंचलिक अधिकारी इंदौर को प्रेषित की गई। (घ) ये उत्तरपुस्तिकायें संकलन केन्द्र शासकीय मालव कन्या उ.मा.वि. इंदौर से भेजी गई थी। उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्य में लापरवाही बरतने के कारण आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत पत्र दिनाँक 12.2.2015 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं पुलिस जवान श्री जसवंत सिंह, 835, डी.आर.पी. लाईन इंदौर के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर द्वारा प्राथमिकी विभागीय जाँच संस्थित की गई है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास की निगम की योजनाएं प्रारंभ की जाना

15. (क्र. 1383) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजनाओं को गांरटी नहीं दें रहे है जिस कारण केन्द्र सरकार बजट उपलब्ध नहीं करा पा रही है गांरटी न देने का क्या कारण है? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सन् 2012 में महू में डॉ. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय वित्त विकास निगम की योजनायें पुन: चालू की जायेगी किन्तु आज दिनाँक तक चालू नहीं होने का क्या कारण है? कारण सहित बतायें? (ग) क्या उक्त केन्द्रीय योजना में भारत सरकार द्वारा ब्याज निशुल्क दिया जाता है जबकि म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति से चार से छ: प्रतिशत ब्याज ली जाती है तब भी केन्द्र सरकार को स्वीकृति नहीं भेजी जाती है क्यों कारण स्पष्ट करें? (घ) क्या मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति आर्थिक विकास योजना में अधिकतम 25 लाख के लोन पर तीन लाख अनुदान दिया जाता था, किन्तु वर्तमान में पच्चीस लाख लोन एवं दो लाख अनुदान क्यों कर दिया गया है इसी प्रकार अंत्योदय स्वरोजगार योजना में पूर्व में ऋण सीमा निर्धारित नहीं थी लेकिन वर्तमान में सीमा निर्धारित करते हुये अनुदान पचास प्रतिशत एवं राशि दस हजार रू. तथा राशि बीस हजार रूपये एवं पचास प्रतिशत अनुदान निर्धारित कर दी गई है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। शासन द्वारा स्वयं की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। राज्य शासन द्वारा समस्त स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण किये जाने के कारण ऋण सीमा तथा अनुदान राशि संशोधित की गयी हैं। 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** तथा 'मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना' की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

प्रदेश में शिशु मृत्यु दर

16. (क्र. 1429) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में प्रदेश में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार क्या है? पाँच वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु दर क्या है? (ख) बाल कुपोषण जो 60 प्रतिशत या वर्तमान में क्या है? मातृ मृत्यु जो 335 था वर्तमान में क्या है? 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के गंभीर कुपोषण (बी.एम.आई. 17 से कम) जो 18.9 प्रतिशत थी अब क्या स्थिति है? (ग) गर्भवती महिलाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल में 7.9-1 के साथ नीचे से पाँचवे स्थान पर प्रदेश था? वर्तमान में क्या स्थिति है? समेकित बाल विकास योजना की पहुंच केवल 53 प्रतिशत बच्चों तक थी वर्तमान स्थिति क्या है? (घ) राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना का लाभ केवल 3.6 प्रतिशत महिलाओं को दिया जा रहा था? स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में स्थिति क्या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2014-15 में प्रदेश में शिशु मृत्यु दर तथा पाँच वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु दर की कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदित न होने के कारण, जानकारी उपलब्ध नहीं है। (ख) प्रश्नांश का प्रथम भाग महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। मातृ मत्यु दर 335 से 221 प्रति लाख जीवित जन्म (एस.आर.एस. 2011-13) है। शेष प्रश्न

असंबंधित है। (ग) वर्तमान में प्रदेश गर्भवती महिलाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल में नीचे से सातवें स्थान पर है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे 2012-13 के अनुसार मध्यप्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल 71.1 प्रतिशत है। शेष प्रश्न असंबंधित है। (घ) राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना नामक कोई योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वन अधिकार अधिनियम 2006 अनुसार वनग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन

17. (क्र. 1498) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने संबंधी की गई कार्यवाही का अध्ययन करने के लिए 6-7 अगस्त 2014 को अधिकारियों का दल छत्तीसगढ़ राज्य के भ्रमण पर गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त दल ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के संबंध में विभाग को क्या-क्या सुझाव दिये? (ग) उक्त सुझावों के आधार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन हेतु शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की? (घ) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने में विभाग को क्या-क्या कठिनाइयां हैं? वन ग्राम कब तक राजस्व ग्राम बन जायेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) दल द्वारा दिये गये सुझाव **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) कार्यवाही प्रचलित है। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "दो"

शासकीय चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

18. (क्र. 1694) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय चिकित्सालयों में कितने-कितने पद किस-किस वर्ग के स्वीकृत हैं और कितने पदों की पूर्ति की जा चुकी है एवं कितने रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? नहीं, तो कारणों का उल्लेख करें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार चिकित्सकों के पद किस दिनाँक से रिक्त हैं और समय रहते इनकी पूर्ति क्यों नहीं की गई? इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? उक्त रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ' अनुसार** है। (ख) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्याधिक कमी है, विशेषज्ञों के स्वीकृत 3195 पदों के विरूद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सकों के 1271 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची अप्राप्त है। चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार चिकित्सक की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग)

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छतरपुर जिले में अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

19. (क्र. 1758) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छरतपुर जिले में अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्तियां शासन के किन प्रावधानों के अनुसार अन्य विभागों में की गई? उनकी गाइड लाईन उपलब्ध करावें? (ख) ऐसे कितने प्राचार्य/व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्तियां की गई, जो जिला पंचायतों में प्रभार लिए बैठे है? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की? यदि हाँ, तो कब? नहीं, तो क्यों? (घ) शासकीय प्रावधानों के अनुसार प्रतिनियुक्तियां निरस्त की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ख) छतरपुर जिलान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग से किसी भी प्राचार्य/व्याख्याता की जिला पंचायत अंतर्गत प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''तीन''

विभाग में प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि

20. (क्र. 1760) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष, 2010 से 2013-14 तक विभाग में प्रशिक्षण के नाम पर शासन की कितनी राशि व्यय की गई, वर्षवार बतावें? (ख) जिन संस्थाओं को भुगतान किया गया, उनके चैक क्रमांक, दिनाँक सहित विवरण उपलब्ध करावें? (ग) आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम. योजनांतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विवरण उपलब्ध करावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2010 से 2013-14 तक विभाग में प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	व्यय
2010-11	2288450
2011-12	1033194
2012-13	1523000
2013-14	2130860

(ख) जिला प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा प्रश्नांकित वर्ष में संस्थाओं को जारी किये गये चैक क्रमांक, दिनाँक एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) आर.सी.एच./ एन.आर.एच.एम. योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	मद का नाम	कुल प्राप्त	व्यय

2010-11	आर.सी.एच	103528252	100550157
	एन.आर.एच.एम.	50089998	36077639
2011-12	आर.सी.एच	108038643	102293451
	एन.आर.एच.एम.	54791336	42148441
2012-13	आर.सी.एच	141059891	111481606
	एन.आर.एच.एम.	77452795	57517918
2013-14	आर.सी.एच	173604310	151490972
	एन.आर.एच.एम.	90276825	88601925

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ों को लाभान्वित किया जाना

21. (क्र. 1776) कुँवर विक्रम सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में 22 जून, 11 को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जन जातीय कल्याण विभाग का गठन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो छतरपुर जिले में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जन जातियों की पहचान संबंधी जनसंख्या एवं ग्रामों का विवरण दिया जावे? (ग) वर्ष, 2011 से प्रश्न दिनाँक तक कितना आवंटन छतरपुर जिले को दिया गया, तथा कितना व्यय हुआ? (घ) जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण छतरपुर नोड़ल अधिकारी हैं, उन्होंने अब तक उनके हित में किस प्रकार की कार्यवाही की, स्पष्ट करें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" के अनुसार** है। (घ) जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, छतरपुर द्वारा उनके हित में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुये योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार प्रदाय किया जा रहा है।

प्राचार्य एवं शिक्षकों के पदस्थापना

22. (क्र. 1919) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के आदिवासी विकासखण्ड कुसमी के अंतर्गत कितने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालय संचालित हैं, विद्यालय के नाम सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने हाईस्कूल एवं कितने हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में नियमित प्राचार्य कार्यरत हैं एवं कितने विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य कार्यरत हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन विद्यालयों में प्रभारी कार्यरत हैं, उनमें क्या नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक पदस्थापना कर दी जावेगी, समयसीमा बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन विद्यालयों में नियमित व्याख्याता/ शिक्षकों की पदस्थापना नहीं है, उन विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित व्याख्याता एवं शिक्षकों की पूर्ति/पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।** (ग) पदोन्नित/स्थानांतरण से पद पूर्ति की सतत प्रक्रिया है। समय सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) पदोन्नित स्थानांतरण से पद पूर्ति की सतत् प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – ''चार''

प्राचार्य एवं शिक्षकों की पदस्थापना

23. (क्र. 1920) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत कितने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालय संचालित हैं, विद्यालय सहित नाम बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने हाईस्कूल एवं कितने हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में नियमित प्राचार्य कार्यरत हैं एवं कितने विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य कार्यरत हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन विद्यालयों में प्रभारी कार्यरत हैं, उनमें क्या नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक पदस्थापना कर दी जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन विद्यालयों में नियमित व्याख्याता/ शिक्षकों की पदस्थापना नहीं है, उन विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित व्याख्याता एवं शिक्षकों की पूर्ति/पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) जी हाँ। पदोन्नति के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पदपूर्ति की जाती है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित सभी विघालयों में नियमित व्याख्याता/शिक्षक के पद स्वीकृत न होकर अनेक विघालयों में संविदा शाला शिक्षक/ अध्यापक के पद स्वीकृत हैं। अतः सभी रिक्त पदों पर नियमित व्याख्याता एवं शिक्षकों की पदस्थापना नियमानुसार संभव नहीं है। स्वीकृत पदों की पद पूर्ति नियत प्रक्रिया अनुसार की जाती है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नवीन प्राथमिक शालायें खोली जाना

24. (क्र. 1970) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकास खण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में ऐसे कितने गांव/टोले मजरे हैं, जहाँ से एक कि.मी. से अधिक दूरी पर प्राथमिक शालायें उपलब्ध नहीं है,? (ख) प्रश्नांश (क) गांव/टोले मजरे में दो कि.मी. से कम दूरी पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से कब तक विद्यालय आरंभ कर दिये जावेगें? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा कंडिका (क) गांवों में प्राथमिक शाला खोले जाने के प्रस्ताव भी दिये गये हैं? क्या उन पर भी कार्यवाही की जाना आपेक्षित हैं? यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी समय सीमा बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विकासखण्ड सिहोरा एंव कुण्डम के ऐसे गांव/ टोले मजरे की जानकारी जहाँ 1 किमी .की परिधि में प्राथमिक शाला नहीं है निम्नानुसार है- विकासखण्ड सिहोरा - ढमढमा एंव धमधा विकासखण्ड कुण्डम- बिलसरा सरौली तालाब टोला (ख) उत्तराशं क के अनुक्रम में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में पड़ोस की परिभाषा निम्नानुसार हैः- (1) क्षेत्र या पड़ोस की सीमाएं जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्थापित किया जाना है नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित क्षेत्र या सीमा होगी परंतु यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पडोस की सीमा में एक किमी. की परिधि के भीतर प्रायमरी स्कूल की सुविधा नहीं है और 6 से 11 वर्ष की आयु के कम से कम 40 बच्चे उपलब्ध है तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में प्रायमरी स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी उत्तरांश क में उल्लेखित गांव/टोले मंजरे

उक्त मापदण्ड की पूर्ति नहीं करते है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा कंडिका (क) ग्राम धमधा एवं ढमढमा तथा दो अन्य ग्राम झांझा एवं खम्हरिया टोला में प्राथमिक शाला खोले जाने के प्रस्ताव दिये गये हैं। उपरोक्त ग्राम झांझा एवं ग्राम खम्हरिया टोला से 1 कि.मी. दूरी पर क्रमशः प्राथमिक शाला बधा एवं प्राथमिक शाला कटरा उपलब्ध है। ग्राम ढमढमा एवं ग्राम धमधा में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति

25. (क्र. 1971) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत विकास खण्ड सिहोरा एवं कुण्डम अंतर्गत कहाँ-कहाँ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है? जनवरी 2013 से प्रश्नांश दिनाँक तक प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब कहाँ-कहाँ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव दिये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कहाँ-कहाँ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये जावेगें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्नावधि में जिला जबलपुर के विकासखण्ड़ सिहोरा में 01 कछपुरा एवं कुण्ड़म में 03 सुनावल, आमाटिटहा एवं बड़पुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्रचलन में है। जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गुना जिले में संचालित छात्रावास की जानकारी

26. (क्र. 2032) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में कुल कितने छात्रावास संचालित हैं, इन छात्रावासों में कितने बालक/बालिका रहते हैं? इन छात्रावासों में खेल के वातावरण के लिए क्या व्यवस्था है एवं कौन-कौन से खेल खिलाये जाते हैं? (ख) प्रश्नांकित विषय के संदर्भ में क्या खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की व्यवस्था है एवं क्या पिछले पाँच वर्षों में खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय या सम्भागीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया? (ग) प्रश्नांकित संदर्भ में छात्रावासों में कहाँ-कहाँ मल्टी जिम 4 स्टेशन हैं एवं उन छात्रावासों में खेल सामग्री उपलब्ध कराने का आधार क्या है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) गुना जिले में आदिवासी मद अन्तर्गत कुल 09 छात्रावास संचालित हैं। इनमें से 06 छात्रावासों में 290 बालक एवं 03 छात्रावासों में 150 बालिकाएं इस प्रकार कुल 440 बालक-बालिकाएं रहते हैं। इन छात्रावासों में खेल वातावरण हेतु खो-खो, कबड्डी, वॉलीबाल, बेडमिंटन आदि की व्यवस्था है तथा वार्षिक रूप से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। (ख) जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने की व्यवस्था है एवं पिछले पाँच वर्षों में जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय या सम्भागीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया है। (ग) जिले के छात्रावासों में मल्टी जिम 4 स्टेशन नहीं है। इस कारण उन छात्रावासों में खेल सामग्री उपलब्ध कराने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जाति, सांसी जाति का प्रमाण पत्र निरस्ती के संबंध में

27. (क्र. 2035) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य छानबीन समिति, म.प्र. शासन द्वारा गुना विधानसभा क्षेत्र (अ.जा.) के

वर्ष, 2008 से 2013 के समक्ष अनु.जाति सांसी जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर राजसात करने के आदेश दिऐ जाने एवं मा. सर्वोच्च न्यायालय, भारत शासन द्वारा राज्य छानबीन समिति के निर्णय को उचित बताया गया है? (ख) क्या असत्य आधारों पर प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार प्राप्त आर्थिक लाभ की वापिसी एवं वैधानिक कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. एफ 7-2/96/ आ.व्रत्र/ एक में जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त सुविधाओं पर दण्डात्मक कार्यवाही एवं सुविधाओं का वापिसी करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो :- (1) उच्चस्तरीय राज्य छानबीन समिति, म.प्र. द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 247/9 में दिये गये निर्णय दिनाँक 10.8.2011 के पालन में क्या कार्यवाही हुई? (2) कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? प्रकरण क्र. 26/17/ए में स्पष्ट लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता एवं जाँच अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत भवन</u>

28. (क्र. 2097) श्रीमती प्रमिला सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक सर्वशिक्षा अभियान के तहत कितने माध्यमिक शाला भवन, प्राथमिक शाला भवन तथा अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार पृथक - पृथक सूची भी दें? (ख) स्वीकृत शाला भवनों व अतिरिक्त कक्षों में से कितने भवन पूर्ण हुए, तथा कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण भवनों की सूची भी दें? (ग) शाला भवनों/अतिरिक्त कक्षों के अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? (घ) क्या जिले में सर्वशिक्षा अभियान के तहत बने ऐसे शाला भवन भी हैं, जिनका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, किन्तु भवन हैं ही नहीं अथवा ध्वस्त हो चुके हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शहडोल जिले में वर्णित वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत माध्यमिक, प्राथमिक शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत वर्ष	कुल योग
		2010-11	2011-12	2012-13	
1	माध्यमिक शाला भवन	28	-	21	49
2	प्राथमिक शाला भवन	09	-	-	09
3	अतिरिक्त कक्ष	275	148	173	596
	योग	312	148	194	654

वर्षवार पृथक सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार।** (ख) स्वीकृत शाला भवनों व अतिरिक्त कक्षों में से पूर्ण/अपूर्ण भवनों की जानकारी निम्नानुसार है –

स. क्र.	कार्य का विवरण	2010-11 स्वी.	2010-11 पूर्ण	2010-11 अपूर्ण	2011-12 स्वी.	2011-12 पूर्ण	2011-12 अपूर्ण	2012-13 स्वी.	2012-13 पूर्ण	2012-13 अपूर्ण
1	माध्यमिक शाला भवन	28	23	05	-	-	-	21	12	09
2	प्राथमिक शाला भवन	09	02	07	-	-	-	-	-	-
3	अतिरिक्त कक्ष	275	238	37	148	123	25	173	145	28
	योग	312	263	49	148	123	25	194	157	37

अपूर्ण भवनों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'2' अनुसार।** (ग) निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण कार्य अपूर्ण है। (घ) जी नहीं।

कंवर जाति के जाति प्रमाण पत्र के सम्बंध में

29. (क्र. 2182) श्री रामपाल सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 2820) दिनाँक 18.07.2014 के माध्यम से यह जानकारी चाही गयी थी कि शहडोल जिले में निवासरत कंवर जाति के लोग जिन्हें स्थानीय बोली-भाषा में कमर कहाँ जाता है, ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर तहसील में पूर्व में अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता था आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान म.प्र. शासन के पत्र क्र./रा.अन्य/3-23/07/8518 दिनाँक 18.09.2007 द्वारा स्थानीय स्तर पर जाँच में यह पाया गया कि समुदाय की वास्तविक जाति कंवर की पुष्टि हुयी है? तद्नुसार पत्र क्र./रा.अन्य/3-23/08/1379 दिनाँक 29.01.2008 के द्वारा कलेक्टर शहडोल को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु लेख किया गया है, किन्तु इस समुदाय के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? (ख) उपरोक्त प्रश्न के जबाव में मा. मंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि वे मामले से सहमत हैं और बहुत जल्दी प्रयास किया जावेगा कि इस समाज के होनहार जवानों को जाति प्रमाण-पत्र बनाने में जो कठिनाइयां है वह सुलभता से उनको प्राप्त हो? (ग) मा. मंत्री जी के उक्त आश्वासन पर क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं तो क्यों और कब तक आश्वासन पूरा होगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पत्र क्रमांक/स;-अन्वे/3-23/08/1379 दिनाँक 29/07/2008 द्वारा स्थानीय स्तर पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेत प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाकर नियमानुसार जाति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश कलेक्टर शहडोल को दिये गये (ख) जी हाँ। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आदिवासी कृषकों को बैल जोड़ी का प्रदाय

30. (क्र. 2184) श्री रामपाल सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में विभिन्न आदिवासी विकास परियोजना के द्वारा आदिवासी कृषकों को बैल जोड़ी प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो कितने हितग्राहियों को शहडोल जिले के विभिन्न आदिवासी विकास परियोजनाओं द्वारा वर्ष 2013-14 में लाभान्वित किया गया है? (ख) शहडोल जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासी कृषकों को प्रदान की गयी बैल जोड़ी को किसके माध्यम से खरीदी गयी थी, तथा खरीदी का आधार क्या था?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। पात्र 505 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। (ख) हितग्राहियों द्वारा स्वयं मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम जिला शहडोल के द्वारा आयाजित पशु मेले से अपनी मनपसंद की बैल जोड़ी क्रय की गई है।

बैगा विकास प्राधिकरण में नलकूप खनन

31. (क्र. 2206) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले की बैगा विकास प्राधिकरण बैहर द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक नलकूप खनन हेतु सहायक परियोजना प्रशासक बैहर को एजेंसी बनाया गया था? (ख) यदि हाँ, तो सहायक परियोजना प्रशासक द्वारा कब-कब निविदा बुलाई गई? सफल निविदाकार का नाम, स्वीकृत दर, प्रभावशील एस.ओ.आर. का दिनाँक/वर्ष, कूप का प्रकार, कूप का व्यास, प्रतिवर्ष कुल खनित नलकूप की संख्या एवं व्यय राशि की जानकारी उपलब्ध करायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

शासकीय वाहनों हेतु निविदा

32. (क्र. 2210) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी बैहर/बिरसा के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए किन-किन वाहनों के लिए किन-किन व्यक्तियों / फर्मों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में वाहनों को किराये पर लेने हेतु कब-कब निविदायें प्रकाशित की गई है? (ग) सभी स्वीकृत निविदाओं की दरों की जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी बैहर/बिरसा के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न योजनाओं एवं प्रशासकीय कार्यो के लिए उपयोग में लाये गये वाहनों के भुगतान की जानकारी निम्नानुसार हैं :-

विकास	जननी	जननी	मोबिलिटी सपोर्ट	मोबिलिटी सपोर्ट वाहन 2013-14

खण्ड का नाम	एक्सप्रेस वाहन 2013-14 निषिथ श्रीवास्तव प्रो. बालाजी ट्रेवल्स बालाघाट	एक्सप्रेस वाहन 2014-15 निषिथ श्रीवास्तव प्रो. बालाजी ट्रेवल्स बालाघाट	वाहन 2013-14 निषिथ श्रीवास्तव प्रो. बालाजी ट्रेवल्स बालाघाट	निषिथ श्रीवास्तव प्रो. बालाजी ट्रेवल्स अगस्त, 2014 तक	सेन्ट्रल ऑटो मोबाइल्स बालाघाट सितम्बर 2014 से ....
बैहर	820349.00	965515.00	731034.00	622840.00	365310.00
बिरसा	780982.00	1148015.00	411350.00	411350.00	232500.00

(ख) जननी एक्सप्रेस वाहनों के लिये दिनाँक 21/05/2013 को एवं मोबिलिटी वाहन हेतु दिनाँक 04/12/2012 व दिनाँक 24/07/2014 को निविदायें प्रकाशित की गई। (ग) जननी एक्सप्रेस की निविदा दर रु. 24700/- (1500 कि.मी. तक) मासिक अतिरिक्त किमी. 7.00 रूपये प्रति किमी. तथा मोबिलिटी वाहन की दर रु. 216500/- (1500 कि.मी. तक) मासिक अतिरिक्त किमी. 7.00 रूपये प्रति किमी. व रु. 19500/- (1500 कि.मी. तक) मासिक अतिरिक्त किमी. 7.50 रूपये प्रति किमी. हैं।

समयमान वेतनमान का प्रदाय

33. (क्र. 2336) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के नियमित कुष्ठ रोग कर्मचारियों को समयमान - वेतनमान का लाभ प्रदाय करने संबंधी कोई प्रस्ताव लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्राप्त हुआ है? पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) यदि वर्णित (क) हाँ, तो उक्त प्रस्ताव के बिन्दु क्या थे एवं उक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग ने अपनी क्या टीप दी? पूर्ण विवरण सहित जानकारी दी जावे? (ग) वर्णित (क) के प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा किस आधार पर अमान्य कर दिया? पूर्व जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय भर्ती नियम 20 अक्टूबर 1989 में कुष्ठ नियंत्रण इकाई संवर्ग (नॉन मेडिकल असिस्टेंट) के पद पर 100 प्रतिशत पदोन्नती के प्रावधान होने से वित्त विभाग द्वारा भर्ती नियमों में सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान ना होने से इस संवर्ग पर समयमान-वेतनमान देने के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। छाया प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

गुरूजीयों को नियमित वेतनमान की स्वीकृति

34. (क्र. 2366) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनाँक 1.11.2011 से आज दिनाँक तक पूर्व शिक्षा गांरटी एवं वैकल्पिक शालाओं में कार्यरत गुरूजियों को उनकी नियुक्ति दिनाँक से शिक्षाकर्मियों के समान वेतनमान स्वीकृत कर अध्यापक संवर्ग में संविलियन (नियुक्त) किया गया है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र सुवासरा में

संविलियन किये गये गुरूजियों की संख्या बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नियुक्त किये गये कितने गुरूजियों को वरिष्ठता मान्य कर पदोन्नति की गई? (ग) प्रश्नांकित (क) अनुसार कितने गुरूजियों को उक्त वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनाँक से दिया जाना शेष है? (घ) प्रश्नांश (ग) में शेष गुरूजियों को संविलियन का लाभ देकर एरियर का भुगतान किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) - जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कन्या छात्रावास निर्माण में विलंब

35. (क्र. 2390) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना गणेशपुरा पचास सीटर संभागीय कन्या छात्रावास का निर्माण 2007 से प्रारंभ होकर वर्तमान तक चलने के बावजूद निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है, क्यों विलंब का क्या कारण है? (ख) क्या निर्माण के पूर्व जो लागत राशि का आकलन सत्ताइस लाख आंकी गई थी, वह वर्तमान में बढ़ाकर सैंतालीस लाख हो गई है, क्यों? विलंब के लिये कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या रिवाइज एस्टीमेट की राशि सैंतालीस लाख बढ़कर होने से राशि अभी तक उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य बंद पड़ा है, कार्य कब तक प्रारंभ किया जा सकेगा? (घ) छात्रावास के निर्माण में विलंब के लिये क्या निर्माण एजेंसी जिम्मेदार है, निर्माण एजेंसी का नाम पता बताया जावें एवं शासन उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा, यदि हाँ, तो कब तक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) भवन निर्माण का कार्य एजेन्सी द्वारा दिनाँक 25.10.2008 से प्रारंभ किया गया। प्रकरण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का होने से विलंब हुआ। (ख) निविदा में 80 प्रतिशत सी.एस.आर. से अधिक दर होने के कारण भवन की लागत में वृद्धि हुई है। विलंब के लिये कोई अधिकारी दोषी न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। पुनरीक्षत प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ होगा। (घ) जी नहीं। निर्माण एजेन्सी कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल संभाग मुरैना है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अन्य विभाग के कर्मचारियों को अपने विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जाना

36. (क्र. 2399) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले में शिक्षा विभाग के कई कर्मचारियों को निर्वाचन के कार्य हेतु एस.डी.एम./ तहसील या अन्य कार्यालयों में अटैच किया गया है? यदि किया गया है, तो क्या निर्वाचन कार्य खत्म होने के बाद उन्हें अपने मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) क्या जिले में ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिन्हें विगत कई वर्षो से शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में अटैच किया गया है? यदि किया गया है, तो उन्हें कब तक अपने मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जावेगा? (ग) यदि निर्वाचन कार्य खत्म होने पर भी अन्य विभागों से अटैच कर्मचारियों को मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जिला निर्वाचन कार्यालय देवास में विभाग के 05 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्वाचन कार्य हेतु अटैच है इन्हें पंचायत निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने के पश्चात 15 मार्च 2015 तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला चिकित्सालय जिला उज्जैन रिक्त पद की पूर्ति

37. (क्र. 2480) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन का पद रिक्त है? अगर पद रिक्त है तो सिविल सर्जन के पद को सिंहस्थ को ध्यान को रखते हुए कब तक भर दिया जावेगा? समय सीमा बतावें? (ख) वर्तमान पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन जिला अस्पताल उज्जैन में पदस्थ होने के दिनाँक से 31 जनवरी 2015 तक कितना बजट विभिन्न मदों में प्राप्त हुआ? कौन-कौन सी सामग्री किस-किस बजट में किन-किन संस्थाओं/एजेन्सियों से किस नियम के तहत क्रय की गई? (ग) क्या वर्तमान में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन जिला अस्पताल उज्जैन द्वारा खरीदी नियमों को ताक में रख कर की गई? पूर्व में पदस्थ रहे वर्तमान प्रभारी सिविल सर्जन द्वारा स्थानीय क्रय में बजट से अधिक खरीदी की गई जिसकी वसूली भी उनसे की जा रही है? कितनी राशि वसूली की गई है एवं कितनी राशि वसूली की जाना है? (घ) क्या प्रभारी सिविल सर्जन उज्जैन द्वारा जिला अस्पताल उज्जैन में की गई खरीदी की जाँच संचालनालय भोपाल द्वारा की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ, नियमित सिविल सर्जन की पदस्थापना हेतु, विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 12-10/2014/17/मेडि-3 दिनाँक 10.11.2014 के द्वारा प्रत्येक जिला चिकित्सालय हेतु सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के 51 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त पदों को विभागीय राजपत्रित सेवा भर्ती नियमों में समाहित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है, उक्त कार्यवाही उपरांत पदोन्नति के माध्यम से पद पूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में जिलों में प्रभारी सिविल सर्जन पदस्थ किए गए हैं। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रोगी कल्याण समिति की बैठकों एवं निधि के आय-व्यय का विवरण

38. (क्र. 2551) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय जिला चिकित्सालय झाबुआ एवं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गठित रोगी कल्याण समिति की बैठकें कब से नहीं हुई तथा क्यों? पिछले 2 वर्षों से रोगी कल्याण समिति की आय-व्यय का विवरण बताया जावें? (ख) इस समिति द्वारा उक्त अस्पतालों में क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही है? क्या इस समिति के आय-व्यय का विधिवत् आडिट होता है? (ग) यदि रोगी कल्याण समिति की बैठकें नियमित नहीं हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला चिकित्सालय झाबुआ एवं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे गठित रोगी कल्याण समिति की बैठकों की दिनाँक व आयोजित होने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है तथा पिछले 2

वर्षे से रोगी कल्याण समिति की आय-व्यय का विवरण सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) रोगी कल्याण समिति द्वारा अस्पतालों को दी जा रही सुविधाओं एवं विधिवत ऑडिट संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) रोगी कल्याण समिति की बैठक नियमित न होने का कारण विधानसभा, लोकसभा चुनाव व पंचायतों के चुनाव की आचार संहिता प्रभावीशील होना रहा है। तथापि संबंधित अधिकारियों को इस संबंध मे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन में अनियमितता

39. (क्र. 2594) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इन स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत है और वर्तमान में उन पदों पर कौन-कौन से अधिकारी और कर्मचारी पदस्थ है? (ग) क्या अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यपालन न करने के कारण बहुत से केन्द्र बंद रहते है? यदि हाँ, तो वर्तमान में बंद केन्द्र कौन-कौन से है और शासन बंद केन्द्रों के उचित संचालन के लिए क्या प्रयास कब तक करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भृत्य के पदों की पूर्ति

40. (क्र. 2628) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाडा जिले में सन् 2008 के बाद खोले गये हायर/हायर सेकेन्डरी स्कूलों में भृत्य के कितने पद स्वीकृत किये गये? (ख) छिन्दवाडा जिले में भृत्य के पदों में कितने पद रिक्त हैं? (ग) छिन्दवाडा जिले में रिक्त भृत्य के पदों पर शासन कब तक नियुक्ति करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2008 के पश्चात माध्यमिक शाला से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किए गए स्कूलों में भृत्य के पद स्वीकृत नहीं किए गए है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश क के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी विकास परियोजना प्रशासक खरगोन का प्रेषित पत्र

41. (क्र. 2647) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परियोजना प्रशासक, आदिवासी विकास परियोजना, जिला खरगोन को भगवानपुरा विधायक द्वारा सत्र 2014-15 के दौरान कितने पत्र दिए गये? सूची देवें? उनके जवाब की प्रति देवें? (ख) परियोजना प्रशासक द्वारा 2010 से 2015 तक स्वीकृत कराये गये कार्यों की सूची देवें? इन कार्यों की वर्तमान स्थिति भी बताएं? (ग) विभाग द्वारा सत्र 2014-15 के दौरान बैठकों का आयोजन कब-कब हुआ? इस सत्र हेतु प्राप्त प्रस्तावों की सूची क्षेत्रवार देवें? (घ) सत्र 2014-15 में स्वीकृत कार्यो की सूची, उनमें संलग्न अनुशंसाओं के साथ देवें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।** (ग) चुनाव आचार संहिता लागू होने से बैठकें नहीं की जा सकी। **शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।** (घ) कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई, **शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।**

<u>बैतूल जिले में पदस्थ अधीक्षक</u>

42. (क्र. 2719) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में किस-किस वर्ग के लिए वर्तमान में किस-किस स्थान पर आश्रम एवं छात्रावास का संचालन किया जा रहा है किस वर्ग के लिए संचालित आश्रम एवं छात्रावास में किस वर्ग के अधीक्षक/अधीक्षिका के द्वारा किया जा रहा है? गैर वर्ग के अधीक्षक एवं अधीक्षिका को आश्रम एवं छात्रावास में पदस्थ किए जाने का क्या प्रावधान है? प्रति सहित बतावें? (ख) विगत तीन वर्ष में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में किसके आदेश से गैर अनूसूचित जनजाति वर्ग के अधीक्षक एवं अधीक्षिका की किस दिनाँक को पदस्थापना की गई इस पदस्थापना को निरस्त कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधीक्षक एवं अधिक्षिकाओं की पदस्थापना न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (ग) अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक बालकाओं के लिए संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधीक्षक एवं अधीक्षिकाओं की पदस्थापना किए जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) बैतूल जिले में आदिवासी मद से संचालित छात्रावास/आश्रम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है।** मध्यप्रदेश आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छात्रावास/आश्रम संविदा अधीक्षक की संविदा आधार पर भर्ती नियम 14 मई 2008 शासन आदेश क्रमांक एफ-12-11-2006/25-2/1193 दिनाँक 22/08/2013 एवं शासन आदेश क्रमांक एफ-12-11-2006/25-2/1155 दिनाँक07/08/2014 के अनुसार जिले के आरक्षण रोस्टर के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अधीक्षक नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। उक्त नियम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक-'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जिला बैतूल में विगत तीन वर्ष में आदिवासी छात्रावास/आश्रम में 17 गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधीक्षक एवं अधीक्षिका की पदस्थापना की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार है।** अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधीक्षक एवं अधीक्षिका उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति वर्ग एवं गैर वर्ग से भरे जाने के निर्देश है। (ग) आदिवासी मद से संचालित छात्रावास/आश्रमों में अधीक्षक के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षक/अधीक्षक उपलब्ध होने पर प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में पदस्थापना की जाती है। समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोटेगांव में प्रसूति राशि का भुगतान</u>

43. (क्र. 2731) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से वर्तमान तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोटेगांव जिला

नरसिंहपुर में कितने संस्थागत प्रसव हुये हैं? इनमें से कितनों को प्रसूति राशि का भुगतान किया गया है? (ख) क्या इस स्वास्थ्य केन्द्र में राशि उपलब्ध न होने के कारण बहुत अधिक प्रसूति प्रकरण भुगतान होने के लिये लंबित है? यदि हाँ, तो लंबित प्रकरणों की सूची प्रदान करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2013 में प्रश्न दिनाँक तक कुल 4313 संस्थागत प्रसव हुए। जिसमें से पात्रनुसार प्रसूति सहायता के 636 हितग्राहियों के स्वीकृत प्रकरण प्राप्त हुए है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोटेगांव से प्रसूति सहायता के कुल 636 प्रकरण भुगतान हेतु प्राप्त हुए थे जिसमें से 424 प्रकरण का भुगतान रूपये 3971892/- किया जा चुका है। शेष 212 प्रकरण की राशि रूपये 1959780/- का भुगतान कोषालय से किया जा रहा है। वर्तमान में प्रसूति सहायता के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

गोटेगाँव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कार्यशील एन.जी.ओ.

44. (क्र. 2737) डॉ. कैलाश जाटव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगॉव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आदिम जाति विभाग के कितने एन.जी.ओ. कार्यशील है? ये किन-किन उद्देश्यों के लिये कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में से कितने विधान सभा क्षेत्र के एवं कितने बाहर के यहाँ पर कार्यशील है एवं इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है? (ग) क्या इनके संबंध में विगत तीन वर्षों में शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित संस्थाओं का आडिट कराया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो इनके विगत तीन वर्षों के आडिट की स्थिति की जानकारी बतायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) गोटेगांव पिवधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग की कोई भी अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था संचालित नहीं है। (ख), (ग) एवं (घ) प्रश्नांश के सन्दर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश के नियमित कुष्ठ रोग कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान का प्रदाय

45. (क्र. 2741) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधोहस्ताक्षरी ने अपने पत्र क्रं. 88 दिनाँक 19/12/2014 के माध्यम से आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन को पत्र लिख कर प्रदेश के नियमित कुष्ट रोग कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान के संबंध में जानकारी चाही थी? (ख) यदि वर्णित (क) हाँ, तो उक्त जानकारी न देने के क्या कारण हैं? व इसका जवाबदार कौन है? (ग) वर्णित (क) के संबंध में विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित पत्र की प्रति एवं वित्त विभाग की टीप सहित जानकारी कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी दी जा चुकी है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) संचालनालय के पत्र क्रं./2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2015/93-ए दिनाँक 05.03.2015 के माध्यम से जानकारी निज. सहायक माननीय श्री नीलेश अवस्थी, विधान सभा पाटन क्षेत्र क्रं. 95, बंगला नं. एफ 108/41, शिवाजी नगर भोपाल, म.प्र. को उपलब्ध करा दी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

छात्रावास आश्रमों में सामग्री पूर्ति अंतर्गत क्रय की गई सामग्री

46. (क्र. 2758) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में छात्रावास आश्रमों में झाबुआ जिले को कितना-कितना आवंटन प्रदाय किया गया? (ख) प्राप्त आवंटन से छात्रावास-आश्रमों में कौन-कौन सी एवं कितनी-कितनी सामग्री किन-किन संस्थाओं से क्रय की गई? (ग) क्या क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन समिति द्वारा किया गया है, तो वर्षवार विवरणवार प्रति देवें? (घ) यदि हाँ, तो समिति किसके द्वारा गठित है व इस समिति के सदस्य कौन है? यदि समिति का सत्यापन नहीं हुआ, तो क्या कारण है? क्या सत्यापन में कोई सामग्री गुणवत्ताविहीन पाई गई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी एवं कितनी-कितनी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।** (ख) जिला झाबुआ में वर्ष 2013-14 में क्रय सामग्री का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।** वर्ष 2014-15 में नवीन क्रय निर्देशानुसार सामग्री क्रय/सत्यापन की प्रक्रिया की कार्यवाही प्रचलित है। नवीन निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।** (ग) वर्ष 2013-14 में क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा किया गया है। वर्ष 2014-15 में सामग्री के क्रय एवं भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नवीन निर्देशानुसार प्रचलित है। (घ) वर्ष 2013-14 हेतु प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ 12-37/05/25/2 दिनाँक 21 नवम्बर 2005 द्वारा गठित समिति ने क्रय सामग्री का भौतिक सत्यापन किया है, निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।** कोई भी सामग्री गुणवत्ताविहीन नहीं पाई गयी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वर्ष 2014-15 हेतु सामग्री के सत्यापन हेतु कलेक्टर, झाबुआ के द्वारा समिति गठित की है, निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पाँच अनुसार है।** सामग्री के क्रय एवं भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के डॉक्टरों का अटेचमेंट समाप्त किया जाना

47. (क्र. 2790) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में विभाग के कितने विषय विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं? विधान सभावार बतावें? (ख) कितने पद पैरामेडिकल स्टाफ व अस्पताल स्टाफ के रिक्त हैं? विधान सभावार बतावें? (ग) अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पदों की पूर्ति प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार कब तक कर ली जावेगी? अमरवाड़ा विधान सभा में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने ब्लॉक मुख्यालयों में अपना अटेचमेंट करा रखा है? (घ) इन अटेचमेंट वाले डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कब तक पदस्थ कर वहाँ की रिक्तता की पूर्ति की जावेगी? समय-सीमा बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3195 पदों के विरूद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है, अतः विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है एवं पदपूर्ति में कठिनाई है। चिकित्सा अधिकारी के

1271 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग में दिनाँक 02 मार्च 2015 से दिनाँक 10 अप्रैल 2015 तक साक्षात्कार की कार्यवाही प्रचलन में है, उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। पैरामेडिकल संवर्ग के 900 पदों हेतु मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को मांग-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। संभाग स्तर पर तृतीय श्रेणी पदों की पदोन्नति प्रक्रिया निरंतर जारी है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। अमरवाड़ा विधान सभा में किसी चिकित्सक को ब्लॉक मुख्यालय पर संलग्न नहीं किया गया है, चिकित्सकों की कमी के कारण निकट की संस्थाओं से आकस्मिक ड्यूटी लगाई जाती है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष उत्तरांश ''ग'' अनुसार।

फीस नियामक आयोग के गठन के संबंध में

48. (क्र. 2834) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र/छात्राओं से मनमानी फीस वसूली एवं अन्य वसूली पर नियंत्रण के लिए फीस नियामक आयोग का गठन विगत कई वर्षों से लंबित है? (ख) यदि नहीं तो फीस नियामक आयोग का गठन करने का निर्णय किस आधार पर कब लिया गया और कब तक गठन किया जाना प्रस्तावित था? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि शासन वर्षों से लंबित फीस नियामक आयोग का गठन नहीं कर पा रहा है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के द्वारा हर वर्ष पाठ्यक्रम बदले जाने, किताब-कॉपी एक निश्चित दुकान से बाजार दर से अधिक दाम पर एवं शाला गणवेश स्कूल से ही खरीदा जाना आपराधिक मामले की (लूट की श्रेणी) परिधि में आता है? (घ) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में मामले प्रकाश में आने पर उनकी रोकथाम हेतु विभाग की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएंगे? यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। (ख) "क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। (घ) वर्णित मामलों के संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनाँक 27-02-2015 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

मॉडल स्कूल संचालन करने बावत्

49. (क्र. 2893) श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में कितने मॉडल स्कूल संचालित हैं इन्हें खोलने हेतु क्या मापदंड शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं? (ख) क्या पन्ना जिले की कितनी जनपद मॉडल स्कूल संचालित है? क्या जनपद पंचायत पन्ना में मॉडल स्कूल नहीं खोला गया है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त जनपद में कब तक मॉडल स्कूल खोल दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) (ख) एवं (ग) पन्ना जिलान्तर्गत 03 विकासखण्डों क्रमशः पन्ना, पवई एवं अजयगढ में माडल स्कूल संचालित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रदेश में शैक्षणिक रूप से पिछडे 201 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल संचालित किये जा रहे है।

शिक्षक के भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी बाबत

50. (क्र. 2896) श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री स्कूल स्वीकृत हैं में पृथक-पृथक शालाओं में कितने शिक्षक के पद स्वीकृत है के विरूद्ध कितने पद भरे एवं रिक्त हैं? शालावार बतायें। (ख) शालाओं में स्वीकृत पद के विरूद्ध पद की पूर्ति नहीं है? यदि हाँ, तो रिक्त पदों की पूर्ति कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? क्या 3 या 5 वर्षों में पदस्थ शिक्षकों की स्थानांतरण नीति है? क्या कई शालाओं में 10 वर्षों से शिक्षक कार्यरत हैं? (ग) विगत तीन वर्षों में कौन-कौन सी शालाओं का उन्नयन किया गया है? क्या उन्नयन शालाओं में शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार पद पूर्ति कर ली गई है? (घ) क्या शेष शालाओं में से उन्नयन करने हेतु प्रस्ताव भेजे गये है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी शालाओं के प्रस्ताव शासन की ओर भेजे गये है, भेजे गये प्रस्ताव में क्षेत्रीय विधायक से प्रस्ताव या राय मांगी गई है? यदि नहीं, तो क्यों, क्या प्रस्ताव या राय मांगी जाना चाहिये थी? यदि हाँ, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर** है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति स्थानांतरण, पदोन्नति एवं नियोजन से किये जाने का प्रावधान है, जो एक सतत प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी नहीं। जी हाँ। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर** है। (घ) जी नहीं। पन्ना जिले से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अधूरे अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज की मान्यता

51. (क्र. 2904) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एडवांस मेडिकल साइन्स एण्ड एज्युकेशन सोसायटी द्वारा भोपाल में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा रहा है? पाँच ब्लॉक्स की बजाय मात्र दो ब्लॉक्स का ही निर्माण हुआ है फिर भी संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गयी है? (ख) क्या उक्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही अस्पताल चालू करने की अनुमति दी गयी है? यदि हाँ, तो क्यों? इसके लिये कौन उत्तरदायी है, तथा दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रस्तावित पाँच ब्लॉक्स के अस्पताल भवन के स्थान पर मात्र दो ब्लॉक्स का भवन अस्पताल संचालन के लिये क्या उपयुक्त एवं पर्याप्त है? यदि नहीं तो अस्पताल संचालन की अनुमति दिए जाने का कारण बताया जावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयन

52. (क्र. 2970) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी क्षेत्रों में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूलों के उन्नयन हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित है? (ख) विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत किन-किन ग्रामों में माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन करने एवं किन-किन ग्रामों में हाई स्कूलों का हायर सेकेन्ड्री स्कूल में उन्नयन करने का प्रस्ताव लंबित है एवं कब तक

इन स्कूलों का उन्नयन कर दिया जायेगा? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ की प्राथमिक शाला घुराघर, बरटोला, किलवारी, मिर्चादादर, बेलापानी में आदिवासी आश्रम शाला खोलने के प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक आदिवासी आश्रम के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये जायेंगे? समय सीमा बतायें? (घ) पूर्णतया आदिवासी क्षेत्रों के सुनिश्चित विकास और छात्र छात्राओं को अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु क्या उन्नयन किये जाने के नियमों के सरलीकरण करने पर शासन विचार कर रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ख) आवश्यक संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं प्रपत्र 'स' अनुसार है।**सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ की प्राथमिक शाला बरटोला एवं अम्हारा टोला के स्थान पर पतेराटोला में आवासीय बालक आश्रम तथा धुराघर एवं प्राथमिक शाला दोना हेतु आवासीय बालक आश्रम धुराघर में खोले जाने के प्रस्ताव दिनाँक 07/02/2015 को प्राप्त हुए हैं। जी हाँ। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है (घ) जी नहीं।

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना

53. (क्र. 2977) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले के 12 बच्चों के प्रकरण मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत स्वीकृत कर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली को भेजे गये हैं? यदि हाँ, तो पूर्ण ब्यौरा दें? (ख) क्या ये सभी प्रकरण विगत दो वर्षों से लंबित हैं? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें? क्या सरकार इन प्रकरणों में ऑपरेशन/उपचार हेतु अस्पतालों को कोई समय-सीमा तय करती है? (ग) क्या उक्त प्रकरणों में उपचार/ऑपरेशन शीघ्र कराने का प्रयास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया गया है व इस संबंध में विभाग या बच्चों के अभिभावकों के आग्रह पर कोई पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शिवपुरी जिले के इन सभी प्रकरणों को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के स्थान पर किसी दूसरे स्वास्थ्य संस्थान पर स्थानांतरित किये जाने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है? यदि नहीं, तो उक्त बच्चों का उपचार/ऑपरेशन कब तक करा दिये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। शिवपुरी जिले के 12 बच्चों के प्रकरण मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत स्वीकृत कर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्था (एम्स) नई दिल्ली को भेजे गये हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** सूची में से 08 मरीज ऑपरेशन हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली नहीं गये। 03 मरीज एम्स दिल्ली में ऑपरेशन हेतु गये परन्तु किसी कारण वश उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया है। 01 मरीज का ऑपरेशन अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्था (एम्स) नई दिल्ली में हो चुका है। शासन द्वारा चिंहित अस्पतालों में ईलाज हेतु 03 माह की समय सीमा तय की गई है। (ग) आर्युविज्ञान संस्था (एम्स) नई दिल्ली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनाँक 12.11.2013 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र चाहा गया है। जो आज दिनाँक तक अपेक्षित है एवं पत्र दिनाँक 05.05.2014 के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र व शेष राशि हेतु लेख किया गया है। अभिभावकों द्वारा कोई भी आग्रह अथवा पत्राचार मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी कार्यालय को नहीं किया गया है। (घ) जिन-जिन हितग्राहियों के ऑपरेशन नहीं हुए है, उन मरीजों को आवंटित हुई राशि आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा वापिस मंगाने की कार्यवाही की जा रहीं है। राशि उपलब्ध होते ही म.प्र. में शासन द्वारा चिन्हित अस्पतालों में हितग्राहियों को भेजा जावेगा।

परिशिष्ट – "पाँच"

बैतूल जिले में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विद्युतीकरण

54. (क्र. 3013) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत बैतूल जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 तक कितने ग्रामों-मंजरे, टोलों में विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए? वर्षवार, स्थलवार/ग्रामवार जानकारी देवें? (ख) क्या समस्त स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं? (ग) यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक पूर्ण करा दिए जावेंगे? (घ) क्या आगामी वर्ष में विद्युतीकरण प्रस्तावित हैं? यदि हाँ, तो कौन से ग्रामों-मजरे टोले में विद्युतीकरण किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वर्ष 2012-13 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। आवंटन की उपलब्धता के अनुसार विद्युतीकरण किया जायेगा।

संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा

55. (क्र. 3042) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सन् 2011 में ली गई संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में वर्ग तीन में पात्र इतने परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हुये थे कि समस्त पद भरे जा सके इस कारण वर्ग तीन के करीब 30 हजार से ऊपर पद रिक्त रह गये? (ख) सन् 2009 की परीक्षा में सामान्य केटेगरी के छात्रों के उत्तीर्णांक 40% थे? क्या कारण है कि 2011 में 60% कर दिये गये इस कारण करीब 48000 डी.एड. बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षार्थी संविदा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके? (ग) माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने नवम्बर-दिसम्बर 2014 में कई स्थानों पर घोषणा की कि तीन माह में रिक्त करीब 39000 पद भर दिये जावेंगे जबकि नेट पर व्यावसायिक मंडल द्वारा दिसम्बर 2014, फरवरी 2015 और अप्रैल 2015 को परीक्षा दिनाँक प्रकाशित कर दिये जबकि जनवरी 2015 तक कोई गतिविधि दिखाई नहीं दी? क्या कारण है कि परीक्षा तिथि घोषित होने के बावजूद आयोजित नहीं की गई? (घ) क्या भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्णांक कम किये जावेंगे? क्या आर.टी.ई. के अनुसार अंक रखे जबकि राजस्थान, यू.पी. व अन्य कई प्रदेश आर.टी.ई. को नहीं मान रहे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) अनुसूचित जाति प्रवर्ग अन्तर्गत 11566, अनुसूचित जाति अन्तर्गत 2463 एवं अनारक्षित प्रवर्ग अन्तर्गत 1604 कुल 15633 पद पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होने से रिक्त रह गये है। (ख) वर्ष 2008 में आयोजित पात्रता परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए उत्तीर्णाक 40 प्रतिशत थे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के गाईड लाईन अनुसार अनारक्षित प्रवर्ग के लिए उत्तीर्णाक 60 प्रतिशत निर्धारित किये गये। (ग) सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता

है। (घ) जी नहीं। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>विद्यालयों को निर्माण हेतु दी गई राशि का गबन</u>

56. (क्र. 3052) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पेयजल वगैरह निर्माण कार्यों हेतु राशि आवंटित की जाती है किंतु कई स्थानों पर इस राशि के गबन के प्रकरण विगत एक वर्ष में इंदौर जिले में प्रकाश में आये हैं, हाँ तो 31.01.15 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या बतावें? साथ ही राशि भी बतावें? (ख) क्या इंदौर जिले में भी अभी-अभी तीन प्रकरण प्रकाश में आये जिनमें प्रति प्रकरण 62-62 हजार की राशि का गबन हुआ है? हाँ, तो पूरा ब्यौरा देवें कि यह गबन किस प्रकार और किसके द्वारा किया गया, साथ ही 31.01.15 तक उन व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्न भाग (ख) के प्रकरणों पर और इसके अलावा अन्य स्थानों पर हुये प्रत्येक प्रकरण पर 31.01.15 तक की गई कार्यवाही बतावें? क्या कर्मचारी निलंबित हुआ और एफ.आई.आर. फाईल की गई अथवा नहीं अगर नहीं की गई तो कारण बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जी हाँ। 31-01-2015 की स्थिति में तीन प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिसकी राशि रूपये 1, 80, 500/- है। (ख) जी हाँ। 62-62 हजार की राशि के दो प्रकरण तथा एक प्रकरण राशि रूपये 56, 500/- का है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रकरण में दोषी व्यक्तियों एवं निर्माण इकाई के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर प्रचलन में है। विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रचलित होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "छः"</u>

<u>चिकित्सकों की लापरवाही से हुई मृत्यु</u>

57. (क्र. 3080) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वात्सल्य अस्पताल ग्वालियर में अनुज अग्रवाल पुत्र श्री वृजमोहन अग्रवाल की मृत्यु चिकित्सकों की लापरवाही या गलत इलाज प्रदाय करने से हुई थी यदि हाँ, तो लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ख) यदि नहीं तो अनुज अग्रवाल के चिकित्सालय में प्रवेश करते समय क्या बीमारी थी तथा उसको क्या चिकित्सीय परामर्श दिया गया था? (ग) कंडिका (ख) में उल्लेख अनुसार अनुज अग्रवाल को किस दिनाँक को किस समय पर चिकित्सालय में भर्ती किया गया एवं उसकी मृत्यु किस दिनाँक को, किस समय हुई, उपरोक्त अवधि के बीच में किन-किन चिकित्सकों द्वारा क्या-क्या परीक्षण किये गये एवं क्या-क्या इलाज दिया गया? (घ) उपरोक्त स्थिति मैं अनुज अग्रवाल की मृत्यु होने के क्या कारण रहे तथा समय रहते तथा वरि. चिकित्सकों द्वारा उसके इलाज हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? उपरोक्त परिस्थितियों के निर्मित होने में अस्पताल प्रबंधन की क्या भूमिका रही, इसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) अनुज अग्रवाल को चिकित्सालय में प्रवेश करते समय तेज बुखार व 15-20 दिन से उल्टियां होने की तकलीफ थी। उसे भर्ती करने, जाँच की सलाह दी गयी। आवश्यक उपचार दिया गया। (ग) अनुज अग्रवाल को दिनाँक 14/05/2014 दोपहर 12.00 बजे भर्ती किया गया। मृत्यु दिनाँक 14.05.2014 को दोपहर 1.00 बजे हुई। उपरोक्त अवधि में डॉ. रश्मि गुप्ता बालरोग चिकित्सक एवं डॉ. एस.के.गुप्ता एनस्थेटिस्ट द्वारा परीक्षण एवं उपचार किया गया। परीक्षण एवं उपचार की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) अनुज अग्रवाल की मृत्यु का कारण लम्बी बीमारी-प्रतिरोधक क्षमता की कमी, मल्टी ऑर्गन डिसीज प्रोसिस के कारण कार्डियों रेस्परेटरी फेल्योर था। उपचार हेतु किये गये प्रयास की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। उच्च स्तरीय तकनीकी जाँच मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा कराई गयी थी। जाँच में कोई दोषी नहीं पाया गया। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सात"

जरा में प्राथमिक विद्यालय के भवन की स्वीकृति

58. (क्र. 3082) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड सेंवढ़ा के ग्राम जरा में प्राथमिक विद्यालय के लिये कोई भवन स्वीकृत है? यदि हाँ, तो कब स्वीकृत हुआ तथा किस दिनाँक के किस अखबार में विज्ञप्ति निकाली गई? कितने टेण्डर आये? निर्माण एजेंसी कौन है, कार्य कब पूर्ण हुआ तथा उक्त भवन कब विभाग को सौंपा गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भवन वर्तमान में सही स्थिति में है एवं क्या उसमें कक्षायें संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो इसकी जाँच एक टीम भेजकर कराई जायेगी और यदि नहीं तो क्या कारण रहे कि भवन निर्माण के तुरन्त बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया? (ग) यदि भवन बच्चों के बैठने के योग्य नहीं है क्षतिग्रस्त है तो क्या निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है या नहीं? यदि नहीं तो कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा विगत एक वर्ष में जाँच इस भवन की, की गई उनके नाम/पद एवं उनके क्या जाँच प्रतिवेदन रहे विवरण उपलब्ध कराये? (घ) उक्त भवन में शासन की कितनी राशि निर्माण कार्य में खर्च की गई? यदि भवन उपयोगी नहीं है तो शासन की राशि का दुरूपयोग हुआ है? ऐसी स्थिति में उच्च स्तरीय जाँच कराई जावेगी? दोषी अधिकारी/ कर्मचारी अथवा निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर संपूर्ण प्रकरण से अवगत कराया जावे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। ग्राम जरा में प्राथमिक विद्यालय भवन वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्य हेतु अखबार विज्ञप्ति अथवा टेण्डर प्रक्रिया लागू नहीं होता है। अत: प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। शासन के नियमानुसार निर्माण एजेंसी पालक शिक्षक संघ (पीटीए) थी, जिसमें सचिव श्री अरविंद सिंह परिहार, संविदा शाला शिक्षक, प्रा.वि. जरा व अध्यक्ष श्री मनीराम जाटव थे। उक्त भवन वर्ष 2002-03 में पूर्ण हुआ व तत्समय से ही विभाग को सौंपा गया। (ख) जी नहीं। जी नहीं। आवश्यकता नहीं है। शाला भवन निर्माण की प्राथमिक जाँच, उपयंत्री श्री शफीक खान एवं सहायक यंत्री श्री जवाहर सिंह यादव द्वारा की गई है। क्षतिग्रस्त भवन को ओपन फाउंडेशन पर बनाया गया है जबकि स्थल मिट्टी परीक्षण उपरांत कॉलम एवं बीमा (फ्रेम स्ट्रक्चर) पर बनाया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया जिसके कारण भवन वर्ष 2007-08 में क्षतिग्रस्त हो गया। (ग) जी हाँ। विभाग के उपयंत्री श्री शफीक खान एवं सहायक यंत्री श्री जवाहर

सिंह यादव द्वारा भवन की प्रारंभिक जाँच की गई है। पूरक **जानकारी संक्षेपिका संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं जाँच प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** है। (घ) उक्त शाला भवन के निर्माण में राशि रू. 109723/- खर्च की गई है। जी हाँ। आवश्यकता नहीं है। अभिलेखानुसार उक्त निर्माण कार्य के लिए तत्समय विभाग में (तकनीकी कार्य हेतु) ग्रामीण यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र सेंवढ़ा में नियुक्त सहायक यंत्री एवं विभागीय ड्राफ्टसमैन प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। माप पुस्तिका अनुसार, सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा दिनाँक 09-05-2003 को निर्माण कार्य एवं लागत का अंतिम सत्यापन किया गया है। निर्माण कार्य के मूल्यांकन कर्ता सहायक यंत्री (एसडीओ) के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र कार्यपालय यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा दतिया को प्रेशर किया गया है।

परिशिष्ट - "आठ"

सिवनी जिले/तहसीलों के आश्रम/छात्रावासों हेतु संचालित योजनाएं

59. (क्र. 3094) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली तहसीलों व जिला मुख्यालय के आश्रम, शालाओं, छात्रावासों में बालक, बालिकाओं को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं एवं शासन की क्या-क्या योजनाएं इस हेतु संचालित हैं? (ख) उपरोक्तानुसार किस-किस छात्रावास में कितने-कितने छात्र छात्राओं की संख्या है एवं कितने छात्रावास के अधीक्षक छात्रावास परिसर में ही अधीक्षक आवास गृह में निवासरत हैं? वर्ष 2013 एवं 2014 से अब तक छात्रावासों के आवंटन एवं व्यय राशि का तहसीलवार ब्यौरा क्या है? (ग) किन-किन छात्रावास के भवन जर्जर अथवा मानव निवास योग्य नहीं है शासन ने उन्हें दुरुस्त करने हेतु क्या कदम उठाये?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सिवनी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत आने वाली तहसीलें सिवनी, बरघाट, केवलारी, कुरई, छपारा, लखनादौन, धनौरा, घंसौर व जिला मुख्यालय के आश्रम शालाओं छात्रावासों में निवासरत बालक बालिकाओं को निःशुल्क आवास, भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उत्कृष्ट छात्रावास एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कोचिंग के साथ ही विद्यार्थी कल्याण योजनाएं शासन द्वारा संचालित हैं। (ख) उपरोक्तानुसार जिले के छात्रावासों में छात्र, छात्राओं की संख्या एवं अधीक्षक आवास गृह में निवासरत अधीक्षकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है।** वर्ष 2013 एवं 2014 से अब तक छात्रावासों के आवंटन एवं व्यय राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है।** (ग) सिवनी जिले में संचालित कोई भी छात्रावास के भवन जर्जर नहीं हैं। समस्त छात्रावास मानव निवास योग्य हैं।

होशंगाबाद एवं शहडोल सम्भाग के सहायक संचालक योजना के पद

60. (क्र. 3107) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भरती एवं पदोन्नति नियम 1982 में संशोधन दिनाँक 03 सितम्बर 1999 द्वारा सहायक संचालक लोक शिक्षण (योजना) के 10 पद स्वीकृत किये गये थे, तथा अनुसूची एक में पदोन्नति नियम 1982 के सरल क्र.12 एवं 13 का लोप करते हुये सरल क्र.6 (1) (बी) स्थानांतरित किया गया था? जिसमें सहायक संचालक (योजना) का पद निर्मित किया गया था? (ख) क्या दिनाँक 01.08.2009 को होशंगाबाद एवं शहडोल सम्भाग के लिये सहायक संचालक

(योजना) के 02 पद स्वीकृत किये गये हैं? (ग) क्या सहायक संचालक (योजना) का पद योजना अधिकारी का पदोन्नति से पद है तथा विगत 06 वर्षों से सहायक संचालक (योजना) पद रिक्त होते हुये भी योजना अधिकारी की डीपीसी नहीं हुई है? (घ) योजना अधिकारियों को कब तक सहायक संचालक (योजना) के पद पर पदोन्नत किया जावेगा या उनकी पदोन्नति का पद समाप्त कर उन्हें योजना अधिकारी ही बना कर रखा जावेगा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रश्न में उल्लिखित तिथि 03 सितम्बर 1999 के अनुसार पद स्वीकृति नहीं किये गये हैं अपितु तिथि 03 सितम्बर 1991 के अनुसार सहायक संचालक योजना के 10 पद स्वीकृत करते हुए भरती तथा पदोन्नति नियम में प्रश्न में उल्लिखित विवरण अनुसार संशोधन किया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) सहायक संचालक (योजना) का नाम परिवर्तित कर सहायक संचालक (लोक शिक्षण) किये जाने के संबंध में भर्ती पदोन्नति नियम में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिलों में पदस्थ प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी

61. (क्र. 3108) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के कितने जिलों में आज भी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं? जिलों का नाम बतायें? (ख) क्या सितम्बर 2014 में स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य से सहायक संचालक एवं सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति हो चुकी है? (ग) क्या उप संचालक पद पर जितनी पदोन्नति हुई है वह अभी भी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य कर रहे हैं, जबकि सहायक संचालकों की विधिवत पदस्थापना कर दी गई है क्यों? (घ) इस स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है? शासन उन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 07 जिले खण्डवा, भिण्ड, दतिया, सतना, दमोह, टीकमगढ़ एवं डिण्डोरी में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। पदोन्नत उप संचालकों का पदांकक्न विभागीय आदेश क्रमांक एफ 13-26/2013/20-1, दिनाँक 27.02.2015 के द्वारा जारी किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश के ''ग'' भाग में वर्णित उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

फीस में एकरूपता

62. (क्र. 3137) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले में विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो अशासकीय एवं शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में उपरोक्त वर्गों के छात्रों की फीस में एकरूपता क्यों नहीं है? (ग) क्या कारण है कि फीस निर्धारित कमेटी में अशासकीय सदस्यों को क्यों रखा गया है? क्या सभी सदस्य शासकीय नहीं हो सकते? फीस निर्धारित कमेटी में सदस्यों को शामिल करने हेतु क्या मापदण्ड है? क्राइटेरिया है? (घ) क्या शासन फीस में एकरूपता लाने के लिये आदेश करेंगा, जिससे अ.जा./अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को लाभ मिल सके?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। अनुसूचित जनजाति वर्ग की प्रतिपूर्ति की जाती है। (ख) से (घ) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है।

प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर के प्रांगण में स्थित भवन का निरीक्षण

63. (क्र. 3138) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) असीस्टेंट इंजीनियर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन ग्वालियर के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर अस्पताल प्रागंण में स्थित क्वाटर्स का निरीक्षण कब किया गया, दिनाँक सहित बतायें? (ख) निरीक्षण रिपोर्ट में क्या बताया गया? क्या यह सही नहीं है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर अस्पताल प्रागंण में बने क्वाटर्स अत्यंत जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं? क्या यह भी सही नहीं है कि कभी भी हादसा हो सकता है? (ग) उक्त क्वार्टरों की हालत देखते हुये कब तक उन्हें डिस्मेंटल किया जायेगा एवं उनके स्थान पर नवीन क्वार्टर एवं बाउण्ड्रीवाल कब तक बनाई जायेगी? क्या उक्त संबंध में कोई प्रस्ताव खण्ड चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर जिला ग्वालियर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर को भेजा गया? (घ) यदि हाँ, तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कब प्रस्ताव मिला एवं आज दिनाँक तक क्या कार्यवाही हुई? प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु कहाँ, किस दिनाँक एवं किस कारण से लंबित है? क्या उक्त संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दिनाँक 12.01.2015 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर जिला ग्वालियर के अस्पताल परिसर में स्थित क्वाटर्स का निरीक्षण किया गया। (ख) निरीक्षण रिर्पोट के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर में स्थित शासकीय आवासगृह वर्ष 1961-62 के निर्मित है जो जर्जर अवस्था में है एवं रहने योग्य नहीं है। जी हाँ। जी हाँ। (ग) सक्षम स्तर से अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर यथा-शीघ्र डिस्मेंटल कर नवीन क्वार्टर एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जायेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर को प्रस्ताव दिनाँक 23.01.2015 को प्राप्त हुआ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा दिनाँक 26.02.2015 को आवासगृह को डिस्मेंटल करने एवं नवीन प्राक्कलन तैयार किये जाने हेतु पत्र कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग को लिखा गया है। कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन

64. (क्र. 3160) श्री अजय सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चुरहट विधान सभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है व कितने संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या अधिकांश संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करायी जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रवार एक्सरे मशीन एवं अन्य स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी उपकरण/सुविधाएं उपलब्ध है? यदि उपलब्ध नहीं है तो कब तक उपलब्ध कराया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) चुरहट विधान सभा क्षेत्र में 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 52 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित है। (ख) जी हाँ। रिक्त पदों की पूर्ति निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभंव नहीं। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर नैकिन एवं चुरहट में एक्स-रे मशीन व स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी उपकरण की

सुविधाऐ उपलब्ध है। उप स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन का कोई प्रावधान नहीं है। उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की स्वास्थ्य परीक्षण सुविधाएं, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के अंतर्गत नियुक्तियाँ

65. (क्र. 3161) श्री अजय सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2005 से 2013 तक सीधी जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन अन्तर्गत किन-किन पदों पर किन-किन की नियुक्तियां की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में अंकित मिशन के अंतर्गत किन-किन पदों पर अनुकम्पा नियुक्तियां दी गई हैं? यदि हाँ, तो जिले से बाहर के व्यक्तियों को भी अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "नौ"

गुरुजियों का, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में संविलियन

66. (क्र. 3164) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग अन्तर्गत शिक्षा गारंटी के तहत किस सन् से किस सन् तक के गुरुजियों की नियुक्ति की गई थी? (ख) कंडिका (क) के अनुसार क्या गुरुजियों की चयनित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में संविलियन करने का निर्देश दिया गया था? यदि हाँ, तो कितने उत्तीर्ण गुरुजियों की नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें? (ग) कंडिका (क) एवं (ख) के अनुसार क्या मध्य प्रदेश में कार्यरत गुरुजियों को बिना पूर्व परीक्षा के नियमित करने का शासन द्वारा आदेश किया गया था? (घ) कंडिका (ग) के अनुसार क्या सतना जिलान्तर्गत सन् 1998 के कुछ गुरुजियों का स.शि.वर्ग-3 में संविलियन नहीं किया गया? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट जानकारी देवें? कब तक संविलियन कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 1995 से वर्ष 2005 तक। (ख) जी हाँ। म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनाँक 04.01.2010 एवं विभागीय आदेश क्रमांक एफ44-56/2007/20-2, भोपाल, दिनाँक 14.05.2010 के अनुक्रम में अर्ह पाये गये 16324 गुरूजी को संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति कर दी गयी है। (ग) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-6/2014/20-2, भोपाल दिनाँक 10.02.2014 द्वारा व्यापम परीक्षा अनुत्तीर्ण गुरूजीयों को संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजित किए जाने हेतु परिपत्र जारी किये गये है। (घ) सतना जिले में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निर्धारित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूलों, में शिक्षकों के संबंध में

67. (क्र. 3193) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विषयांतर्गत शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में आवश्यकतानुसार शिक्षक हैं अथवा नहीं, यदि नहीं तो इस संबंध में क्या उचित कदम उठाऐ जा रहे है, कृपया कार्यवाही से अवगत करावें? (ख) हरदा जिले में कितनी शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण लंबित हैं उन पर कार्यवाही की

जा रही है? (ग) हरदा जिले में वर्ष 2013-14, 2014-15 में शिक्षण संस्थाओं (प्राथमिक माध्यमिक, हाई स्कूल हायर सेकेण्डी) के उन्नयन प्रस्तावों पर कृत कार्यवाही से अवगत करावें? (घ) उपरोक्त शिक्षण संस्थाओं के लंबित उन्नयन पर की जा रही कार्यवाही से अवगत करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। शासन निर्देशानुसार सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही से पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) हरदा जिले में 19 प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं 24 नवीन हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शाला भवनों का निर्माण कार्य लंबित है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों हेतु निर्माण एजेन्सी के विरूद्व अनु. अधि. (राजस्व) की आर.आर.सी. की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी भवनों में से 06 भवनों का कार्य ठेकेदारों द्वारा पूर्ण नहीं करने पर इनके पुनः टेंडर जारी कर कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। 08 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 10 भवनों का कार्य सिविल वर्क पूर्ण हो गया है। विघुत फिटिंग एवं पानी की सप्लाई की कमियों को दूर करने का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सुदृढिकरण योजना अंतर्गत 12 शालाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण प्रगति पर है। (ग) प्राथमिक से माध्यमिक शाला में उन्नयन का प्रस्ताव निरंक है। (घ) वर्ष 2013-14 में प्रावधानित सभी 100 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में एवं 300 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में, इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में प्रावधनित 50 हाईस्कूलों एवं 100 हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के आदेश जारी किये जा चुके है। जारी आदेशों में हरदा जिले की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

परिशिष्ट - "दस"

प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण एवं सुविधा के संबंध में

68. (क्र. 3198) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विशेष आवश्यकता बच्चों की जिलेवार संख्या, की जानकारी उपलब्ध करावे? (ख) विभिन्न श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एवं उनके शिक्षण के संबंध क्या योजना व कार्य किये जा रहे हैं? (ग) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में शिक्षकों की क्या व्यवस्था है? (घ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु क्या शिक्षकों की नियुक्ति की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।** (ख) 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा के तहत सामान्य विद्यालयों में दर्ज कराया जाकर मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान से इन बच्चों के लिए विद्यालयों में रैम्प, शिक्षकों को विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण, चिकित्सकीय मूल्यांकन, आवश्यकता अनुसार निःशुल्क उपकरण, निःशुल्क पुस्तकों का प्रदाय, परिवहन भत्ता, स्टेशनरी, गणवेश भत्ता, वाचक भत्ता, मार्गरक्षण भत्ता, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी में अध्ययनरत बच्चों को सुविधा भत्ता एवं छात्रावास सुविधा प्रदान की जाती है। (ग) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान हैं। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण देकर अध्यापन कार्य कराया जाता है। (घ) उत्तरांश ग के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

संविदा शिक्षकों को अध्यापक संवर्गों में स्थानांतरण, पदोन्नति एवं समायोजन

69. (क्र. 3200) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा शिक्षकों/अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण, पदोन्नति एवं समायोजन के लिए शासन के क्या नियम एवं निर्देश है? विगत एक वर्ष में हरदा जिले में जिला पंचायत कार्यालय से संविदा शिक्षकों एवं अध्यापकों के स्थानांतरण किए गए है यदि हाँ, तो सूची नाम पद सहित उपलब्ध करावें? (ख) क्या अन्य जिलों में स्थानांतरण करने हेतु संबंधित निकायों का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है, यदि हाँ, तो प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण देवें? (ग) विगत एक वर्ष में जिले में कितने शिक्षाकर्मियों एवं संविदा शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में समायोजित किया गया है? (घ) जिले में अध्यापक संवर्ग में समायोजित किए गए शिक्षाकर्मियों एवं संविदा शिक्षकों द्वारा डी.एड. एवं बी.एड. किस वर्ष में उत्तीर्ण किया गया है शाला का नाम, वर्ष एवं उनकी नियुक्ति दिनाँक तथा समायोजित करने की जानकारी उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब", "स" एवं "द" अनुसार** है। दिनाँक 01.08.13 के बाद प्रश्नांकित जिले में अध्यापक संवर्ग में स्थानांतरण/संविलियन की अनुमति नहीं दी गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) अध्यापक संवर्ग में स्थानांतरण नहीं, अपितु एक निकाय से अन्य निकाय में महिला, निःशक्तजन तथा पारस्परिक व्यक्तियों को संबंधित निकायों से प्राप्त अनापत्ति पत्र के आधार पर संविलियन की अनुमति दिये जाने का प्रावधान था। अब अध्यापक संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति महिला, निःशक्तजन तथा पारस्परिक केवल जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अन्तर्गत एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति ऑनलाईन से दिये जाने का प्रावधान म.प्र. विभागीय आदेश दिनाँक 22.09.14 के द्वारा किया गया है। इस आदेश में केवल कार्यरत निकाय से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने का प्रावधान है। (ग) हरदा जिले में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 एवं 3 को क्रमशः 38 अध्यापक के पदों पर एवं 52 सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त किया गया है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" पर**।

विभाग में चल रही योजनाओं एवं बजट आवंटन की जानकारी

70. (क्र. 3228) श्री गोपाल परमार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिला बनने के पश्चात आदिम जाति कल्याण मंत्री द्वारा जिले को कुल कितनी राशि का आवंटन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किया गया मदवार जानकारी देवें एवं उक्त मद से क्या-क्या कार्य करवाया गया और क्या-क्या कार्य करवाना शेष हैं? (ख) क्या जन प्रतिनिधियों से भी कार्य की अनुशंसा प्राप्त हुई है, तो किन-किन कार्यो की एवं उनमें से कितने कार्य कराये जा चुके हैं शेष बचे कार्य कब तक कराये जायेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जिलों को कोई आवंटन प्रदान नहीं किया जाता है। विभागध्यक्ष कार्यालयों द्वारा जारी शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, एक, एक-अ अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक-ब तथा ब अनुसार है।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चल रही योजनाएं एवं बजट आवंटन

71. (क्र. 3229) श्री गोपाल परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर/आगर जिले को विभाग से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में शासन द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का आवंटन स्वीकृत किया गया है? मदवार जानकारी देवें एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ख) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं नियमित मदों में आवंटित बजट के उपयोग के पूर्व इसकी कार्य योजना जनप्रतिनिधियों/जिला स्वास्थ्य समिति बैठकों में रखना सुनिश्चित किया जाता है क्या एवं उक्त मदों में प्राप्त बजटों का सही उपयोग हेतु उक्त समितियों की सलाह लेना आवश्यक है अथवा नहीं? यदि स्वास्थ्य समिति/जन प्रतिनिधियों की कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित किया जाना है, तो उक्त मदों में प्राप्त बजटों का उपयोग अधिकारियों द्वारा सीधे तौर पर बिना ध्यान में लाये किन नियमों के तहत उपयोग किया जाता है, भविष्य में इस हेतु विभाग क्या ठोस कदम उठायेगा? (ग) क्या उक्त जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं नियमित मदों में नियमों के विरूद्ध खरीदी की गई, यदि हाँ, तो विगत 2 वर्षों में क्या सामग्री क्रय की गई हैं, किस फर्म एवं नोडल एजेंसी से क्रय की गई? सामग्री की तादाद एवं दर से अवगत करावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्नांश: की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट (अ), (ब) अनुसार** है। (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत गतिविधियाँ राज्य स्तर से ही स्वीकृत होती हैं। तद्नुसार जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित कराकर व्यय किया जाता है। व्यय उपरांत वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर साधरण सभा की बैठक में आय-व्यय का अनुमोदन किया जाता हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समस्त खरीदी क्रय एवं भण्डार नियमों के अनुसार ही की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बारह"

एकलव्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का नियमितीकरण

72. (क्र. 3243) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. ट्रायवल वेल्फेयर रेसिडेंसियल आश्रम एण्ड एजूकेशनल सोसायटी भोपाल द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में तीन वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षकों को अब तक नियमित क्यों नहीं किया गया है? (ख) सोसायटी के संचालक मंडल की 22 वीं बैठक दिनाँक 19.01.2012 में तीन वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षकों को नियमित करने के लिए निर्णय लिया जा चुका था, परन्तु अभी तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण क्यों नहीं की जा सकी है? (ग) संविदा पी.जी.टी के नियमितीकरण के लिए यूजीसी नेट परीक्षा को अनिवार्य क्यों किया गया है? (घ) सी.टी.ई.टी. भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा है, इसे पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के नियमितीकरण का आधार कैसे बनाया गया है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया परीक्षणाधीन है। (ख) जी हाँ। प्रक्रिया परीक्षणाधीन है। (ग) अनिवार्य नहीं है। शिक्षण गुणवत्ता हेतु किया गया है। (घ) संविदा नियुक्ति हेतु सी.टी.ई.टी. परीक्षा का मापदण्ड नहीं रखा गया था। केन्द्रीय मा.शि.मण्डल के निर्देश अनुसार अब नियुक्ति में इस अर्हता को आधार रखा गया है।

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाई स्कूलों का उन्नयन

73. (क्र. 3263) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन हाई स्कूलों के उन्नयन के प्रस्ताव जनवरी 2015 की स्थिति में शासन स्तर पर लंबित थे? उक्त लंबित प्रस्तावों पर स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी? (ख) क्या उक्त प्रस्तावों के आधार पर प्रस्तावित स्थानों पर शैक्षणिक सत्र 2015-16 में हायर सेकेण्डरी की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खतौरा में प्रस्ताव अनुसार हाई स्कूल को उन्नयन कर हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? यदि नहीं तो उक्त आदेश कब तक जारी किए जाएगें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। वर्ष 2014-15 के बजट में प्रावधानित सभी हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन आदेश जारी किये जा चुके है एवं सीमित वित्तीय संसाधन होने से समस्त शालाओं का उन्नयन संभव नहीं होता है। (ख) जिन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, वे वर्ष 2015-16 से प्रारंभ हो जायेंगे। (ग) जी नहीं। बजट में उपलब्ध प्रावधानों के आधार पर स्वीकृति निर्भर करती है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "तेरह"</u>

स्वास्थ्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई मोबाईल नम्बर की सिम

74. (क्र. 3264) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभाग के कितने कर्मचारी को बीएसएनएल कम्पनी की मोबाईल नम्बर की सिम वर्ष 2013 एवं 2014 में दी गई? इन मोबाइल नम्बरों पर वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में कितने रुपयें मासिक खर्च आया? (ख) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 तक आईडिया कंपनी की पोस्टपैड सिम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आवंटित की गई थी? उक्त अवधि में इनका कितना मासिक बिल भुगतान किया गया? (ग) विभाग द्वारा उक्त मोबाईल सिम किस उद्देश्य से उपलब्ध करायी गयी थी? (घ) क्या स्वास्थ्य कर्मचारियों को उपलब्ध करायी गयी मोबाईल सिमों का उपयोग कर्मचारियों के परिजनों द्वारा किया जा रहा है? जिससे शासन का अनावश्यक व्यय हो रहा है? इसे रोकने के लिए शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के 489 कर्मचारियों को बीएसएनएल कंपनी की मोबाईल सिम वर्ष 2013 एवं 2014 में प्रदान की गई। वर्ष 2013 में राशि रु. 24450/- मासिक एवं वर्ष 2014 में रु. 24450/- मासिक खर्च आया। (ख) जी हाँ। विवरण निम्नानुसार है- सामु.केन्द्र कोलारस :-

क्र.	माह	मासिक बिल
1	जुलाई-2014	12105
2	अगस्त-2014	13207
3	सितम्बर-2014	13098
4	अक्टूबर-2014	14970
5	नवम्बर-2014	14230
6	दिसम्बर-2014	16220

सामु.केन्द्र बदरवास :-

क्र.	माह	मासिक बिल
1	जुलाई-2014	11294
2	अगस्त-2014	14621
3	सितम्बर-2014	14629
4	अक्टुबर-2014	15056
5	नवम्बर-2014	15021
6	दिसम्बर-2014	16577

(ग) बी.एस.एन.एल. की सिम प्रत्येक स्तर पर संपर्क एवं सूचना तंत्र पर्याप्त रूप से विकसित करने राज्य ज़िला स्तर से आशा व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों से निरंतर संवाद बनाये रखने व आउटब्रेक आदि की त्वरित सूचना प्राप्त करने व क्षेत्रीय कर्मचारियों को तत्काल निर्देशित करने एवं स्वास्थ्य संबंधी सन्देश सिमो पर समय समय पर प्रेषित किये जाने के उद्देश्य से प्रदाय की गई थी व आईडिया की सिम पायलेट प्रोजेक्ट के रूप मे क्षेत्रीय कर्मचारियों की जी.एस.पी. आधारित सतत निगरानी रखने हेतु ज़िला स्तर पर प्रदाय की गई थी। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में इंजेक्शन खरीदी में अनियमितता</u>

75. (क्र. 3280) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय मेडिकल कॉलेज के जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में चिकित्सा उपकरण एवं दवाईयों की खरीद में कितनी-कितनी राशि प्रश्न दिनाँक तक भुगतान की गई? वर्षवार अलग-अलग विवरण दें? (ख) वर्ष 2013 में मेरोपेनम इंजेक्शन सी.पी.सी. से स्वीकृत कम्पनी से न खरीदकर अन्य कम्पनी से खरीद करने वाले अधिकारियों के नाम पद सहित बतायें? (ग) क्या उक्त इंजेक्शन की खरीदी में हुई गड़बड़ी सी.ए.जी. ने ऑडिट में पाये जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है? यदि हाँ, तो अभी तक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? मेरोपेनम इंजेक्शन खरीदने में शासन को कितनी हानि हुई बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>रेडक्रास वार्ड कर्मचारियों को सेवा से हटाया जाना</u>

76. (क्र. 3284) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 1998-99 में मुरैना जिला चिकित्सालय परिसर में रेडक्रास सोसायटी की राशि से रेडक्रास वार्ड चिकित्सा कक्षों का निर्माण कराया गया था तथा नर्सिंग, इलेक्ट्रिशियन, सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया गया स्थापना का वर्ष, कर्मचारियों की संख्या सहित जानकारी दी जावें? (ख) उक्त कर्मचारियों का वेतन भुगतान किस मद से किया गया था? पदस्थापना के वर्ष से सेवा से हटाने तक का प्रत्येक कर्मचारी की वेतन राशि की जानकारी अलग-अलग नाम, पद सहित जानकारी दी जावें? (ग) क्या इतनी लंबी संतोषजनक सेवा कार्य के बाद भी

उक्त समस्त कर्मचारियों को हाल ही में अकारण सेवा मुक्त कर दिया है, क्यों? कारण सहित जानकारी दी जावें? (घ) क्या शासन अकारण सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को मानवीय आधार पर पुन: सेवा में लेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। जिला चिकित्सालय परिसर में रेडक्रास समिति के द्वारा वर्ष 1998 में रेडक्रास वार्ड चिकित्सा कक्षों का निर्माण कराया गया था। उनके द्वारा 04 महिला नर्स, 05 पुरूष नर्स, 01 इलेक्ट्रीशियन, 09 सफाई कर्मचारी व 01 पानी वाला कर्मचारी नियुक्त किया गया। (ख) रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रेडक्रास सोसायटी द्वारा निर्मित स्पेशल वार्ड से प्राप्त आय से किया जाता रहा है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) उपरोक्त कर्मचारी जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा रखे गये थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं। उपरोक्त मे से कई कर्मचारी पद के अनुसार अर्हता नहीं रखते। अतः रेडक्रास सोसायटी की बैठक दिनाँक 01/09/2014 में इन कर्मचारियों (जो पद के अनुसार योग्यताधारी नहीं है) को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया था, परंतु अभी तक इन कर्मचारियों को हटाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। (घ) कर्मचारी शासन द्वारा नियुक्त नहीं किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में WP 5592/2014 एवं WP 7737/2014 दायर की गई है। जिसके तारतम्य में उपरोक्त कर्मचारियों को न्यायालय से स्थगन प्राप्त है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौदह"

सहचिकित्सीय पाठ्यक्रम की स्थाई संबद्धता

77. (क्र. 3291) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में गत 10 वर्षों से संचालित सहचिकित्सीय पाठ्यक्रम (PMC) की स्थाई संबद्धता मिल चुकी है? (ख) यदि नहीं तो अभी तक स्थाई संबद्धता न होने का क्या कारण है? क्या स्थाई के लिए आवश्यक मापदण्डों (भूमि, भवन, शिक्षक, अध्यापन कक्ष, प्रयोगशाला आदि) की पूर्ति नहीं की गई है? (ग) क्या सहचिकित्सीय स्नातक पाठ्यक्रम हेतु जबलपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों में कोर्स इंचार्ज का पद सृजित किया गया है? यदि हाँ, तो किस योग्यता/विशेषज्ञ हेतु आहर्तित है? शासन का तत्संबंधी आदेश उपलब्ध करायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। (ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम के लिये वर्ष 2006-2007 की अवधि के लिये अस्थाई संबंद्धता है। आगामी वर्षों की निरंतरता हेतु रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा निरीक्षण समिति का गठन किया गया हैं। समिति द्वारा मार्च के द्धितीय अथवा तृतीय सप्ताह में निरीक्षण संभावित हैं। सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम के लिये पृथक से भूमि, भवन, अध्यापन कक्ष तथा प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता नहीं हैं। चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में एम.बी.बी.एस. के छात्रों हेतु उपलब्ध अध्यापन कक्ष, प्रयोगशाला आदि का उपयोग सह चिकित्सीय पाठयक्रम के छात्रों के अध्यापन हेतु किया जाता हैं। पैरामेडिकल काउसिंल में चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रश्न दिनाँक तक स्थायी संबंद्धता हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया

गया हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित पद का सृजन नहीं किया गया हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

एन.जी.ओ. द्वारा प्रशिक्षण कार्य में अनियमितता

78. (क्र. 3345) श्री अनिल फिरोजिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था उज्जैन में प्रशिक्षु अध्यापकों के शिक्षण हेतु क्या व्यवस्था है? (ख) क्या संस्थान में शैक्षणिक स्टाफ का अभाव है? यदि नहीं तो अतिशेष की क्या स्थिति है? (ग) संस्थान में पदस्थ शैक्षणिक कर्मचारियों से क्या कार्य लिया जा रहा है? (घ) क्या संस्थान में प्रशिक्षण कार्य किसी एन.जी.ओ. को सौंपा गया है? यदि हाँ, तो पर्याप्त स्टाफ होने के बाद भी एन.जी.ओ. से प्रशिक्षण करवाने का क्या कारण है? एन.जी.ओ. को प्रशिक्षण के एवज में कितना भूगतान किया जा रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन में प्रशिक्षु अध्यापकों के शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु संस्थान में अकादमिक स्टाफ कार्यरत है। (ख) वर्तमान में संस्थान में कुल स्वीकृत 17 पदों के विरूद्व 11 अकादमिक सदस्य कार्यरत है। जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है।** (ग) संस्थान में पदस्थ शैक्षणिक स्टाफ द्वारा सेवापूर्ण एवं सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य संपादित किया जा रहा है। (घ) दिनाँक 21.12.12 को राज्य शिक्षा केन्द्र के साथ हुये MoU के आधार पर HPPI (Humana people to people india) नामक NGO को उज्जैन सहित प्रदेश के 05 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को दृष्टिगत रखते हुये विभाग द्वारा बिना कोई वित्तीय सहायता प्रदान करते हुये कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।**

साक्षर भारत/ साक्षर केन्द्र का संचालन

79. (क्र. 3355) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में कितने साक्षर केन्द्र/ साक्षर भारत केन्द्र चल रहे हैं उक्त केन्द्र पर साक्षरता के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जा रही है? (ख) उक्त केन्द्र का निरीक्षण किनके द्वारा किया जाता है? केन्द्र कk संचालन किसके द्वारा किया जाता है? (ग) विगत पाँच वर्षो में उक्त केन्द्र पर कितनी राशि का खर्चा हुआ, विकासखण्डवार जानकारी देवें? यदि किसी विकासखण्ड में संचालित किये जा रहे केन्द्रों पर फर्जी दर्ज संख्या बताई गई हो, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है? (घ) उक्त केन्द्र के नियमित निरीक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी किस अधिकारी की बनती है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) देवास जिले में कुल 440 साक्षर भारत केन्द्र संचालित है। पंचायत स्तर पर संचालित प्रत्येक प्रौढ शिक्षा केन्द्र में 02 प्रेरक के पद स्वीकृत है। प्रत्येक प्रेरक को प्रति माह रूपये 2000/- के मान से भुगतान किया जाता है। इन केन्द्रों को साक्षरता सामग्री क्रय करने हेतु रूपये 4000/- की राशि प्रदाय की गई है। (ख) इन केन्द्रों का निरीक्षण समय-समय पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा, जिला लोक शिक्षा समिति, विकासखण्ड लोकशिक्षा समिति तथा ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। प्रेरक के द्वारा संचालन किया जाता है। (ग) देवास जिले में सितम्बर 2013 से साक्षर

भारत योजना शुरू की गई है। विकासखण्डवार व्यय राशि का विवरण "**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।"। देवास जिले में फर्जी दर्ज संख्या संबंधी कोई शिकायत दर्ज नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) देवास जिले में संचालित साक्षर भारत केन्द्रों पर नियमित निरीक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी सचिव, ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति का है।

प्रायवेट हिन्दी मीडियम/इंग्लिश मीडियम स्कूलों की फीस भुगतान

80. (क्र. 3356) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त प्राईवेट हिन्दी मीडियम स्कूलों जैसे प्राथमिक स्कूल/मिडिल स्कूल/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों की मासिक फीस राज्य शासन द्वारा निश्चित की गई है? यदि हाँ, तो कितने माह की फीस लेने हेतु निजी शिक्षण संस्थाओं को अधिकार दिये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो जिला देवास में राज्य शासन से मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों हिन्दी मीडियम/इंग्लिश मीडियम की संख्या कितनी है व किन-किन स्कूलों में राज्य शासन द्वारा निर्धारति दर के नियमानुसार मासिक फीस का बच्चों द्वारा भुगतान कराया जाता है? (ग) जिन स्कूलों में राज्य शासन के निर्धारित दर और मासिक फीस नियम के विरूद्ध अधिक भुगतान किया जाता है, उन स्कूल संचालकों के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गई है या नहीं? यदि नहीं, तो उन स्कूल संचालकों के विरूद्ध किस धारा/अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी और कब तक जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्न ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्न ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा खरीदी गई दवा

81. (क्र. 3382) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2012-13, 2013, 2014 एवं 2014, 2015 में मरीजों हेतु खरीदी गई कौन कम्पनी की कौन-कौन दवा का प्रदेश की, प्रदेश के बाहर की तथा राष्ट्रीय प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण कराया गया है? दवा का नाम, कम्पनी का नाम, प्रयोगशाला के नाम सहित बताये? (ख) कौन सी कम्पनी की, कौन सी दवा, अमानक स्तर की पायी गई है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) वर्षों में विभाग ने अमानक दवा का भी भुगतान किया है? यदि हाँ, तो कौन कम्पनी की, कौन दवा का कितनी राशि का, भुगतान किया गया है? (घ) अमानक दवा प्रदायकों एवं प्राप्तकर्ताओं तथा राशि भुगतानकर्ताओं पर शासकीय धन की वसूली सहित क्या कार्यवाही की गई है? क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

सागर जिले के देवरी एवं केसली ब्लॉकों में बस्ती विकास मद राशि

82. (क्र. 3385) श्री हर्ष यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अजा/अजजा बस्ती विकास मद से केसली एवं देवरी विकासखंड को वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है न ही कोई कार्य

स्वीकृत किये गये है? (ख) यदि नहीं तो कितनी राशि कौन से कार्य को किस वर्ष दी गई है तथा कार्य किस एजेंसी द्वारा किस स्थान पर कराया गया है? (ग) राशि के आवंटन का क्या आधार होता है? विभाग द्वारा कार्य कराये जाने का चयन किस प्रकार किया जाता है? क्या विधायकों के प्रस्ताव के आधार पर भी कार्य का चयन कर राशि आवंटित की जाती है? (घ) क्या विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का या दूसरे विभाग द्वारा विभाग की राशि से कराये गये कार्यों का मौके पर मूल्यांकन कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कौन से कार्यों का किस सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन कर कार्य को उचित पाया गया है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) जी हाँ। आवंटन जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। कार्यों का चयन नियमानुसार किया जाता है। (घ) जी हाँ। कार्यों का सत्यापन सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराया जाकर कार्य उचित पाये गये। शेष **जानकारी परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

अजा/अजजा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सुविधाएं

83. (क्र. 3402) श्री संजय शर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अजा/अजजा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कौन-कौन सी छात्रवृत्ति किस दर से दी जाती है? उक्त छात्रवृत्ति के अतिरिक्त पात्रतानुसार जनश्री बीमा/ आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति का भुगतान क्यों नहीं होता है? (ख) फरवरी, 2015 की स्थिति में रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में उक्त वर्ग के छात्र/छात्राओं को कब से छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों कारण बतायें? (ग) उक्त वर्ग के छात्र/छात्राओं को कब तक छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति का भुगतान करवा दिया जायेगा? (घ) अजा/अजजा वर्ग के छात्र/छात्राओं को क्या-क्या सुविधाएं शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, मापदण्ड/शर्तों सहित पूर्ण विवरण दें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : आदिवासी विकास विभाग की छात्रवृत्ति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रश्नांकित अन्य छात्रवृत्तियॉ आदिवासी विकास विभाग द्वारा वितरित नहीं की जाती हैं।अनुसूचित जाति विभाग की छात्रवृत्ति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाता। (ख) आदिवासी विकास विभाग के छात्रावासों की शिष्यवृत्ति प्रतिमाह नियमित भुगतान हो रही है। छात्रवृत्ति समग्र पोर्टल के माध्यम से बांटे जाने से कम्प्यूटराईज्ड भुगतान की नवीन प्रक्रिया के कारण। अनुसूचित जाति विभाग के अन्तर्गत विभागीय शिष्यवृत्ति का वितरण रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में फरवरी तक किया जा चुका है। कक्षा 1 से 12 तक की छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य प्रचलन में है। (ग) आदिवासी विकास विभाग के अन्तर्गत शिष्यवृत्ति का भुगतान लम्बित नहीं है। छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष में वितरित की जाना है। तद्नुसार कार्यवाही प्रचलन में है। अनुसूचित जाति विभाग के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य प्रचलन में है। समय

सीमा बजाया जाना संभव नहीं है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।**

<u>पंजीकृत मजदूरों को सुविधायें</u>

84. (क्र. 3403) श्री संजय शर्मा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल में पंजीकृत मजदूरों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तथा इस हेतु क्या-क्या निर्देश हैं? (ख) असंगठित निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु क्या-क्या निर्देश हैं? रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में पंजीकृत मजदूरों की संख्या जनपद पंचायत/नगरीय निकायवार बतायें? (ग) पंजीकृत मजदूरों को चिकित्सा सहायता हेतु क्या-क्या प्रावधान है? इस हेतु मजदूरों को क्या-क्या प्रक्रिया पूर्ण करना पड़ती है? आवेदन पत्र सहित पूर्ण विवरण दें? (घ) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में फरवरी 2015 की स्थिति में किस-किस योजना में कितने मजदूरों के आवेदन पत्र सहायता हेतु लंबित है, तथा क्यों? उनको कब तक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। उक्त योजनाओं हेतु निर्माण श्रमिक का पंजीयन जीवित होना आवश्यक है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है तथा रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की जनपद पंचायत/नगरीय निकायवार **जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है। **(ग)** पंजीकृत मजदूरों को चिकित्सा सहायता हेतु प्रावधान, प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र द अनुसार** है। **(घ)** वर्तमान में रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में मण्डल की किसी भी योजनांतर्गत आवेदन लंबित नहीं है।

<u>नरसिंहगढ़ नगर में सिविल अस्पताल में एक्सरे मशीन के संबंध में</u>

85. (क्र. 3432) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ स्थित सिविल अस्पताल में कुल कितनी एक्सरे मशीन है? कितनी मशीनों की मरम्मत कराई गई? मरम्मत की कितनी राशि दी गई एवं उक्त मशीनों की वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में मशीनों से एक्सरे हो रहे हैं या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं? कारण बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार शासन कब तक एक्सरे मशीन, टेक्निशियन पदस्थ करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) नरसिंहगढ़ स्थित सिविल अस्पताल में दो एक्स-रे मशीन है। एक मशीन की मरम्मत कराई गई, मरम्मत में राशि रूपये 120750/- का व्यय हुआ। वर्तमान में एक एक्स-रे मशीन क्रियाशील अवस्था में है व एक मशीन अक्रियाशील है। जी नहीं, सिविल अस्पताल, नरसिंहगढ़ के रेडियोग्राफर के दिनाँक 31/10/2014 को सेवानिवृत्त होने से एवं अन्य कोई रेडियोग्राफर पदस्थ न होने से एक्स-रे नहीं हो रहे हैं। (ख) सिविल अस्पताल, नरसिंहगढ़ पर एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। संस्था में रेडियोग्राफर की पदस्थापना हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

<u>नरसिंहगढ़ स्थित सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के स्वीकृत पद</u>

86. (क्र. 3434) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ स्थित सिविल अस्तपाल में डॉक्टरों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने डॉक्टर पदस्थ है? जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार शासन नरसिंगढ़ में डॉक्टरों को पदस्थ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? कारण बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3195 पदों के विरूद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है, अतः विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है एवं पदपूर्ति में कठिनाई है। चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत 03 पदों पर चिकित्सक पदस्थ है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "सोलह</u>"

<u>रिक्त पदों की जानकारी</u>

87. (क्र. 3448) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी/उपसंचालक के पद रिक्त हैं? और कितने समय से रिक्त हैं? रिक्त रहने का कारण बतायें? (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होने से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के संचालन पर प्रभाव पड़ा है? रिक्त पद रखने का कौन अधिकारी दोषी है? क्या इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समय सीमा बतावें? (ग) क्या शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुछ समय पूर्व जिले में पदस्थी हेतु जिला शिक्षा अधिकारी/उपसंचालक शिक्षा के अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की गई है? यदि हाँ, तो उनकी सभी जिले में पोस्टिंग क्यों नहीं की गई, तथा पदोन्नत अधिकारियों की पोस्टिंग में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यावाही की जाकर कब तक पदोन्नत अधिकारियों की जिले में पोस्टिंग की जावेगी? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) से म.प्र. शासन की छवि खराब हो रही है एवं स्कूल शिक्षा योजना के संचालन में प्रदेश के करोड़ों छात्र-छात्राओं को समुचित शिक्षा प्रदान करने में विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं? इसके लिये कुछ मापदण्डों का पालन हेतु कार्ययोजना बनायेंगे तथा पालन सुनिश्चित करायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला शिक्षा <u>अधिकारी/उप</u> संचालक के रिक्त पदों एवं रिक्त रहने की अवधि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है। रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण से की जाती है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। (ख) जी नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी/उप संचालक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। रिक्त पदों की पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। पदोन्नत उप संचालकों के पदोन्नति पश्चात् पदांकन आदेश विभागीय आदेश क्रमांक एफ <u>13-26/2013/20-1</u>, दिनाँक 27.02.2015 के द्वारा किये गये है। उत्तरांश के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' से ''ग'' भाग के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

प्रायवेट नर्सिंग होम एवं क्लिनिक के संबंध में

88. (क्र. 3547) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में शासन द्वारा कितने नर्सिंग होम एवं क्लिनिक रजिस्टर्ड किये गये हैं तथा रजिस्ट्रेशन कितने वर्ष के लिये दिया गया है, तथा कितने नर्सिंग होम/क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे है? कितने नर्सिंग होम में मरीजों के ठहरने, पीने के स्वच्छ पानी, केन्टिन एवं पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है? (ख) कितने नर्सिंग होम/क्लिनिक प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड है? उक्त नर्सिंग होम/क्लिनिक का बायोमेडिकल वेस्ट (कचरा) कहाँ भेजा जा रहा है? उस बायोमेडिकल वेस्ट (कचरा) का क्या किया जा रहा है? नर्सिंग होम/क्लिनिकवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) नर्सिंग होम एक्ट अनुसार कितने डॉक्टर/पेरामेडिकल स्टाफ कार्य कर रहे है तथा उन्हें कितना वेतन दिया जा रहा है, तथा इन डॉक्टर/पेरामेडिकल स्टाफ में से कितने लोगों ने अपने प्रायवेट नर्सिंग होम खोल रखे हैं? संपूर्ण नर्सिंग होम की जानकारी उपलब्ध करावें? क्या उज्जैन जिले में नियम विरूद्ध रहवासी इलाकों में नर्सिंग होम संचालित किये जा रहे है? (घ) क्या शासन के नियम अनुसार शासकीय चिकित्सक अपने निवास पर शासकीय समय छोड़कर ही प्रेक्टिस कर सकता है? परंतु उज्जैन शहर में शासकीय चिकित्सकों का अपने निवास को छोड़कर अन्यत्र शहर/तहसील में प्रायवेट क्लिनिक/नर्सिंग होम/पेथोलॉजी/एक्सरे/सोनाग्राफी सेन्टर इत्यादि खोल रखे है जो नियम विरूद्ध है? शासन इस पर क्या कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) उज्जैन जिले में कुल 45 नर्सिंग होम एवं 227 क्लीनिक रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन तीन वर्ष के लिये दिया गया है। जिले में बिना पंजीयन के संचालित नर्सिंग होम/क्लीनिक के प्रकरण संज्ञान में नहीं आये है। 45 नर्सिंग होम में मरीजों के ठहरने एवं पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था व 5 में केन्टीन एवं पार्किंग की व्यवस्था है। (ख) सभी अस्पताल एवं नर्सिंग होम जिला प्रदूषण बोर्ड से एन.ओ.सी. प्राप्त है। बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन मेसर्स हास्वीन लिमिटेड, इन्दौर द्वारा अस्पतालों से एकत्र कर सांवेर रोड़ जिला इन्दौर में किया जाता है। नर्सिंग होम/क्लीनिक्स में उत्सर्जित बायोमेडिकल वेस्ट के नियमानुसार निष्पादन के पर्यवेक्षण मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इस जानकारी का संधारण मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997 के अन्तर्गत विभाग द्वारा नहीं रखा जाता। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत इन डॉक्टर/पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा अपने प्रायवेट नर्सिंग होम खोलने की जानकारी संधारित नहीं की जाती। जी नहीं। (घ) जी हाँ। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अठारह"

चिकित्सा कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन प्रणाली योजना लागू करने बावत्

89. (क्र. 3548) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन वित्त विभाग के पत्र दिनाँक

29.12.2005 के अनुसार दिनाँक 01.01.2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन प्रणाली योजना लागू की है? (ख) यदि हाँ तो नेताजी सुभाषचंद बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के ऐसे कर्मचारियों के लिए अब तक लगभग 10 वर्ष बाद भी लागू नहीं की गई है? क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबंद्ध चिकित्सालयों को वर्ष 1997 में स्वशासी संस्था घोषित किया गया हैं। इन संस्थाओं में वर्ष 1997 से प्रश्न दिनाँक तक नियुक्त किये गये कर्मचारियों के वेतन से सी.पी.एफ/ई.पी.एफ. में कटौत्रा किया जा रहा हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ

90. (क्र. 3557) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, एन.आर.एच.एम भोपाल के पत्र क्र./एच.आर./आर.सी. एच./ एन.आर.एच.एम/ 2013 / 9692 भोपाल दिनाँक 16.07.2013 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु मानव संसाधन नीति का निर्माण किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या उक्त मानव संसाधन नीति अनुसार संविदा कर्मचारियों को कार्य आधारित मूल्यांकन पश्चात् आगामी वर्षों में मानदेय वृद्धि हेतु विगत वर्ष में प्रचलित सी.पी.आई दर (Consumer Price Index) अनुसार वेतनवृद्धि दिये जाने का उल्लेख किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2014-15 में उक्त संविदा कर्मचारियों को सी.पी.आई दर अनुसार वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया है? यदि नहीं तो उसका क्या कारण है व उसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है व उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) उक्त संविदा कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाकर नवीन मानदेय का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। उक्त मानव संसाधन नीति में कार्य आधारित मूल्यांकन के पश्चात प्रचलित सी.पी.आई. दर अनुसार वेतन वृद्वि के निर्धारण का उल्लेख किया गया है। (ग) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपरोक्तानुसार वेतन वृद्वि का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। (पुनरीक्षित मानव संसाधन मैन्यूअल अगस्त 2014 की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मानदेय निर्धारण के पूर्ण अधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति को प्राप्त है। प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (घ) प्रश्न भाग 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अशासकीय विद्यालयों के छात्रों का प्रावीण्य सूची में स्थान

91. (क्र. 3587) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2010 के पश्चात प्रदेश के ऐसे कितने अशासकीय विद्यालय हैं जहाँ से एक ही सत्र में 3 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में बोर्ड परीक्षाओं में स्थान बनाया है? संस्था का नामवार, छात्रवार सूची उपलब्ध कराएं? (ख) प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जहाँ के 25 से अधिक विद्यार्थियों ने 85 प्रतिशत अंक से अधिक अंक अर्जित कर 25 हजार रूपये का पुरस्कार प्राप्त किया है? विद्यालयवार, छात्रवार जानकारी देवें? (ग) उज्जैन संभाग में ऐसे कितने अशासकीय विद्यालय हैं, जहाँ के 25 से अधिक विद्यार्थी 85 प्रतिशत से अधिक अंक गत 3 सत्रों से ला रहे हैं? इनमें से

कितने 25 हजार से पुरस्कृत हुए? (घ) क्या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रश्नांश (ग) से संदर्भित ऐसे विद्यालयों के विद्यार्थियों पर प्रतिवर्ष नकल के आरोप लगते हैं? यदि हाँ, तो ऐसे विद्यालय के गत 3 वर्षों में केन्द्राध्यक्ष कौन-कौन थे? क्या ऐसे विद्यार्थियों की मानिटरिंग हेतु विशेष दस्ते का गठन सत्र 2014-15 के लिए किया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में विद्यालयों की जानकारी निम्नानुसार है, संस्था का नामवार, छात्रवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**।

परीक्षा वर्ष	हाईस्कूल परीक्षा के विद्यालयों की संख्या	हा.से. परीक्षा के विद्यालयों की संख्या
2010	निरंक	निरंक
2011	निरंक	निरंक
2012	निरंक	01
2013	निरंक	निरंक
2014	निरंक	02

(ख) परीक्षा वर्ष 2014 में से ऐसे अशासकीय विघालयों के 25 से अधिक विघाथियो ने 85 प्रतिशत अंक से अधिक अंक अर्जित कर 25 हजार रूपये का पुरस्कार प्राप्त किया है विघालयवार में रखें छात्रवार सूची पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट - ब अनुसार है। (ग) उज्जैन संभाग के अशासकीय विघालयों के 25 से अधिक विघाथियो ने 85 प्रतिशत से अधिक अंक गत 3 सत्रों से ला रहे हैं की जानकारी निम्नानुसार हैं :-

परीक्षा सत्र अशासकीय विद्यालयों की संख्या

परीक्षा वर्ष	हाईस्कूल परीक्षा के विद्यालयों की संख्या	हा.से. परीक्षा के विद्यालयों की संख्या
2010	निरंक	निरंक
2011	निरंक	निरंक
2012	निरंक	01
2013	निरंक	निरंक
2014	निरंक	02

(घ) प्रश्नांश ग के संदर्भ में नकल संबंधी आरोप मण्डल को प्राप्त नहीं हुए हैं साथ ही 03 वर्षों में उज्जैन संभाग में सामूहिक नकल प्रकरणों की संख्या निरंक हैं।

RAMS के तहत भवनों, कक्षों का मापदण्ड

92. (क्र. 3588) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2010 से मन्दसौर, रतलाम, नीमच जिलों में RAMS के तहत कितने विद्यालयों को अतिरिक्त कक्ष, नवीन भवन, रेम्प, प्रयोगशाला, शौचालय, खेल मैदान चयनित करने के क्या नियम हैं तथा उक्त अवधि में कहाँ-कहाँ किस-किस की अनुशंसा से तथा किस समिति द्वारा स्थल का चयन किया गया? जहाँ पर अतिरिक्त कक्ष नवीन भवन दिये वहाँ की छात्र संख्या उक्त अवधि से बताएं? (ख) क्या मन्दसौर, रतलाम, नीमच में उक्त कक्षों को स्वीकृत करने में उक्त जिलों

में अधिकारियों की मिली भगत से भारी भ्रष्टाचार कर ऐसे विद्यालय का चयन किया गया जहाँ पर कक्ष की आवश्यकता नहीं थी किन्तु प्राचार्य के साथ भ्रष्टाचार की सांठ-गांठ ज्यादा थी? यदि नहीं तो ऐसी कितनी शिकायतें किस-किस व्यक्ति द्वारा विभाग को प्राप्त हुई एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त अवधि में बने भवनों की किस-किस सक्षम अधिकारी ने कब-कब जाँच कर उनकी गुणवत्ता की जाँच की तथा मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाये जाने वाली भवन निर्माण एजेन्सी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विगत तीन वर्षों से आगर जिले में 231 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलवार शासकीय भूमि आवंटित कर भवनों का निर्माण किया गया है। विगत 03 वर्षों में आगर जिले में 18 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में भवन निर्माण किए गए हैं। 05 विद्यालयों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है।** अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) आगर जिले में 651 प्राथमिक शाला एवं 296 माध्यमिक शाला इस प्रकार कुल 957 विद्यालय हैं जिसमें शासकीय भूमि आवंटित की गई। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' पर है।** आगर जिले के 04 विद्यालयों को शासकीय भूमि आवंटित की गई है, **सूची परिशिष्ट-'अ' अनुसार है।** इसमें से 01 विद्यालय का नामांतरण है। शेष 03 विद्यालयों के नामांतरण की कार्यवाही प्रक्रिया में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अस्पतालों में अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति

93. (क्र. 3624) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा एवं खाचरौद नगर के शासकीय अस्पतालों एवं नागदा खाचरौद क्षेत्र विधान सभा के ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है (प्रत्येक अस्पताल वाईज) उनमें कितने पदों पर पूर्ति की गई है? वर्तमन में कितने पद रिक्त पड़े हैं? (ख) रिक्त पड़े पदों पर कब तक पूर्ति कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3195 पदों के विरूद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है, अतः विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है एवं पदपूर्ति में कठिनाई है। चिकित्सा अधिकारी के 1271 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग में दिनाँक 02 मार्च 2015 से दिनाँक 10 अप्रेल 2015 तक साक्षात्कार की कार्यवाही प्रचलन में है, उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। पैरामेडिकल संवर्ग के 900 पदों हेतु मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को मांग-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। संभाग स्तर पर तृतीय श्रेणी पदों की पदोन्नति प्रक्रिया निरंतर जारी है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

शासकीय विद्यालयों में शिक्षक / शिक्षिकाओं के पदों की जानकारी

94. (क्र. 3625) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद में कितने शासकीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं उन विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षकाओं के कुल कितने पद स्वीकृत है? वर्तमान में कुल कितने पदों पर

शिक्षक/शिक्षिका पदस्थ है, एवं कुल कितने पद वर्तमान में रिक्त पड़े है? जानकारी प्रत्येक स्कूलवाईज ग्राम के नाम सहित देवें? (ख) रिक्त पड़े पदों पर शिक्षक/शिक्षिकाओं की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) "**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।" (ख) पद पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>पी.एम.टी. 2009 में फर्जीवाड़े की जाँच रिर्पोट</u>

95. (क्र. 3645) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित कमेटी द्वारा वर्ष 2009 की पीएमटी परीक्षा में फर्जीवाड़े की जाँच में किस-किस महाविद्यालय में कितने-कितने फर्जी विद्यार्थी पाये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में गठित कमेटी द्वारा किस-किस दिनाँक को किस-किस महाविद्यालय में जाँच की गयी तथा बतावें कि सागर तथा जबलपुर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की जाँच कमेटी द्वारा क्यों नहीं की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में गठित कमेटी द्वारा जाँच में फर्जी पाये गये विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा दोष मुक्त किया गया? उनके नाम बतावें? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में गठित कमेटी की रिपोर्ट में पाये गये फर्जी विद्यार्थियों के नाम को हटाने का अधिकार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की कमेटियों को हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2009 की पी.एम.टी. परीक्षा में फर्जीवाड़े की जाँच के संबंध में संचालनालय द्वारा कोई कमेटी गठित नहीं की गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पी.एम.टी. काउंसलिंग कमेटी द्वारा अनियमितता</u>

96. (क्र. 3646) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006 से 2013 की P.M.T. परीक्षा की काउंसलिंग कमेटी के सदस्य अध्यक्ष स्कूली कमेटी तथा अध्यक्ष आवंटन समिति कौन-कौन थे वर्ष अनुसार सूची देवें? (ख) वर्ष 2006 से 2012 की P.M.T. परीक्षा में संचालक चिकित्सा शिक्षा के निर्देश पर की गई जाँच में जो 296 फर्जी पाये गये थे, उसमें ऐसे कितने फर्जी है, जो स्कूल कमेटी की जाँच के समय ही पता लग जाना था? (ग) क्या S.T.F. जो अनियमितता की जाँच कर रहा है, उसने किसी वर्ष की काउंसलिंग कमेटी के सदस्यों से कोई पूछताछ की है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अमानक दवा निर्माता/फार्मास्यूटिकल कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही</u>

97. (क्र. 3664) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त/नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. भोपाल के तहत

पदस्थ जबलपुर जिले के किन-किन औषधि निरीक्षकों/वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों के द्वारा अपने प्रभार के क्षेत्रों में स्थित किन-किन दवा निर्माता/फार्मास्यूटिकल कम्पनियों की कितनी दवाईयों के नमूने जाँच में अमानक गुणवत्ताविहीन असरहीन पाये गये हैं? इनमें से कितने के विरूद्ध कब क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कितने के विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की गई है? वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के जिले में शासन ने प्रश्नांकित किन-किन दवा निर्माता/फार्मास्यूटिकल कम्पनियों को ब्लेक लिस्टेड कब घोषित किया है, तथा किन-किन की कौन-कौन सी दवाईयों की बिक्री पर रोक कब लगाई है और किनके दवा लायसेंस कब निरस्त किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) के जिले में एवं अवधि में किन-किन औषधि निरीक्षकों/वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों के द्वारा किन-किन दवा निर्माता/फार्मास्यूटिकल कम्पनियों, ब्लड बैंकों का कब-कब औचक निरीक्षण किया है तथा निरीक्षण में कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई और तत्संबंध में कब किस पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जबलपुर जिले में वर्तमान में दो औषधि निरीक्षक पदस्थ है जिसमें से एक औषधि निरीक्षक को जबलपुर जिले का कार्य तथा दूसरे औषधि निरीक्षक को नरसिंहपुर जिले का कार्य सौंपा गया है। जबलपुर जिले में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के पद पर कोई पदस्थ नहीं है। जबलपुर जिले में पदस्थ औषधि निरीक्षकों के प्रभार के क्षेत्रों में स्थित दवा निर्माता/फार्मास्यूटिकल्स का वर्ष 2013-14 में कोई भी नमूना अवमानक स्तर का नहीं पाया गया। अतएव शेष जानकारी निरंक है। (ख) खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा निर्माता/फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों का ब्लैक लिस्टेड किया जाने का प्रावधान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 में नहीं है। प्रश्नांश ''क'' के आलोक में शेष जानकारी निरंक है। (ग) औषधि निरीक्षक जबलपुर द्वारा जबलपुर एवं छिंदवाडा जिले में स्थित एक-एक दवा निर्माता/फार्मास्यूटिकल्स कम्पनियों के निरीक्षण किये गये जिसमें कोई कमी नहीं पाई गई। ब्लड बैंकों में किये गये औचक निरीक्षण की जानकारी निरंक है, प्रश्नाधीन अवधि में औषधि निरीक्षक, जबलपुर एवं भारत सरकार के औषधि निरीक्षक द्वारा जबलपुर जिले में स्थित चार शासकीय एवं दो अशासकीय ब्लड बैंकों के संयुक्त निरीक्षण किये गये जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। नरसिंहपुर जिले में जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर का निरीक्षण औषधि निरीक्षक नरसिंहपुर द्वारा किया गया जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।

शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य संपादित कराया जाना

98. (क्र. 3683) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में कार्यरत शिक्षक संवर्ग/अध्यापक संवर्ग को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाया जाता है, यदि हाँ, तो क्यों? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो कटनी जिले सहित प्रदेश में कार्यरत शिक्षक संवर्ग/अध्यापक संवर्ग को शिक्षक कार्य के अतिरिक्त कब-कब अन्य कार्य में लगाया गया है? शिक्षक वार, शालावार और जिस कार्य हेतु उन्हें कार्य पर लगाया गया है, बतायें तथा शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाये जाने से कितनों दिनों का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है? यदि हाँ, तो क्या जिन अधिकारियों के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य में

शिक्षकों को संलग्न किया गया है तो उन अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? (ग) क्या माननीय न्यायालय द्वारा शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य ना करवाने के संबंध में कोई आदेश/निर्देश दिये गये है? यदि हाँ, तो कब, और क्या उनका पालन हो रहा है? यदि नहीं तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है एवं उन पर क्या कार्य कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 की धारा 27 के अंतर्गत किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, विभीषिका राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों के लिए अभिनियोजित किया जा सकता है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 5659/2007 में दिनाँक 06.12.2007 को आदेश दिए है। माननीय न्यायालय के आदेश का यथा संभव पालन कराया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शाला भवनों का निर्माण

99. (क्र. 3689) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कितने हाई एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल भवन विहीन हैं, तथा कब से संचालित है? क्या इन शालाओं के भवनों के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन योजनाओं से तथा कितनी-कितनी और निर्माण एजेन्सी कौन-कौन है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार निर्माण एजेन्सियों को कब तक कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित थी? क्या निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं तो क्यों शालावार बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित भवन विहीन हाई एवं हा.से. शालाओं में उनके प्रारंभ दिनाँक से आज तक प्रति शिक्षा सत्र में कक्षावार कितने छात्रों से कितनी शाला विकास शुल्क प्रति छात्र ली गई है, तथा सत्रवार इस राशि का उपयोग किन-किन प्रयोजनों के लिये किया गया है, तथा आज की तिथि तक किस बैंक में तथा कितनी राशि जमा है? शालावार बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना

100. (क्र. 3696) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में प्रश्न दिवस तक जननी शिशु सुरक्षा योजना में कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ? नाम सहित सूची दें? (ख) प्रश्नांकित विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? इन स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक के सेट अप अनुसार किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस वर्ग के पद भरे हुये हैं, तथा कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग की क्या-क्या कार्यवाही प्रचलित है? इन पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ग) विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सीहोर अंतर्गत किन-किन ग्रामों में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाना है? ग्रामवार जानकारी दें? (घ) रोगी कल्याण समिति द्वारा किस नियम के तहत अभी तक कुल कितनी अस्थायी नियुक्तियां की गई एवं उनको किस मद से कितना वेतन प्रदाय किया जा रहा है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जननी सुरक्षा अंतर्गत 2014-15 में प्रश्न दिनाँक तक कुल 5, 708 महिलाओं को लाभ दिया गया। लाभान्वित हितग्राहियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्र सीहोर अंतर्गत ग्राम अहमदपुर एवं ग्राम बमूलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है तथा ग्राम श्यामपुर, ग्राम बिलकिसगंज, एवं ग्राम दोराहा में सामुदायिक केन्द्र संचालित है। उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संस्थावार एवं संवर्गवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। जिला स्तर के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी (ग) सीहोर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। (घ) रोगी कल्याण समिति की नियमावली के अनुसार चिकित्सालय में कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये रोगियों को सुलभता से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध के उद्देश्य से नियमानुसार व्यक्तियों से अस्थायी रूप से कार्य करवाया जा रहा है एवं उनको रोगी कल्याण समिति मद से मानदेय का भुगतान किया जाता है। अस्थायी कर्मचारियों की सूची एवं मानदेय राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार** है।

<u>शासकीय आवास आवंटन</u>

101. (क्र. 3697) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिला चिकित्सालय को जिला जेल विभाग सीहोर ने अपने रिक्त शासकीय आवास स्वास्थ्य कर्मियों को आवंटित करने हेतु सौप दिये हैं? (ख) यदि हाँ, तो सीहोर जिला चिकित्सालय ने प्रश्नांकित शासकीय आवास अपने किन-किन स्वास्थ्य कर्मियों को आवंटित किये हैं उनके नाम, पद, नियमित/अस्थायी की पूर्ण जानकारी दें? (ग) क्या सीहोर जिला चिकित्सालय ने प्रश्नांकित शासकीय आवास चिकित्सालय/स्वास्थ्य विभाग के आवास आवंटन नियमों के अंतर्गत आवंटित किये है? यदि हाँ, तो किस सक्षम अधिकारी ने आवास आवंटन किये है? (घ) क्या प्रश्नांकित शासकीय आवास दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आवंटित कर दिये है? जब कि नर्स एवं स्टाफ के लिये पूर्व से निर्मित शासकीय आवासों को तोड़कर बेघर नियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता से शासकीय आवास आवंटन किया जाना चाहिये था? नियम विरूद्ध शासकीय आवास आवंटन करने वाले दोषी अधिकारियों पर विभाग क्या-क्या दण्डनीय कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सीहोर द्वारा इमरजेंसी डयूटी करने वाले कमर्चारियों को रहने की अनुमति (आवंटन) प्रदान की गई थी। (घ) जी नहीं, प्रश्नांकित शासकीय आवास नियमित/संविदा कर्मचारियों जो कि इमरजेंसी ड्यूटी करते थे उनको अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक जेल भवन के रिक्त आवास में रहने की अनुमति प्रदान की गई थी। पूर्व से निर्मित शासकीय आवास जिनमें नर्स एवं स्टाफ रहता था उन्हें, अनुमति (आवंटन) के समय नहीं तोड़ा गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "उन्नीस</u>"

<u>रिसर्च सेंटर को टैक्स में छूट</u>

102. (क्र. 3716) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में कुल कितने नर्सिंग होम एवं रिसर्च सेन्टर तथा कितने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एवं सेंटर हैं? रिसर्च सेंटर के नाम पर कहाँ-कहाँ शासन द्वारा लीज पर जमीन दी गयी हैं? (ख) रिसर्च सेंटर के नाम पर शासन से टैक्स में कुल कितनी छूट ली गयी है? अलग-अलग रिसर्च सेंटर, शहरों के नाम सहित जानकारी दें? (ग) रिसर्च सेंटर द्वारा विगत एक वर्ष में क्या-क्या रिसर्च किये गये हैं? कृपया रिसर्च सेंटर अनुसार जानकारी दें? (घ) ऐसे कितने रिसर्च सेंटर हैं जिनमें टैक्स में तो छूट ले ली गयी है किन्तु कोई रिसर्च कार्य नहीं किया गया है? ऐसे सभी रिसर्च सेंटर पर शासन ने क्या कार्यवाही की हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) बालाघाट जिले मे 18 नर्सिंग होम ओर 31 पैरामेडिकल इन्सटीटयूट सेन्टर संचालित हैं। बालाघाट जिले मे कोई रिसर्च सेन्टर संचालित नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर वसूली/निर्धारण</u>

103. (क्र. 3721) सुश्री उषा ठाकुर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग के राजपत्र भोपाल दिनाँक 25 नवम्बर 2011 अनुसार प्रदेश के राजस्व अधिकारियों को अधिकारिता निर्धारित करते हुए, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का निर्धारण एवं वसूली के अधिकार प्रदत्त किये गए? (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जनपद पंचायत/जिला पंचायत इन्दौर ने इसके तहत कितनी राशि किन-किन संस्थानों से वसूल कर म.प्र. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल में 2011 से अभी तक जमा करवाई, सूची देवें? (ग) श्रमायुक्त कार्यालय इन्दौर ने उपकर की राशि वसूली हेतु कलेक्टर इन्दौर को संस्थानों से वसूली हेतु R.R.C. प्रकरणों की सूची सौपी गई? वर्ष 2015 तक कितनी R.R.C. पर कार्यवाही हुई, यदि नहीं तो कौन जवाबदार है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। **(ख)** जनपद पंचायत, इंदौर ने उपकर के रूप में प्रश्नांकित अवधि में कुल राशि रूपये 5, 46, 109/- वसूल कर म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में जमा कराई गई है। संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** सहायक श्रमायुक्त, इंदौर द्वारा 29 संस्थानों के विरूद्ध उपकर की राशि की वसूली हेतु कलेक्टर, इंदौर को आर.आर.सी. जारी की गई है। वर्ष 2015 तक तीन आर.आर.सी. प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा उपकर राशि रूपये 2, 77, 475/- वसूल की गई है। शेष 26 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही निरंतरित है।

<u>म.प्र. भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन</u>

104. (क्र. 3722) सुश्री उषा ठाकुर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन किया गया है अथवा नहीं? (ख) बोर्ड के गठन में क्या रूकावट है इसके लिये कौन जवाबदार है? (ग) वर्तमान में बोर्ड की गतिविधियों/कर्मकार हितग्राहियों को विभिन्न मदों में सहायता किस आधार पर कौन स्वीकृत कर वितरित करता है? (घ) विगत 5 वर्षों में कितनी राशि कहाँ-कहाँ कम्यूनिटी वेलफेअर अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी के लिये वितरित की गई? सूची देवें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। (ख) बोर्ड के पुर्नगठन की प्रक्रिया प्रचलन में है। (ग) बोर्ड द्‍वारा निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य/सामाजिक सुरक्षा हेतु अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में है। योजनाओं के अंतर्गत नियुक्त पदाभिहित अधिकारियों द्‍वारा सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की जाती है। (घ) जानकारी निरंक।

परिशिष्ट – "बीस''

निजी स्कूलों को अंशदान

105. (क्र. 3732) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में कुल कितने निजी स्कूल संचालित हैं? सूची सहित विवरण दीजिए? (ख) क्या निजी स्कूलों में अध्ययनरत गरीब बच्चों की शिक्षा के लिये राज्य शासन द्‍वारा 25 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितने निजी विद्‍यालयों को अशंदान राशि प्रदान की गई है, कृपया वर्षवार जानकारी दीजिए? (ग) यदि शासन द्‍वारा उक्त राशि निजी विद्‍यालयों को प्रदान नहीं की गई है तो क्या कारण है? इसमें कौन दोषी है और दोषी अधिकारी के विरूद्‍ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) पन्ना जिले में कुल 315 निजी स्कूल संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। सत्र 2012-13 में 255 विद्‍यालयों को एवं सत्र 2013-14 में 185 विद्‍यालयों को फीस प्रतिपूर्ति की राशि प्रदान की गई है। (ग) सत्र 2012-13 के 34 विद्‍यालयों द्‍वारा नियमानुसार फीस प्रतिपूर्ति की मांग न करने के कारण फीस प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी है। सत्र 2013-14 के शेष विद्‍यालयों के फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जिलों के आवंटन/व्यय

106. (क्र. 3733) श्री मुकेश नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के अंतर्गत पिछले 3 वित्तीय वर्षों में पन्ना, छतरपुर और सागर जिलों को कितना, किस-किस योजना में आवंटन प्राप्त हुआ और कितना-कितना व्यय किया गया? (ख) क्रय हेतु क्या विभागीय क्रय समिति गठित की गई, समिति ने क्या-क्या अनुशंसाएं की, उनकी प्रति बताएं? (ग) जो सामग्री क्रय की गई क्या उसे स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया और उसका भौतिक सत्यापन किया गया? यदि हाँ, तो स्टाक रजिस्टर की प्रति तथा भौतिक सत्यापन किये गये प्रतिवेदन की जानकारी के साथ ही कौन-कौन सी सामग्री भौतिक सत्यापन में नहीं पाई गई, उसका क्या कारण और कौन जिम्मेदार है? (घ) सामग्री क्रय हेतु भंडार क्रय नियमों में जो प्रक्रिया उल्लेखित है उसके अनुसार कितनी-कितनी राशि की सामग्री खरीदी किस-किस प्रक्रिया से की गई और क्या-क्या खरीदा गया तिथिवार जानकारी दी जाए?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार** है। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार** है। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार** है। सभी सामग्री पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन'अनुसार** है।

वन भूमि के वन अधिकार पत्र हेतु दावे

107. (क्र. 3748) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक कितने आदिवासी एवं कितने गैर आदिवासियों के कितनी वनभूमि के वन अधिकार पत्र हेतु दावे प्राप्त हुए? उनमें से कितने आदिवासी एवं कितने गैर आदिवासी के दावे मान्य किए, कितने दावे अमान्य किए गए? (ख) गैर आदिवासियों के दावों को अमान्य किए जाने के क्या-क्या कारण रहे हैं? इन दावों को मान्य किए जाने हेतु तीन पीढ़ियों से संबंधित कौन-कौन से साक्ष्य संबंधित ग्रामसभाओं को उपलब्ध करवाए गए? यदि साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाए गए हों, तो कारण बतावें? (ग) प्रश्नांकित तिथि तक ऐसे कितने ग्रामों की कितनी भूमियों के कितने वन अधिकार पत्र एवं कितने सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए है, जिनकी समस्त वन भूमि वन विभाग ने 1972 में ही डीनोटीफाईड कर दी थी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत **17574** आदिवासी एवं **2675** गैर आदिवासी के **30897.450** हेक्टेयर वनभूमि के प्राप्त दावों में से **8186** आदिवासियों एवं **5** गैर आदिवासी दावे मान्य किये गये एवं **9410** दावे अमान्य किये है। (ख) दावा की गई भूमि का वनभूमि न होना**,** दिनाँक **13/12/2005** के पूर्व से काबिज न होना**,** तीन पीढी से वन क्षेत्र का निवासी न होना**,** जीविका के लिये वनभूमि पर आश्रित न होने आदि कारणों से अमान्य किये गये है। तीन पीढ़ियों से संबंधित मतदाता सूची आदि अन्य अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कलेक्टर बैतूल के द्वारा वनमण्डलाधिकारियों/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देश दिये गये है। (ग) **235** ग्रामों की जिन भूमि को डिनोटिफाईड किया गया**,** उन ग्रामों के **3989** वन अधिकार पत्र वितरित किये गये है। सामुदायिक दावे प्राप्त नहीं हुए।

अध्यापकों को समान काम, समान वेतन

108. (क्र. 3794) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं नगरपालिका में कार्यरत अध्यापकों को सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक समान काम, समान वेतन के उद्देश्य से जो अंतरिम राहत की किश्तें दी जा रही है? किश्तों से कैसे समान वेतन होगा, इसका विवरण दें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अन्तर्गत अंतरिम राहत की किश्तों का शासन आदेश दिनाँक 4 सितंबर 2013 के अनुसार समायोजन होगा विवरण दें? (ग) क्या अध्यापक कभी नियमित शिक्षकों के समान वेतन, भत्तों, बीमा, स्थानांतरण, ग्रेज्युटी, पेंशन का फायदा ले पायेगें? (घ) क्या प्रश्नांश (क) (ख) अध्यापक स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों के समान योग्यता एवं उन्हीं के समान कार्य करते हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) अध्यापक संवर्ग का दिनाँक 01.09.2017 तक भुगतान होने वाली अंतरिम राहत की राशि का समयोजन कर निम्नानुसार वेतन बैंड एवं संवर्ग वेतन दिया जाने के आदेश है।

सं.क्रं	संवर्ग	वेतन	बैंड संवर्ग वेतन
01	सहायक अध्यापक	5200-20200	2400
02	अध्यापक	9300-34800	3200
03	वरि. अध्यापक	9300-34800	3600

दिया जाने वाला वेतनमान नियमित शिक्षकों के समान है अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) ''क'' के उत्तर अनुसार अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) अध्यापकों द्वारा उत्तरांश ''क'' उत्तर अनुसार प्राप्त होने वाला वेतनमान एवं संवर्ग वेतन नियमित शिक्षकों के वेतनमान एवं संवर्ग वेतन के बराबर है। महंगाई भत्ता वर्तमान में शासकीय शिक्षकों के बराबर दिया जा रहा है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना पूर्व से लागू है। स्थानान्तरण नहीं अपितु संविलियन की नीति है, बीमा एवं ग्रेज्युटी का प्रावधान वर्तमान में नहीं है। (घ) नियमित शिक्षकों एवं अध्यापक संवर्ग की योग्यता एवं कार्य समान है।

चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का मासिक लक्ष्य निर्धारण

109. (क्र. 3827) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों का कोई मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है? यदि हाँ, तो मासिक लक्ष्य निर्धारण प्रदेश के चिकित्सालयों में कब से लागू किये गये हैं? आदेश की प्रति सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कटनी जिले के सी.एम.ओ. सी.एस. चिकित्सालयों के आर.एम.ओ. एवं समस्त चिकित्सालयों द्वारा प्रश्न दिनाँक तक लक्ष्य प्राप्ति हेतु किये गये कार्य एवं आयुक्त को भेजी गई जानकारी का विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार क्या उक्त आदेश का पालन संबंधितों द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? यदि नहीं तो आदेश के पालन हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी एवं आदेश का पालन ना करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। दिनाँक 01/03/2013 से से लागू किया गया। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। (ग) जी हाँ। आदेश के पालन में जिलो सें चिकित्सकों द्वारा किये गये कार्यों की रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला चिकित्सालय सागर का जीर्णोद्धार

110. (क्र. 3830) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा जिला चिकित्सालय सागर में ट्रामा सेन्टर एवं ओ.पी.डी. भवन बनाने की योजना प्रचलन में है? यदि हाँ, तो यह कब तक पूर्ण होनी थी? इसके विलम्ब का क्या कारण है? (ख) क्या शासन द्वारा जिला चिकित्सालय सागर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो कितनी लागत की है और कब शुरू हो पायेगी? (ग) क्या जिला चिकित्सालय सागर परिसर स्थित चिकित्सक आवासों की स्थिति अत्यन्त जीर्णशीर्ण है? क्या इनके जीर्णोद्धार अथवा पुनर्निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है? यदि नहीं तो क्या शासन स्तर पर विचार करेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू द्वारा निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर एवं ओ.पी.डी भवन दिनाँक 26.09.2014 को पूर्ण करना था।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर भवन का कार्य दिनाँक 14.12.2012 को पूर्ण करना था। लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. द्वारा निर्माणाधीन भवन के निर्माण स्थल पर बबूल के वृक्ष होने एवं विद्युत लाईन को हटाने के कारण कार्य में विलंब हुआ तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर भवन का कार्य ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण विलंब हुआ। (ख) जी हाँ। कार्य की अनुमानित लागत रुपये राशि रुपये 71.33 लाख है एवं कार्य प्रगति पर है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। जिला स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

<u>**समितियों की जाँच**</u>

111. (क्र. 3834) श्रीमती शीला त्यागी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा में 2012 से जुलाई 2014 में अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देनें हेतु अंत्यावसायी सहकारी समितियों के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों से आवेदन मंगाये गये थे? तथा वीटीपी पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रशिक्षण देने हेतु आवेदन मंगाये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, तो क्या अंत्यावसायी सहकारी समितियों द्वारा हर जिले में एक ट्रेड में प्रशिक्षण देनें हेतु एक-एक हजार रूपये में फार्म भी बेचें गये थे, लेकिन आज तक प्रशिक्षण चालू नहीं हुआ, क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में ये भी बतायें कि यदि प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो किसके द्वारा और रीवा संभाग के किन-किन जिलों में तथा किन-किन शर्तों पर? यदि प्रशिक्षण में गड़बड़ी या अनियमितता हुई है तो क्या कार्यवाही की जायेगी और विभाग व शासन द्वारा सुशासन के सिद्धान्तों का कहाँ तक योजना में पालन हुआ है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। सभी जिलों में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों द्वारा ट्रेडवार प्रशिक्षण देने हेतु 1000-1000/- रूपये में आवेदन पत्र/निविदा प्रपत्र विक्रय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 47 जिलों एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में 27 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुए हैं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में वर्ष 2014-15 में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों में से चयन उपरांत रीवा संभाग के जिलो में चयनित प्रशिक्षण संस्था एवं संचालित प्रशिक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार** है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1'** पर दर्शित संस्थाओं द्वारा रीवा संभाग के रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में निगम द्वारा निर्धारित अनुबंध (अनुबंध का प्रारूप **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार** है) की शर्तों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गड़बड़ी या अनियमितता बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**हरदा जिले में सेन्ट्रल स्कूल का निर्माण**</u>

112. (क्र. 3875) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में प्रस्तावित सेन्ट्रल स्कूल की भूमि को सायलों केप से मुक्त कराया जाकर सेन्ट्रल स्कूल का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जावेगा? (ख) सेन्ट्रल स्कूल भवन निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ग) सेन्ट्रल स्कूल की निर्माण एजेंसी का नाम क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रश्नांश राजस्व विभाग एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित है।

<u>**हरदा जिले में प्राथमिक/माध्यमिक/ हाईस्कूल का निर्माण**</u>

113. (क्र. 3876) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में विकासखण्डवार हरदा/खिरकिया/टिमरनी में कितने-कितने प्राथमिक/ माध्यमिक/ हाईस्कूल, स्कूल भवनों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? (ख) क्या सभी भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है? (ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है व निर्माण कब तक पूरा कर लिया जावेगा, समयसीमा बतावें उन्हें कब तक हस्तांतरित कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। (ग) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण एजेंसी की उदासीनता के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। 19 शाला भवन के निर्माण एजेंसी पर आर.आर.सी. की कार्यवाही प्रचलित है, शेष 33 अपूर्ण कार्य प्रगतिरत है, पूर्ण होने पर हस्तांतरित किया जावेगा। समय सीमा बताना संभव नहीं है। 06 हाईस्कूल भवनों का कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाने के कारण पुनः टेण्डर जारी कर कार्य पूर्ण कराया जा रहा है 08 भवनों का कार्य प्रगति पर है। 10 भवनों में सिविल वर्क पूर्ण हो गया है वहाँ विद्युत फिटिंग व पानी सप्लाई तथा कमियों को पूर्ण करने आदि का कार्य किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>**परिशिष्ट – "इक्कीस**</u>"

आरोन बालिका छात्रावास का संचालन

114. (क्र. 3908) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरोन में शासकीय छात्रावास की स्थापना कब हुई थी, तथा उसकी क्षमता कितनी है? (ख) आरोन शासकीय बालिका छात्रावास में कितनी छात्राएं भर्ती हैं, तथा वर्तमान में कितनी सीटें रिक्त हैं? क्या सभी बालिकाओं को पलंग उपलब्ध है या नहीं? यदि नहीं, तो इसकी व्यवस्था कब तक की जावेगी? (ग) आरोन शासकीय बालिका छात्रावास में बाउण्ड्रीवाल है अथवा नहीं है? क्या सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवाल होना चाहिए? यदि नहीं है, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2005-06 में, वर्तमान में छात्रावास में बालिकाओं की क्षमता 100 सीट है। (ख) आरोन में बालिका छात्रावास में 100 बालिकायें भर्ती है। वर्तमान में सीट रिक्त नहीं है। छात्रावास में पलंग उपलब्ध नहीं है। यथाशीघ्र। (ग) बालिका छात्रावास में बाउण्ड्रीवाल का प्रावधान नहीं है। यह स्थल विशेष की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

गाड़रवारा विधानसभा क्षेत्र में हायर सेकेण्ड्री स्कूल शुरू किया जाना

115. (क्र. 3913) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाड़रवारा विधानसभा क्षेत्र में आगामी शिक्षा सत्र में कितने हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने की योजना विभाग में विचाराधीन है? (ख) क्या विभाग हाई स्कूल बसुरिया, कठोतिया, कन्या हाई स्कूल बाबई कलां, कन्या हाई स्कूल, सांईखेड़ा, कन्या हाई स्कूल, चींचली को कब तक हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन करेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) आगामी सत्र 2015-16 में प्रदेश में 100 हायर सेकेण्डरी खोले जाने की योजना है। विधानसभा क्षेत्रवार योजना निर्धारित नहीं होती है। (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 में उन्नयन के लिए पात्र स्कूलों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर स्वीकृति निर्भर है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गाड़रवारा नगर के कन्या उ.मा. विद्यालय में कॉमर्स विषय प्रारंभ किया जाना

116. (क्र. 3914) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गाड़रवारा नगर में दो कन्या उच्चतर मा. विद्यालय संचालित हैं, जिसमें कॉमर्स विषय उपलब्ध नहीं है? (ख) क्या उक्त शालाओं में कॉमर्स विषय की पढ़ाई हेतु शाला प्रबंधक द्वारा विभाग से मांग की गई है? (ग) यदि हाँ, तो क्या विभाग उक्त शालाओं में कॉमर्स विषय पढ़ाये जाने के आदेश प्रदान करेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संकलित प्रस्तावों पर बजट में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

भोपाल गैस राहत अस्पताल, रसूल अहमद सिद्दिकी में अनियमितताएं

117. (क्र. 3933) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल स्थित रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी गैस राहत अस्पताल में कुल कितने मेडिकल ऑफिसर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी डॉक्टर के रूप में कब, किस-किस दिनाँक से कार्यरत हैं? (ख) उक्त चिकित्सालय में ई.एन.टी. डॉक्टर के रूप में कौन-कौन पदस्थ हैं एवं उन्हें माह में कितने दिन ई.एन.टी. वर्क स्टेशन मशीन पर कार्य करने की अनुमति दी जाती है, विगत एक वर्ष की जानकारी दी जावे? (ग) अस्पताल में पदस्थ क्या सभी मेडिकल ऑफिसरों की इमरजेंसी ड्यूटी लगाई जाती है? यदि नहीं, तो किन-किन डॉक्टरों को किस-किस कारण से इमरजेंसी ड्यूटी से मुक्त रखा जाता है, विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) भोपाल स्थित रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी गैस राहत अस्पताल में कुल मेडिकल ऑफिसर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी डाक्टरों की सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक** पर है। (ख) चिकित्सालय में ई.एन.टी. डॉक्टरों के रूप में डॉक्टर एम.एल. गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, डॉ. प्रशान्त यादव, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, डॉ. जी.एस. सक्सेना, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं डॉ. अभिषेक पलास नाकू, चिकित्सा अधिकारी (पार्ट टाइम) पदस्थ है एवं सभी ई.एन.टी. चिकित्सकों को ई.एन.टी. वर्क स्टेशन में कार्य करने की अनुमति है विशेष मरीजों की जॉचे हेतु जनहित में एक चिकित्सक को पदस्थ किया गया है, विगत एक वर्ष की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो** पर है। (ग) अस्पताल में पदस्थ सभी मेडिकल ऑफिसरों की इमरजेंसी ड्यूटी लगाई जातीहै एक मात्र पदस्थ महिला चिकित्सक को प्रति दिन ओ.पी.डी. में आने वाली महिला रोगियों को देखते हुए इमरजेन्सी ड्यूटी से मुक्त रखा गया है।

परिशिष्ट – "बाईस''

पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ

118. (क्र. 3934) श्री प्रताप सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निम्न कोर्सों, बी.फार्मा, एम.फार्मा, पॉलिटेक्टिनक, एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग एवं बी.एड. कोर्स में बड़ी हुई छात्रवृत्ति का लाभ वर्ष, 2013-14 में दिया जा रहा है, जबकि पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को उक्त कोर्सों में छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा रहा है? (ख) क्या प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिल रही छात्रवृत्ति के अनुरूप देने के लिए आदेशों का पालन वर्ष, 2013-14 से प्रदेश में किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) के पालन में प्रदेश में दोहरे मापदण्ड अपनाये जाकर उक्त छात्रवृत्ति का लाभ पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को नहीं दिया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है? (घ) प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के साथ हो रहे इस भेदभाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी एवं छात्र/छात्राओं को वर्ष, 2013-14 से बड़ी हुई छात्रवृत्ति का लाभ दिऐ जाने के आदेश कब तक जारी किये जावेंगे?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) राज्य शासन द्वारा प्रदेश में मान्यता प्राप्त आशासकीय महाविद्यालयों में प्रश्नाधीन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शुल्क नियामक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क की सीमा तक देय शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है। पिछडा वर्ग के छात्रों को शासकीय संस्था में देय सीमा तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। (ख) पिछडा वर्ग की छात्रवृत्ति योजना संपूर्णत: राज्य पोषित है एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति योजना संपूर्णत: केन्द्र पोषित है। अत: दोनों का तुलनात्मक समावेश नहीं किया जा सकता। (ग) उत्तरांश **'ख'** अनुसार। (घ) उत्तरांश **'ख'** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्वालियर चंबल संभाग में दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट

119. (क्र. 3943) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्च न्यायाल खण्डपीठ, ग्वालियर के द्वारा जनहित याचिका क्र. 984/04 के अंतिम निर्णय दिनाँक 01-09-2008 में यह निर्देश दिये गये थे कि दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये, यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या यह भी सत्य है कि जिला मुरैना में दिनाँक 22-1-2012 एवं 22-09-2012 एवं 23-09-2012 को क्रमश: 6 दूध के नमूने जाँच हेतु लिऐ गऐ थे और उन सभी में जाँच में यूरिया एवं डिटरजेंट पाया गया था? (ग) क्या यह भी सत्य है कि वर्ष, 2012 में लिऐ गये नमूनों के परिणाम वर्ष, 2012 में प्राप्त हो जाने के बाद भी उक्त प्रकरण दो वर्ष बाद न्याय हेतु न्यायलय में अत्यन्त विलम्ब से क्यों प्रस्तुत किये गये? यदि विलम्ब के कारण आरोपी दोषमुक्त होते हैं, तो उसके लिऐ जिम्मेदार कौन होगा? (घ) क्या यह भी सत्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की याचिका क्र. 159/12 में माननीय न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को शपथ पत्र पर जानकारी देने को निर्देशित किया गया था कि उनके प्रदेश में दिनाँक 1.4.2012 से 31.3.2013 तक कितने दूध के नमूनों में डिटरजेंट एवं यूरिया पाया गया, परन्तु म.प्र. शासन की ओर से उक्त असत्य शपथ पत्र जानकारी निरंक बताते हुऐ किस अधिकारी द्वारा दी गई, उसका नाम, पद बतावें? क्या उक्त दोषी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोकायुक्त में पंजीबद्ध शिकायत पर कार्यवाही

120. (क्र. 3944) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 05.12.2012 को अता. प्रश्न संख्या 17 उत्तरांश (क) में यह अवगत कराया गया था कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन से संबंधित लोकायुक्त का पंजीबद्ध प्रकरण 187/07 में अपचारी कर्मचारी को दण्डित किया गया है, तो बतावें कि उनके विरूद्ध दण्ड देने की कौन सी प्रकिया अपनाई गई? (ख) क्या यह भी सत्य है कि माननीय लोकायुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल से उक्त शिकायत के संबंध में जाँच प्रतिवेदन दिनाँक 24.8.2011 लोकायुक्त द्वारा विभागाध्यक्ष, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल को क्र. 4611, दि. 14.11.2011 को कार्यवाही हेतु भेजा गया? यदि हाँ, तो बतावें कि इस पत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह भी सत्य है कि विभागाध्यक्ष द्वारा माननीय लोकायुक्त के पत्र का अवलोकन न करते हुए अपचारी को बचाने की दृष्टि से दिनाँक 30.11.2011 को असत्य लेख कर दिया गया कि हमने अपचारी कर्मचारी को दण्डित कर दिया है? (घ) क्या विभागाध्यक्ष द्वारा असत्य लेख करने के संबंध में शासन व विभागाध्यक्ष को कोई शिकायत प्राप्त हुई है, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**रिक्त प्राथमिक शाला भवनों का उपयोग**</u>

121. (क्र. 3946) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले में विगत एक वर्ष में शिक्षा गांरटी योजना एवं अन्य शासकीय प्राथमिक शालाओं में 10 से कम नामांकन होने पर कितनी शालाएं बन्द कर दी गई हैं? इन शालाओं में किन कारणों से नामांकन कम हुए हैं? (ख) क्या इन बन्द किए गए शाला भवनों का उपयोग शासकीय कार्य के लिए किया जा रहा है? अगर हाँ, तो क्या उपयोग किया जा रहा है? यदि नहीं, तो विभाग की इन बन्द शाला भवनों के उपयोग की क्या योजना है? (ग) क्या विभाग इन भवनों को अन्य शासकीय विभाग को स्थानांतरित कर सकता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सीहोर जिले में 09 शासकीय प्राथमिक शालाओं को एक ही बसाहट में एक से अधिक प्राथमिक शालाओं के एक ही शाला प्रांगण में एक ही प्रकार एवं स्तर की एक से अधिक संस्थाएं संचालित होने की स्थिति में मूल संस्था को यथावत रखते हुए शेष संस्थाओं को सम्पूर्ण संस्था के रूप में आवश्यकता वाले स्थान में यथावत स्थानांतरित कर खोली गई है। (ख) जी हाँ। आंगनवाडी केन्द्र संचालन। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

<u>**विहित अधिकारी को प्रदत्त शक्तियां**</u>

122. (क्र. 3947) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालक, चिकित्सा शिक्षा को मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में विहित अधिकारी नामांकित किया गया है? यदि हाँ, तो विहित अधिकारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कौन-कौन से अधिकार एवं शक्तियां प्रदत्त हैं? क्या अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विहित अधिकरी को प्रदेश में आई बैंक, किडनी, लीवर एवं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकार दिए गए हैं? (ख) विभाग द्वारा विहित अधिकारी को

प्रदेश में आई बैंक, लीवर एवं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को पंजीयन हेतु कोई शुल्क निर्धारित किया गया है? पंजीकृत संस्थाओं से पंजीयन एवं नवीनीकरण की राशि किन नियमों के तहत वसूली गई, तथा विगत तीन वर्षों में वसूल की गई वर्षवार राशि शासकीय कोष में कब-कब जमा की गई? यदि राशि शासकीय कोष में जमा नहीं की गई, तो इसके लिए दोषी कौन है? (ग) विगत 3 वर्षों में विहित अधिकारी द्वारा प्रदेश में कितने शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को पंजीकृत कर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए गए? क्या जारी किए गए पंजीयन वैधानिक रूप से मान्य हैं? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी है? (घ) क्या विभाग इस संपूर्ण अनियमित कार्यवाही की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभिन्न मदों एवं अन्य जानकारियां

123. (क्र. 3980) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट में वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी पद पर कौन कब से पदस्थ हैं, विभाग द्वारा जारी परिपत्रों शिक्षा संहिता के प्रावधान अनुसार अनके उत्तरदायित्व क्या है? क्या शिक्षा संहिता में उल्लेखित तथा वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का पालन इन्होंने किया है? (ख) इनके कार्यकाल में शिक्षकों के क्लेम से संबंधित कितने आवेदन पत्र अधिनस्थ लोक सेवकों से तथा कितने पत्र जन साधारण से जनप्रतिनिधियों से एवं वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त हुये, तिथि बतावें? (ग) इनके कार्यालय में क्या समस्त संवर्गों की वरिष्ठता सूचियां वेतन निर्धारण और एरियर्स आदि का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा देवें? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) श्रीमती निर्मला पटले दिनाँक 23.07.2012 से पदस्थ है। शिक्षा संहिता के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** जी हाँ। (ख) दिनाँक 23.07.2012 से दिनाँक 02.03.2015 तक की अवधि में अधीनस्थ लोक सेवकों से 343, जन साधारण से 8, जन प्रतिनिधियों से 22 एवं वरिष्ठ कार्यालय से 12 प्राप्त आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। (ग) जी हाँ। वेतन निर्धारण, ऐरियर्स का भुगतान एवं वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन किया गया है।

परिशिष्ट – "तेईस"

प्रदेश के गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले रोगियों का इलाज

124. (क्र. 4008) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले रोगियों के इलाज हेतु जिन पर 90, 000 से ऊपर की धनराशि व्यय होती है, उसका अनुदान देने का अधिकार शासन द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य या अन्य किसी कमेटी को दिया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस बीमारी के लिऐ, निर्देशों की प्रति के साथ-साथ जानकारी दें? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है, तो जनवरी, 2013 से जनवरी, 2015 तक अनूपपुर जिले के किन-किन व्यक्तियों के किस-किस बीमारी के लिऐ कब-कब आवेदन प्राप्त हुए? कितनों को इलाज हेतु सहायता दी गई? शासन द्वारा इन पर कितनी

राशि व्यय की गई? (ग) वर्तमान में ऐसे कितने, कौन-कौन से रोगी शेष हैं, जिन्हें विभाग द्वारा इलाज हेतु पैसा नहीं दिया गया है, उनके नाम, पता, बीमारी का नाम बतावें? (घ) प्रश्नांश (ग) के शेष रोगी, जो धनराशि प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें यह राशि कब तक भुगतान कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। म. प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत म. प्र. के ऐसे परिवार में जो इस राज्य के मूल में निवासी है तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है परिवार के कोई सदस्य योजनान्तर्गत 20 चिन्हित बीमारी से पीड़ित होने पर न्यूनतम राशि 25, 000/- से अधिकतम राशि 2.00 लाख तक की निर्धारित पैकेज अनुसार उपचार हेतु सहायता राशि जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती है। चिन्हित बीमारी की सूचि एवं निर्देशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) अनूपपुर जिले में म. प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत कोई भी रोगी ईलाज के लिये शेष नहीं है। (घ) प्रश्नांश ग के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रीवा जिले में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र

125. (क्र. 4030) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज एवं हनुमना के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ समस्त स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों का पद, वेतन एवं कार्य विवरण सहित सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उपरोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण निधि से रखे गये कर्मचारी का नाम, पदस्थापना एवं कार्य विवरण की जानकारी देवें? इन स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती रोगियों को भोजन एवं अन्य नाश्ता दिऐ जाने का क्या प्रावधान है? भोजन व्यवस्था में व्याप्त अनियमितता को रोकने की शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? (घ) इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में विगत एक वर्ष में कितनी डिलेवरी कराई गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विद्यालयों का उन्नयन

126. (क्र. 4031) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मऊगंज विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विगत दो वर्षों में ब्लाक स्तर से प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्ड्री के उन्नयन के कितने प्रस्ताव जिला स्तर को भेजे गये हैं? (ख) उन्नयन की प्राथमिकता के दिशा-निर्देश क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) में प्राप्त उन्नयन के प्रस्तावों में से कितने विद्यालयों का उन्नयन किया गया, सूची देवें एवं कितने उन्नयन प्रस्तावों को अमान्य किया गया, विवरण सहित सूची देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्राथमिक से माध्यमिक शाला के उन्नयन संबंधी जानकारी निरंक है। वर्ष 2013-14 में शास. माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन के 07, हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन के 18 तथा 2014-15 में शास. माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन के 37, हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। (ख) शासकीय प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय के संबंध में उन्नयन हेतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में पडोस के तहत-'' (1) क्षेत्र या पडोस की सीमाएं जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्थापित किया जाना है नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित क्षेत्र या सीमा होगी :- परंतु यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पडोस की सीमा में एक किमी. की परिधि के भीतर प्रायमरी स्कूल की सुविधा नहीं है और 6 से 11 वर्ष की आयु के कम से कम 40 बच्चे उपलब्ध है तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में प्रायमरी स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी :- परंतु यह और कि यदि क्षेत्र के भीतर बसाहट या पडोस की सीमा के भीतर तीन कि.मी. की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध है, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में मिडिल स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी।'' शासकीय माध्यमिक विद्यालय से हाईस्कूल, हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक** पर है। (ग) वर्ष 2013-14 में प्राप्त प्रस्तावों में से माध्यमिक शाला कन्या खटखरी को हाईस्कूल में उन्नयन किया गया है एवं 2014-15 में शा. माध्यमिक शाला कैलाशपुर को हाईस्कूल में उन्नयन किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो** पर है।

<u>नीमच जिला मुख्यालय पर स्थापित ट्रामा सेंटर</u>

127. (क्र. 4051) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिला मुख्यालय पर निर्मित ट्रामा सेंटर की निर्माण लागत क्या है? निर्माण कार्य कितनी अवधि में पूर्ण होना था? (ख) क्या निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से क्या निर्माण लागत में वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो इसकी वसूली संबंधित निर्माण एजेंसी से की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? और यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला नीमच में निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर की अनुमानित लागत रुपये 378.58 लाख है। निर्माण कार्य 18 माह में पूर्ण होना था। (ख) जी नहीं। निर्माण कार्य के लिये भूमि, कार्यादेश के लगभग 4 माह विलंब के बाद उपलब्ध हुई। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य प्रांरभ हो गया था लेकिन उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा रेत उत्खनन पर रोक लगाने के कारण पुनः लगभग 04 माह निर्माण कार्य में विलंब हुआ। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता</u>

128. (क्र. 4055) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गैर शासकीय संगठन असर की ताजा रिपोर्ट में प्रदेश की स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है? (ख) यदि हाँ, तो इस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। प्रदेश में प्रतिवर्ष प्रतिभा पर्व कार्यक्रम के माध्यम से समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं एवं विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। जबकि असर के द्वारा एक प्रतिशत से भी कम विद्यार्थियों का गृह आधारित सर्वे किया गया है। असर की रिपोर्ट "**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।" (ख) शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन हेतु विभाग कटिबद्ध हैं एवं इस हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है:- (1) शालाओं में शिक्षकों एवं छात्रों की नियमित उपस्थिति एवं अकादमिक गुणवत्ता उन्नयन सुनिश्चित करने हेतु संकुल, विकासखण्ड एवं जिला स्तर से सतत मानिटरिंग की जा रही है। (2) युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रयास किये गये हैं। (3) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली एवं अन्य राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। (4) शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रतिवर्ष नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। कक्षा 1 एवं 2 में पढाने वाले शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

<u>अस्पताल भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन</u>

129. (क्र. 4056) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा बहरी तहसील मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा कर अस्पताल भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया था? यदि हाँ, तो कब किया जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) कार्य किस दिनाँक को प्रारंभ किया गया? कार्य की वास्तविक स्थिति, कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा, कुल लागत सहित विवरण दें? (ग) यदि कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, तो शिलान्यास एवं भूमिपूजन का औचित्य स्पष्ट करें? कब तक कार्य प्रारंभ किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तहसील मुख्यालय बहरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा की है। अस्पताल भवन निर्माण हेतु भूमिपूजन नहीं किया। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शासकीय अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या</u>

130. (क्र. 4101) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई, 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 67 में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये वर्ष, 2014-15 में शासकीय अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 35 हजार 53 किया जाना प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु वर्ष, 2014-15 (जनवरी, 2015) तक जिला मुरैना को कितनी बजट राशि उपलब्ध की गई? (ग) आवंटित राशि में से विधानसभा क्षेत्र दिमनी-07, जिला मुरैना में किन-किन शासकीय अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई, अस्पताल का नाम/ बिस्तर वृद्धि संख्या/ पूर्व बिस्तरों की संख्या/ व्यय राशि आदि सहित अवगत करावें? (घ) यदि दिमनी 07 के अस्पतालों में वृद्धि नहीं की गई, तो क्या यह भेदभाव की श्रेणी में नहीं आता है? व कब तक बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विशेष केन्द्रीय सहायता मद से कराए गए कार्य

131. (क्र. 4117) श्री दुर्गालाल विजय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष, 2013-14 से वर्तमान तक कराए गये कार्यों हेतु अमल में लाई गई प्रक्रिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नकर्ता के ता. प्रश्न संख्या-25 (क्रमांक-800), दिनाँक 11.7.2014 के प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के उत्तर में बताया है कि परियोजना अधिकारी कराहल द्वारा आदिवासी कृषकों को डीजल पम्प क्रय कर वितरण नहीं करना था, शासन निर्देशानुसार राशि हितग्राहियों के खाते में जमा की गई, कृपया बतावें कि कार्यवाही किस आदेश के तहत की गई? (ग) क्या डीजल पम्पों का भौतिक सत्यापन करा लिया है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा कब किया गया, क्या स्थिति पाई? (घ) डीजल पम्पों की खरीदी व वितरण में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में इस पूरे मामले की जाँच कौन कर रहा है? क्या जाँच पूरी हो गई है? यदि हाँ, तो जाँच उपरांत दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो जाँच में विलम्ब का कारण बतावें? कब तक जाँच पूर्ण कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) कार्यवाही पत्र दिनाँक 28/01/2012 अनुसार की गई। (ग) जी हाँ। ग्राम पंचायत सचिवों एवं परियोजना अधिकारी द्वारा अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014 की अवधि में किये गये भौतिक सत्यापन में हितग्राहियों के पास डीजल पम्प उपलब्ध होना पाया गया। (घ) कलेक्टर के निर्देश पर किये गये निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के लिए परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही विचाराणीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

मदरसों का संचालन

132. (क्र. 4118) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्तमान की स्थिति में कुल कितने मदरसे कहाँ-कहाँ, किस-किस नाम से कब से संचालित हैं, इनके संचालित कक्षाओं में कितने-कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं, इन्हें कौन-कौन सी संस्था संचालित कर रही है? शिक्षण व अन्य कार्य हेतु इनमें कितना-कितना स्टॉफ है, जानकारी मदरसे/विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध करावें? (ख) मदरसों को विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि अनुदान राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, में से स्टॉफ के वेतन/मानदेय एवं अन्य कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई जानकारी मदरसे एवं वर्षवार उपलब्ध करावें? (ग) क्या जिले में अधिकांश मदरसे केवल कागजों में ही संचालित हो रहे हैं, प्रतिवर्ष शासन द्वारा प्रदाय अनुदान राशि का इन्हें संचालित करने वाली संस्थाएं दुरूपयोग कर रही हैं? यदि हाँ, तो इस हेतु दोषियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त संचालित मदरसों का भौतिक सत्यापन व इनमें शिक्षण व अन्य कार्यों से संबंधित अभिलेखों की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) श्योपुर जिले में वर्तमान में कुल 38 अनुदान प्राप्त मदरसे संचालित हैं, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है।** श्योपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 37 तथा विधान सभा क्षेत्र विजयपुर में 01 अनुदान प्राप्त मदरसा संचालित है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।** (ग) जी नहीं। जी नहीं। प्रतिवर्ष अनुदान देने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्यों/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा इन मदरसों का निरीक्षण/सत्यापन कराया जाता है तथा संचालन की स्थिति में ही मदरसों को अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नियम विरूद्ध अभिलेखों में संशोधन पर कार्यवाही

133. (क्र. 4151) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा जिलान्तर्गत वक्फ इस्लामिया मदरसा कुरवाई की भूमि का निजी भूमि के रूप में अवैध विनिमय के आधार पर भू-अभिलेखों में संशोधन के लिए तत्कालीन कलेक्टर विदिशा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उप पंजीयक तहसीलदार कुरवाई ने कलेक्टर गाईड लाईन के आधार पर मूल्य में भारी असमानता की और अपने प्रतिवेदन के माध्यम से कलेक्टर का ध्यान आकर्षित किया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त विनिमय से वक्फ को गंभीर/भारी वित्तीय हानि होने के संबंध में प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन के तथ्यों को नजर अंदाज कर कलेक्टर द्वारा भू अभिलेखों में संशोधन के आदेश किस नियम व किन कारणों से किए गए? (ग) क्या प्रश्नांश (क) (ख) के संबंध में शासन एक वर्ष पूर्व अवगत होने के पश्चात् भी तत्कालीन कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि नहीं तो प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) प्रकरण, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) में अपराध क्रमांक 41/2014 पंजीबद्ध होकर विस्तृत विवेचना में है। (ख) राज्य शासन के आदेश क्र. एफ-4-3/2014/54-1, दिनाँक 9.6.2014 के द्वारा प्रकरण में म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेश क्रमांक 10/4777-78 दिनाँक 26.06.2010 एवं आदेश क्रमांक 10/1469-1471 दिनाँक 16.3.2011 निरस्त किये गये है एवं तदानुसार म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा कलेक्टर विदिशा को पत्र क्रमांक 3164-68 दिनाँक 11.6.2014 द्वारा भू-अभिलेखों में वक्फ बोर्ड का स्वामित्व पुनर्स्थापित करने हेतु लेख किया गया है। (ग) प्रकरण म.प्र. राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो भोपाल में विचाराधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चतुर्थ श्रेणी चौकीदार के पद पर की गयी अवैधानिक नियुक्ति

134. (क्र. 4168) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अता. प्रश्न संख्या 62 (क्र. 4749) दिनाँक 25.7.2014 को सदन को प्रदत्त उत्तर अनुसार चतुर्थ श्रेणी के चौकीदार पद पर श्री राजेश बेगा की, की गई अवैधानिक नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश क्रमांक, दिनाँक बताइये? तथा अवैधानिक नियुक्ति करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अवैधानिक नियुक्ति के लिऐ दोषी अधिकारी के विरूद्ध यदि दण्डात्मक कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, तो क्यों नहीं की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर, के आदेश क्रमांक/स्था.अवि./2014/2913-14 अनूपपुर, दिनाँक 25.07.2014 द्‌वारा श्री राजेश बैगा की चैकीदार के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला-अनूपपुर द्‌वारा चौकीदार के पद पर नियुक्ति किसी को जानबूझ कर अनुचित लाभ देने के लिये नहीं की गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार।

प्रदेश में स्वाईन फ्लू के प्रकरण

135. (क्र. 4189) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत एक वर्ष में प्रदेश में स्वाईन फ्लू के कितने संदिग्ध प्रकरण जानकारी में आये एवं उनमें से कितने पॉजिटिव पाये गये? जिलेवार प्रश्न दिनाँक तक की सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में कितनों की मृत्यु किन कारणों से कब हुई, प्रकरणवार, नामवार सूची देवें? (ग) कब, किस आदेश के तहत् इस रोग के इलाज हेतु प्रदेश के प्राईवेट अस्पतालों को अनुमति किन कारणों से दी गई? (घ) स्वाईन फ्लू के प्रदेश में तेजी से फैलने के क्या कारण हैं, इसकी रोकथाम हेतु शासन द्‌वारा कब-कब, क्या-क्या प्रभावी कार्यवाही की गई? तथा इस रोग से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करने पर विगत एक वर्ष से प्रश्न दिनाँक तक, माहवार, जिलेवार कितनी राशि व्यय की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2014 में प्रदेश में स्वाईन फ्लू के 175 संदिग्ध मरीज पाये गये है जिसमें से 17 मरीज स्वाईन फ्लू पॉजिटिव पाये गये। जिलेवार पॉजिटिव प्रकरण की सूची निम्न अनुसार है।

क्र.	जिला	पॉजिटिव संख्या
1	भोपाल	6
2	इंदौर	10
3	जबलपुर	1

(ख) वर्ष 2014 में प्रदेश में स्वाईन फ्लू से 8 मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। प्रकरण वार व नामवार जानकारी निम्नानुसार है।

क्र.	जिला	नाम
1	इन्दौर	श्रीमति कमला मिश्रा
2	इन्दौर	श्रीमति शोभा जैन
3	इन्दौर	श्रीमति हीरा बाई पटेल
4	इन्दौर	श्री मनीष गोयल
5	देवास	श्रीमति विनीता जिग्गा
6	विदिशा	श्रीमति सुशीला साहू

7	सागर	श्री अंकित चैबे
8	भोपाल	श्रीमति सरिता दास

(ग) वर्ष 2009 में आदेश क्रमांक/7/लोक.स्वा./स्वा.फ्लू/2009/339 भोपाल दिनाँक 10.08.2009 के तहत प्रदेश में स्वाईन फ्लू प्रकरणों के उपचार हेतु निजी अस्पतालों को गाइड लाइन के अनुसार चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं। (घ) स्वाईन फ्लू (एच1एन1) बीमारी वायरस संक्रमणकारी है इसका फैलाव मानव से मानव के मध्य होता है यह वायरस मनुष्य में ड्रोपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। सामान्यतः इसका संक्रमण छींकने या खांसने के कारण होता है। स्वाईन फ्लू (एच1एन1) रोगी को तीन श्रेणी में बांटा गया है केटेगरी 'ए', केटेगरी 'बी', एवं केटेगरी 'सी'। स्वाईन फ्लू रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही हैं इस संबंध में स्वाईन फ्लू मरीजों हेतु जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों व चिन्हित प्रायवेट अस्पतलों में सर्दी-ज़ुक़ाम (स्वाईन फ्लू एच1एन1) काउन्टर बनाये गये है। जो 24 x 7 घण्टें कार्यरत है। इसके अतिरिक्त सभी मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालयों में स्वाईन फ्लू (एच1एन1) के रोगियों को भर्ती कर उपचार करने हेतु आइसोलेशन वार्ड बनाये गये है। स्वाईन फ्लू उपचार हेतु चिन्हित निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में औषधियां/सामग्रीयां आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई गई है। सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जाँच एवं उपचार की व्यवस्था है। प्रत्येक जिले एवं राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम/हेल्प लाईन नम्बर सामान्य जनमानस की सुविधा के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये। प्रचार-प्रसार (मशाल रैली, होर्डिंगस, वॉल पैन्टिग, पेमप्लेट रेडियो जिंगल, टी.वी. स्कॉरोल) के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वाईन फ्लू जागरूकता के लिये की गई अपील समाचार पत्रो में प्रकाशित की गई है। प्रचार-प्रसार में जिलों द्वारा व्यय राशि जानकारी जिलों से एकत्रित की जा रही है।

पुनासा व औंकारेश्वर में प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन

136. (क्र. 4223) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खण्डवा जिले के ग्राम पुनासा में 30 बिस्तर के अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है? (ख) क्या पुनासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या सिंहस्थ 2016 की कार्ययोजना को देखते हुऐ, औंकारेश्वर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 30 बिस्तर का अस्पताल भवन, औंकारेश्वर में कब तक स्वीकृत किया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) संस्था के उन्नयन बाद भवन निर्माण हेतु कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए छात्रवृत्ति प्रावधान

137. (क्र. 4240) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षा विभाग, तकनीकी

विभिन्न स्कूलों, छात्रावासों, छात्रों को प्रत्येक जिले में विगत तीन वर्षों में कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई, व छात्र के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान था? (ख) लोकायुक्त कार्यालय को जो शिकायतें फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति की मिली, ऐसे किस जिले में कितने प्रकरण हैं व जाँच की क्या स्थिति है? (ग) क्या प्रकरण की जाँच शासन करेगा, ताकि फर्जी छात्रवृत्ति जिन-जिन प्रकरणों में निकाली गई है, उसकी जानकारी मिल सके व कार्यवाही हो सके?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	2011-12	2011-12	2011-12
1	ग्वालियर	27.84	25.46	-
2	दतिया	7.02	8.27	3.17
3	शिवपुरी	154.04	171.83	77.14
4	गुना	115.34	124.55	184.84
5	अशोकनगर	41.15	49.84	17.16

प्रति विद्यार्थी को दी जाने वाली राशि का प्रावधान **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) लोकायुक्त कार्यालय से संबंधित। (ग) तथ्यपूर्ण, साक्ष्ययुक्त शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट – "पच्चीस"

खरगोन में संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र

138. (क्र. 4246) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2014 -15 में जिला शिक्षा केन्द्र, सर्वशिक्षा अभियान, खरगौन द्वारा संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने बच्चे अध्ययनरत है? कितने बच्चों का मेनस्ट्रेमिगं काराई गई? (ख) वर्ष, 2014 -15 में इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर कितनी राशि व्यय की गई इन केन्द्रों के निरीक्षणों की संख्या एवं निरीक्षणकर्ता की जानकारी दें? (ग) उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन की अवधि केन्द्रवार बतावें? प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र कब वितरित किए गये? (घ) क्या दिनाँक 15 जनवरी, 2015 को विभाग द्वारा पत्र की जानकारी हस्तलिखित बिना लेटर हेड, बिना सील, बिना जावक नंबर डाले, यह लिख कर दी गई कि जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है? यदि हाँ, तो यह बतावें कि विधायकों के पत्रों के जवाब इसी तरह दिए जाते हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2014-15 में 73 विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र में 3150 बच्चे अध्ययनरत है। अध्ययनरत बच्चों का बाह्य मूल्यांकन एवं दक्षता प्राप्त करने के उपरांत शालाओं में मेनस्ट्रीमिंग किया जावेगा। (ख) वर्ष 2014-15 में इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर रूपये 16673600/- (एक करोड छियासठ लाख तिहेत्तर हजार छः सौ मात्र) की राशि व्यय की गई। इन केन्द्रों के निरीक्षण की संख्या 27 है तथा इन केन्द्रों के निरीक्षणकर्ता जिला परियोजन समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।** प्रशिक्षण उपरांत दक्षता प्राप्त करने एवं बाह्य मूल्यांकन के पश्चात प्रमाण पत्र

वितरित किये जाएंगे। (घ) निज सहायक, माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा द्वारा अनौपचारिक रूप से मात्र अवलोकन हेतु जानकारी चाही गई थी, इस कारण जानकारी सादे कागज पर अनौपचारिक रूप से दी गई थी। जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा दिनाँक 03.01.2015 को ई-मेल द्वारा व दिनाँक 02.02.2015 को पत्र क्र0 430 द्वारा एवं दिनाँक 20.02.2015 को रजिस्ट्री ई-मेल द्वारा जानकारी प्रेषित की गई।

परियोजना सलाहकार मण्डल का गठन

139. (क्र. 4254) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले की परियोजना सलाहकार मण्डल का गठन वर्ष 2014-15 के लिए कब किया गया? यदि नहीं किया गया है तो कारण बताएं? मण्डल के गठन हेतु क्या-क्या प्रयास किए गये विवरण दें? मण्डल का गठन कब तक किया जा सकेंगा? (ख) जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में परियोजना सलाहकार मण्डल की बैठक कब-कब की गई, तथा इन बैठकों में कौन-कौन सदस्य उपस्थित रहें? बैठक में प्राप्त प्रस्तावों की सूची देंवे? परियोजना सलाहकार मण्डल की बैठक में विधायकों को आमंत्रित किया जाता हैं? (ग) वर्ष 2014-15 परियोजना अंतर्गत 275 (1), विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत राजस्व मद एवं विशेष केन्द्रीय सहायता, हितग्राही मूलक, राजस्व मद अंतर्गत कुल कितना आंवटन प्राप्त हुआ है? स्वीकृति कार्य किसके द्वारा प्रस्तावित है? प्रस्ताव कैसे आमंत्रित किए गये? (घ) परियोजना प्रशासक, आदिवासी विकास परियोजना, जिला खरगोन द्वारा वर्ष 2014-15 में विधायकों को कितने पत्रों का आदान-प्रदान किया गया विषयवार सूची देंवे? पत्र भेजने का माध्यम भी बतायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) परियोजना सलाहकार मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का अनुमोदन जिले के प्रभारी मंत्रीजी से प्राप्त नहीं होने से गठन नहीं हो सका। मण्डल के गठन हेतु कलेक्टर खरगोन के पत्र दिनाँक 01/08/2014 एवं स्मरण पत्र दिनाँक 24/12/2014 द्वारा प्रभारी मंत्री जिला खरगोन को प्रस्ताव प्रषित किये गये हैं। प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। समय सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) वर्ष 2014-15 में लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका एवं पंचायत चुनाव के कारण आचार-संहिता लागू होने से बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। मण्डल की बैठक में अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। (ग) वर्ष 2014-15 में संविधान के 275 (1) अन्तर्गत खरगोन परियोजना को 225.40 लाख रूपये एवं महेश्वर परियोजना को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत राजस्व मद में खरगोन परियोजना को 86.33 लाख रूपये एवं महेश्वर परियोजना को 12.53 लाख रूपये इसी प्रकार पूँजीगत मद में खरगोन परियोजना को 51.24 लाख रूपये एवं महेश्वर परियोजना को 6.94 लाख रूपये आवंटित किये गये। उक्त आवंटन कोषालय से आहरण पर प्रतिबंध होने से आहरित नहीं हो सका। संविधान के 275 (1) के प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं खरगोन एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रस्ताव अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त एवं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी खरगोन द्वारा प्रस्तावित किये गये थे। प्रस्ताव विकास विभागों से आमंत्रित किये गये थे। (घ) छायाप्रतियाँ एवं शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ तथा ब अनुसार है।**

बड़वानी में साफ-सफाई व सुरक्षा ठेका कार्य में अनियमितता

140. (क्र. 4275) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2014-15 में बड़वानी में साफ-सफाई एवं सिक्युरिटी (सुरक्षा) का कार्य किस कंपनी/फर्म को दिया गया? इसकी निविदा में किन-किन कंपनियों/फर्मों ने भाग लिया, नाम उपलब्ध करावें? (ख) किस कारण से L-1 की पात्रता के बजाय L-4 पात्रता की कंपनी/फर्म को यह कार्य दिया गया, स्पष्ट करें? जबकि यह L-1 को देने का नियम है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार इस अनियमितता को देखते हुए शासन कब तक उपरोक्त कार्य को निरस्त करेगा? (घ) ऐसी अनियमितता कर कार्य देने वाले बड़वानी के जिम्मेदार अधिकारियों एवं इसकी अनदेखी करने वाले उच्चाधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्ष 2014-15 में बड़वानी जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं एवं जिला चिकित्सालय बडवानी हेतु साफ-सफाई का कार्य मेसर्स कामथेन सिक्युरिटी सर्विसेस इन्दौर को एवं मेसर्स रतन एम्पोरियम धार को सिक्युरिटी (सुरक्षा) का कार्य दिया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) पात्रता रखने वाली एल-1 कंपनी/फर्म को यह कार्य दिया गया। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत एवं कार्यरत स्टॉफ

141. (क्र. 4333) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत एवं कार्यरत स्टॉफ कितना है? (ख) उपरोक्त केन्द्रों पर पदस्थ जो स्टॉफ नहीं कार्य कर रहे हैं? इनकी संख्या एवं नाम पद की जानकारी बतावें? (ग) क्या शासकीय डॉक्टर ड्यूटी समय में भी प्रायवेट प्रेक्टिस करते हैं और स्वास्थ्य केंद्रों से अनुपस्थित रहते हैं? (घ) ऐसे शासकीय डॉक्टरों के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) पदस्थ समस्त स्टॉफ कार्य सम्पादित कर रहे हैं। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी बी.एड. कॉलेज में विद्युतीकरण

142. (क्र. 4342) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के विकासखण्ड जैतहरी के कुल कितने ग्रामों में विद्युतीकरण तथा पंपों का उर्जीकरण किया गया है? (ख) वित्तीय वर्ष 2011 से अब तक की गई कार्यों का विवरण प्रदान करें? क्या ग्राम मेडियारास में स्थित निजी बी.एड. कॉलेज के परिसर में विभाग द्वारा विद्युतीकरण कराया गया है? यदि हाँ, तो क्या संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011 से अब तक विकासखण्ड जैतहरी के 37 में विद्युतीकरण तथा 72 कृषकों के पम्पों के उर्जीकरण कार्य किये गये

हैं। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। विभाग द्वारा विद्युतीकरण कार्य नहीं कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>जीर्ण शीर्ण स्कूलों की मरम्मत</u>

143. (क्र. 4384) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाँक 19.09.2014 को आयुक्त राज्य शिक्षा भोपाल को लिखे गए पत्र में किस-किस स्कूल के भवन के जीर्णशीर्ण होने सहित अन्य विषयों पर लिखे गए पत्र पर प्रश्नांकित तिथि तक क्या-क्या कार्यवाही की गई कितने स्कूलों की मरम्मत का कार्य किया गया? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के किस स्थान के किस श्रेणी के स्कूल भवन, छत आदि की तत्काल मरम्मत करवाया जाना आवश्यक हैं उसकी मरम्मत के संबंध में विभाग के द्वारा बजट आवंटन हेतु जिला स्तर से क्या प्रयास किए कितनी राशि इस कार्य हेतु मांगी गई? (ग) स्कूलों के छतों की मरम्मत सहित अन्य मरम्मत किए जाने के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा हैं? कब तक स्कूलों की मरम्मत करवा ली जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को दिनाँक 19.09.2014 को लिखे पत्र में प्रश्नकर्ता द्वार माध्यमिक शाला खेरौंदा, बागरौद एवं प्राथमिक शाला करौंदाखुर्द के जीर्णशीर्ण होने सहित अन्य विषय पर पत्र लिखे गये थे। पत्र में उल्लेखित माध्यमिक शाला खेरौंदा बागरौद की छत गिरी नहीं है, अपितु उक्त कार्य पालक शिक्षक संघ द्वारा अपूर्ण स्तर पर बंद रखा गया था जिसे अब पूर्ण करा दिया गया है। अन्य प्राथमिक शाला भवन करौंदाखुर्द की मरम्मत हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में शामिल किया गया है। शालाओं में दीर्घ मरम्मत के प्रस्ताव शामिल किये गये है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के अनुसार** है। शाला भवनों की गुणवत्ता सहायक यंत्री एवं उपयंत्री जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा द्वारा सतत् की जा रही है। (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र से संबंधित स्कूल भवन छत आदि के मरम्मत के प्रस्ताव आवंटन हेतु राशि की मांग का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' के अनुसार** है। जिसे कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में शामिल किये गये है। (ग) उत्तरांश 'ख' के अनुसार। बजट एवं राशि प्राप्त होने पर उक्तानुसार मरम्मत करवा ली जावेगी, समय-सीमा बताना संभव नहीं।

<u>गलतियों को सुधारे जाने की कार्यवाही</u>

144. (क्र. 4385) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अति.प्रश्न संख्या 70 (क्र. 2351) दिनाँक 18 मार्च 2010 के प्रश्नांश (ग) में गलतियों को सुधारने के लिए आयुक्त/ संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के द्वारा 01.10.2009 को दिए गए प्रस्ताव पर कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग में प्रचलन में हैं, की जानकारी दी गई थी? (ख) लिपिकों की क्रमोन्नतियां, पदोन्नतियों एवं समयमान वेतनमान से संबंधित आदेश के अधिकार संबंधित कलेक्टर से लिए जाकर संयुक्त लोक शिक्षण संचालक को किस आदेश क्रमांक दिनाँक से दिए गए? यह अधिकार पुन: कलेक्टर को किन कारणों से प्रश्नांकित तिथि तक नहीं दिए जा सकें? (ग) संभागीय संयुक्त लोक शिक्षण संचालन भोपाल के कार्यालय में वर्तमान में किस जिले के कितने लिपिकों के क्रमोन्नति/पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान के प्रकरण किस दिनाँक से लंबित हैं? इनके

लंबित रहने का क्या -क्या कारण हैं? (घ) लंबित प्रकरणों का निराकरण न किए जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? कब तक लंबित प्रकरणों में स्वीकृति जारी की जावेगी समय सीमा सहित बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-19/2010/बीस-2 दिनाँक 26.3.2010 द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति के अधिकार संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सौंपे गये। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कोई प्रकरण लंबित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ग के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सी.बी.एस.ई. स्कूल की फीस पर नियंत्रण

145. (क्र. 4400) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जो सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता रखते हैं? इन विद्यालयों में विगत सत्र 2012-13, 2013-14 में वर्गवार कितनी छात्र संख्या थी एवं वर्तमान सत्र 2014-15 में वर्गवार कितनी छात्र संख्या है? (ख) क्या इन विद्यालयों द्वारा निजी प्रकाशकों से साठगांठ कर अपनी मर्जी से किताबों का चयन किया जाता है, जबकि इन्हें सी.बी.एस.ई. के प्रावधानों के अनुसार किताबों का चयन करना चाहिये? यदि हाँ, तो शासन द्वारा प्रतिबंध के क्या प्रयास किये गये हैं? (ग) इन्दौर जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं जो छात्र एवं पालकों को बुक, नोटबुक, बेग एवं अन्य आवश्यक विद्यालयीन सामग्री उपलब्ध करवाते हैं अथवा निश्चित निजी संस्थाओं से क्रय करने हेतु दबाव डालते हैं? (घ) क्या इन विद्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष सुविधा के नाम पर मनमाने तरीके से फीस में वृद्धि कर पालकों से अधिक फीस वसूल की जाती है? यदि हाँ, तो शासन ने वर्तमान तक फीस रेगुलेटरी कमेटी गठित क्यों नहीं की? कारण बतावें? (ड.) शासन द्वारा इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? इन पर शासन का क्या नियंत्रण होता है? इसके लिये किन-किन अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है? उनके नाम, पद देवें? (च) क्या शासन द्वारा फीस रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया जाकर सी.बी.एस.ई. विद्यालयों की फीस पर नियंत्रण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सी.बी.एस.ई. से संबंधित। यह जानकारी राज्य शासन के स्तर पर संकलित नहीं होती है। (ख) सी.बी.एस.ई. से संबंधित। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (घ) सी.बी.एस.ई. विद्यालयों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) सी.बी.एस.ई. स्कूलों पर शासन का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होने से मॉनिटरिंग नहीं की जाती। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (च) जी नहीं।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

स्वाईन फ्लू से संबंधित बैठक बाबत्

146. (क्र. 4401) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में महामारी का रूप ले चुके स्वाईन फ्लू की रोकथाम हेतु दिनाँक 10 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक क्या केबिनेट की कोई बैठक आयोजित की गई है यदि हाँ, तो कितनी बैठकें आयोजित की गई है? (ख) इन बैठकों में स्वाईन फ्लू की रोकथाम हेतु प्रमुख रूप से

क्या-क्या निर्णय लिये गये हैं एवं क्या निर्णय अनुसार आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो निर्णय की छायाप्रति उपलब्ध कराये? (ग) क्या इन बैठकों में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के निर्देशानुसार स्वाईन फ्लू परीक्षण हेतु इन्दौर में लेबोरेटरी स्थापित करने का निर्ण लिया गया है? यदि हाँ, तो लेबोरेटरी की स्थापना कब एवं कहाँ की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दिनाँक 10 जनवरी 2015 में पृथक से स्वाईन फ्लू हेतु कोई केबिनेट की बैठक आयोजित नहीं की गई थी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) स्वाईन फ्लू हेतु शासन द्वारा कोई केबिनेट बैठक का आयोजन नहीं किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दो बार माह फरवरी में स्वाईन फ्लू की रोकथाम एवं उपचार की व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की गई हैं। जिसमें उनके द्वारा स्वाईन फ्लू मरीजों जो निजी चिन्हित अस्पताल/नर्सिंग होम में उपचार ले रहे है उन्हें स्वेच्छानुदान मद से राशि स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई हैं। (ग) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में स्वाईन फ्लू की जाँच की व्यवस्था करने हेतु इन्दौर में प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया है यह प्रयोगशाला महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इन्दौर में अपग्रेड की जानी है। जिसकी प्रक्रिया प्रचलन में है।

<u>एकीकृत आदिवासी परियोजना के अध्यक्ष पदों की जानकारी</u>

147. (क्र. 4413) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एकीकृत आदिवासी परियोजना में अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के प्रावधान शासन द्वारा किए गये है? क्या आदिवासी क्षेत्र के विधायक को इस पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है? (ख) आदिवासी परियोजना सौंसर में उक्त पद कितने वर्षों से रिक्त हैं, तथा इस पद पर कब तक अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जावेंगी? (ग) वर्तमान में एकीकृत आदिवासी परियोजना सौंसर का कार्य बिना अध्यक्ष के किस प्रकार संचालित किया जा रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) दिनाँक 06/06/2014 से रिक्त हैं। मनोनयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) वर्तमान में परियोजना सलाहकार मण्डल के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा किया जा रहा है।

<u>शासकीय शालाओं में स्वीकृत भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) का पद</u>

148. (क्र. 4441) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन के नवीन प्राथमिक, नवीन माध्यमिक, नवीन हाई स्कूल एवं नवीन हायर सेकेण्ड्री शाला में क्या भृत्यों (चतुर्थ श्रेणी) के पद स्वीकृत हैं? (ख) यदि हाँ, तो शाजापुर जिले में कितनी शालाओं में पद स्वीकृत हैं? कितने पद पर भृत्य कार्यरत हैं? कितने पद रिक्त हैं? संख्या बतलावें? (ग) क्या प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शासन द्वारा मध्यान्ह भोजन छात्रों को कराया जाता है, क्या शाला सफाई एवं बर्तन सफाई भृत्य द्वारा की जाती है? (घ) नवीन हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री शालाओं में शासन से स्वीकृत पदों के अनुसार भृत्य कार्यरत हैं? यदि नहीं तो इनकी पद पूर्ति कब तक होगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। वर्ष 2007 के पश्चात् माध्यमिक शाला से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नत किये गये स्कूलों में भृत्य के पद स्वीकृत नहीं किये गये है। (ख) से (घ) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भवन विहीन कन्या विद्यालयों के भवन का निर्माण

149. (क्र. 4442) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा संचालित ऐसे कन्या विद्यालय जो भवन विहीन हैं, उनके भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता एवं भवन निर्माण की कोई योजना है? (ख) यदि हाँ, तो शासन द्वारा संचालित जिला मुख्यालय शाजापुर में सन् 1958 से एक मात्र कन्या हायर सेकेण्ड्री शाला (शा.म.ल.क.उ.मा.वि.) भवन विहीन क्यों हैं? जबकि उसके पास जमीन उपलब्ध हैं? (ग) उक्त कन्या विद्यालय को भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक होगी? समयावधि बतलावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। भवन विहीन कन्या विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि का चिन्हांकन संबंधित पटवारी से खसरा एवं ट्रेस प्राप्त कर किया जाता है। ऐसे भवन विहीन विद्यालयों की कार्ययोजना जिले स्तर पर तैयार कर राज्य स्तर पर परीक्षण किया जाता है तत्पश्चात भारत शासन को कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। सभी भवन विहीन हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के भवन निर्माण की योजना है। (ख) जिला मुख्यालय शाजापुर में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाजापुर का स्वयं का भवन नहीं होने से वर्तमान में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक विद्यालय शाजापुर के भवन में संचालित है, उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेख अनुसार वर्तमान में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाजापुर के नाम से शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है। शहर के मध्य पुराना शासकीय अस्पताल की भूमि का विनिमय शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाजापुर को करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन के पास प्रचलन में है। (ग) प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

शासकीय प्राथमिक पाठशाला कचूर में छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या

150. (क्र. 4456) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय प्राथमिक पाठशाला कचूर जनशिक्षा केन्द्र महमूदपुर संकुल केन्द्र हायर से. कन्या तिवनी वि.ख. गंगेव जिला रीवा में वर्ष 2012, 2013, 2014 एवं वर्तमान सत्र में छात्रों की संख्या क्या है तथा कितने शिक्षक पदस्थ हैं? (ख) क्या ग्राम कचूर वि.ख. गंगेव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है यदि हाँ, तो उस विद्यालय की छात्र संख्या एवं कितने शिक्षक पदस्थ है? (ग) क्या ग्राम कचूर की आबादी के अनुपात में दो विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है? छात्रों की संख्या नहीं है तो स्कूल का संचालन बंद करेगें क्या, अथवा शिक्षकों को पदस्थ रखने के लिए ही शासकीय नवीन प्राथमिक पाठशाला का संचालन किया जा रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

सत्र 2012		सत्र 2013		सत्र 2014	
छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या
10	02	09	02	07	02

(ख) जी हाँ। ग्रामपंचायत कचूर, विकासखण्ड गंगेव में दो प्राथमिक विघालय है। जिनकी छात्र संख्या एवं पदस्थ शिक्षकों की जानकारी निम्नानुसार है :-

शाला का नाम	सत्र 2012		सत्र 2013		सत्र 2014	
	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या
प्राथमिक शालाकचूर	10	02	09	02	07	02
प्राथमिक शाला (इजीए स) कचूर	37	01	32	01	28	01

(ग) एक ही बसाहट में एक से अधिक प्राथमिक शालाओं के एक ही शाला प्रागंण में एक ही प्रकार एवं स्तर की एक से अधिक संस्थाए संचालित होने की स्थिति में मूल संस्था को यथावत रखते हुए शेष संस्थाओं को सम्पूर्ण संस्था के रूप में आवश्यकता वाले स्थान में यथावत स्थानांतरित करने के निर्देश है। तदनुसार समुचित कार्यवाही की जावेगी।

<u>छात्र एवं शिक्षकों की संख्या</u>

151. (क्र. 4460) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर संकुल कन्या हा.से. स्कूल तिवनी जिला रीवा कब से संचालित है तथा वर्ष 2012-2013, 2013-14 सत्र में छात्रों की संख्या क्या थी एवं वर्तमान सत्र 2014-2015 में छात्र संख्या क्या है एवं कितने शिक्षक पदस्थ है उनका वेतनमान क्या है? (ख) प्रश्नांक (क) में वर्णित स्कूल का निरीक्षण 2014-15 में कब-कब, किस अधिकारी द्वारा किया गया तथा उनकी प्रतिवेदन रिपोर्ट क्या है? छात्रों की संख्या नगण्य होने के बावजूद अत्यधिक शिक्षक क्यों पदस्थ है, बताएं तथा हटाने की कार्यवाही कब तक की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अलीराजपुर जिले में शिक्षा उपकर से किये गये कार्य</u>

152. (क्र. 4473) श्री माधो सिंह डावर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले को वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक शिक्षा उपकर के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) उक्त शिक्षा उपकर की राशि से जिले में कौन-कौन से कार्य किये गये? कार्यों की लागत कितनी थी? क्या कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत से की गई थी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) कार्य किसके अनुमोदन से किये गये थे? उक्त वर्षों के दौरान किये गये कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की जानकारी भी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) अलीराजपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षा उपकर के रूप में कोई भी राशि आज पर्यन्त प्राप्त नहीं हुई है। (ख) से (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>सिविल अस्पताल वारासिवनी का उन्नयन</u>

153. (क्र. 4482) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील मुख्यालय का सिविल अस्पताल वर्तमान समय में कितने बिस्तरीय अस्पताल के रूप में कब से संचालित हैं? उक्त अस्पताल में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, तथा वर्तमान में स्वीकृत पद के अनुसार कौन-कौन

अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं? स्वीकृत पदानुसार पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी देवें? (ख) क्या तहसील मुख्यालय का एक मात्र बड़ा चिकित्सालय होने के कारण उक्त चिकित्सालय में मरीजों की संख्या अत्यधिक रहती हैं? (ग) क्या सुविधा के अभाव एवं स्टाफ की कमी के कारण मरीजों का उपचार समय पर न होने के कारण मरीजों को उपचार हेतु अन्य स्थान के लिए रैफर किया जा रहा है? (घ) उक्त अस्पताल में मरीजों की अत्यधिक संख्या के कारण प्रश्नकर्ता के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मा. स्वास्थ्य मंत्री व विभाग के अन्य अधिकारियों को उक्त अस्पताल के उन्नयन एवं 100 बिस्तरीय अस्पताल करने हेतु कब-कब पत्र प्रेषित किये गये? (ड.) क्या उक्त सिविल अस्पताल वर्तमान समय में 48 बिस्तरीय होने एवं अस्पताल में उपकरण व स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को उपचार कराने में अत्यधिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं? यदि हाँ, तो उक्त अस्पताल को कब तक 100 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में अन्य सुविधा के साथ उन्नयन किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) बालाघाट जिले का सिविल अस्पताल, वारासिवनी 48 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में वर्ष 1957 से नगरीय प्रशासन विभाग वारासिवनी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित किया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। मात्र गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय, बालाघाट हेतु रैफर किया जाता है। (घ) मुख्य मंत्री कार्यालय से 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन हेतु दिनाँक 17.09.2014 को पत्र प्राप्त हुआ है। (ड.) सिविल अस्पताल वारासिवनी में उपलब्ध उपकरण एवं स्टॉफ द्वारा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-बालाघाट से वारासिवनी अस्पताल को 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन हेतु प्राप्त जानकारी का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट – "अट्ठाईस"

गुना जिले में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में पक्षपात

154. (क्र. 4508) श्रीमती ममता मीना : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा गुना जिले में कोई लक्ष्य और बजट निर्धारित था यदि हाँ, तो वर्षवार विवरण दें? (ख) क्या - गुना जिले में आदिवासी एवं सेहरियों को निर्धारित विभाग की सम्पूर्ण योजनाओं का लाभ दिया है? यदि नहीं तो सभी योजनाओं में बजट और लक्ष्य कब तक उपलब्ध करायेंगे? (ग) क्या - वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक गुना जिले में वितरित योजनाओं में पक्षपात और भ्रष्टाचार हुआ है? क्या ब्लॉक वार वितरण नहीं किया, कारण सहित विवरण दें? (घ) क्या - विभाग द्वारा जिन योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित किया उनका भौतिक सत्यापन किया है? यदि नहीं तो कब तक करेंगे यदि अनियमितता है तो कौन दोषी है? क्या कार्यवाही की है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। वर्ष 2013-14 में टंट्या भील स्वरोजगार योजना में 90 का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जबकि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 20 का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस हेतु बजट प्रावधान निरंक। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन बैंक शाखाओं के द्वारा किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छतरपुर जिले में आर.एन.टी.सी.पी. में संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों की शिकायत

155. (क्र. 4531) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अतारांकित प्रश्न संख्या 57 क्रमांक 2387 दि. 11 जुलाई, 2014 के प्रश्नांश (घ) भाग के उत्तर में सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छतरपुर को माननीय सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाईड लाइन के अनुसार जाँच समिति का गठन कर शिकायत की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु एक माह का समय निश्चित किया जाना लेख किया गया है? तो गठित जाँच समिति के सदस्यों के नाम, समिति का गठन दिनाँक का उल्लेख कर गठित समिति को आदेश की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें? (ख) क्या उक्त जाँच समिति द्वारा निश्चित समय में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शासन उक्त संदर्भित प्रश्न में दिए गए निश्चित समय के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने वाली उक्त जाँच समिति को त्वरित जाँच प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित करेगा? हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। गठित जाँच समिति के सदस्यों के नाम, समिति के गठन की दिनाँक के उल्लेख सहित गठित समिति के आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ, शिकायत विशाखा गाईडलाईन के नियमानुसार नहीं होने के कारण जाँच समिति द्वारा निरस्त की गई। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतीस"

अध्यापक संवर्ग की प्राचार्य पद पर पदोन्नति

156. (क्र. 4568) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में हाई स्कूल प्राचार्य एवं उ.मा.वि. प्राचार्य के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? पृथक-पृथक विवरण देवें? रिक्त पदों पर पद पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत रिक्त हाई स्कूल प्राचार्य एवं उ.मा.वि. प्राचार्य के पदों का कृपया शालावार विवरण देवें? क्या रिक्त पदों पर पदपूर्ति हेतु कोई प्रक्रिया चल रही है? यदि हाँ, तो विवरण देवें? (ग) क्या वरिष्ठ अध्यापकों को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया जावेगा? यदि हाँ, तो इस हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जावेगी? कार्यवाही कब तक पूर्ण होकर पदोन्नति दी जावेगी? समय सीमा बतायें? (घ) अध्यापक संवर्ग के राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए कितनी आयु में छूट का प्रावधान है? क्या म.प्र. पी.एस.सी. की भर्ती परीक्षा में परीक्षा आयोजन से अगले वर्ष की जनवरी की स्थिति में आयु की गणना की जाती है? यदि हाँ, तो क्या चालू वर्ष की स्थिति में आयु की गणना करने संबंधी विचार कर विसंगति दूर की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्राचार्य हाईस्कूल एवं प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जिलेवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति के द्वारा की जाती है प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पदपूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है एवं प्राचार्य हाईस्कूल की पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है अतः समयसीमा बताना संभव नहीं है। (ख) विधानसभा सुसनेर अंतर्गत हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों

के प्राचार्यो के रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। जी हाँ। विवरण प्रश्नांश ''क'' के उत्तर में वर्णित अनुसार है। (ग) जी नहीं, अपितु प्राचार्य हाईस्कूल के 25 प्रतिशत पद स्थानीय निकाय संवर्ग के वरिष्ठ अध्यापक में से सीमित परीक्षा के द्वारा भरे जायेंगे। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) शासन निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार** है। जानकारी एकत्रित की जा रही है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>विद्यालयों में निर्मित शौचालय</u>

157. (क्र. 4570) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्तमान तक कितने विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया गया है? इनके निर्माण की लागत कितनी थी? शालावार विवरण देवें? (ख) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को छोड़कर अन्य योजना से वर्तमान तक कितने विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया गया है? इनमें से कितने उपयोग योग्य हैं? शालावार विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित अनुसार निर्मित शौचालयों की वर्तमान स्थिति क्या है? इनमें से कितने उपयोग योग्य हैं व कितने उपयोगहीन हो गए हैं? इनके देखरेख के लिए क्या प्रावधान है एवं कौन जवाबदार है? (घ) म.प्र. में सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत से वर्तमान तक कुल कितने शौचालयों का निर्माण किया गया एवं इनमें कितनी लागत आई? निर्मित शौचालयों के मेन्टेनेन्स व सद्उपयोग हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है व किसकी जवाबदारी तय की जाती है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्तमान तक 412 विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किया गया। इनके निर्माण की कुल लागत रू. 2,58,51,500/- है। शालावार विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' पर** है। (ख) सर्व शिक्षा अभियान को छोड़कर अन्य योजना समग्र स्वच्छता अभियान के तहत 392 शौचालयों का निर्माण किया गया था। इनमें से सभी अनुपयोगी है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' पर** है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शौचालय अक्रियाशील है। उपरोक्तानुसार इनके देखरेख का कार्य शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। (घ) मध्यप्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत से वर्तमान तक कुल 69862 शौचालयों का निर्माण किया गया एवं शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दर अनुसूची एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जिले के ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की प्रचलित दर अनुसूची अनुसार कराये जाते हैं। इनकी निश्चित लागत बताया जाना संभव नहीं है। निर्मित शौचालयों के मेंटेनेंस व सदुपयोग हेतु शाला प्रबंधन समिति को जो राशि शाला के रखरखाव हेतु दी जाती है उसी राशि से शाला प्रबंधन समिति अपने स्तर पर उस राशि का उपयोग करती हैं एवं पंच परमेश्वर योजना के संयोजन से भी शाला शौचालय की नियमित साफ सफाई का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार शाला प्रबंधन समिति की ही जवाबदारी तय की जाती है।

<u>विभाग को प्राप्त आवंटन</u>

158. (क्र. 4573) डॉ. मोहन यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक उज्जैन संभाग में आदिम जाति कल्याण विभाग को कुल कितना आवंटन/अनुदान प्राप्त हुआ? उससे कितने आवंटन/अनुदान का व्यय किया

गया एवं कितना आवंटन/अनुदान लैप्स हुआ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त आवंटन/अनुदान की योजनाओं को विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जन-जन तक नहीं पहुंचा पाने के कारण प्राप्त आवंटन/अनुदान लैप्स हुआ है, जिसके कारण शासन की महती योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो कौन दोषी है? उन दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विभाग द्वारा संभाग को आवंटन न दिया जाकर जिला कलेक्टर्स को आवंटन जारी किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की राशि लेप्स नहीं होने से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सहायक शिक्षकों की पदोन्नति

159. (क्र. 4582) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कितने सहायक शिक्षक पदस्थ हैं, तथा किस-किस विषय के हैं? (ख) जिले में पदस्थ कितने सहायक शिक्षकों को वर्ष 2014 तक किस-किस विषय में पदोन्नत किया गया है? विषयवार, संस्थावार संपूर्ण विवरण दें? (ग) क्या पदोन्नति देते समय पदोन्नति नियम 1972, 1990 का पालन नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया, तथा नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या वरिष्ठ शिक्षकों को छोड़कर कनिष्ठ शिक्षकों को विषय आधार पर पदोन्नति दी गई है? यदि हाँ, तो क्या यह अनुचित नहीं है? (ड.) पदोन्नति देने पर वरिष्ठ, कनिष्ठ व कनिष्ठ, वरिष्ठ नहीं हो गया है? ऐसे किस नियम के तहत हुआ है? विभाग कब तक पदोन्नति नियम 1972 का पालन कर वरिष्ठों को पदोन्नत करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 1795 सहायक शिक्षक, जिसमें स्नातक उत्तीर्ण सामाजिक विज्ञान विषय के 1104 संस्कृत 04, गणित 01, विज्ञान 69, एवं हा.से. उत्तीर्ण 617 है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ग) सहायक शिक्षक के पदोन्नति संबंधी कोई पदोन्नति नियम 1972, 1990 में जारी नहीं किये गये है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

छात्रावास वार्डन की प्रतिनियुक्ति के संबंध में

160. (क्र. 4606) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के अंतर्गत कितने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास संचालित हैं? नाम सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत छात्रावासवार वार्डनों की प्रतिनियुक्ति प्रभार कब से है? (ग) क्या सभी आवासी छात्रावासों में वार्डनों को शासन के निर्देशानुसार निरंतर तीन वर्ष पश्चात् परिवर्तित कर नई प्रतिनियुक्ति प्रभार सौंपा गया है? यदि नहीं तो क्या छात्रावासों में पूर्व व्यवस्थानुसार वार्डन कार्यरत् हैं? यदि हाँ, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी हैं? क्या संबंधित मामले में कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कटनी जिले में कुल 06 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास संचालित हैं। नामों की सूची **संलग्न परिशिष्ट-1 पर** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 पर** है। (ग) जी नहीं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संलग्न चयनित विद्यालय की महिला शिक्षिका (सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक, उच्च श्रेणी अध्यापक, अध्यापक) द्वारा कार्य करने की सहमति देने पर वार्डन का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। यह प्रतिनियुक्ति नहीं है। जिले में 06 वार्डन के अतिरिक्त प्रभार की अवधि 03 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जिनमें से 02 दो अतिरिक्त प्रभार हटाकर नवीन पदस्थापना की जा चुकी है। शेष 04 वार्डन के अतिरिक्त प्रभार हेतु लिंक शाला में पदस्थ कोई भी महिला शिक्षिका द्वारा सहमति न देने के कारण अभी तक प्रभार नहीं बदला जा सका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "तीस"

रीवा जिले में आदिवासियों का विकास

161. (क्र. 4620) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश के रीवा जिले में आदिवासियों की कुल कितनी जनसंख्या है और कितने परिवार है जिनमें कितने गरीबी रेखा के नीचे है, कितने सामान्य में है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 254061 है तथा 2841 परिवार हैं जिनमें से 15189 गरीबी रेखा के नीचे हैं शेष सामान्य में हैं। गरीबी रेखा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "इकतीस"

जबलपुर संभाग में डेंगू, स्वाइन फ्लू से पीडित व्यक्तियों की मृत्यु

162. (क्र. 4650) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक जबलपुर संभाग में डेंगू एवं स्वाइन फ्लू से पीडित कितने मरीज चिन्हित किए गए? कितनी मरीजों की मृत्यु इन बीमारियों के कारण हुई? जिलेवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बीमारियों की रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? जबलपुर संभाग के किन-किन जिलों में उक्त रोगों से पीडित मरीजों की पहचान के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? जिलेवार बतावें? (ग) क्या सिवनी जिले में उक्त रोगों के पहचान की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने से कुछ मरीजों की उचित उपचार के अभाव में मृत्यु हुई है? यदि हाँ, तो क्या शासन तत्काल सिवनी जिले में इन रोगों की पहचान एवं उपचार हेतु पर्याप्त सुविधाएं एवं उपकरण मुहैया कराऐगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनाँक तक जबलपुर संभाग के जिला क्रमश जबलपुर में 153, कटनी में 30, छिंदवाड़ा में 74, सिवनी में 48, बालाघाट में 16, मण्डला में 81, डिण्डौरी में 2 एवं नरसिंहपुर में 207 डेंगू के प्रकरण प्रकाश में आए हैं। जबलपुर संभाग के किसी भी जिले में डेंगू से कोई भी मृत्यु प्रकाश में नहीं आयी है। स्वाईन फ्लू से जबलपुर संभाग के जिला छिंदवाड़ा में 01, जिला जबलपुर में 51, जिला कटनी में 04, जिला मण्डला में 01 एवं जिला नरसिंहपुर में 03 पीड़ित मरीज चिन्हित किए गए। जबलपुर संभाग के जिला क्रमश जबलपुर में 09, छिंदवाड़ा में 01 एवं जिला कटनी में 01 व्यक्ति की स्वाईन फ्लू से

मृत्यु होना प्रकाश में आया है। संभाग के अन्य जिलों में स्वाईन फ्लू से मृत्यु नहीं हुई है। (ख) स्वास्थ्य विभाग स्वाईन फ्लू एवं डेंगू बीमारियों के नियंत्रण के लिए पूर्ण रूप से सज़ग है एवं इनके नियंत्रण की सभी व्यवस्थाएं की गई है। जन सामान्य में बीमारियों के नियंत्रण के लिए आकाशवाणी के माध्यम से जिंगल्स तथा टी.व्ही. चैनल के माध्यम से प्रसारण करवाया गया है। समाचार पत्रों में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए जनहित में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। जबलपुर संभाग के सभी शासकीय चिकित्सालयों/अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। आवश्यक सभी दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वैक्टर जनित बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में पूर्व से ही समस्त तैयारियां की गई थी, इसके अंतर्गत नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त बैठक दिनाँक 07/05/2014 तथा 26-27 मई 2014 को आयोजित की गई थी इसमें जबलपुर संभाग के जिला मलेरिया अधिकारियों/जिला व्हीबीडी सलाहकारों/आईडीएसपी के एपिडिमियोलॉजिस्ट को लार्वा विनिष्टिकरण एवं वैक्टर विनिष्टिकरण का प्रशिक्षण दिया गया था। डेंगू के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश स्तर से प्रोटोकॉल तैयार किया गया है जो जबलपुर संभाग के सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिलों से इसे ग्राम स्तर तक भेजा गया है तथा उसी के अनुरूप नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। जबलपुर संभाग के सभी जिलों में ग्राम स्तर से जिला स्तर पर आउटब्रेक की सूचना प्राप्त करने हेतु कॉल सेंटर संचालित हैं तथा किसी भी ग्राम से किसी भी बीमारी की आउटबे्रक की रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है। डेंगू को सत्यापित करने के लिए जबलपुर संभाग में वर्तमान में मेक एलाईजा किट से जाँच मेडीकल कॉलेज जबलपुर, जनजाति आयुर्विज्ञान संस्थान जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में की जाती है। जबलपुर संभाग के सभी शासकीय चिकित्सालयों अस्पतालों में मरीजों के प्लेटलेट काउंट करने के लिए सेल काउंटर एवं हिमेटोक्रीट की जाँच की व्यवस्था उपलब्ध है। इसी प्रकार विभाग द्वारा स्वाईन फ्लू के मरीजों हेतु जबलपुर संभाग के जिला चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज/अस्पतालों व चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में सर्दी जुकाम (स्वाईन फ्लू H1 N1) काउंटर बनाए गए हैं, जो 24*7 घंटे कार्यरत है। इसके अतिरिक्त मेडीकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालयों में स्वाईन फ्लू (H1 N1) के रोगियों को भर्ती कर उपचार करने हेतु आईसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वाईन फ्लू उपचार हेतु चिन्हित निजी अस्पतालों/मेडीकल कॉलेज अस्पतालों औषधियां/सामग्रियां आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी गई है। सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जाँच एवं उपचार की व्यवस्था है। जबलपुर संभाग के प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम/हैल्प लाईन नं. सामान्य जन मानस की सुविधा के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए हैं। प्रचार-प्रसार मशाल रैली, होर्डिंग्स, पम्पलेट्स, वॉल पेंटिग्स, रेडियो जिंगल्स, टी.व्ही. स्क्रॉल आदि के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा समुदाय के लिए स्वाईन फ्लू जागरूकता हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से अपील की गई है एवं प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। (ग) जी नहीं। जिला चिकित्सालय सिवनी में डेंगू की जाँच के लिए एलाईजा रीडर उपलब्ध है, शासन द्वारा जिला सिवनी में उक्त रोंगों के लिए शासकीय अस्पतालों में जाँच की सुविधा, औषधियां, सामग्रियां उपलब्ध है एवं निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है। स्वाईन फ्लू के सैम्पल आवश्यकता पड़ने पर जिलों से आर.एम.आर.सी.टी. जबलपुर भेजे जाते है।

<u>सिवनी जिले में संचालित प्रायवेट नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर</u>

163. (क्र. 4651) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कितने प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हो रहे हैं तथा इसमें से कितने शासकीय प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर शासकीय गाईड लाईन पर संचालित है तथा कितने प्रायवेट नर्सिंगहोम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? क्या प्रायवेट नर्सिग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर निर्धारित मापदण्ड जैसे भवन, स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता एवं योग्यता पूर्ण कर रहे हैं? सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट का शासन के नियमानुसार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम अनुसार डिस्पोज किया जाता है? यदि नियमानुसार डिस्पोज नहीं किया जाता है तो शासन इन पर क्या कार्यवाही करेगा? (ग) सिवनी जिले में संचालित प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये शुल्क रियायत के क्या प्रावधान है एवं शुल्क निर्धारण की क्या व्यवस्था है? प्रावधान की कॉपी उपलब्ध करावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सिवनी जिले में 08 प्रायवेट नर्सिंग होम, अस्पताल एवं 01 डायग्नोस्टिक सेन्टर संचालित है। समस्त शासकीय गाईड लाईन पर संचालित है। निरंक, प्रायवेट नर्सिंग होम, अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर को मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। जी हाँ सूची निम्नानुसार हैः- 1. जठार हॉस्पिटल सिवनी 2. आर्शीवाद हॉस्पिटल सिवनी 3. नर्मदा हॉस्पिटल सिवनी 4. जिंदल हॉस्पिटल एण्ड डाग्नोस्टिक सेन्टर सिवनी 5. शुभाशीष नर्सिंग होम सिवनी 6. साईराम हॉस्पिटल सिवनी 7. क्रिश्चियन हॉस्पिटल लखनादौन 8. सेवासदन हॉस्पिटल लखनादौन 9. एडवान्स केयर हॉस्पिटल लखनादौन (ख) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिवनी जिले में संचालित प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये शुल्क रियायत का कोई प्रावधान एवं शुल्क निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

164. (क्र. 4680) श्रीमती रेखा यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार जिला छतरपुर वनग्रामों को प्रश्नांकित तिथि तक भी राजस्व ग्राम नहीं बनाया जा सका है? (ख) यदि हाँ, तो छतरपुर जिले में कौन-कौन से वनग्राम है? इन वन ग्रामों की वन अधिकार समिति या ग्रामसभा को किस दिनाँक को पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी, निस्तार पत्रक, किस्तबन्दी एवं अतिक्रमण पंजी की प्रति किस दिनाँक को किसके द्वारा उपलब्ध करवाई गई? (ग) किस वनग्राम के कितने आदिवासियों एवं कितने गैर आदिवासी को प्रश्नांकित तिथि तक कितनी-कितनी वन भूमि के कितने वन अधिकार पत्र वितरित कर दिए हैं, कितने प्रकरण लंबित हैं, कितने प्रकरण अमान्य कर दिए गए हैं? (घ) वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने की बजाय वन ग्रामों में वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने का क्या कारण है? कानून में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने एवं वन ग्रामों के वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) कोई वनग्राम न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**मजरे टोलों का विद्युतीकरण**</u>

165. (क्र. 4681) श्रीमती रेखा यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2012-2013 से प्रश्नांकित दिनाँक तक किस-किस दिनाँक को कितनी लागत के विद्युतीकरण कार्य की निविदा आमंत्रित की गई उसमें सफल निविदाकार के द्वारा क्या दर डाली गई उससे विभाग ने किस दिनाँक को अनुबंध कर किस दिनाँक को कार्य आदेश दिया किस निविदा को किस दिनाँक को किन कारणों से निरस्त कर दिया? (ख) किस दिनाँक को निरस्त की गई निविदा को पुन: किस दिनाँक को आमंत्रित किया उसमें किस दर से डाली गई निविदा को स्वीकृति प्रदान की गई? पूर्व में उसी कार्य की निविदा में क्या दर आई थी? कम दर की निविदा अस्वीकृत कर अधिक दर की निविदा को स्वीकृत किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (ग) गत तीन वर्षों में आमंत्रित की गई निविदाओं में प्राप्त निविदा, निरस्त की गई निविदा, पुन: आमंत्रित की गई निविदा एवं स्वीकृत की गई निविदा की अनुमति या अनुमोदन किस-किस अधिकारी से प्राप्त किया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) छतरपुर जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक (क) एवं (ख) तथा टीकमगढ जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है, जिले में उक्त अवधि में कोई भी निविदा निरस्त नहीं की गई है। (ख) छतरपुर जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है**, जबकि टीकमगढ जिले में कोई भी निविदा निरस्त नहीं की गई है। अत:शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) छतरपुर जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है, टीकमगढ जिले में गत तीन वर्षों से आमंत्रित की गई निविदाओं का अनुमोदन जिला क्रय समिति द्वारा किया गया है, जिसमें जिले के कलेक्टर अध्यक्ष, अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू. क्षे. वि. वितरण कम्पनी टीकमगढ सचिव तथा जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण टीकमगढ सदस्य हैं।

<u>**मेल स्टाफ नर्स की भर्ती**</u>

166. (क्र. 4777) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत बी.एस.सी. स्नातक नर्सिंग एवं जी.एन.एम. के माध्यम से डिप्लोमा कराया जाता है, जिसमें महिला एवं पुरूषों दोनों को डिप्लोमा प्रदान किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या पुरूष नर्स के डिप्लोमा प्राप्त युवकों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं या नहीं? अभी तक कितने पुरूष नर्स की नियुक्तियां की गई हैं? (ग) क्या म.प्र. शासन द्वारा व्यापम के माध्यम से महिला स्टाफ नर्स की भर्ती हेतु दिनाँक 6-2-2015 को विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें 1868 पद सृजित कर संयुक्त चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है? उक्त पदों में भर्ती हेतु मेल स्टाफ नर्स के पद क्यों सृजित कर संयुक्त चयन परीक्षा आयोजित नहीं की गई है? (घ) क्या विभाग द्वारा आने वाले समय में पुरूष नर्स के डिप्लोमा प्राप्त युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु पुरूष स्टाफ नर्स की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत शासकीय बी. एस.सी. स्नातक नर्सिंग एवं जी.एन.एम के माध्यम से महिला अभ्यार्थी को डिप्लोमा कराया जाता है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। (घ) वर्तमान में प्रचलित म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं प.क. तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम वर्ष 2011 (26 जुलाई 2011 के मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित) में स्टाफ नर्स के पद पर केवल महिला अभ्यार्थियों को नियुक्ति का प्रावधान है।

<u>**उपशाला शिक्षकों के एरियर्स का भुगतान**</u>

167. (क्र. 4798) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में ब्लाक नईगढ़ी एवं गंगेव में कितने उपशाला शिक्षक कार्यरत हैं एवं कितने बी.ए. एवं डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त हैं? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपशाला शिक्षकों को आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-430/2011/1-25 भोपाल, दिनाँक 01 फरवरी 2012 के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर से पारित निर्णय के पालनार्थ सभी कर्मचारियों को लाभ दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या आदिम जाति कल्याण विभाग की भांति ही उपशाला शिक्षकों को एरियर्स व वेतनमान का लाभ शिक्षा विभाग के भी लोगों को दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) रीवा जिले अन्तर्गत वर्ष 1973-74 के नियुक्त उपशाला शिक्षक ब्लाक नईगढ़ी में 03 कार्यरत है तथा विकासखण्ड गंगेव में कोई उपशाला शिक्षक कार्यरत नहीं है। बी.एड. एवं डी.एड. प्रशिक्षण संबंधी सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश-क में उत्तरित उपशाला शिक्षक इस न्यायालयीन प्रकरण में पक्षकार नहीं थे इसलिए इनको लाभ प्रापत करने की पात्रता नहीं है।

<u>**परिशिष्ट - "बत्तीस"**</u>

<u>**फर्जी नियुक्तियों पर कार्यवाही**</u>

168. (क्र. 4799) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय रीवा एवं विभाग में हुई फर्जी नियुक्तियों के जाँच के लिये कमिश्नर रीवा ने पत्र क्रमांक 16/विकास/वि.जां./2014/1975 दिनाँक 03.04.2014 द्वारा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो इस प्रकरण में आज दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई है? सेवा अवधि में अवैध नियुक्त कर्मचारियों को दिये गये वेतन व मानदेय की वसूली कैसे की गई है? क्या शासन के खजाने में जमा करा दिये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में कौन अधिकारी दोषी है? उसका नाम, पद व अधिकार सहित बतायें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में दोषी अधिकारी को सेवा से क्या पृथक किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण में कमिश्नर, रीवा से शासन को डॉ. आई.एम.शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा के विरूद्ध फर्जी नियुक्ति किये जाने संबंधी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक./1325/2014/17/मेडि-1/दिनाँक 25.06.2014 द्वारा डॉ. शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये प्रतिवाद उत्तर चाहा गया (प्रलिलिपि संलग्न)। प्रकरण में कार्यवाही विभाग

स्तर पर विचाराधीन है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश की जानकारी '' ख '' अनुसार।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा

169. (क्र. 4805) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत पुरूष अथवा महिला के द्वारा शासकीय अथवा निजी चिकित्सालयों में नसबंदी करवाये जाने पर नसबंदी करवाने वाले व्यक्तियों को कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कितनी राशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का शासनादेश है? क्या प्रेरकों को भी कोई धनराशि प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो आदेश निर्देश की प्रति सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा में माह मार्च एवं अप्रैल 2012 तथा माह मार्च व अप्रैल 2013 में किन-किन पुरूष और महिलाओं के द्वारा नसबंदी करायी गयी है? इनके प्रेरक कौन लोग थे? पुरूष एवं महिला नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों उनके प्रेरकों की जानकारी उनके नाम, पता सहित व उन्हें भुगतान की गयी राशि की जानकारी दें? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के ध्यान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा के खण्ड चिकित्साधिकारी के द्वारा अपने पति को ठेकेदार के माध्यम से स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा में सफाईकर्मी नियुक्त करवाकर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत फर्जी नसबंदी बताने व राशि में भारी फर्जीवाड़ा करने का तथ्य लाये जाने पर प्रश्नकर्ता ने जिला प्रशासन को और जिला चिकित्साधिकारी को मौखिक तौर पर अवगत कराते हुए उक्त फर्जीवाड़ा के जाचं की मांग की है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त फर्जीवाड़ा की प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) शासकीय चिकित्सालयों में दो बच्चो के बाद नसबंदी कराये जाने पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधायें एवं धनराशि से संबधित निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा चौरई में स्कूल भवनों का गुणवत्ताहीन निर्माण

170. (क्र. 4808) पं. रमेश दुबे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरई में विगत तीन वर्षों में कुल कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल भवन कितनी धनराशि से निर्मित करवाये गये या निर्माणाधीन हैं? निर्मित भवन कब पूर्ण हुआ? इन भवनों के निर्माण ऐजेंसी के नाम, पूर्ण पता सहित तथा किन अधिकारियों/कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में यह भवन निर्मित हुआ है या निर्माणाधीन है? (ख) क्या उक्त भवनों के गुणवत्ताहीन निर्माण के संबंध में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा जिला प्रशासन को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो किस-किस से कब-कब? प्राप्त शिकायतों पर किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने विधान सभा क्षेत्र चौरई के हाई स्कूल भवन बादगांव एवं हाई स्कूल भवन सांख के गुणवत्ताहीन निर्माण, तथा भवन निर्मित होने के पश्चात वर्षा का पानी टपकने, दीवालों से पानी रिसने की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर छिन्दवाड़ा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो इन पत्रों पर कब क्या कार्यवाही की गयी है? (घ)

क्या शासन उक्त भवनों के गुणवत्ताहीन निर्माण की प्रश्नकर्ता के उपस्थिति में जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा भवन के गुणवत्ता में सुधार करने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''एक'' अनुसार** है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार** है। (घ) लोक निर्माण विभाग/म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल को जाँच हेतु लेख किया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार** है।

परिशिष्ट – "तैंतीस"

स्वाईन फ्लू से प्रभावित मरीजों की संख्या

171. (क्र. 4816) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में चल रहे स्वाईन फ्लू प्रकोप का पहला मरीज किस दिनाँक को पाया गया? उसका नाम, पता बतायें। बतायें कि उसके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित दिनाँक से आज दिनाँक तक किस-किस जिले में स्वाईन फ्लू के कितने-कितने मरीज पाये गये तथा अभी तक स्वाईन फ्लू से मृत व्यक्तियों के नाम, पते, उम्र तथा मृत्यु की दिनाँक सहित सूची प्रस्तुत करें? (ग) स्वाईन फ्लू को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित दिनाँक से उत्तर दिनाँक तक किस-किस दिनाँक को अधिकारियों के साथ बैठक की उस बैठक का विवरण उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित दिनाँक से उत्तर दिनाँक तक केबिनेट की बैठक किस-किस दिनाँक में आयोजित हुई है? किस-किस बैठक में स्वाईन फ्लू को लेकर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिये गये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश में वर्ष 2015 में दिनाँक 02.01.2015 को स्वाईन फ्लू का पहला मरीज जिला भोपाल में पाया गया था जिसका नाम कमला बाई, म.न. 9 जो कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल की निवासी थी। जिनका उपचार निजी चिकित्सालय में किया गया था एवं उनका स्वास्थ्य ठीक होने के पश्चात दिनाँक 11.01.2015 को अस्पताल से छूट्टी दी गई थी। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। (ग) स्वाईन फ्लू रोकथाम एवं उपचार व्यवस्था हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माह फरवरी में दो बार दिनाँक 11.02.2015 एवं 12.02.2015 को समीक्षा ली गई। उक्त बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग, आयुक्त स्वास्थ्य, संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, समस्त सबंधित अधिकारी, स्वाईन फ्लू हेतु चिन्हित नर्सिंग होम अध्यक्ष उपस्थित थे। उक्त बैठक में स्वाईन फ्लू रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें स्वाईन फ्लू मरीजों का उपचार चिकित्सकों द्वारा तत्परता से किया जावे। स्वाईन फ्लू के उपचार व्यवस्था एवं बचने के उपाय के बारे में प्रचार-प्रसार किया जावे एवं स्वाईन फ्लू हेतु प्रत्येक जिला एव राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर/हेल्प लाइन की व्यवस्था की जावें। साथ ही स्वाईन फ्लू हेतु चिन्हित शासकीय एवं निजी अस्पतालों में औषधि एवं सामग्री की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित की जावें। (घ) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित दिनाँक से उत्तर दिनाँक से 26.02.2015 तक स्वाईन फ्लू रोकथाम हेतु कोई पृथक से केबिनेट बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

108 सेवा प्रदाता संस्था द्वारा शासन की अनुमति के बिना राशि का आहरण

172. (क्र. 4825) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी.एम. मानिट प्रकरण क्रमांक CMS/MLA/151/2011, 08/12/2011 (B) के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सेवाओं में मूलभूत एवं आर्थिक स्तर पर की गई अनियमितताओं की जाँच किस समिति ने की थी? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत जाँच में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गईं? क्या सेवा प्रदाता संस्था ने 10.75 करोड़ की राशि शासन की जानकारी के बिना राज्य के खाते से ई.एम.आर.आई. के सिकन्दराबाद स्थित मुख्यालय को दिनाँक 11.11.2008 से 12.01.2009 की बीच हस्तांतरित की थी? यदि हाँ, तो यह राशि किन-किन के हस्ताक्षर से हस्तांतरित की गई और शासन ने प्रश्न दिनाँक तक उक्त संस्था व व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या उक्त संस्था और व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण दें? यदि हाँ, तो किस थाने में किन-किन धाराओं के तहत? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) व (ग) के तहत जब उक्त संस्था द्वारा शासन की बिना जानकारी के राशि का हस्तांतरण किया जा रहा था, तब जिम्मेदार अधिकारियों ने रोका क्यों नहीं? इसके लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या उन पर कोई कार्रवाई की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब? नहीं, तो क्यों? कारण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जाँच शासन द्वारा गठित समिति ने की थी। (ख) जी हाँ। सेवा प्रदाता संस्था नें 10.75 करोड़ की राशि शासन की जानकारी के बिना राज्य के खाते से ई.एम.आर.आई. सिकंदराबाद स्थित मुख्यालय को दिनाँक 11/11/2008 से 12/01/2009 के बीच हस्तांतरित की थी। इनमें से रूपये 10.16 करोड़ की राशि 03.02.2009 से 15.12.2009 के बीच वापस राज्य ई.एम.आर.आई के खातों में जमा की गई। रूपये 60.30 लाख की राशि संस्था के मुख्यालय द्वारा प्रदेश के लिये व्यय की गई उक्त तथ्य को जी.व्ही.के ई.एम.आर.आई के स्थानीय कार्यालय द्वारा स्वीकार किया गया है। जाँच निष्कर्ष के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि राशि के हस्तांतरण के फलस्वरूप ब्याज की जो हानि हुई उसे मध्यप्रदेश शासन द्वारा कार्यशील पूंजी पर निर्धारित ब्याज की दर पर गणना कर राज्य के खाते में जमा की जाये। यह भी निर्णय लिया गया की जी.व्ही.के ई.एम.आर.आई के अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि पर अनियमित रूप से जो व्यय किया गया है वह भी ब्याज सहित राज्य शासन के खाते में जमा कराया जाये। उपरोक्तानुसार कुल रूपये 98,79,893/- (रूपये अट्ठान्नवे लाख उन्यासी हजार आठ सौ तिरान्नवे मात्र की राशि की कटौती की गई) (ग) जी नहीं। गठित जाँच समिति की अनुशंसानुसार कार्यवाही की गयी। (घ) संस्था द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी के बिना राशि का हस्तांतरण किया गया था। हस्तांतरण की जानकारी प्राप्त होने पर प्रश्नांश ''ख'' अनुसार कार्यवाही की गयी।

बालिकाओं के साईकिल वितरण में हुई आर्थिक अनियमितता

173. (क्र. 4826) श्री विश्वास सारंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में जुलाई 2009 से 30 जुन 2013 तक बाटी गई सायकिलों की वर्षवार संख्या देवें तथा वर्षवार कितने उपयोगिता प्रामाण पत्र/पावती प्राप्त हो गई है कितनी पावतियां प्राप्त होना शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या अनियमितता वाले स्कूलों में संबंधित शिक्षकों ने फर्जी नाम

जोड़कर आर्थिक अनियमितताएं की है? क्या यह भी सच है कि जिन बालिकाओं के नाम जोड़े गये थे, वे पहले से ही किसी दूसरे स्कूल में अध्ययनरत थीं? क्या यह भी सच है कि उन बालिकाओं के पालकों ने और ग्राम पंचायत ने हुई अनियमितता की जानकारी दी है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत अनियमितताओं के लिए किस-किस स्कूल के किस नाम के शिक्षक जिम्मेदार हैं? उन पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कारण दें? नियम बताएं? क्या अब की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) भोपाल जिले में प्रश्नांकित अवधि में बांटी गई सायकिलों की संख्या, प्राप्त पावती/उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा शेष पावतियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

१	११६०	१०५८	१०२
२	१२७०	१२२८	४२
३	३६०१	१३७५	२२२६
४	४२१०	१५०९	२७०१

क्र.	वर्ष	पात्र लाभाविंत छात्र/छात्राओं की संख्या जिन्हें सायकिल क्रय हेतु राशि प्रदान की गई	छात्र/छात्राओं की संख्या जिनसे पावती रसीद प्राप्त हुई	छात्र/छात्राओं की संख्या जिनसे पावती प्राप्त की जा रही है
1	1 जुलाई 2009 से 30 जून 2010	1160	1058	102
2	1जुलाई 2010 से 30 जून 2011	1270	1228	42
3	1जुलाई 2011 से 30 जून 2012	3601	1375	2228
4	1जुलाई 2012 से 30 जून 2013	4210	1509	2701

(ख) भोपाल जिले में ऐसा कोई प्रकरण होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिले की किसी भी ग्राम पंचायत से अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) उत्तरांश ख के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्राचार्यों एवं शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

174. (क्र. 4833) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत कितने शासकीय हाई स्कूलों एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्राचार्यों के एवं शिक्षकों के किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान स्थिति में जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? पद रिक्त रहने के कारण सहित

जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन की क्या योजना है एवं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। सेवानिवृत्ति एवं अन्य कारणों से पद रिक्त है। (ग) पदोन्नत पदों की पद पूर्ति पदोन्नति से तथा सीधी भर्ती के पदों की पद पूर्ति व्यापम से पात्रता परीक्षा व नियत चयन प्रक्रिया से किए जाने की योजना है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। अतः समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विदिशा जिला अंतर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों के संबंध में

175. (क्र. 4834) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत आने वाले शासकीय जिला चिकित्सालय विदिशा एवं जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के एवं विशेषज्ञों के कितने पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में रिक्त पदों के रहने के कारण सहित जानकारी दें एवं पद रिक्त रहने के कारण चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित न हो इस बाबत् क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या शासन आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं बीमारियों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये शीघ्र ही रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला विदिशा अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के कुल 44 पद रिक्त हैं तथा जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी के कुल 16 पद रिक्त हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्था में चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं होता है। (ख) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के स्वीकृत 3195 पदों के विरूद्ध मात्र 1216 विशेषज्ञ उपलब्ध है, अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में शतप्रतिशत विशेषज्ञों के पदों पर पदस्थापना नहीं की जा सकी है, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सकों के 1271 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है एवं साक्षात्कार की कार्यवाही प्रचलन में है। स्वास्थय केन्द्रों में पदस्थ स्टॉफ द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएॅ प्रदान की जा रही है। (ग) जी हाँ, उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

प्राचार्यों द्वारा अधिकार के विपरीत कार्यवाही किया जाना

176. (क्र. 4863) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में स्थित हायर सेकण्डरी स्कूलों में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में कौन-कौन प्राचार्य पदस्थ रहे? उनके मूल पद सहित नामवार, शालावार यह अवगत करावें कि किन-किन प्राचार्यो की पदस्थापना के संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा सहमति कब-कब दी गई तथा किन-किन प्राचार्यों की पदस्थापना के संबंध में असहमति व्यक्त की गई? (ख) क्या हायर सेकण्डरी प्राचार्यों को सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने के अधिकार हैं? यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध उपरोक्तावधि में भोपाल जिले के किन-किन प्राचार्यों द्वारा किन-किन शिक्षकों के

स्थानांतरण जारी किए? यदि नहीं, तो क्या शासन जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें? (ग) क्या भोपाल जिले के कुछ प्राचार्यों द्वारा अनावश्यक रूप से अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली गई हैं? यदि नहीं, तो उपरोक्तावधि में पदस्थ किए गए अतिथि शिक्षकों के जारी वेतन के संबंध में क्या शासन जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें? (घ) क्या भोपाल जिले में स्थित हाई स्कूलों में हाई स्कूल प्राचार्य को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन शालाओं में और इन शालाओं में पूर्णकालिक प्राचार्य कब तक पदस्थ कर दिये जाएंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर।** स्थानांतरण आदेश प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत जारी किए जाते है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। भोपाल जिले के किसी प्राचार्य द्वारा शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये गये हैं अपितु शासकीय कमला नेहरू क.उमावि टी.टी. नगर, भोपाल की प्राचार्य द्वारा संकुल अंतर्गत दो शिक्षकों को उनकी मूल संस्था से अन्य संस्थाओं हेतु कार्यमुक्त किया गया है। इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से प्रतिवेदन चाहा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) शैक्षणिक व्यस्था को सुचारू ढंग से संचालित किए जाने हेतु प्राचार्य हाईस्कूलों को प्रभारी प्राचार्य उमावि बनाया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर।** प्राचार्य उमावि के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

एम.सी.आई. के मापदण्डों के विपरीत चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना

177. (क्र. 4864) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में एम.सी.आई. मापदण्डों के अनुसार फेकल्टी की कमी है? यदि हाँ, तो किस-किस विभाग के प्रोफेसरों की कमी है? इसकी पूर्ति के लिए वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या एम.सी.आई. मापदण्डों के विपरीत जाकर उक्त महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. राजेश मलिक को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत कब व कितनी अवधि के लिए भेजा गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के कारण गांधी मेडिकल कालेज के कितने चिकित्सीय छात्रों की पढ़ाई एवं हमीदिया अस्पताल के रोगियों का इलाज प्रभावित हुआ? इस नियम विपरीत कार्यवाही के लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध शासन द्वारा कब तक तथा क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) - (ग) में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह अवगत करावे कि डॉ. राजेश मलिक को कब तक वापिस गांधी मेडिकल कालेज बुलायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विद्यालयों की भूमि पर कब्जा

178. (क्र. 4912) श्री वीरसिंह पंवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के अंतर्गत किन-किन हायर सैकेण्ड्री स्कूलों के पास कितनी भूमि है उक्त भूमि उक्त विद्यालयों को कब, कहाँ से प्राप्त हुई? किन-किन विद्यालयों को भूमि दान में किन-किन से कब प्राप्त हुई? (ख) किन-किन विद्यालयों की कितनी भूमि पर किस-किसका, कब-कब से अतिक्रमण है? उक्त अतिक्रमण को हटाने या वैध करवाने हेतु विभाग ने क्या कार्यवाही की? (ग) क्या शासकीय कन्या उ.मा.वि. उदयपुरा की भूमि पर असामाजिक तत्व कब्जा कर कोली बेच रहे थे तथा तहसीलदार उदयपुरा ने वर्ष 2012 में फसल जप्त कर प्राचार्य को कब्जा सौंपा था? (घ) यदि हाँ, तो रजिस्टर्ड दान पत्र 27.1.64 से वर्ष 2012 तक उक्त भूमि पर किस-किसका कब्जा रहा तथा उनके कब्जा के संबंध में प्राचार्य तथा कलेक्टर को प्राप्त शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) 27.01.64 से वर्ष 2012 तक उक्त भूमि पर श्री प्रहलाद सिंह रघुवंशी का कब्जा रहा है। शिकायती पत्र पर तहसीलदार, उदयपुरा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर कब्जा प्राचार्य को सौंपा गया है।

उज्जैन संभाग अंतर्गत संचालित वक्फ इंतिजामिया कमेटियां

179. (क्र. 4955) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग की कितनी एवं कौन-कौन सी वक्फ इंतिजामिया कमेटियां विगत पाँच वर्षों से अधिक समय एवं अवधि समाप्त होने के उपरांत भी प्रचलन में है? जिलेवार, शहरवार ब्यौरा क्या है? (ख) कितनी मस्जिद, दरगाह, मदरसा संचालन समितियों के गठन के प्रस्ताव विगत तीन वर्षों से वक्फ बोर्ड में किस कारण लंबित है? जिलेवार, शहरवार ब्यौरा क्या है? (ग) उपरोक्त (ख) में उल्लेखित प्रकरणों का निराकरण बोर्ड कब तक कर देगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) सम्पूर्ण ब्यौरा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** रखा है। (ख) सम्पूर्ण ब्यौरा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** रखा है। (ग) वक्फ कमेटियों के गठन की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

म.प्र. वक्फ बोर्ड अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितता

180. (क्र. 4956) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गुफराने आजम पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही, किस प्रकरण में की है? (ख) क्या पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितता आपराधिक श्रेणी की है? यदि हाँ, तो किस आपराधिक धारा में या किस वक्फ नियम में? ब्यौरा क्या है? (ग) क्या वक्फ अधिनियम में अयोग्य करार दिये सदस्यों को पुन: बोर्ड सदस्य के रूप में मनोनीत करने का प्रावधान है? यदि नहीं तो वर्तमान बोर्ड में कौन-कौन सदस्य है, जो अयोग्य करार देने के उपरांत भी किस आधार पर सदस्य हैं?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) विधानसभा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के (त्रयोदश) प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु दिनाँक 31.5.2009 की बोर्ड बैठक में एवं इसके पश्चात् अपरान्ह में तत्कालीन अध्यक्ष ने 22 अन्य बिन्दुओं को शामिल करते हुए विधि से हटकर निर्णय लिये जाने संबंधी प्रकरण में एक समिति का गठन कर जाँच कराई गई। जाँच में प्रथम दृष्ट्या पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोषी पाये जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 467, 468 के तहत मामला दर्ज करने का निर्णय लिया गया। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण विवेचनाधीन है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>**रतलाम जिला अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान की स्थिति**</u>

181. (क्र. 4967) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक किन-किन कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की? (ख) वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक जिले में उपरोक्त कार्यों हेतु शासन/विभाग द्वारा कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया? (ग) क्या उपरोक्त वर्षों में स्वीकृत किये गये समस्त निर्माण संबंधी कार्य समयावधि में पूर्ण हुए हैं? (घ) यदि नहीं तो उपरोक्त वर्षों में स्वीकृत किये कार्यों में से कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे तथा उपरोक्त कार्यों हेतु आहरित राशि एवं अपूर्ण कार्यों की वस्तुस्थिति से अवगत कराएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर** है।

<u>**रतलाम में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति**</u>

182. (क्र. 4968) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन/विभाग द्वारा बीओटी (एनयूटी) मोड में रतलाम में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है? (ख) यदि हाँ, तो क्या मेडिकल कॉलेज हेतु भूमि चयनित होकर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित होकर कार्यवाही चल रही है? (ग) यदि हाँ, तो मेडिकल कॉलेज हेतु कुल कितना बजट स्वीकृत होकर क्या टेंडर आमंत्रित किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है? (घ) यदि हाँ, तो क्या संपूर्ण कार्य जब तक संपन्न ना हो जाय तब तक की स्थिति में शासकीय महाविद्यालय रतलाम में मेडिकल छात्रों को प्रवेश दिया जाकर जिला चिकित्सालय एवं अन्य माध्यमों, संसाधनों से इसी सत्र में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) रतलाम एवं अन्य मेडिकल कॉलेजो हेतु वर्ष 2014-15 में रू. 2.95 करोड़ बजट प्रावधान किया गया है। टेन्डर हेतु विधिवत कार्यवाही मध्यप्रदेश सडक विकास निगम द्वारा की जा रही है। (घ) मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने हेतु भारतीय चिकित्सा प्ररिषद द्वारा निरीक्षण कर मानकों के अनुरूप पाये जाने पर प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>**N.H.R.M. द्वारा आयोजित लैब टेक्निशियन एवं फार्मासिस्ट भर्ती में अनियमितता**</u>

183. (क्र. 4971) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2014 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन म.प्र. अंतर्गत जिला स्तर पर लैब टेक्निशियन एवं फार्मासिस्ट पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे? यदि हाँ, तो किस-किस जिले में कितने-कितने पदों हेतु किस दिनाँक को? उक्त पदों हेतु क्या-क्या वांछनीय योग्यता एवं अनुभव मांगे गए थे? परीक्षार्थियों का चयन की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई? बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार फार्मासिस्ट पदों पर किन-किन जिलों में किन-किन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई? (ग) क्या फार्मासिस्ट पद हेतु चयनित किए गए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता (फार्मासिस्ट डिप्लोमा) एवं कार्यानुभव में अंतर था? यदि हाँ, तो कितना-कितना? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार की गई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता एवं धांधली की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जी हाँ। अभ्यार्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गयी जानकारी के अनुसार चयन हेतु एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा वरीयता क्रम निर्धारित की गई हैं। चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर परीक्षण किया गया तथा पात्र अभ्यार्थियों को संविदा नियुक्ति दी गयी। (ख) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) जी नहीं, चयनित सभी शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों हेतु अनुभव की पात्रता एक समान थी। (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही की जायेगीं।

अत्यन्त पिछड़ी जनजातियों के भाषाई शिक्षकों को यथावत रखा जाना

184. (क्र. 5015) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. एफ./23-24/ 2007/ 3/ पच्चीस, भोपाल दिनाँक 30 अप्रैल 2008 द्वारा सहरिया जनजाति के छात्र/छात्राओं को उन्हीं की बोली में पढ़ाने हेतु सहरिया जनजाति के अतिरिक्त संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश जारी किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो उक्त आदेश के परिपालन में म.प्र. में अत्यंत पिछड़ी जनजाति सेहरिया, बैगा, भारिया के बेरोजगार युवकों को प्राथमिक विद्यालयों में संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर सन् 2009 में उन्हीं की भाषा में पढ़ाने के लिए नियुक्तियां किस-किस जिले के किन-किन जनपद पंचायतों में की गई थी सूची सहित जानकारी देवें? (ग) क्या वर्तमान में आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 24623 दिनाँक 11.2.14 द्वारा भाषाई संविदा शिक्षकों की सेवाएं 27.9.14 से समाप्त करने के आदेश संबंधित जिला कार्यालयों को दिये गये हैं यदि हाँ, तो कारण सहित स्पष्ट करें? (घ) क्या म.प्र. के अन्य जिलों के साथ-साथ शिवपुरी जिले के जनपद पंचायत पोहरी में वर्ष 2009 में नियुक्ति भाषाई संविदा शिक्षकों को 26.12.14 से सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें कि ऐसे बेरोजगार युवकों को रोजगार से वंचित क्यों किया जा रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रश्नाधीन योजना की स्वीकृति नहीं

दिये जाने से योजना निरन्तर जारी नहीं रखे जाने हेतु निर्देश दिये गये है। (घ) जी हाँ। विवरण कंडिका ''ग'' अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डिग्री प्राप्त धारकों के मेडिकल कॉलोजों/अस्पतालों में भर्तिया

185. (क्र. 5016) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल द्वारा तीन वर्षीय बी.एस.सी. मेडिकल टेक्नॉलॉजी (एक्स-रे रेडियोग्राफर) की डिग्री प्रदान की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो क्या म.प्र. के मेडिकल कॉलेजो/अस्पतालों में एक्स-रे टेक्नीशियनों के पदों की भर्ती के लिए डिग्री/डिप्लोमा या प्रमाण-पत्रों की मांग की जाती हैं? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ है तो क्या कुछ वर्ष पूर्व सागर मेडिकल कॉलेज एवं वर्तमान में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है? (घ) क्या जवाहरलाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल द्वारा प्रदान की गई डिग्री को मान्यता देते हुए इन पदों की भर्ती में वरीयता दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक नियुक्ति प्रदान की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) प्रचलित विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता में पैरामेडिकल काउंसिल मध्यप्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने तथा काउंसिल में पंजीयन आवश्यक हैं। (ग) चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा पूर्व में भर्ती किये गये रेडियोग्राफर से विभागीय सेवा भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय, सागर की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) भर्ती नियमों में वरीयता देने का प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शा.उ.मा.विद्यालयों में कृषि संकाय की कक्षायें प्रारंभ किया जाना

186. (क्र. 5034) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय संचालित है? तथा उन विद्यालयों में कृषि संकाय के लिये विषय शिक्षक की क्या व्यवस्था है? (ख) क्या शाजापुर जिले के शा.उ.मा. विद्यालय पोलायकलॉ, शा.उ.मा.विद्यालय अवन्तीपुर बड़ोदिया, शा.उ.मा.विद्यालय अर्नियाकलां, शा.उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय कालापीपल मंडी, शा.उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय शुजालपुर मंडी, शा.बा.उ.मा. विद्यालय शुजालपुर शहर, शा.बा.उ.मा.विद्यालय अकोदिया मंडी में कृषि संकाय की कक्षायें प्रारम्भ की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शाजापुर जिले के 04 उ.मा. विद्यालयों में कृषि संकाय की स्वीकृति है, इन विद्यालयों में कृषि विषय के स्वीकृत पद एवं कार्यरत विषय शिक्षकों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) कृषि संकाय आवश्यकता होने एवं तदनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर, बजट में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर स्वीकृति निर्भर करती है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

चिकित्सालयों में चिकित्सकों की ड्यूटी की समय अवधि

187. (क्र. 5035) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सालयों व अन्य शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों को ड्यूटी पर रहने की समय अवधि तय है? यदि हाँ, तो कब से कब तक समय बतायें? (ख) क्या शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सक समय अवधि में पूरे समय ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं? चिकित्सक की उपस्थिति लेने की व्यवस्था क्या है? (ग) क्या चिकित्सकों को मुख्यालय पर ही निवास करने के निर्देश हैं? क्या शाजापुर जिले के कालापीपल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ चिकित्सकों को मुख्यालय पर निवास करना आवश्यक नहीं है? क्या चिकित्सकों के भोपाल से अप-डाउन करने के कारण चिकित्सालय में समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण क्षेत्र के मरीज इलाज के लिये न भटके, यदि हाँ, तो क्या मुख्यालय पर निवास करने की अनिवार्यता की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सिरोंज औषाधालय में डाक्टर्स के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

188. (क्र. 5057) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अतंर्गत सिरोंज विधानसभा में कुल कितने औषधालय चल रहे हैं क्या उनमें सब स्थानों पर डाक्टर्स उपलब्ध हैं यदि नहीं तो रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ख) क्या यह सब आयुष औषधालय अपने भवन में संचालित हैं क्या विभाग द्वारा नये भवन प्रस्तावित हैं यदि हाँ, तो स्थानों का उल्लेख करें? (ग) क्या यह सभी भवन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर निर्मित होंगे? यदि नहीं तो इनका स्थान परिवर्तन कर ग्राम पंचायत मुख्यालय किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब तक स्थान परिवर्तन कर इनका निर्माण कार्य कराया जायेगा? (घ) क्या सभी औषद्यालय परिसर अतिक्रमण मुक्त हैं यदि नहीं तो कब तक मुक्त किये जायेंगे एवं पुन: यहाँ पर अतिक्रमण न हो उसके लिये क्या योजना बनाई जा रही हैं? क्या वाउन्ड्रीवाल बनाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो कब तक बन जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विदिशा जिला अन्तर्गत सिरोंज विधान सभा में कुल 09 औषधालय चल रहे। जी नहीं। यूनानी व चिकित्सा होम्योपैथी अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। आयुर्वेदिक चिकित्सको के 722 पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से पुनः परीक्षा कराई जा रही है। निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं। (ख) जी नहीं। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सभी आयुष औषधालय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित है। इन संचालित औषधालयों के नवीन भवनों का निर्माण प्रस्तावति न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। बाउन्ड्री बाल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>गरीबी रेखा के अतंर्गत आने वाले रोगियों के इलाज हेतु अनुदान</u>

189. (क्र. 5058) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के गरीबी रेखा के अतंर्गत आने वाले रोगियों के इलाज हेतु

जिन पर 90,000 से ऊपर की धनराशि व्यय होती है उसका अनुदान देने का अधिकार शासन द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य या अन्य किसी कमेटी को दिया गया है? यदि हाँ, तो किस किस बीमारी के लिये निर्देशों की प्रति के साथ साथ जानकारी दें? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो जनवरी 2013 से जनवरी 2015 तक विदिशा जिले के सिंरोज विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत किन-किन व्यक्तियों द्वारा किस-किस बीमारी के लिये कब कब आवेदन प्राप्त हुए कितनों को इलाज हेतु सहायता दी गई? शासन द्वारा इन पर कितनी राशि व्यय की गई? (ग) वर्तमान में ऐसे कितने कौन-कौन से रोगी शेष हैं जिन्हें विभाग द्वारा इलाज हेतु पैसा नहीं दिया गया है उनके नाम, पता, बीमारी का नाम बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के शेष रोगी जो धनराशि प्राप्त नहीं कर सकें है उन्हें यह राशि कब तक भुगतान कर दी जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत म.प्र. के ऐसे परिवार जो इस राज्य के मूल निवासी हैं तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के कोई सदस्य योजनान्तर्गत 20 चिन्हित बीमारी से पीड़ित होने पर न्यूनतम राशि 25,000/- से अधिकतम राशि 2.00 लाख तक की निर्धारित पैकेज अनुसार उपचार हेतु सहायता राशि जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती है। चिन्हित बीमारी की सूची एवं निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) प्रश्न भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। (घ) प्रश्नांश "ग" के शेष रोगी के उपचार की व्यवस्था कर दी गई है। उपचार पर व्यय होने वाली राशि संबधित चिकित्सा संस्थाओं को निर्धारित समय अवधि में भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

<u>पेयजल अभावग्रस्त विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था</u>

190. (क्र. 5059) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत किन-किन शासकीय विद्यालयों में पेयजल की स्थाई व्यवस्था नहीं है? अनेक विद्यालयों में केवल नल-कूप खनन की औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई है किंतु पेयजल उपलब्ध नहीं हुआ है? तथा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से छात्र-छात्राओं को स्वयं अपने घरों से पीने का पानी लाना पड़ता है? (ख) क्या शासन ऐसे पेयजल अभावग्रस्त विद्यालयों में पेयजल हेतु कोई ठोस व्यवस्था करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) उपरोक्तानुसार ऐसे कितने शासकीय विद्यालय है जिनके स्वामित्व की भूमि अतिक्रमणग्रस्त है, तथा शासन द्वारा विद्यालयों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन उक्त विद्यालयों की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल कर अतिक्रमण से सुरक्षित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** जी नहीं जिन शालाओं में नलकूप खनन में पर्याप्त पेयजल की मात्रा नहीं थी वहाँ पेयजल उपलब्ध नहीं हुआ है। अतः वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थानीय स्तर पर अस्थाई व्यवस्था की गई है। छात्र-छात्राएँ स्वैच्छा से अपने घरों से भी पानी लेकर आते हैं। विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत सभी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं में पेयजल की स्थायी व्यवस्था है। (ख) ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में हैंडपम्प स्थापना/खनन का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा

कराया जाता है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं के संबंध में उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के किसी भी हाई/हायर सेकेण्डरी शाला की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। शालाओं की भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल का प्रस्ताव वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

राजपत्रित श्रेणी के नर्सिंग संवर्ग की सीधी विभागीय भर्ती

191. (क्र. 5074) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत डी.पी.एच.एन.ओ. एवं प्राचार्य के कितने पद कहाँ-कहाँ पर कब से रिक्त हैं? जिलेवार रिक्त स्थान की जानकारी दें। (ख) क्या उक्त पदों की पूर्ति हेतु नर्सिंग कैडर (राजपत्रित श्रेणी) से सीधी भर्ती हेतु विभागीय पद स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो कितने पद कहाँ-कहाँ पर कब से स्वीकृत हैं तथा उक्त स्वीकृत पदों की पदपूर्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? (ग) उक्त पदों पर सीधी भर्ती कब-कब की गई थी? रिक्त शेष पदों पर सीधी भर्ती कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डी.पी.एच.एन. एवं प्राचार्य के वर्तमान में रिक्त पद की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा 11 नवीन जी.एस.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में 11 प्राचार्य के पद स्वीकृत किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्र.एफ. 2-33 /2006/17/मेडी. 1 दिनाँक 26.2.2014 के द्वारा 38 सिस्टर ट्यूटर का डी.पी.एच.एन.ओ. के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार** शेष परिभ्रमण में रखे गये कर्मचारियों की पदोन्नति कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है। (ख) जी हाँ। राजपपत्रित श्रेणी से सीधी भर्ती हेतु 25 प्रतिशत विभागीय पद आरक्षति रखे गये है। इन पदों पर नियुक्ति रिक्त पदों के अनुसार की जाती है। सीधी भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) डी.पी.एच.एन.ओ. के पद पर सीधी भर्ती वर्ष 1986,2004 एवं 2009 में की गई थी। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है।

इंदौर संभाग अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती

192. (क्र. 5089) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 से वर्तमान तक इंदौर संभाग में किन-किन पदों पर किस स्तर के कर्मचारियों की भर्तियां की गई हैं तथा उनकी क्या योग्यताएं निर्धारित थी? (ख) क्या बड़वानी जिले में 2012-13 एवं 13-14 में ए.एन.एम. एवं फार्मासिस्ट की कोई भर्तियां हुई हैं? यदि हाँ, तो विज्ञापन कब जारी हुआ? योग्यताएं क्या निर्धारित हैं? इन भर्तियों हेतु कितने आवेदकों ने आवेदन किया था? नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश क्रमांक / दिनाँक बतायें? (ग) क्या इन नियुक्तियों में रोस्टर अनुसार भर्तियां की जाना था? क्या उक्त नियुक्तियों में रोस्टर का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अ.ज.जा. के अभ्यार्थियों के स्थान पर पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को अलग-अलग आदेश दे दिए हैं? यदि हाँ, तो क्या यह सही है और यदि गलत है, तो

इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जिन अधिकारियों ने नियम विरूद्ध कार्य किया है, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रोगी कल्याण समितियों द्वारा भ्रष्टाचार

193. (क्र. 5090) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में संचालित किस स्तर तक के अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियां गठित हैं एवं इनमें कौन-कौन सदस्य किसकी अनुशंसा से मनोनीत होते हैं? क्या बड़वानी जिले में भी इस प्रकार की समितियां गठित हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ हैं और यदि नहीं हैं, तो किस आदेश से इन्हें समाप्त किया गया है? (ख) रोगी कल्याण समितियों के नाम से मरीजों से कितना शुल्क प्रति मरीज लिया जाता है? बड़वानी जिले में विगत तीन वर्षों में संचालित प्रत्येक रोगी कल्याण समिति में कितनी राशि समितियों को प्राप्त हुई? अलग-अलग बतावें? (ग) क्या समितियो द्वारा एकत्रित राशि का कोई उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या तथा उक्त राशि व्यय करने की अनुमति किससे लेने का प्रावधान है? क्या खेतिया पानसेमल, निवाली एवं पलसूद की रोगी कल्याण समितियों द्वारा कोई निर्माण कार्य या अन्य उपयोग उक्त राशि से किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या व कब तथा किनकी अनुमति से किया? क्या रोगी कल्याण समितियों में क्षेत्रीय विधायक की कोई भूमिका है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र की रोगी कल्याण समितियों ने आज तक मा. सदस्य को कोई जानकारी दी है? यदि हाँ, तो कब व क्या और नहीं, तो क्यों नहीं? जिम्मेदार कौन है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश में जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी कल्याण समितियां गठित की गई है। रोगी कल्याण समिति की जारी नियमावली के अनुसार सदस्य मनोनीत होते हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। जी हाँ। बडवानी जिले में रोगी कल्याण समितियों के गठन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिला बडवानी में रोगी कल्याण समितियों के नाम से ओपीडी मरीजों से रूपये 2 से रूपये 5 एवं अन्तः रोगी विभाग में रूपये 20 प्रति रोगी शुल्क लिया जाता है। उपरोक्त शुल्क में शासन के नियमानुसार गर्भवती महिलाओं, दीनदयाल कार्डधारी, गरीबी रेखा कार्ड धारी आदि को शुल्क से मुक्त रखा गया है। विगत 03 वर्षों में संस्थावार प्राप्त आय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स''** अनुसार है। (ग) जी हाँ। समितियों द्वारा एकत्रित राशि का उपयोग मरीजों के हितार्थ एंव कल्याणकारी कार्यो पर कार्यकारी समिति के अनुमोदन पश्चात् राशि का व्यय किया जाता है। निवाली, पलसुद, पानसेमल मे विगत वर्षों मे कोई नवीन निर्माण कार्य नहीं किया गया है। किन्तु अन्य व्यय स्टेशनरी शुल्क, रसीद बुक, जल विघुत व्यवस्था तथा जिला मुख्यालय से दवा लाने हेतु वाहन का भाड़ा भुगतान एवं अस्पताल की बेडशीट अन्य कपडों की धुलाई आदि पर तथा अतिआवश्यक होने पर मरीजों हेतु बाजार से दवा क्रय करने पर उक्त राशि व्यय की गई। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखानुसार मरीजों के हितार्थ कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अनुमति उपरान्त व्यय किया गया। रोगी कल्याण समितियों में क्षेत्रीय विधायक महोदय

की भूमिका जिला.चिकित्सालय की रोगी कल्याण समिति पर सदस्य के रूप में एंव खण्ड स्तरीय साधारण सभा में अध्यक्ष महोदय के पद पर मुख्य भूमिका होती है। जी नहीं। इसके लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार है।

उज्जैन जिले में दवा खरीदी में अनियमितता

194. (क्र. 5105) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन C.M.H.O. रहे डा.अशोक यादव को जिस खरीदी के सिलसिले में निलंबित किया गया? उसकी पूरी जानकारी देवें? सप्लाई फर्म का नाम, फर्म के बिल सहित देवें? इस फर्म पर कब तक प्रतिबंध लगाया जाएगा? (ख) उज्जैन जिले की दि. 01.01.12 से 20.01.15 तक क्रय की दवाइयों को सूची, सप्लाई फर्म नाम, उनका बिल, Payment व्हाउचर्स का विवरण देवे? (ग) इन सप्लाई में मनमानी कर अपने लोगों को सप्लाई कार्य देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगी? यह भी बताएं कि उपरोक्त सप्लाई में कितनी दवाएं किस राशि की अमानक स्तर की निकली? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार अमानक दवा सप्लाई करने वाली फर्मों/कंपनियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

भृत्यों का नियमीतिकरण

195. (क्र. 5110) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग में सन् 1998-99 में नियुक्त संविदा शिक्षा कर्मियों को स्वीकृत पदों पर नियमितीकरण किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उसी प्रकार शिक्षा विभाग में सन् 1998-99 में नियुक्त अंशकालीन भृत्यों को स्वीकृत पदों पर नियमितीकरण क्यों नहीं किया गया? (ख) क्या शिक्षा विभाग में सन् 1998-99 से नियुक्त अंशकालीन भृत्यों को नियमित करने के आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो अंशकालीन भृत्यों को कब तक नियमित किया जायेगा? (ग) यदि नहीं तो इस प्रकार नियुक्त कर्मचारी को नियमित पद पर स्थापना की शासन की क्या योजना है? उपरोक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारी भविष्य में किस प्रकार नियमित होंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शिक्षाकर्मी की नियुक्ति म.प्र. पंचायत/नगर पालिका परिषद शिक्षाकर्मी (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के अधीन स्वीकृत पदों पर की जाकर अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर संविलियन किया गया है। अंशकालीन कर्मचारियों के नियमितिकरण का प्रावधान नियमों में नहीं है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) कोई योजना नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

योजनाओं में अनियमितता की शिकायत

196. (क्र. 5111) श्री संजय पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचालित हैं? पृथक-पृथक ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त योजनाओं के द्वारा किन-किन मापदण्डों को पूरा करने वाले ग्रामों एवं व्यक्तियों को कौन-कौन से

लाभ या कार्य कराये जा सकते हैं? (ग) प्रश्नाधीन जिले में बस्ती विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-2013 से योजना प्रारंभ से लेकर प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु कब-कब प्राप्त हुई? जनपद पंचायत क्षेत्रवार, वर्षवार, राशिवार ब्यौरा दें? (घ) प्रश्नांश (ग) कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं? (ड.) क्या उक्त योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से कटनी जिले के विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ तथा वहाँ के निवासरत लोगों को वंचित रखा गया? यदि हाँ, तो इस हेतु कौन दोषी हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में वर्णित अनुसार है।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।** (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' में वर्णित अनुसार है।** (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>**अध्ययन शुल्क की अनियमित वसूली**</u>

197. (क्र. 5112) श्री संजय पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के बरही तहसील में ग्राम गैरतलाई में स्थित कुटेश्वर लाईम स्टोन कंपनी का विकास हेतु निर्धारित क्षेत्र (कमान ऐरिया) कितने किलोमीटर परिधि का है तथा उक्त क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के किसान, मजदूर आदि के बच्चों को इस संस्था द्वारा संचालित स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है या नहीं? यदि है तो शासन द्वारा उक्त कंपनी के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है? (ख) क्या निर्धारित क्षेत्र के लोगों को शिक्षा चिकित्सा, पेयजल तथा रोजगार उपलब्ध कराने सहूलियत तथा रियायत देने हेतु भी उक्त अनुबंध में उल्लेख हुआ था? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी सहूलियत एवं रियायतें? पूर्ण ब्यौरा दें। (ग) क्या प्रश्नाधीन कंपनी द्वारा संचालित स्कूल में छात्र,छात्राओं की पूर्व में निर्धारित अध्ययन शुल्क से आज की स्थिति में इस संस्था के प्राचार्य द्वारा चार गुना फीस 220 की जगह 820 वसूली जा रही है? जबकि यह फीस इस कंपनी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों से नहीं ली जा रही? बच्चों की फीस में भी मैनेजमेंट द्वारा दोहरी नीति क्यों अपनाई गई? स्पष्ट कारण बतायें। (घ) क्या प्रदेश सरकार के द्वारा उक्त कंपनी के अधिकारी द्वारा की जा रहीं मनमानी की जाँच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराते हुये क्षेत्रीय गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों मिलने वाली सुविधायें बहाल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी?यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**शासकीय पाठ्यक्रम में जीवन परिचय शामिल किया जाना**</u>

198. (क्र. 5136) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के शालेय पाठ्यक्रम में जीवन परिचय सम्मिलित करने हेतु कितने प्रस्ताव कब से लंबित है? वे प्रस्ताव किस-किस के संबंध में है, विस्तृत विवरण दें? वर्ष 2012 से अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं? (ख) प्रस्तावों के लंबित रहने का क्या कारण हैं, कब तक उन प्रस्तावों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा? (ग) क्या म.प्र. में लेखक मंडल का गठन कर लिया गया है, यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं तो विलंब का क्या कारण हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रस्ताव लंबित नहीं हैं। प्राप्त प्रस्तावों का अद्यतन **विवरण संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ख) प्राप्त प्रस्तावों को म.प्र. पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति की बैठकों के निर्णयानुसार प्रकरण आगामी पाठ्य पुस्तक लेखन के समय लेखक समूह के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है। समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान विहित नहीं है। अत: शेषांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

बालक/बालिका छात्रावासों की स्थिति

199. (क्र. 5141) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कहाँ-कहाँ विभाग द्वारा बालक-बालिका आवासीय छात्रावास संचालित हैं? इन छात्रावासों में वर्तमान में छात्र संख्या बतावें? (ख) उक्त छात्रावास क्या शासकीय भवन में संचालित है अथवा किराये के भवन में? शासकीय भवन निर्माण/विस्तार की क्या योजना है? (ग) उक्त छात्रावासों में विगत दो वर्षों में किस-किस सामग्री का क्रय किन एजेंसियों से किन मापदण्डों के आधार पर क्रय किया गया? नियमों का पालन न होने के क्या कारण है? (घ) उक्त छात्रावासों का विगत दो वर्ष में कब-कब, किस-किस के द्वारा निरीक्षण किया गया? क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में आदिवासी विभाग के 02 बालक छात्रावास एवं 01 आश्रम शाला संचालित है। इन छात्रावासों/आश्रमों में वर्तमान में 130 छात्र हैं। (ख) मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आदिवासी मद के 02 बालक छात्रावासों में से 01 छात्रावास शासकीय भवन में तथा 01 छात्रावास किराये के भवन में संचालित है एवं 01 आश्रम शासकीय भवन में संचालित है। आदिवासी बालक छात्रावास अमदरा के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2013-14 में प्राप्त हुई है, भवन निर्माणाधीन है। (ग) उक्त छात्रावासों में विगत दो वर्षों में **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** सामग्री एजेन्सियों से शासन मापदण्डों, भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत क्रय की गई है। सामग्री क्रय में नियमों का पालन किया गया है। (घ) उक्त छात्रावासों का विगत दो वर्ष में **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -''ब'' अनुसार** अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। आदिवासी बालक आश्रम शाला, अजमाईन का जिला संयोजक द्वारा 20/12/2014 को निरीक्षण किया गया। जिसमें आश्रम शाला संचालन एवं अभिलेखों का संधारण नहीं करने तथा वित्तीय अनियमितताएं पाये जाने से सम्बन्धित को निलम्बित किया गया। अन्य किसी भी छात्रावास में गम्भीर आरोप एवं अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

दूषित एवं मिलावट खाद्य सामग्री

200. (क्र. 5220) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर शहर में ऐसे कितने संस्थान है, जो खाद्य सामग्री का विक्रय करते है अथवा निर्माण करते है? वर्गवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन संस्थानों की जाँच करने हेतु विभाग में कितने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदस्थ है इनके द्वारा प्रतिदिन कितने संस्थानों की जाँच की जाती है? (ग) विभाग द्वारा बाजार मे बिकने वाले दूषित एवं

खुले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु क्या प्रयास किये गये है? विगत एक वर्ष में कितनी संस्थानों की जाँच की जाकर प्रकरण दर्ज किये गये है? (घ) क्या वर्तमान में खाद्य सामग्री में मिलावट किये जाने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है? (ड.) यदि हाँ, तो विगत एक वर्ष में ऐसे कितने संस्थानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये है जो खाद्य सामग्री में मिलावट करते पाये गये है? ऐसी संस्थानों के नाम बताईये? (च) इन संस्थानों के विरूद्ध किन-किन धाराओं में कार्यवाही की जाकर कितना राजस्व वसूल किया गया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

1. (क्र. 176) श्री मोती कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा जारी विज्ञापन दिनाँक 25.01.2012 में किन्हीं स्थानों में उपस्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में वि.स.क्षे. बड़वारा के किन विकासखण्ड़ों के किन ग्रामों के उपस्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) हेतु किनकी निविदायें कब स्वीकृत की गई हैं और उन्हें कब कार्यादेश प्रदान किये गये हैं और अनुबंध में निर्माण की पूर्णता की कोई अवधि सुनिश्चित की गई हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) निर्माण किसके द्वारा कब प्रारंभ कर पूर्ण किया गया है और स्वास्थ्य सेवायें कब से प्रारंभ कर दी गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) प्रश्न भाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फीस की जानकारी

2. (क्र. 602) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति विभाग के द्वारा ग्वालियर/जबलपुर एवं सतना जिलों में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान किस-किस निजी महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति/फीस दी गई? (ख) अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति विभाग के द्वारा 12वीं कक्षा के बाद किस-किस प्रकार के कोर्स (इंजीनियरिंग/मेंडीकल/नर्सिंग/बी एड/एम बी ए/बी ए/एम ए/अन्य प्रकार के) करने वाले अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के छात्र-छात्राओं को किस-किस प्रकार की छात्रवृत्ति/फीस कितनी-कितनी दी जाती है? (ग) क्या अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति में आने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/फीस में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कमी की गई है? अगर हाँ तो किस कारण से? जारी हुये आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराये?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ए" "बी" एवं "सी" तथा "एक" से "नौ"अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "डी" "ई" एवं "एफ" तथा "एक" से "नौ" में वर्णित अनुसार है।** (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय अस्पतालों में निशुल्क दवाओं का वितरण

3. (क्र. 659) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन की योजना अनुसार शासकीय अस्पतालों में आम जनता को नि:शुल्क दवायें उपलब्ध कराई जाती हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी दवाये नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क दवाईयां खत्म हो जाती है, तो कितने दिनों में शासन द्वारा उन दवाओं की पूर्ति अस्पतालों को करा दी जाती है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। शासकीय अस्पतालों में प्रदाय की जाने वाली एसेसियल ड्रग जो निर्धारित की गई है, अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जिसकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) राज्य स्तर से दवा तीन माह के अग्रिम भण्डार क्रय कर रखे जाने के निर्देश दिये गये है। ताकि योजनान्तर्गत दवाओं की पूर्ति निरन्तर बनी रहे। यदि किसी संस्था में औषधियाँ समाप्त हो जाती है तो संस्था प्रभारी अधिकारी स्थानीय स्तर पर निविदा के माध्यम से निर्धारित दर पर आवश्यकतानुसार दवाओं का क्रय कर प्रतिपूर्ति करता है।

गणवेश की वितरण राशि में अनियमितता

4. (क्र. 660) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत शासन के आदेश क्रं. एफ/27-46/2014/2-2, भोपाल, दिनाँक 17.06.2014 अनुसार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागी खिलाड़ियों को गणवेश हेतु प्रति खिलाड़ी 500/- की दर निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि, इन्दौर संभाग में आदेशानुसार प्रति खिलाड़ी निर्धारित राशि से कम राशि जारी की गई है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें? (ख) प्रश्न (क) अनुसार यदि प्रति खिलाड़ी हेतु निर्धारित राशि जारी नहीं की गई है तो, शेष राशि का किस मद में उपयोग किया गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। गणवेश क्रय करने हेतु खुली निविदा के आधार पर क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर, अच्छी गुणवत्ता तथा खिलाडियों की माप अनुसार गणवेश न्यूनतम दर रू0 458.60/- पर उपलब्ध/क्रय करने का निर्णय लिया गया तथा विक्रेता फर्म से निगोशिएशन करते हुए रू0 365.60/- की दर से गणवेश किट का भुगतान किया गया। (ख) वर्ष 2014-15 में आयोजित होने वाली समस्त राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में संभागीय दल के खिलाडियों को सम्मिलित कराने हेतु गणवेश (किट), भोजन व्यवस्था तथा रेल आरक्षण आदि के लिए प्राप्त आवंटन रूपये 9.60/- (नौ लाख साठ हजार रूपये मात्र) में से खिलाडियों के गणवेश किट हेतु राशि रू. 370280/- का भुगतान किया गया शेष राशि का उपयोग रेल आरक्षण, भोजन आदि हेतु किया गया।

शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवार को उपचार हेतु आर्थिक सहायता

5. (क्र. 663) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के उपचार कराने हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है? यदि हाँ, तो शासकीय कर्मचारी के परिवार में किस-किस सदस्य को इस सुविधा का लाभ मिलता है व कौन-कौन सी बीमारियों के उपचार हेतु शासन द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है, स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विगत पॉच वर्षो में इंदौर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय कर्मचारियों को स्वीकृत आर्थिक सहायता की वर्षवार सूची उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विभाग के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है, अपितु म.प्र. चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम 1958 के अंतर्गत चिकित्सा उपचार कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति बजट सीमा के अंतर्गत की जाती हैं। (ख) उत्तरांश क के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मानसिक चिकित्सालय की स्वीकृति

6. (क्र. 970) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के मानसिक चिकित्सालय की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? (ग) प्रदेश में मानसिक चिकित्सालयों की कार्य क्षमता, उपचार सुविधा, बजट की जिलेवार व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

म.प्र. में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों के संबंध में

7. (क्र. 1148) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों नर्स, विशेषज्ञों तथा टेक्नीशियन आदि अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत है कितने भरे है, तथा कितने खाली है तथा रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत दो वर्ष में केन्द्र से अब तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि ग्वालियर संभाग को प्राप्त हुई, तथा प्रतिवर्ष किस-किस जिले को कितनी धनराशि का आवंटन व खर्च हुआ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजीव गांधी शिक्षा मिशन में केन्द्र से प्राप्त धनराशि

8. (क्र. 1151) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी शिक्षा मिशन में केन्द्र से वर्ष 2014-15 में अब तक कितनी धनराशि प्रदेश में आई व जिलेवार कितना आवंटन हुआ तथा इसमें कितने कर्मचारी प्रत्येक जिले में कार्यरत है? व मिशन का कार्य पूरा होने पर उनका क्या उपयोग होगा? (ख) क्या माध्यमिक शालाओं के लिए भी इसी प्रकार की कोई योजना आई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण देवे? (ग) संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, गुरूजी आदि कितने प्रकार के शिक्षक स्कूलों में कार्यरत हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ", "ब" एवं "स" अनुसार है।** सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत पद परियोजना के पद है। इन पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) प्रश्न भाग (क) अनुसार योजना में प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित है।अतः शेषाशं का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सहायत शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला, सहायक अध्यापक, अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी -3, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी -2, गुरूजी, अतिथि शिक्षक वर्ग-3 एवं अतिथि शिक्षक वर्ग-2 कार्यरत है।

श्रम विभाग द्वारा दुकानों के पंजीयन एवं कुटीरों का प्रदाय

9. (क्र. 1612) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में श्रम विभाग द्वारा कितनी दुकानों का पंजीयन हैं? (ख) यह भी बतायें कि दमोह जिले में श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक कितनी कुटीरें बीड़ी मजदूरों व अन्य

मजदूरों को प्रदाय की गई है? (ग) क्या विभाग द्वारा प्रदत्त कुटीरें संबंधित बीड़ी श्रमिक/श्रमिक के पास तक पहुंची? यदि हाँ, तो निर्मित कुटीरों का मूल्यांकन किस अधिकारी द्वारा किया गया? (घ) क्या उक्त कुटीर निर्माण में भारी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं? यदि हाँ, तो जाँच समिति बनाकर जाँच करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने व दोषियों पर कार्यवाही भी कराना सुनिश्चित करेंगे?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) दमोह जिले में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अभी तक 5905 दुकानों का पंजीयन किया गया है। (ख) दमोह जिले में श्रम विभाग मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक कोई भी कुटीरें प्रदान नहीं की गई है। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

10. (क्र. 1713) श्री प्रताप सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से दसवीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? (ख) दमोह जिले में अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक/ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कितनी राशि का भुगतान वर्ष, 12-13 से प्रश्न दिनाँक तक किया गया है, शालावार एवं छात्रवार बतलावें? (ग) क्या यह सत्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी शासनादेश समय पर संबंधित शालाओं के प्राचार्य एवं हेडमास्टर को प्राप्त नहीं हुए हैं? यदि हाँ, तो इस अनियमितता के लिए राज्य स्तर/जिलास्तर पर कौन दोषी है? ऐसे कितने छात्र/छात्राएं, जो उक्त अनियमितता के फलस्वरूप छात्रवृत्ति प्राप्ति से वंचित हुए हैं, उनकी संख्या शालावार बतलावें? यदि नहीं, तो प्राप्त किये गये अथवा ऑनलाईन जमा हुए आवेदन फार्म की संख्या शालावार बतलावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। (ख) जिला दमोह अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वर्षवार जानकारी इस प्रकार है-

क्र.	वर्ष	विवरण	छात्र संख्या	राशि (रू.में)
1.	2012-13	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1195	15,64,290
2.	2012-13	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	174	7,97,927
3.	2013-14	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1265	16,47,591
4.	2013-14	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	183	8,83,504

शालावार एवं छात्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है।वर्ष 2014-15 की राशि के वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) यह सही नहीं है। राज्य एवं स्थानीय स्तर से समाचार पत्रों व कार्यालयीन पत्राचार के माध्यम से समय-समय पर जिले की शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को सूचना दी जाती है। वर्ष 2014-15 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत

32 शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत 617 छात्र/छात्राओं द्वारा ऑन-लाईन फार्म भरे गये है। शिक्षण संस्थाओं की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

शास. शालाओं में कार्यरत एवं रिक्त पद

11. (क्र. 1744) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्राचार्य/व्याख्याता/ प्रधानाध्यापक/ उच्च श्रेणी शिक्षक/ सहायक. शिक्षक/ वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक/ संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 व 3 कुल कितने पद स्वीकृत/ कार्यरत/ रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों की पुर्ति कब तक की जायेगी? (ग) अतिशेष शिक्षकों की जानकारी दी जायें? (घ) शिक्षको की युक्तियुक्तकरण के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर।** (ख) पदोन्नत पदों की पदपूर्ति पदोन्नति से एवं सीधी भर्ती के पदों की पदपूर्ति संविदा शिक्षक की भर्ती के माध्यम से की जायेगी। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार।** (घ) विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 1-42/2014/20-1, दिनाँक 08.09.2014 द्वारा शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थापना किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। यह एक सतत् प्रक्रिया है एवं प्रचलन में है।

परिशिष्ट – "उनतालीस"

ई.जी.एस. गुरूजियों एवं पर्यवेक्षक के संबंध में

12. (क्र. 1745) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा पूर्व में संचालित ई.जी.एस केन्द्रों में वर्तमान तक कार्यरत पर्यवेक्षक/ गुरूजियों को तथा औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में दिनाँक 31 मार्च, 2000 तक कार्यरत रहे पर्यवेक्षकों एवं अनुदेशकों को व्यापम परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण होने पर संविदा शिक्षक वर्ग-3 बनाये जाने का निर्णय लिया गया था? (ख) शासन द्वारा उक्त ई.जी.एस केन्द्रों के पर्यवेक्षक/गुरूजियों को संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति दिये जाने पर किस तिथि से कितना मानदेय का भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये थे? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राजगढ़ जिले में वर्ष, 2008 में व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण होने पर क्या संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति दिये जाने पर किसी प्रकार का एरियर की राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये थे? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राजगढ़ जिले में पर्यवेक्षक/ गुरूजियों को बनाये गये संविदा शिक्षक वर्ग-3 को वर्तमान में प्रश्न दिनाँक तक कितना मानदेय दिया जा रहा है? इन्हें क्या किसी प्रकार के एरियर की राशि का भुगतान भी किया गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति दिनाँक से मानदेय की राशि रू 5000/- प्रतिमाह। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' अनुसार।

शालाओं का उन्नयन

13. (क्र. 1980) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में कौन-कौन से प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला,

माध्यमिक शाला से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने के प्रस्ताव है? सूची उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) शालाओं का उन्नयन कब तक कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2014-15 में प्रावधानित सभी 50 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल एवं 100 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन आदेश जारी किये जा चुके है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। वर्ष 2015-16 में बजट प्रावधान अनुसार जिलों से प्रस्ताव मंगाए जा रहे है। समस्त जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विस्तृत परीक्षण किया जावेगा। (ख) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन

14. (क्र. 1984) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में दिनाँक 13.05.2012 को कुण्डम प्रवास पर मुख्यमंत्री द्वारा विकास खण्ड कुण्डम को आदिवासी विकास खण्ड बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाने की घोषणा की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) घोषणा अनुरूप प्रस्ताव केन्द्र सरकार को कब भेजा गया? प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करायें? यह भी बतायें कि प्रस्ताव अनुसार विकास खण्ड कुण्डम को आदिवासी विकास खण्ड कब तक बना दिया जायेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) दिनाँक 09/08/2012 द्वारा भारत सरकार, जनजातीय मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को प्रेषित प्रस्ताव की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। मंत्रालय आदिवासी विकासखण्डों को घोषित/पहचान नहीं करने के आधार पर प्रस्ताव अमान्य किया गया है।

आरोन, जिला गुना में गुरूजी के पद पर फ्रेश सिलेक्शन

15. (क्र. 2039) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि ई.जी.एस. शाला साजीपुर, ग्राम पंचायत टंक परोरिया विकासखण्ड आरोन, जिला गुना में उच्च न्यायालय में प्र.क्र. 4834/5 (एस) में नियमानुसार गुरूजी पद पर फ्रेश सिलेक्शन के निर्देश दिऐ थे, तथा नियमानुसार नियुक्ति होने तक यथा स्थिति निर्मित की गयी थी? (ख) क्या यह सत्य है कि ई.जी.एस. गुरूजी की नियुक्ति हेतु ग्रामसभा का प्रस्ताव जिला ई.जी.एस. समिति द्वारा अनुमोदन के उपरांत ही नियुक्ति की जाती है? (ग) क्या यह भी सत्य है कि श्री वीरसिंह, पुत्र आनन्दा बंजारा अतिथि शिक्षक वर्ष, 2008-09 में रहा है, तथा मानदेय पत्रक श्री अतिथि शिक्षक का ही बनाया गया? क्या प्रस्ताव भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति का ही था? (घ) क्या यह भी सत्य है कि श्री वीरसिंह बंजारे का ग्राम सभा का ई.जी.एस. गुरूजी के पद हेतु प्रस्ताव जिला ई.जी.एस. समिति ने मान्य किया? (ड.) क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नांश (क) से (ग) में वर्णित व्यक्ति द्वारा ग्रामसभा का प्रस्ताव जिला ई.जी.एस. समिति से अनुमोदित न होने पर उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 5823/07 दायर की थी? (च) क्या यह भी सत्य है कि याचिका क्र. 5823/07 के उत्तर में कलेक्टर एवं डीपीसी गुना द्वारा नियुक्ति किये जाने से मना किया था एवं फरवरी, 2008 में याचिका खारिज कर दी गयी थी? (छ) यदि प्रश्नांश (क) से (च) तक हाँ, तो किस आधार पर श्री वीरसिंह बंजारे को गुरूजी पद का वेतन लगभग 77033 का भुगतान किया गया है? इस गलत भुगतान के लिऐ जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) जी नहीं। (ड.) जी हाँ। (च) गुरूजी के नियुक्ति के समय में वस्तुस्थिति माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को प्रस्तुत की गई थी। फरवरी 2008 में याचिका खारिज होना सही नहीं है, किन्तु उक्त याचिका के विरूद्ध आवेदक द्वारा डबल बैंच में याचिका प्रस्तुत की गई थी। (छ) उत्तरांश क, ख, ग, घ, ड एवं च अनुसार है। श्री वीर सिंह बंजारा को गुरूजी के पद पर किये गये कार्य दिवसों का नियमानुसार भुगतान किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही नहीं है।

भवन विहीन हाई स्कूल

16. (क्र. 2063) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं देवास जिले के किन-किन हाईस्कूल तथा हायर सैकेण्ड्री स्कूल के पास स्वयं के भवन नहीं हैं तथा क्यों? विभाग ने भवन निर्माण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की? (ख) उक्त जिलों के विद्यालयों में प्राचार्य सहित विभिन्न श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं कौन-कौन से पद कब से क्यों रिक्त हैं क्या उक्त सभी रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई? यदि हाँ, तो क्यों कारण बतायें? (ग) रायसेन एवं देवास जिले के किन-किन हाईस्कूल/हायरसेकण्ड्री में छात्र-शिक्षक अनुपात में पर्याप्त स्थान, पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय उपलब्ध नहीं है तथा क्यों कारण बतायें? (घ) प्रश्नांश (ग) की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की पूर्ण विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) देवास जिले में 7 शासकीय हायर सेकेण्डरी एवं 17 हाईस्कूलों के स्वयं के भवन न होने के कारण शासकीय माध्यमिक विद्यालय एवं अतिरिक्त कक्षों में संचालित किये जा रहे हैं। रायसेन जिले में 12 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं 36 शासकीय हाईस्कूल स्वयं के भवन न होने के कारण शासकीय माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक शाला एवं अतिरिक्त कक्षों में संचालित किए जा रहे हैं। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' पर** है। सीमित बजट प्रावधान होने से इन शालाओं में भवन निर्माण की कार्यवाही संभव नहीं हो पाई है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार है।** उक्त पद सेवानिवृत्ति/ पदोन्नति/ स्थानांतरण आदि के कारण रिक्त हैं। उक्त सभी रिक्त पदों में से कुछ शालाओं में योग्यताधारी अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से नहीं रखे जा सके। (ग) देवास एवं रायसेन जिले में हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में पर्याप्त स्थान, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

17. (क्र. 2064) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए विभाग द्वारा फरवरी 2015 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार रायसेन एवं देवास जिले के विद्यालयों में शिक्षक/अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु क्या-क्या कार्यवाही की तथा किन-किन विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? (ग) उक्त जिलों में किन-किन विद्यालयों में शौचालय क्षतिग्रस्त/उपलब्ध नहीं है? तथा पेयजल की व्यवस्था कहाँ-कहाँ नहीं है? इस हेतु शासन ने क्या-क्या प्रयास-कार्यवाही की? (घ) किन-किन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बैठने के लिए भवन तथा टाट फट्टी नहीं है? इस हेतु विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार**। (ख) रायसेन एवं देवास जिले में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था हेतु वर्ष 2013-14 में संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती की गई तथा जिन विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसार अधिक शिक्षक पदस्थ थे, उनका युक्तियुक्तकरण कर एवं अतिथि शिक्षकों के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति की गई। रायसेन तथा देवास जिले में जिन शालाओं में रिक्त पदों पर अनुपलब्धता के कारण अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो सकी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब के अनुसार**। (ग) जिला रायसेन के विद्यालयों में क्षतिग्रस्त/उपलब्ध नहीं शौचालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (अ) एवं 1 (ब)** पर है तथा पेयजल की व्यवस्था सभी शालाओं में संधारित है। अतः जानकारी निरंक है। जिला देवास के विद्यालयों की क्षतिग्रस्त/उपलब्ध नहीं शौचालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 (अ) एवं 2 (ब)** पर है तथा पेयजल की व्यवस्था विहीन विद्यालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 (स) एवं 2 (द) पर** है। उक्त जिलों में सभी शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला रायसेन के समस्त शालाओं में बैठने के लिए भवन एवं टाटपट्टी उपलबध है। जिला देवास जिले के जिन शालाओं में बैठने के लिए शासकीय शाला भवन नहीं है की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार**। टाटपट्टी सभी शालाओं में उपलब्ध है।

स्कूल शिक्षा विभाग में AEO की नियुक्ति

18. (क्र. 2085) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऐरिया एजूकेशन आफीसर (AEO) हेतु कितने आवेदकों ने आवेदन किया? कितनों ने अर्हता अंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की? (ख) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा के उपरांत उत्तीर्ण आवेदकों को परीक्षा के अंक न बताकर सिर्फ नेट पर सूची उपलब्ध कराई गई? यदि हाँ, तो अंक न बताने के क्या कारण थे? (ग) क्या यह सही है कि (AEO) के उत्तीर्ण कर्मचारी संविदा न होकर स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी होंगे? (घ) प्रदेश में AEO भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विभाग के निर्देश अनुसार कुल 2973 पदों पर मध्यप्रदेश ऑन लाईन द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें 24,287 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में बैठने के लिये ऑनलाईन आवेदन किया था। जिनमें से 22,834 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुये एवं 19,860 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में अर्हता प्राप्त की गई। (ख) जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में। अभ्यर्थियों के अनुभव सम्बन्धी व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की ऑन लाईन प्रविष्टि, परीक्षण एवं सत्यापन प्रक्रिया न होने के कारण। (ग) जी हाँ। (घ) प्रक्रिया प्रचलन में है। समय सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

शहडोल नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत विभाग की स्वयं की भूमि

19. (क्र. 2194) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किक्या शहडोल नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत आयुष विभाग, विक्रय कर विभाग, आबकारी विभाग की स्वयं की भूमि है? यदि हाँ, तो उसका खसरा नंबर तथा रकवा कितना-कितना है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : जी हाँ। शहडोल नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत आयुष विभाग की भूमि है खसरा नं. 14 एवं रकवा 1.02 एकड है। वाणिज्यिक कर एवं आबकारी विभाग से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**।

परिशिष्ट – "चालीस"

बैगा जाति की नियुक्ति निरस्त की जाना

20. (क्र. 2245) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) के आदेश क्रं./स्था.अवि./2013/3506, दिनाँक 17-4-2013, क्रं./स्था./अवि./2013/2654, दिनाँक 12-3-2013 एवं क्रं./स्था.अवि./2013/2367, दिनाँक 28-2-2013 के द्वारा आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध अन्तर्गत बैगा जनजातियों के उम्मीदवारों विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था? (ख) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा उपरोक्त खण्ड (क) में नियुक्त कर्मचारियों आदेश क्रं./मु.लि./2014/3946, दिनाँक 3-3-2014, क्रं./मु.लि./2014/3933, दिनाँक 3-3-2014 एवं क्रं./मु.लि./2014, दिनाँक 3-3-2014 के द्वारा नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया था, यदि हाँ, तो जिन कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त की गयी थी, उन कर्मचारी से 20-24 जनवरी 2015 तक काम किस आधार पर लिया गया है, तथा कुछ कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अक्टूबर 2014, तथा कुछ कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नवम्बर 2014 तक का किया गया है, क्यों? (ग) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा आदेश क्रं./स्था./2015/618, दिनाँक 13-01-2015, क्रं. स्था./2015/591, दिनाँक 13-01-2015 तथा क्रं./604 दिनाँक 13-1-2015 के द्वारा पुन: खण्ड (ख) में नियुक्ति निरस्ती आदेश के बाद नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है? यदि हाँ, तो जब दिनाँक 3-3-2014 को नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया था, तो पुन: आदेश जारी करने का क्या औचित्य था? (घ) क्या उपरोक्त समस्त मामले की उच्च स्तरीय जाँच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी, जिससे इस तरह की गड़बड़ी भविष्य में न हो सके?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्वास्थ्य आयुक्त संचालननालय स्वास्थ्य म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/4/शिका./सेल-1/2014/4082 दिनाँक 22.11.2014 के द्वारा वर्ष 2013 में अवैधानिक नियुक्त कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर वास्तविक कार्य अवधि का वेतन भुगतान करते हुये नियुक्तियॉ निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शहडोल के पत्र दिनाँक 26.12.2014 के द्वारा समस्त कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये एवं संबंधित कर्मचारियों के कार्य अवधि के वेतन का भुगतान करने के पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल के आदेश दिनाँक 13.01.2015 द्वारा संबंधित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश निरस्त किये गये। (घ) उपरोक्त मामले में शिकायत होने पर कलेक्टर शहडोल द्वारा शिकायत की जाँच कराने के पश्चात अवैधानिक नियुक्तियॉ पाये जाने पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल (डॉ. उमेश नामदेव) के विरूद्ध संभागायुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई है।

सिविल हॉंस्पीटल डबरा में स्वास्थ्य सेवाएं

21. (क्र. 2261) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर स्थित सिविल हॉस्पिटल डबरा में मेंडीकल ऑफिसर के कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी तथा डॉक्टर्स एवं कर्मचारी कौन-कौन, कहाँ से संलग्न हैं? सूची उपलब्ध करावें? (ख) सिविल हॉस्पिटल डबरा में डॉ. रानी सक्सेना, गायनेकॉलाजिस्ट, की जब से यहाँ पदस्थापना हुई है तब से आज तक कितने ऑपरेशन किये गये है, सीजर ऑपरेशन की व्यवस्था, डबरा अस्पताल में है तो ग्वालियर मरीजों को क्यों भेजा जाता है? डॉ. रानी सक्सेना, के उपस्थिति उपरांत भी डॉ. अमित सक्सेना एव डॉ. शालिनी शर्मा, द्वारा प्लांट ऑपरेशन क्यों किये गये है? (ग) परिवार नियोजन ऑपरेशन कैम्प के लिये दूर-दराज से आये मरीजों के ऑपरेशन ग्वालियर से डॉक्टरों की टीम आने के बाद ही क्यों किये जाते है? जबकि डॉ. रानी सक्सेना, गायनेकॉलाजिस्ट की यहाँ नियुक्ति है, स्पष्ट करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सिविल अस्पताल डबरा में विशेषज्ञों के 02 तथा चिकित्सा अधिकारी का एक पद रिक्त है। विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। सि.अ. डबरा में किसी कर्मचारी को संलग्न नहीं किया गया है, कार्य सुविधा की दृष्टि से एक चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय पाठक, प्रा.स्वा.के. सालवई को उनके कार्य के अतिरिक्त डबरा में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी संलग्न नहीं है। (ख) डबरा में रीना सक्सैना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं, डॉ. रीना सक्सेना द्वारा 12 सीजेरियन ऑपरेशन किए गए हैं। सीजर ऑपरेशन डबरा में ही किए जाते है, सर्जन उपलब्ध नहीं होने के कारण जटिल सीजर को ही ग्वालियर रेफर किया जाता है। सिविल अस्पताल डबरा में मरीजों को सर्जरी में किसी प्रकार की जटिलता न हो इसलिए आवश्यकतानुसार डॉ. अमित सक्सैना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रसूति गृह बिरलानगर एवं डॉ. शालिनी शर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भितरवार का भी सहयोग लिया जाता है। (ग) डॉ. रीना सक्सैना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ की शैक्षणिक योग्यता डी.जी.ओ. (डिप्लोमाधारी) है, यद्यपि डॉ. रीना सक्सैना को एल.टी.टी. सर्जरी का पूर्व में प्रशिक्षण दिया है परंतु डॉ. रीना सक्सैना के पास 500 केस का अनुभव न होने के कारण, परिवार नियोजन ऑपरेशन कार्य हेतु मरीजो को उत्तम सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत् एवं शिविर में मरीजों की संख्या को देखते हुए ग्वालियर से दक्ष एल.टी.टी. सर्जन को भेजा जाता है। यह व्यवस्था जनहित में उचित है। डॉ. रीना सक्सैना, द्वारा नसबन्दी शिविर में सहयोग के साथ-साथ नियमित रूप से मरीजों एवं प्रसूताओं का विशेषज्ञीय उपचार, सुरक्षित गर्भपात, पी.पी.आई.यू.सी.डी. व कन्वेन्शनल नसबन्दी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। संबंधित डॉ. सक्सैना का 500 एल.टी.टी. केस का अनुभव पूर्ण होते ही उनके द्वारा स्वतन्त्र रूप से एल.टी.टी. ऑपरेशन कराये जावेंगे।

शासकीय अभिलेखों से चमार शब्द विलोपन विषयक

22. (क्र. 2374) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चमार शब्द का उपयोग प्रतिबंधित करने हेतु निर्देश दिये गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश शासन के द्वारा राजस्व अभिलेखों में इन्हें किस नाम से उल्लेखित किया जा रहा है? (ग) राज्य में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग शब्द का उपयोग

किया जाता है या नहीं? मन्दसौर जिले में किस शब्द का उपयोग किया जा रहा है? (घ) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन शासन द्वारा किया जा रहा है या नहीं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

झाबुआ में स्वीकृत निर्माण कार्य

23. (क्र. 2552) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला झाबुआ अंतर्गत वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक में कितने निर्माण कार्य, नवीन कार्य एवं मरम्मत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? उनकी स्वीकृति दिनाँक तथा स्थान और उसकी कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है? (ख) क्या उक्त निर्माण कार्य समय सीमा में प्रारंभ किये जाकर समय सीमा में पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने कार्य हैं, जो वर्तमान में लंबित हैं और उनके लंबित रहने का कारण क्या है? (ग) क्या समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले संबंधित ठेकेदार/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही गई की कार्यवाही की जानकारी दी जावे और लंबित कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। 20 निर्माण कार्य वर्तमान में लंबित हैं, जिनके लंबित रहने का कारण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में उल्लेखानुसार है। (ग) लंबित कार्य के संबंध में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में उल्लेखानुसार है।

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में प्राप्त आवंटन

24. (क्र. 2557) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास योजना एवं छात्रावास मरम्मत मद योजना के तहत वर्ष 2013-14 में कितना बजट/आवंटन प्राप्त हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्त आवंटन के तहत कौन-कौन से कार्य किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का किस-किस बस्ती में स्वीकृत किया गया कार्य स्वीकृति की दिनाँक राशि एवं तिथि सहित विवरण देवें? (ग) क्या यह सही है कि जिले में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत प्राप्त आवंटन से अन्य निर्माण कार्य करवाये गये है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य कितनी लागत के करवाये गये है क्या अनुसूचित जाति बस्ति विकास योजना में निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव लंबित है? (घ) अनूसूचित जाति/ जनजाति के प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन आवासीय छात्रावासों में मरम्मत कार्य करवाया गया तथा उस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना मद अन्तर्गत राशि रूपये 116.52 लाख तथा छात्रावास मतम्मत अन्तर्गत अनुरक्षण मद में राशि 11.57 लाख तथा सुदृडीकरण मद में राशि 90.00 लाख का तथा अनुसूचित जाति योजनान्तर्गत प्रश्नांश अवधि में 2.38 लाख का आवंटन प्रदान किया गया। छात्रावास मतम्तत मद में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) जी नहीं। कोई पगस्ताव सम्मिलित नहीं है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन का निर्माण

25. (क्र. 2587) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हैं? क्या यह चिकित्सालय शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं? और भवनविहीन चिकित्सालय कहाँ पर संचालित हो रहे हैं? (ख) क्या भवन विहीन आयुर्वेदिक चिकित्सालयें के भवन निर्माण कराये जायेंगे तो कब तक? (ग) प्रश्नांश: (क) में उल्लेखित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सक कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं? रिक्त चिकित्सकों के पद की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित नहीं हैं। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जननी एक्सप्रेस योजना में अनुबंधित वाहन

26. (क्र. 2759) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जनवरी 2014 से जननी एक्सप्रेस योजना अंतर्गत झाबुआ जिले में कितने वाहन अनुबंधित किये गये हैं? (ख) यदि अनुबंधित किये गये हैं, तो उक्त वाहनों पर प्रतिमाह कितने किराये का निर्धारण किया गया? यदि किराये का निर्धारण किया गया, तो अभी तक किराये एवं पी.ओ.एल. पर कुल कितना व्यय हुआ? मदवार बतावें? (ग) यदि शासन स्तर से प्रतिमाह किराए निर्धारण के कोई व्यय निर्देश प्राप्त हैं, तो उपलब्ध करावें? (घ) जननी एक्सप्रेस योजना अंतर्गत झाबुआ जिले में कितनी गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) झाबुआ जिले में जनवरी 2014 से कोई भी नया जननी एक्सप्रेस वाहन अनुबंधित नहीं किया गया है। इसके पूर्व से अनुबंधित 20 वाहन संचालित है। (ख) प्रश्नभाग (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) झाबुआ जिले में जनवरी-2014 से जनवरी-2015 तक कुल 29080 गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया है।

सामुदायिक वन अधिकार पत्र

27. (क्र. 2854) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को परिभाषित वन भूमि पर जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने की शासन स्तर पर प्रश्नांकित तिथि तक भी प्रक्रिया का निर्धारण कर आदेश एवं निर्देश जारी नहीं किए जा सके है? (ख) याचिका क्रमांक 202/95 में किस-किस मद में दर्ज जमीनों को वनभूमि परिभाषित किया गया इन मदों में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग किस जिले में कितनी भूमि होना वर्ष 2008 में प्रतिवेदित कर चुका है? (ग) राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों में से न्यायालय द्वारा परिभाषित कर दी गई वन भूमि पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने हेतु शासन द्वारा किस दिनाँक को पत्र जारी किए पत्र की प्रति सहित बतावें? (घ) न्यायालय द्वारा परिभाषित

वन भूमियों पर सामुदायिक अधिकार पत्र दिए जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में पारित आदेश दिनाँक 12 दिसम्बर 1996 से परिभाषित वन की वनभूमि वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 1 (घ) में दी गयी वनभूमि की परिभाषा के अन्तर्गत है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में पारित अंतरिम आदेश दिनाँक 12/12/1996 में मदों का कोई उल्लेख नहीं है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/16-10-7/2ए/90 दिनाँक 13/01/1997 के अनुसार जानकारी राजस्व विभाग द्वारा संधारित की गई है। (ग) राजस्व विभाग के अभिलेखों दर्ज बडे झाड़ के जंगल, छोटे झाड के जंगल मद की भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 (अ) (4) के अनुसार संरक्षित वन है। उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय मद अंतर्गत स्वीकृत कार्य

28. (क्र. 2941) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा में संचालित शैक्षिणिक संस्थाओं में से कितनी संस्थाओं के लिये नवीन भवन, किचन शेड, शौचालय, बाउण्ड्री वॉल आदि निर्माण के कार्य विगत 05 वर्षों में कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गये है, तथा किन-किन निर्माण एजेंसियों के माध्यम से तथा पालक शिक्षक संघ, ग्राम पंचायत, विभाग आदि एजेंसीवार, स्वीकृत दिनाँकवार जानकारी देवें? (ख) उपरोक्त अवधि में स्वीकृत कार्यो में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके है, तथा कितने शेष है, निर्माण एजेंसीवार जानकारी देवें, तथा लंबित अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जावेंगे, तथा दोषी निर्माण एजेंसी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की धरमपुरी एवं नालछा जनपद पंचायतों में आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में 03 नवीन उ.मा.वि. भवन, 01 नवीन हाईस्कूल भवन, 02 नवीन आश्रम भवन निर्माण, 01 शौचालय,01 बाउड्रीवाल, 03 छात्रावासों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण विगत 05 वर्षों में स्वीकृत किये गये हैं। कार्यों की लागत तथा निर्माण एजेन्सी की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ख) उपरोक्त कार्यों में 09 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा 02 कार्य प्रगतिरत हैं। कार्य एजेंसी द्वारा समय सीमा में पूर्ण करा लिये जावेंगे। एजेन्सीवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। कार्यों में लापरवाही न होने से किसी निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "इकतालीस"

अनु.जाति/जनजाति के छात्रों के फीस का भुगतान

29. (क्र. 2967) श्रीमती शीला त्यागी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनु.जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के

छात्रों के फीस का भुगतान एवं छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो फीस के भुगतान हेतु डी.पी.एस. स्कूल, दून पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल एवं द संस्कार वैली स्कूल का क्या आदेश है एवं इसके पूर्व क्या आदेश थे दोनों स्थितियों में छात्रों की परेशानी को दूर करने हेतु क्या छात्रों व जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक पत्राचार हुआ है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शासन स्तर पर क्या निर्णय लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों, कब तक लिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। आदिम जाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति आदेश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नियम/आदेश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"एक", "दो" एवं "तीन" अनुसार है।** जी हाँ। पिछड़ा वर्गों के छात्रों की फीस का भुगतान एवं छात्रवृत्ति नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"एक" अनुसार है। (**ख) आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत योजना में दून पब्लिक स्कूल एवं द संस्कार वेली स्कूल सम्मिलित नहीं है। डी.पी.एस. एवं सैनिक स्कूल के लिए स्वीकृत योजना **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है।** पूर्व की योजना वर्तमान में निरन्तर है। जी नहीं। अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत निर्धारित पब्लिक स्कूलों में सिंधिया स्कूल, ग्वालियर, डेली कालेज इंदौर, डी.पी.एस. भोपाल/इंदौर एवं सैनिक स्कूल रीवा सम्मिलित हैं। इस सूची में संस्कार वैली स्कूल सम्मिलित नहीं हैं। इस संबंध में आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया गया है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग के मध्यप्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को नियमानुसार समान रुप से छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है संस्थावार पृथक से कोई नियम नहीं हैं। वर्ष 2013-14 से पिछड़ा वर्ग के छात्रों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ग) आदिम जाति कल्याण विभाग का आदेश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनुसूचित जाति विकास विभाग में पत्राचार और विषय की जानकारी उपलब्ध होने पर नियमानुसार प्रकरण उचित निर्णय हेतु प्रस्तावित किया जायेगा।

माध्यमिक विद्यालय से हाईस्कूल में उन्नयन

30. (क्र. 2989) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय है जो हाईस्कूल के उन्नयन किये जाने की पात्रता रखते हैं? स्कूलवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या माध्यमिक विद्यालय से हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने के प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रचलन में है? यदि हाँ, तो विद्यालयों की सूची उपलब्ध करावें व उक्त प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2014-15 में प्राप्त प्रस्तावों की **संलग्न जानकारी परिशिष्ट अनुसार।** (ख) वर्ष 2014-15 में प्रावधानित सभी 50 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन आदेश जारी किये जा चुके है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बयालीस"

<u>**नगर पालिक निगम के प्राथमिक शासकीय विद्यालय**</u>

31. (क्र. 3002) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर नगर पालिक निगम क्षेत्र में ऐसी कितनी बस्तियां है जो जहाँ के बच्चों के लिए 1 कि.मी. के अन्दर प्राथमिक शासकीय विद्यालय उपलब्ध नहीं है? (ख) इन बस्तियों के 6 से 11 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए नगर पालिका निगम/शिक्षा विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है? (ग) इन्हें कब तक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) इन्दौर नगर पालिका निगम क्षेत्र में ऐसी कोई बस्ती नहीं है, जहाँ के बच्चों के लिए 1 कि.मी. के अन्दर प्राथमिक शासकीय विद्यालय उपलब्ध नहीं हो। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के अनुक्रम में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

<u>**बैतूल जिले में योजनाओं के संबंध में**</u>

32. (क्र. 3016) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग बैतूल को वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक किस-किस योजनाओं में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? (ख) प्राप्त आवंटन में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए? वर्षवार, स्थलवार बतावें? (ग) क्या समस्त स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके है? यदि नहीं तो अपूर्ण कार्य की सूची देवें एवं इसका कारण भी बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार** है।

<u>**ग्वालियर चम्बल संभाग अन्तर्गत अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं**</u>

33. (क्र. 3039) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर चम्बल संभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन सी और कब से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थायें संचालित है? नाम, स्थान सहित पूर्ण विवरण दें? (ख) उक्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं को वर्ष 2013-2014 एवं वर्ष 2014-2015 में शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई एवं शेष बकाया राशि कितनी है और कब तक प्रदान की जावेगी? (ग) उक्त संचालित अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कितने-कितने छात्र किस-किस वर्ग के अध्यनरत है? प्रत्येक संस्था की छात्र संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य सहित अलग-अलग विवरण दें? (घ) उपरोक्त संस्थाओं में पदस्थ अनुदान प्राप्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की वर्गवार संख्या का पूर्ण विवरण दें? (ड.) उक्त अनुदान प्राप्त संस्थायें किन-किन समितियों द्वारा संचालित की जा रही है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**बिना मान्यता के चलने वाले निजी विद्यालय**</u>

34. (क्र. 3056) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में कई हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल बिना बोर्ड या विभाग

की मान्यता के बिना शुल्क जमा करवाये चल रहे हैं और बोर्ड उन के विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर परिणाम भो घोषित कर रहा है? (ख) जिलेवार ऐसे हाई और हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की संख्या बतावे जिन्होंने 2014 की बोर्ड परीक्षा बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किये और बिना शुल्क (मान्यता, नवीनीकरण) जमा करवाये उनके छात्रों को परीक्षा में बिठाया? (ग) इंदौर जिले के प्रश्न भाग (क), (ख) के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के नाम बतावे? यह भी बतावें कि उन्होंने किस-किस वर्ष की मान्यता नवीनीकरण नहीं करवाया और किन-किन ने मान्यता या मान्यता नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं करवाया? (घ) माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास ऐसे कितने विद्यालयों की फाईले 31.1.15 को लम्बित है जिनकी मान्यता नवीनीकरण करना है? फाईले अगर मंडल के पास नहीं है तो जहाँ भी जमा है उसका नाम और कब से जमा है बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 37-4/2014/20-3, भोपाल, दि. 26.2.14 के व्दारा सत्र 2014-15 से अशासकीय हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को विभागीय मान्यता/अनुमति एवं उनके नवीनीकरण के लिए आयुक्त, लोक शिक्षण के अध्याधीन संभागीय संयुक्त संचालकों (लोक शिक्षण) को अधिकृत किया गया है। आदेशों के क्रम में संस्थाओं की मान्यता संबंधी नस्तियां संभागीय संयुक्त संचालकों (लोक शिक्षण) को सौंपी जा चुकी है। (ख) ''क'' के अनुक्रम में आयुक्त, लोक शिक्षण के अध्याधीन संभागीय संयुक्त संचालकों (लोक शिक्षण) व्दारा जिन संस्थाओं को मान्यता (नवीन एवं मान्यता नवीनीकरण) प्रदान की जाती है, मण्डल उन्हीं संस्थाओं को संबंद्धता जारी करता है तथा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मान्यता समाप्त किये जाने पर उन संस्थाओं की संबद्धता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जब तक मान्यता समाप्त नहीं होती तब तक मण्डल सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं की परीक्षाएं आयोजित करता है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) समस्त अशासकीय विद्यालय जिन्होंने निर्धारित समयावधि में मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन दिया है, उन सभी की मान्यता का अस्थायी नवीनीकरण किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>रिक्त पदों की पूर्ति</u>

35. (क्र. 3057) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनाँक 31.1.15 की स्थिति में प्रदेश के शिक्षा विभाग में उपसंचालको, संयुक्त संचालकों, सहायक संचालकों, प्राचार्य हायर सेकेन्डरी और हाय स्कूल के पद रिक्त है? हाँ तो सभी के नाम, स्थान सहित जिलेवार बतावें? (ख) 31.1.15 की स्थिति में किन-किन पदों की डी.पी.सी. और कितने-कितने व्यक्तियों की हो चुकी है इनकी पूर्ति और बचे हुये रिक्त पदों की डी.पी.सी. कब करवाई जावेगी जबकि वर्ष में दो बार डी.पी.सी. करवाने का प्रावधान है? (ग) क्या यह सही हे कि माननीय मंत्री जी ने प्रथम बार सभी पदोन्नतियां करने की समयावधि 30.6.14 की थी इस दिनाँक तक कितनी पदोन्नतियां हुई? दूसरी बार 31.8.14 की अन्तिम तिथि की थी फिर भी इस दिनाँक तक संपूर्ण पदोन्नतियां नहीं की गई? पदोन्नतियां कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब", "स", "द" एवं "ई" अनुसार है।** (ख) सहायक संचालक, उप संचालक, प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है एवं

सहायक संचालक के 54 तथा उप संचालक के 52 पदों हेतु पदोन्नति आदेश जारी किये जा चुके है। प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संयुक्त संचालकों के पद रिक्त न होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की गई है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है अतः समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।

ग्राम ऊचिया में प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण

36. (क्र. 3090) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की इंदरगढ़ तहसील के ग्राम ऊचिया में प्राथमिक विद्यालय का कोई भवन स्वीकृत है, यह भवन किस दिनाँक को निर्माणाधीन हुआ कार्य पूर्ण हुआ अथवा नहीं, कार्य की निर्माण एजेंसी कौन थी उसका नाम/पता/लागत राशि की जानकारी उपलब्ध कराई जावे? (ख) क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? क्या भवन में स्कूल संचालित है? यदि नहीं, तो निर्माण एजेंसी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, यदि नहीं, तो क्यों? की जायेगी अथवा नहीं? (ग) यदि कंडिका (क) में उल्लेखित भवन पूर्ण हो चुका है, तो उसमें कक्षायें संचालित क्यों नहीं की जा रही है, कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी दोषी है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? (घ) इस प्रकार की गतिविधियों से शासन को आर्थिक क्षति हुई है? क्या शासन की ओर से कोई पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे या नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। वर्ष 2003-04 को स्वीकृत हुआ, जी हाँ वर्ष 2006 में पूर्ण हुआ, कार्य की निर्माण एजेंसी पालक शिक्षक संघ थी, पालक शिक्षक संघ प्राथमिक शाला उचिया (जिसके अध्यक्ष श्री अजय कुमार एवं सचिव श्रीमती शोभा शर्मा शिक्षिका) /प्राथमिक शाला उचिया/लागत राशि रू. 135000/- है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) से (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

राजीव मिशन प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, प्रभारी की जानकारी

37. (क्र. 3093) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिला शिक्षा विभाग में किस-किस जिले में डी.ई.ओ., बी.ई.ओ., जिला समन्वयक राजीव मिशन, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं कौन-कौन से अधिकारी प्रभारी अथवा प्रतिनियुक्ति पर हैं? उनके नाम/पद/पदस्थी स्थल/प्रभार अथवा प्रतिनियुक्ति की दिनाँक की जानकारी उपलब्ध कराई जावे? (ख) प्रभारी अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध में शासन के क्या नियम हैं? कितने वर्षों के लिये की जाती है? किस वेतनमान वाले अधिकारी कर्मचारी कौन से पद की अहर्ता रखते हैं? नियम उपलब्ध कराया जावे? (ग) जिले में ऐसे कौन-कौन से प्राथ./माध्य./उच्च विद्यालय हैं, जिनमें स्टापिंग पैटर्न से अधिक शिक्षक हैं व ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं, जिनमें स्टापिंग पैटर्न से कम शिक्षक हैं? यह विसंगति कब से चल रही है? इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या इन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो शासन इस व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई पृथक से आदेश करेगा क्या? (घ) ऐसे कौन-कौन से अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक प्राचार्य हैं, जो 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही संस्था में कार्य कर रहे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। (ख) प्रभारी अधिकारी बनाये जाने के संबंध में नियमों में प्रावधान नहीं है तात्कालीक

प्रशासकीय व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभारी अधिकारी पदस्थ किये जाते है। प्रतिनियुक्ति संबंधी शासन निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है। छात्र संख्या के मान से स्थिति परिवर्तनीय होती रहती है इसलिए राज्य शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-42/2014/20-1 दिनाँक 08.09.2014 अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार** है।

<u>माध्यम से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्ति</u>

38. (क्र. 3151) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2011 में संविदा शिक्षकों की व्यापमं पात्रता परीक्षा वर्ग 1, 2, 3 में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे? उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्यावार, वर्गवार, विषयवार एवं वर्ग 3 में कुल कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे की पूर्ण जानकारी दी जावें? (ख) वर्णित (क) की परीक्षा में उत्तीर्ण कितने उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की गई थी एवं कितनों को नियुक्ति नहीं दी गई? (ग) क्या जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई थी वे सब नान डी.एड. एवं नान बी.एड. थे? यदि हाँ, तो क्या शासन ने तत्कालीन केन्द्र शासन से नान डी.एड. एवं नान बी.एड. की नियुक्ति की अनुमति चाही थी? यदि चाही थी तो क्या उन्हें नियुक्ति की अनुमति म.प्र. शासन से प्राप्त हो गई थी? यदि हाँ, तो उक्तो को कब तक नियुक्त कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' पर** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' पर** है। (ग) सभी पात्र एवं इच्छुक आवेदक जिन्होंने पूर्ण भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया उन्हें मैंरिट के आधार पर नियुक्त किया गया है। जी हाँ। भारत सरकार से दिनाँक 31.03.2013 के उपरांत अप्रशिक्षित आवेदकों से पद पूर्ति की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट – "तैंतालीस"</u>

<u>पद सूचक शब्द कोटवार को पिछड़ा वर्ग की सूची 57 से विलोपित करने बावत्</u>

39. (क्र. 3168) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रजिस्ट्रार सेन्सस गवरमेंन्ट ऑफ इंडिया 1931 की जातिगत जनगणना में विंध्यक्षेत्र या मध्यप्रदेश के सतना जिले में कोटवार नाम से कोई जाति पाई गई थी तो कोटवार जाति की जनसंख्या कितनी थी तथा जातिगत जनगणना 1931 की सूची के किस सरल क्र. में कोटवार जाति अंकित थी? (ख) क्या भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 में कोटवार को पद माना है एवं म.प्र. आदिम जाति अनुसन्धान संस्थान भोपाल के पत्र क्र./जा.प./3-32/2000/244 दिनाँक 14/02/2000 में कोटवार को क्या मान किया है? (ग) क्या आदिम जाति अनुसन्धान संस्थान भोपाल के पत्र क्र./स.अन्वे/2-18/08/343 भोपाल दिनाँक 24/5/2008 में कोटवार को पद सूचक मान किया है? क्या पद सूचक कोटवार को जाति की सूची में जोड़ा जाना चाहिये यदि नहीं तो पिछड़ा वर्ग की सूची 57 में कोटवाल जाति के साथ कोटवार को क्यों जोड़ा गया है? क्या पद सूचक शब्द पिछड़ा वर्ग की सूची 57 से कोटवार को विलोपित किया जावेगा तो कब तक? (घ) म.प्र. आदिम जाति अनुसन्धान संस्थान भोपाल के पत्र क्र./जा.प./2-18/2001/726 दिनाँक 8/5/2001 में कोटवार को क्या मान किया है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निजी अस्पतालों पर छापे की कार्यवाही

40. (क्र. 3170) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर में कितने अशासकीय अस्पतालों को हृदय रोग के इलाज हेतु अधिकृत किया गया है? भोपाल शहर में पिछले छह सालों में किन-किन अशासकीय अस्पतालों में शासकीय ऐजेंसियों ने छापे मारे तथा इस कार्यवाही में ANGIO PLASTING में उपयोग में आने वाले stent expiry date के या अमानक स्तर के पाये गए? यह stand कहाँ से खरीदे गए और इनका बिल कंपनी द्वारा दिया गया या नहीं? (ख) यदि अधिकृत कंपनी से stand क्रय नहीं किए गए तो अशासकीय अस्पतालों द्वारा लगाए जा रहे अमानक stand या चोरी के stand या Expiry date के stand के उपयोग करने पर इन अस्पतालों एवं चिकित्सकों पर कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है क्या?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) भोपाल शहर में निम्न अशासकीय अस्पतालों को हृद्य रोग के इलाज हेतु अधिकृत किया गया है जिनके नाम निम्नानुसार है- 1. चिरायु मेंडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, भोपाल 2. एल.बी.एस. अस्पताल, भोपाल 3. नोबल मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल भोपाल 4. बंसल हास्पिटल शाहपुरा जिला भोपाल। भोपाल शहर में पिछले छह सालों में खाद्य एवं औषधी प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा मौखिक सूचना के आधार पर केवल एक अशासकीय अस्पताल मेंसर्स मनोरिया हार्ट एवं क्रिटिकल केयर हास्पिटल 1/40, चूनाभट्टी, मेंन रोड़, मयूरी रेस्टोरेंट के पास, कोलार रोड़ भोपाल पर कार्यवाही की गई थी जिसमें ANGIOPLASTY में उपयोग में आने वाले स्टेंट expiry date के पाये गये थे जो कि मेंसर्स सम्राट फार्मास्यूटिकल्स, नागपुर, मेंसर्स जी.के. इंटरप्राइजेज नई दिल्ली, मेंसर्स एडवांस हेल्थकेयर, इंदौर, मेंसर्स हर्ष इंटरप्राइजेज, अहमदाबाद से क्रय किये गये थे जिनके क्रय बीजक (Invoice) मेंसर्स मनोरिया हार्ट एवं क्रिटिकल केयर हास्पिटल 1/40, चूनाभट्टी, मेंन रोड़, मयूरी रेस्टोरेंट के पास, कोलार रोड़ भोपाल द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। (ख) Stent अधिकृत कंपनी द्वारा ही क्रय किये गये थे एवं अशासकीय अस्पताल मेंसर्स मनोरिया हार्ट एवं क्रिटिकल केयर हास्पिटल 1/40, चूनाभट्टी, मेंन रोड़, मयूरी रेस्टोरेंट के पास, कोलार रोड़ भोपाल में इन एक्सपायरी डेट के स्टेंट का उपयोग किये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। अतः की गई कार्यवाही निरंक है।

मुरैना जिले में पदोन्नत शिक्षकों की पदस्थापना वाद किये स्थानान्तरण बाबत्

41. (क्र. 3189) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्ष 2013,2014 में अध्यापक संवर्ग के कितने अध्यापकों की पदोन्नती की गई इसमें कितनी महिलाये, विकंलाग अनुसूचित जाति के अध्यापक है संख्या सहित जानकारी दी जावे? (ख) उक्त पदोन्नत अध्यापकों की पहली पदस्थापना के कितने समय बाद उन्हें अन्य शालाओं में स्थानान्तरित किया गया क्यों तथ्यों सहित पूर्ण जानकारी दी जावें? (ग) क्या यह सही है कि पूर्व में जिन शालाओं में स्थान रिक्त थे? पदोन्नति का लाभ लेकर कुछ ही समय बाद उन्हें अन्यत्र मनचाही जगह पर स्थानान्तरण कर दिया इस कारण वर्तमान में उन शाला में स्थान रिक्त पड़े है क्या यह स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन नहीं है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रश्नांकित वर्षों में 12 पदों पर अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक एवं 294 पदों पर सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई है। इसमें से 03 महिलाएं अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक एवं 22 महिलाएं सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुई है। इसी प्रकार 03 निःशक्तजन सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर एवं अनुसूचित जाति के अन्तर्गत 76 सहायक अध्यापकों को अध्यापक तथा 02 अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पदोन्नत किये गये। (ख) आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर 01 वरिष्ठ अध्यापक एवं 76 अध्यापकों की पदस्थापना में संशोधन किया गया है। (ग) उत्तरांश ''ख'' में वर्णित अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक की पदस्थापना संशोधन आवेदन के अनुरोध एवं रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर की गई है। रिक्त पद पर की गई पदोन्नति में पदस्थापना संशोधन किसी नीति का उल्लंघन नहीं है।

<u>छात्र-छात्राओं के मान से शिक्षकों की पद पूर्ति</u>

42. (क्र. 3212) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील कसरावद अंतर्गत संचालित प्रा.वि.मा.वि.हायर सेकेण्ड्री, हाईस्कूलों में छात्र-छात्राओं की दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा क्या कलेक्टर खरगोन को पत्र लिखा गया हाँ, तो उस पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या छात्र/छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों के स्वीकृत पद कम है, हाँ तो क्यों? वर्तमान में कितने-कितने पद रिक्त हैं और कब से इन्हें नहीं भरने के क्या कारण हैं? (ग) उक्त रिक्त पड़े पदों में किसकी जवाबदेही है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ, पत्र क्रमांक 114, दिनाँक 25.06.2014 प्राप्त हुआ है। जिसमें विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत समस्त शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं की दर्ज अनुपात संख्या में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती, स्थानांतरण, युक्तियुक्तकरण अथवा अतिथि शिक्षकों से किये जाने का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में रिक्त पद पर अतिथि शिक्षकों से पद पूर्ति की गई है। (ख) "**जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है।" रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "चौवालीस"</u>

<u>सर्वशिक्षा अभियान में निर्माण एवं बजट के संबंध में</u>

43. (क्र. 3233) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किन-किन जिले में वर्ष 2014-15 हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है एवं की जावेगी? किस-किस मद में मदवार जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किन-किन मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है एवं की जावेगी? मदवार जानकारी देवें? (ग) उज्जैन संभाग में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कितने निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक स्वीकृत किये गये है? निर्माण कार्यो की कुल लागत क्या है? अभी तक कितने निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं? कितने अधूरे है अधूरे निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) उज्जैन संभाग में सर्वे शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कुल 2501 कार्य स्वीकृत किये गये है। निर्माण कार्य की कुल लागत रू. 5190.597 लाख है। अभी तक 1749 निर्माण कार्य पूर्ण किये गए है। अधूरे कार्य को पूरे करने की समय सीमा बताना संभव नहीं है।

शासकीय स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण

44. (क्र. 3237) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में आगर जिले के कितने स्कूलों को शासकीय भूमि आवंटित कर भवन निर्माण किये गये हैं? आवंटित भूमि पर क्या अवैध अतिक्रमण किये गये हैं? यदि हाँ, तो कितने स्कूलों की भूमि पर अतिक्रमण है सूची देवें? साथ ही ये अतिक्रमण कब तक हटा दिये जायेगें? (ख) आगर जिले में ऐसे कितने विद्यालय है जिनको शासन द्वारा शासकीय भूमि आवंटित की गई है, सूची देवें? क्या इन विद्यालयों की भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को नामान्तरण कर दी गई है? यदि नहीं तो कब तक कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विगत तीन वर्षों से आगर जिले में 231 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलवार शासकीय भूमि आवंटित कर भवनों का निर्माण किया गया है। विगत 03 वर्षों में आगर जिले में 18 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में भवन निर्माण किए गए हैं। 05 विद्यालयों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है।** अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) आगर जिले में 651 प्राथमिक शाला एवं 296 माध्यमिक शाला इस प्रकार कुल 957 विद्यालय हैं जिसमें शासकीय भूमि आवंटित की गई। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' पर है।** आगर जिले के 04 विद्यालयों को शासकीय भूमि आवंटित की गई है, सूची **पुस्तकायल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। इसमें से 01 विद्यालय का नामांतरण है। शेष 03 विद्यालयों के नामांतरण की कार्यवाही प्रक्रिया में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए गए निर्माण

45. (क्र. 3269) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक कितनी-कितनी राशि किन-किन निर्माण कार्यों, मेंटीनेंस कार्यों हेतु कब-कब स्वीकृत की गई? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या निर्माण कार्य एवं मेंटीनेंस कार्य कब-कब, कहाँ-कहाँ पर, कितनी राशि से कराए गए? कराए गए कार्यों का मूल्यांकन किनके द्वारा किया गया? उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किनके द्वारा किया गया? (ग) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य एवं मेंटीनेंस कार्य नहीं कराए गए है और उनका फर्जी भुगतान प्राप्त किया है? यदि नहीं तो कराए गए उक्त कार्यों के बिलों का विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। है। उक्त कार्यों का मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन संबंधित विभाग की यांत्रिकी शाखा के यंत्रियों द्वारा किया गया। (ग) जी नहीं। किसी भी

तरह का फर्जी भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान किये गये बिलों के व्यय की राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** के कॉलम (8) में दर्शायी गई है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

बी.डी.एस. छात्रों की जानकरी

46. (क्र. 3270) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में आयोजित पीएमटी परीक्षा में सम्मिलित कितने छात्रों को भोपाल स्थित निजी मेंडिकल कॉलेजों में बी.डी.एस में प्रवेश दिया गया था? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित बी.डी.एस छात्रों के विरूद्ध फर्जी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के आधार पर भोपाल निजी मेंडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो कितने छात्रों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी? उन शिकायतों पर पुलिस अथवा विभाग द्वारा क्य कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि पीएमटी परीक्षा वर्ष 2010, 2011 तथा 2012 में से किसी वर्ष में संजय जोशी पुत्र श्री प्रहलाद जोशी ने पीएमटी परीक्षा दी थी? यदि हाँ, तो भोपाल के किसी मेंडिकल कॉलेज में बी.डी.एस. में अध्ययनरत संजय जोशी के विरूद्ध भोपाल पुलिस द्वारा नवम्बर 2012 से मार्च 2014 की अवधि में किसी फर्जीवाड़ें के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा था? यदि हाँ, तो कब एवं किस अपराध में?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) किसी भी निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है। अतः बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) भोपाल के मानसरोवर डेन्टल कॉलेज, भोपाल के बी.डी.एस. के छात्र संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी को थाना एस.टी.एफ. भोपाल के अपराध क्रमांक 06/13 धारा 420, 467, 468, 471, 120 की भा.द.वि. एवं 3 (घ) 1, 2/4 मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के अन्तर्गत दिनाँक 13 दिसंबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था, जो दिनाँक 14 दिसम्बर, 2013 से 19 दिसम्बर, 2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल भोपाल में निरूद्ध था।

जिला मुरैना के चिकित्सालयों में नर्सिंग, सफाई कर्मचारियों की संख्या

47. (क्र. 3289) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के समस्त शासकीय अस्पतालों में वर्तमान में नर्सिंग, सफाई कर्मचारियों, इलेक्ट्रिशियन के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, इनमें कितने भरे हैं, कितने रिक्त हैं, अस्पताल वार रिक्त पदों की जानकारी दी जावें? (ख) उक्त रिक्त पदों के भरने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? इन्हें कब तक भर लिया जावेगा? (ग) क्या शासन उक्त रिक्त पदों को कार्य संचालन हेतु अस्थाई, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से भरेगा, हाँ तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न क के संबंध में मुरैना जिले के समस्त शासकीय अस्पतालो में वर्तमान में नर्सिग कर्मचारियों के अस्पताल वार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदो की संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है, एवं सफाई कर्मचारियों, इलेक्ट्रीशियन के पदो के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदो की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना से प्राप्त जानकारी मान्य की जावें। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रदेश में रिक्त स्टाफनर्सो के पदों को विभागीय भर्ती प्रक्रिया के दौरान भरा जावेगा। शेष नर्सिग संवर्ग के पदो पर विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया प्रचलन में है। एवं सफाई कर्मचारियों (स्वीपर) का पद डाईंग केडर घोषित किया गया है एवं इलेक्ट्रीशियन के पद शासन के नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के पदो को व्यापम के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। विभाग के अधीन व्यापम के माध्यम से चयन परीक्षा द्वारा पद पूर्ति की कार्यवाही जारी है। निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी, नहीं।

छात्रावास-आश्रमों के छात्र-छात्राओं हेतु सामग्री क्रय

48. (क्र. 3317) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभाग अंतर्गत संचालित किन-किन छात्रावास आश्रमों के छात्र/छात्राओं के उपयोग के लिये विगत तीन वर्षो में पलंग, बिस्तर आदि आवश्यक सामग्री किन-किन फर्मो से किस-किस दर पर क्रय की गई है, संस्थावार बतावें? (ख) शासन द्वारा सामग्री क्रय की राशि छात्र/छात्राओं के खातों में जमा करवाने के बावजूद किन संस्थाओं द्वारा एक ही संस्थान से सामग्री क्रय की गई है, तथा किस दर पर, संस्थावार, सामग्रीवार बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में क्रय की गई सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार है।** (ख) नवीन क्रय नीति अनुसार छात्र/ छात्राओं के खाते में राशि जमा करने के बाद सम्बधित छात्र/ छात्राओं द्वारा अपनी सुविधानुसार सामग्री क्रय की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार है।**

एन.आर.एच.एम के तहत गठित समितियां व दवा खरीदी

49. (क्र. 3391) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षेत्रों में कहाँ-कहाँ ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति का गठन किय गया है? यदि हाँ, तो ग्रामवार अध्यक्ष सचिव के नाम व पते दें? (ख) इन समितियों के गठन की नीति व प्रक्रिया क्या है? इन समितियों के कार्य व दायित्वों की जानकारी दें? (ग) इन ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समितियों को वर्ष 2012-2013 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि दी गई व यह राशि किन-किन कार्यो में व्यय की गई? (घ) प्रश्नांश (क) वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में विगत दो वर्ष में स्थानीय स्तर पर क्रय की गई दवाओं की जानकारी व व्यय राशि का विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) समितियों के गठन की नीति व प्रक्रिया तथा दायित्वों की जानकारी "म.प्र. राजपत्र (असाधारण) " क्रमांक 444 दिनाँक 1 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित मध्यप्रदेश ग्राम सभा सवस्थ ग्राम तदर्थ समिति (गठन, कारोवार, संचालन तथा बैठक) नियम 2010 के अनुसार किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (घ) प्रश्नांश (क) वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थानीय स्तर पर दवाएं क्रय नहीं किया जाता अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वाइन फ्लू से हुई मौतों की जानकारी

50. (क्र. 3531) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक के पद रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी दें? (ख) क्या यह सही है कि पिछले 2 महीने जनवरी, फरवरी के बीच स्वाइन फ्लू से 20 मौते हुई है? (ग) यदि नहीं तो कितनी मौते हुई आंकड़ा दें? यदि हाँ, तो सरकार ने कौन से कदम उठाए है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञों के 1979 एवं चिकित्सा अधिकारियों के 1837 पद रिक्त है। विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, उपलब्ध पात्र चिकित्सकों की पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में चिकित्सकों के 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है एवं साक्षात्कार की कार्यवाही प्रचलन में है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। (ख) जी नहीं। (ग) माह जनवरी से 25 फरवरी 2015 की अवधि में स्वाईन फ्लू से 131 मौते हुए हैं। स्वाईन फ्लू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा स्वाईन फ्लू मरीजों हेतु जिला चिकित्सालय, मेंडिकल कॉलेज अस्पतालों व चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में सर्दी-जुकाम (स्वाईन फ्लू एच1 एन 1) काउन्टर बनाये गये हैं, जो 24x7 कार्यरत हैं। सभी मेंडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालयों में स्वाईन फ्लू मरीजों हेतु आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं। स्वाईन फ्लू उपचार हेतु चिन्हित निजी अस्पतालों/मेंडिकल कॉलेज अस्पतालों में औषधियों/सामग्रीयों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई गई है। सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जाँच एवं उपचार की व्यवस्था है। प्रत्येक जिले में एवं राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम/हेल्प लाईन नम्बर सामान्य जनमानस की सुविधा के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये। प्रचार-प्रसार (मशाल रैली, होर्डिग्स, वॉल पेन्टिंग, पेमप्लेट रेडियो जिंगल, टी.वी. स्क्रोल) के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा जन सामान्य में स्वाईन फ्लू जागरूकता के लिये की गई अपील को, सामाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

51. (क्र. 3562) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिवपुरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी संविदा पर कार्यरत है,? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु शासन की कोई योजना है, यदि हाँ, तो विवरण दें? (ग) क्या यह सही है कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद, के अर्द्धशासकीय पत्र क्रं.10/ (37) /2001 1-एन.आर.एच.एम.-1 दिनाँक 21 दिसंबर 2011 में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु नियमित पद सृजित कर नियमितीकरण किये जाने के संबंध में लेख किया गया है? यदि हाँ, तो इस हेतु प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कब तक कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) कुल 430 संविदा कर्मचारी कार्यरत है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। संविदा कर्मचारियों के नियमित

पद सृजित करने का सुझाव प्रश्नाधीन पत्र द्वारा दिया गया था। इस संबंध में प्रश्न दिनाँक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (घ) प्रश्नभाग (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नये भवन के निर्माण की स्वीकृति तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में

52. (क्र. 3579) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता. प्रश्न क्रं. 678 दिनाँक 12 दिसम्बर 2014 के उत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में नवीन कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव वित्तीय व्यय समिति के समक्ष स्वीकृति न होने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? (ख) कार्यालय खाली करने एवं वैकल्पिक व्यवस्था के ओदश कब किये गये? उनकी प्रति दें? (ग) नये भवन निर्माण हेतु किये गये पत्राचारों पर कार्यवाही न करने वाले कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वित्तीय व्यय समिति, प्रस्तुत प्रस्तावों पर बजट की उपलब्धता एवं प्रस्ताव की स्थिति अनुसार निर्णय लेती है। समिति के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रकरणों/प्रस्तावों पर स्वीकृति संभव नहीं होती है। अत: इस प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) नये भवन निर्माण हेतु कार्यवाही की गई है। अत: कोई दोषी नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "छियालीस"

खाद्य सुरक्षा अधिकारी/निरीक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही

53. (क्र. 3580) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला मुख्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन में कौन-कौन खाद्य सुरक्षा अधिकारी/निरीक्षक कब से कार्यरत हैं? क्या इनकों कभी निलंबित किया गया? यदि हाँ, तो कब? यदि विभागीय जाँच संस्थित हैं तो आदेश की प्रति दें? (ख) प्रश्नांश (क) के खाद्य सुरक्षा अधिकारी/निरीक्षकों के विरूद्ध दि. 01.01.2000 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी शिकायतें विभाग से प्राप्त हुई? शिकायतों की प्रति देते हुए बताएं, उनको जाँच कब किसको दी गई? (ग) वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कटनी जिले में संचालित पानी फैक्ट्रियों के कब सेम्पल लिये गये किस-किस फैक्ट्री के लिए गये इन सेम्पलों में किस-किस के सेम्पल पास हुए किन-किन के फेल हुए उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स महिला/पुरूष की नियुक्ति

54. (क्र. 3596) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर-उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2011 से प्रश्न दिनाँक तक कितने-कितने स्टाफ नर्स (पुरूष/महिला) की नियुक्ति किन चिकित्सालय में कब-कब किस-किस परीक्षा मापदण्डों के अनुसार की गई? (ख) क्या हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद नर्सों की नियुक्ति में पुरूषों को योग्यता के बावजूद दरकिनार कर दिया गया? इन्दौर, उज्जैन संभाग में नियुक्ति नहीं दी

जा रही है? यदि नहीं तो 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कितने पुरूषों को मा. न्यायालय की मंशानुसार नियुक्ति दी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या माननीय न्यायालय इन्दौर के निर्देशों की अवहेलना कर नियुक्ति की गई? नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) वर्तमान में प्रचलित म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं प.क. तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम वर्ष 2011 (26 जुलाई 2011 के मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित) में स्टाफ नर्स के पद पर केवल महिला अभ्यार्थियों को नियुक्ति का प्रावधान है। 1 जनवरी 2011 से प्रश्न दिनाँक तक इंदौर संभाग में कुल 355 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** महिला स्टाफ नर्सों को नियुक्ति प्रदान की गई है (किन-किन चिकित्सालयों में नियुक्ति की गई है आदेश संलग्न है) एवं उज्जैन संभाग में कुल 362 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** महिला स्टाफ नर्सों को नियुक्ति प्रदान की गई है (किन-किन चिकित्सालयों में नियुक्ति की गई है **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2** में अंकित है)। (ख) वर्तमान में प्रचलित म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं प.क. तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम वर्ष 2011 (26 जुलाई 2011 के मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित) में स्टाफ नर्स के पद पर केवल महिला अभ्यार्थियों को नियुक्ति का प्रावधान है। पुरूषों को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति देने के संबंध में मा.उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका क्र. डब्लू.पी. 6812/2013 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** एवं यचिका क्र. डब्लू.पी. 6856/2013 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है, जिसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। (ग) प्रश्नांश "ख" के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

PMT काउन्सलींग में विद्यार्थी के स्थान पर प्रतिनिधि का आना

55. (क्र. 3635) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापमं द्वारा पीएमटी परीक्षा 2009 में चयनित फर्जी विद्यार्थियोंकी जाँच हेतु शासकीय महाविद्यालयों से प्राप्त फोटो के मिलान में किस-किस महाविद्यालय में कितने विद्यार्थियों के फोटो में भिन्नता प्रथम दृष्टया पाई गई? उनकी महाविद्यालय अनुसार सूची देवें? (ख) महाविद्यालयों में से किस महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2009 में प्रवेशित विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों के फोटो मूल प्रति उपलब्ध कराये गये तथा जिन विद्यार्थियों के फोटो उपलब्ध नहीं कराये गये उनकी जाँच कैसे की गई? विस्तृत जानकारी दें? (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 की PMT काउन्सलिंग में कई अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित न होकर प्रतिनिधी को भेजा? यदि हाँ, तो उनकी सूची दें तथा बतावें कि उनकी वास्तविकता का सत्यापन कैसे किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित घटना वर्ष 2006 से 2012 तक किस-किस वर्ष में हुई? उनकी भी सूची देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गांधी मेंडिकल कॉलेज भोपाल में 2006 से 2012 तक चयनित फर्जी विद्यार्थी

56. (क्र. 3639) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा कमेंटी गठित कर वर्ष 2009 की जाँच में गांधी मेंडिकल कॉलेज भोपाल में पाये गये फर्जी विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत करें? इस सूची में

महाविद्यालयीन कमेंटी में किस आधार पर सात नाम निरस्त किये? (ख) गांधी मेंडिकल कॉलेज भोपाल की वर्ष 2006 से 2012 की पीएमटी परीक्षा से प्रवेशित फर्जी विद्यार्थियों की जाँच हेतु गठित कमेंटी में कौन-कौन सदस्य थे? कमेंटी द्वारा वर्ष 2006 से 2012 की जाँच हेतु किस-किस दिनाँक को बैठक की गई? बैठक में किस वर्ष में किस-किस छात्र को फर्जी पाया गया? (ग) पीएमटी परीक्षा में फर्जीवाड़े की जाँच को लेकर गठित एसटीएफ ने गांधी मेंडिकल कॉलेज भोपाल के कितने विद्यार्थियों पर प्रकरण दर्ज किया है क्या उन विद्यार्थियों का नाम महाविद्यालयीन की कमेंटी की जाँच में फर्जी विद्यार्थियों की सूची में शामिल था या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पी.एम.टी. परीक्षा में अनियमितता की जाँच

57. (क्र. 3652) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को वर्ष 2009 की पीएमटी परीक्षा में अनियमितता हेतु लिखा गया पत्र क्रं. 2037/09 दिनाँक 27.10.2009 का महाविद्यालयों द्वारा उत्तर किस-किस दिनाँक को दिया गया? (ख) वर्ष 2009 की परीक्षा में अनियमितता की जाँच हेतु शासन के आदेश क्रं. 4-5/2009/1/55, दिनाँक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा गठित कमेंटी की बैठक कब आयोजित की गई तथा बतावें कि कमेंटी ने अपनी जाँच रिपोर्ट किस दिनाँक को शासन को प्रस्तुत की?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पी.एम.टी. से प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची

58. (क्र. 3653) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी मेंडिकल कालेज भोपाल में वर्ष 2009 के पीएमटी से प्रवेशित विद्यार्थियों में व्यापम ने प्रथम जिन 54 को चिह्नित किया उनकी सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कालेज के वर्ष 2009 के प्रवेशित में से दिनाँक 28.1.11 को आयोजित छानबीन समिति जो संचालक चिकित्सा शिक्षा के निर्देश पर बनी थी उसमें उल्लेखित 35 छात्रों की सूची देवें तथा बतावें कि व्यापम के 54 चिह्नित में से 35 कैसे हुये? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित छानबीन समिति की 7.4.11 की बैठक में संख्या 35 से घटकर 26 किस आधार पर हुयी 26 की सूची देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित 26 में से कालेज समिति ने 7 नाम हटाकर उन्हें 19 किस आधार पर किया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आयुर्वेद विशेषज्ञों की पदस्थापना

59. (क्र. 3669) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष विभाग में आयुर्वेद विशेषज्ञ के कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने भरे हैं व कितने रिक्त हैं? (ख) क्या आयुर्वेद विशेषज्ञ के पद जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए स्वीकृत हैं, और क्या सभी पदोन्नत आयुर्वेद विशेषज्ञों को जिला चिकित्सालयों में पदस्थ कर विशेषज्ञ

सेवाएं रोगियों को शासन उपलब्ध करा रहा है? यदि नहीं तो कितने आयुर्वेद विशेषज्ञ जिला चिकित्सालयों के अतिरिक्त अन्य पदों पर कार्यरत हैं? क्या इन आयुर्वेद विशेषज्ञों को रोगियों के हित में जिला चिकित्सालयों में शासन पदस्थ करेगा? यदि हाँ, तो पद स्थापना की समय सीमा बतावें? (ग) क्या आयुर्वेद विशेषज्ञों को जिस उद्देश्य के अनुसार ही इन्हें अन्यत्र प्रशासनिक पदों पर प्रभारी/पदस्थापना नहीं करने के संबंध में शासन कोई निर्णय लेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) आयुष विभाग में आयुर्वेद विशेषज्ञ के 32 पद स्वीकृत है। आयुर्वेद विशेषज्ञ के वर्तमान में 17 पद भरे है तथा 15 पद रिक्त है। (ख) जी हाँ। 16 पद (आदिवासी क्षेत्रान्तर्गत चिकित्सालयों में एवं 16 पद जिला एलोपैथी चिकित्सालयों हेतु)। जी नहीं। एक आयुर्वेद विशेषज्ञ औषधालय अधीक्षक के विरूद्व ड्रग इन्सपेक्टर के पद पर संचालनालय आयुष में कार्यरत है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** एवं वर्तमान में संचालनालय आदेश दिनाँक 24.02.2015 द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालयों की मान्यता की दृष्टि से 07 आयुर्वेद विशेषज्ञों को आयुर्वेद महाविद्यालयों (इन्दौर,रीवा,ग्वालियर, उज्जैन, एवं जबलपुर) में संलग्न किया गया है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार**। जिला सीधी के पदस्थ आयुर्वेद विशेषज्ञ को अपने कार्य सहित जिला आयुष अधिकारी का प्रभार दिया गया है। जी हाँ नियमानुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) नियमानुसार।

स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी

60. (क्र. 3671) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ संचालित हो रहे हैं? (ख) इन केन्द्रों पर क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने चिकित्सक व अन्य शासकीय सेवक उपलब्ध है? इनके पद एवं नाम सहित सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्ष 2012-13 से आज दिनाँक तक कितनी राशि इन केन्द्रों पर प्राप्त हुई और खर्च हुई मदवार जानकारी प्रदान करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंगोरिया एवं 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटपचलाना, लोहाना एवं खरसौदकलां संचालित है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक पदस्थ नहीं होते है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है।

बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों के मैदान पर अतिक्रमण

61. (क्र. 3672) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? इनमें से कितने विद्यालय में पेयजल, शौचालय व खेल मैदान की व्यवस्था है? (ख) विद्यालय परिसर की भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा कब-कब किया गया? उनको अतिक्रमण से मुक्त किया गया की नहीं? यदि नहीं, तो उनको कब तक मुक्त करायेंगे? विद्यालय परिसर की भूमि एवं खेल भूमि की सुरक्षा की व्यवस्था का क्या प्रावधान है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं एवं इनमें पेयजल, शौचालय, खेल मैदान की व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है -

क्र	संचालित शालाएं	संख्या	व्यवस्थाएं पेयजल	व्यवस्थाएं शौचालय	व्यवस्थाएं खेल मैदान
1	प्राथमिक	252	252	209	180
2	माध्यमिक	122	111	101	99
	कुल	374	336	310	279

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति</u>

62. (क्र. 3687) कुंवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता सूचियां कब जारी की जाती हैं? क्या कटनी जिले में 2014 में अंतिम वरिष्ठता सूचियां जारी की गई हैं? यदि हाँ, तो कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अंतिम सूची जारी करने के बाद भी दावा आपत्ति लेने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो निर्देश संलग्न करें? (ख) कटनी जिले सहित प्रदेश में भृत्य संवर्ग, लिपिक संवर्ग एवं अन्य संवर्ग की वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन इस वर्ष कब-कब किया गया? कटनी में ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया शासन के किन आदेशों के कारण रूकी है? जिले स्तर पर इसके लंबित होने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शासन के नियमानुसार वर्ष में दो बार पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या 01.04.2014 की वरिष्ठता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद से एक भी बार डी.पी.सी. हो पाई है? यदि नहीं, तो क्या फरवरी मार्च में डी.पी.सी. की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वरिष्ठता सूची का प्रकाशन दिनाँक 01 अप्रैल की स्थिति में होता है। जी हाँ। दिनाँक 19.06.14 को अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। सहायक अध्यापक के पद की वरिष्ठता सूची के प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अंतिम वरिष्ठता सूची के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनका परीक्षण उपरांत नियमानुसार निराकरण किया जा सकता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कटनी जिले सहित प्रदेश की जानकारी संभागवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 से 9 अनुसार।** जी नहीं, अपितु कटनी जिले में उप चुनाव एवं अन्य चुनावों की प्रक्रिया निरन्तर होने से आदर्श आचार संहित लागू रही है। पदोन्नत पद की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है। प्रश्न के द्वितीय अंश के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>न्यूनतम वेतन लागू करने हेतु अनतिम अधिसूचना</u>

63. (क्र. 3723) सुश्री उषा ठाकुर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) न्यूनतम वेतन अधिनियम सलाहकार परिषद/बोर्ड की दिनाँक 22-7-2014 को सम्पन्न हुई बैठक में किन नवीन उद्योगों पर न्यूनतम वेतन लागू करने हेतु अंतिम अधिसूचना जारी किये जाने का

निर्णय हुआ, सूची देवें? (ख) उक्त अनन्तिम सूचना जारी की गई की नहीं? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जवाबदार है? उनके विरूद्ध कब क्या कार्यवाही की जावेगी?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी, हाँ। **सूची संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ख) चूंकि नए अनुसूचित नियोजनों के संबंध में पूर्व में प्रारंभिक अधिसूचना दिनाँक 5 जुलाई, 2013 को जारी हो चुकी थी। अतएव उपभोक्ता मूल्य सूचकांको में वृद्धि होने से औसत मूल्य सूचकांको का समायोजन कर सभी अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन दरों का पुर्ननिर्धारण/निर्धारण की अन्तिम अधिसूचना दिनाँक 10 अक्टुबर, 2014 को म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित हुई है। जो 1 अक्टुबर, 2014 से प्रभावशील कर दी गई। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "सैंतालीस"

स्कूलों में महिला शिक्षक की पदस्थगी

64. (क्र. 3743) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में ऐसे कुल कितने शासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें एक भी महिला शिक्षक कार्यरत नहीं है और इसके क्या कारण है? (ख) जिले में कन्या विद्यालयों में पुरूष शिक्षकों की संख्या क्या है और उनकी नियुक्ति के क्या कारण है, जबकि महिला शिक्षक उपलब्ध है? (ग) पन्ना जिले के शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं से छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न संबंधी कितनी शिकायतें वर्ष 2014 में प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) पन्ना जिले में 395 माध्यमिक शाला एवं 30 हाईस्कूल/उमावि में महिला शिक्षक कार्यरत नहीं है। शासन नीतियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। (ख) कन्या विघालयों में पुरूष शिक्षकों की संख्या 86 एवं कन्या हाईस्कूल/उमावि में 76 है। नीतियों में प्रावधान नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2014 में बालिकाओं से छेडछाड, यौन उत्पीडन संबंधी कोई भी शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

गरीब वंचित वर्ग के छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश

65. (क्र. 3744) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (राईट टू एजूकेशन) के तहत मध्यप्रदेश के निजी विद्यालयों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित सीटों पर उन्हें प्रवेश नहीं दिये जाने और उनके लिये आरक्षित लगभग डेढ़ लाख सीटें खाली रह जाने के मामले में शासन ने निजी स्कूलों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है? (ख) आगामी शिक्षा सत्र 2015-2016 में निजी स्कूलों में वंचित और गरीब बच्चों को निर्धारित कोटे के अनुसार प्रवेश दिलाने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है और जिला शिक्षा अधिकारियों को सजग रहने के लिये क्या अधिकार देने पर शासन विचार कर रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये कक्षा-1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है। प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित तिथि तक विद्यालय में उपलब्ध आवेदनों में से लाटरी पद्धति द्वारा की जाती है। जिन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन

पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होते वहाँ सीट्स खाली रह जाती है। प्रवेश न करने की शिकायत प्राप्त होने पर उसका जिला स्तर से तुरंत निराकरण कराया जाता है। (ख) शिक्षा सत्र 2015-16 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये कक्षा-1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशित नि:शुल्क प्रवेश के प्रथम चरण के निर्देश जारी किये जा चुके है। इन निर्देशों में कलेक्टर के अनुमोदन से प्रत्येक अशासकीय विद्यालय के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। नोडल अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधान अनुसार अशासकीय विद्यालयों में निर्धारित सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित कराने के लिये ताकीद किया गया है।

आदिवासियों को सामग्री का प्रदाय

66. (क्र. 3763) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले की बैतूल परियोजना के द्वारा गत दो वर्षों में किस ग्राम के किस हितग्राही को किस हितग्राही मूलक योजना के लिए किस दिनाँक को कितनी राशि प्रदाय की गई? इस राशि से कितने लागत की बैलजोड़ी या डीजल पम्प या अन्य कौन सी सामग्री दिलवाई गई? (ख) दिलवाई गई सामग्रियों एवं पशु का चयन किन मापदण्डों के आधार पर किसके द्वारा किया गया, चयन की शासन ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की? (ग) सामग्री प्रदाय एवं भुगतान की पुष्टि किस शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) बैतूल जिले की बैतूल परियोजना के द्वारा गत दो वर्षों में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना अन्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है।** (ख) शासन के निर्देशानुसार सामग्री एवं पशु का चयन हितग्राही द्वारा स्वयं किया गया है। शासन आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है।** (ग) सामग्री प्रदाय की पुष्टि ग्राम पंचायत के सचिव/सहायक विस्तार अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की गई।

धारा 3 (2) के तहत प्राप्त प्रस्ताव

67. (क्र. 3764) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3 (2) में क्या प्रावधान दिए गए हैं? इन प्रावधानों के अनुसार अनुमति दिए जाने के संबंध में क्या-क्या प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित की गई है? (ख) बैतूल जिले में जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक धारा 3 (2) के अनुसार कितनी भूमि पर अनुमति के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए उनमें से कितने प्रस्तावों में यूजर ऐजेन्सी के द्वारा किस दिनाँक को किस वनमंडल को प्रस्ताव प्रेषित किए? उस पर वनमंडल ने किस दिनाँक को अनुमति प्रदान की? कितने प्रकरण वर्तमान में किस स्तर पर लंबित हैं? (ग) धारा 3 (2) के तहत प्राप्त कितने प्रस्तावों को यूजर ऐजेन्सी को प्रेषित किए बिना ही स्वीकार किया जाकर किस दिनाँक को कितनी वन भूमि की किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है? यह अनुमति किस शासकीय निर्देशानुसार दी गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक तथा दो अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।** (ग) जी नहीं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>गाडरवारा तह. के विकासखण्ड सांईखेडा के नांदनेर में प्राथ. स्वा. केन्द्र की स्थापना</u>

68. (क्र. 3927) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथ. स्वा. केन्द्र खोले जाने के क्या मापदण्ड हैं? (ख) क्या गाड़रवारा तहसील के विकासखण्ड सांईखेड़ा के ग्राम नांदनेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की ग्रामवासियों की मांग अनुसार विभाग में प्रकरण लंबित हैं? (ग) क्या उक्त ग्राम की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सामान्य क्षेत्र में 5000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 3,000 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामान्य क्षेत्र में 30,000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड निर्धारित है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं, ग्राम नांदनेर को निर्धारित जनसंख्या के आधार पर पात्रता नहीं होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना संभव नहीं है।

<u>स्टॉफ नर्स के विशेष वेतनवृद्धि में विसंगति को दूर किया जाना</u>

69. (क्र. 3941) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 2006 के बाद के स्टाफ नर्स के वेतन में तीन विशेष वेतनवृद्धि का लाभ गजराराजा मेंडिकल कॉलेज, ग्वालियर, संजय गांधी मेंडिकल कॉलेज, रीवा, स्वास्थ्य विभाग एवं गैस राहत हास्पिटल, भोपाल में दिया जा रहा है? लेकिन हमीदिया हास्पिटल, भोपाल के स्टाफ नर्स को विशेष वेतनवृद्धि के लाभ से अभी तक वंचित रखा गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या यह भी सत्य है कि हमीदिया हास्पिटल के स्टॉफ नर्स कर्मचारियों में विशेष वेतन वृद्धि का लाभ न मिलने से उन्हें अभी तक वेतन में हजारों रूपये का नुकसान सहन करना पड़ा है? क्या विशेष वेतन में विसंगति को समाप्त किया जावेगा और अभी तक हुऐ वेतन में नुकसान राशि की भरपाई की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, समयसीमा बतावें? (ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त विसंगति विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो उक्त विसंगति के क्या-क्या कारण रहे हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मध्यप्रदेश पैरामेंडिकल काउन्सिल में स्वीकृत पद</u>

70. (क्र. 3954) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश पैरामेंडिकल काउन्सिल में कुल कितने पद स्वीकृत हैं, तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रश्न दिनाँक की स्थिति में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) प्रश्न

दिनाँक को काउन्सिल कार्यालय में संविदा पर कुल कितने कर्मचारी पदस्थ हैं, तथा इनकी नियुक्ति किस प्रकार की गई है? क्या यह सत्य है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां परिषद द्वारा की गई है, उसके लिए परिषद द्वारा मांग पत्र व्यापम को भेजकर सूची प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्तियां की गई? (ग) व्यापम के किस अधिकारी के हस्ताक्षर से नियुक्ति हेतु सूची प्राप्त हुई, सूची में वर्णित कर्मचारियों की शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता क्या है? क्या व्यापम इस प्रकार संविदा नियुक्ति हेतु कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत हैं? (घ) क्या विभाग इस अनियमित कार्यवाही की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश पैरामेंडिकल कौंसिल में कुल 23 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरूद्ध प्रश्न दिनाँक की स्थिति में कुल 20 कर्मचारी कार्यरत है। (ख) काउसिंल कार्यालय में 01 कर्मचारी संविदा पर पदस्थ हैं, जिसकी नियुक्ति रोजगार कार्यालय से नाम बुलाकर चयन समिति की अनुशंसा पर की गई हैं। संविदा नियुक्ति हेतु प्रश्न दिनाँक तक व्यापम से कोई पत्राचार नहीं किया गया हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में उपकरणों के संदर्भ में

71. (क्र. 3955) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इछावर स्थित शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों के इलाज हेतु चिकित्सकीय जाँच हेतु क्या-क्या उपकरण पंजीकृत हैं? (ख) स्वीकृत उपकरणों में से कितने उपकरण उपलब्ध हैं एवं कितने कार्य कर रहे हैं? यदि उपलब्ध नहीं हैं, तो कब उपलब्ध करा दिए जावेंगे एवं जो उपकरण खराब हैं, उन्हें कब तक सुधरवाकर कार्य करने योग्य बनाया जाएगा? (ग) क्या इन उपकरणों को संचालित करने हेतु स्वीकृत प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यरत हैं? अगर नहीं, तो कब तक उपलब्ध होंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इछावर में चिकित्सीय जाँच हेतु उपकरणो की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) स्वीकृत चिकित्सीय जाँच उपकरणों के विरूद्व उपलब्ध, क्रियाशील उपकरणों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। शेष अनुउपलब्ध उपकरण क्रय की कार्यवाही प्रचलन में है। संस्था में उपलब्ध कोई भी जाँच उपकरण खराब नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "अड़तालीस"

वेतनमान की जानकारी एवं विसंगतियां

72. (क्र. 3995) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में कार्यरत अध्यापक संवर्गों को नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान और अन्य भत्ते के एवज में अंतरिम राहत की राशि प्रदाय की जा रही है? यदि हाँ, तो किस वर्ग को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की जा रही है, वर्गवार जानकारी देवें? (ख) अध्यापक से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों को अंतरिम राहत की राशि कितनी प्रदाय की जा रही है? यदि प्रदाय की जा रही है, तो अध्यापकों से वरिष्ठ अध्यापकों को वेतन कम क्यों मिल रहा है? (ग) अध्यापक संवर्ग का वेतनमान नियमित

शिक्षकों के समान कब तक हो जावेगा? कितना-कितना, किस-किस वर्ग को वेतनमान प्राप्त होगा, क्रमवार, कॉलमवार, वर्गवार, वर्षवार जानकारी प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ख) विभागीय आदेश दिनाँक 20.10.2014 के अनुसार अंतरिम राहत की गणना जारी निर्देशों के अनुरूप किसी भी अध्यापक के लिए एकबार किये जाने की स्थिति में (जब वह सर्वप्रथम इस अंतरिम राहत का पात्र था) अंतरिम राहत आगामी वर्षों (01.09.2017) तक के लिए रहेगी अर्थात निर्धारित अंतरिम राहत में अध्यापक की श्रेणी परिवर्तन या अनुभव वर्षों के आधार पर कोई वृद्धि या कमी नहीं होने का प्रावधान है। तदनुसार अध्यापक को अंतरिम राहत दी जा रही है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभागीय आदेश दिनाँक 01.09.2017 से अध्यापक संवर्ग को नियमित शिक्षकों के समान वेतन बैंड एवं संवर्ग वेतन प्राप्त होने के विभागीय आदेश है। शेषांश की जानकारी वर्तमान स्थिति में दी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

निर्माण कार्यों की जानकारी

73. (क्र. 3996) श्री मधु भगत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एकीकृत आदिवासी विकास बैहर, जिला बालाघाट में वर्ष, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं? कितने अपूर्ण हैं एवं उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिऐ किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनाँक को चेक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया है, वर्षवार कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्य में से कौन-कौन से कार्य हैं, जिनको पूर्ण किये बिना या कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान हुआ है, पूर्ण ब्यौरा देवें? (घ) उक्त निर्माण कार्य के लिऐ विभागीय सहायक यंत्री, उपयंत्री से कार्यों का प्राक्कलन सत्यापन एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार ही कार्य स्वीकृत किये गये है? कार्य की पूर्णता के आधार पर विभागीय उपयंत्री एवं सहायक यंत्रियों के मापांक कराया गया होगा? यदि कराया गया होगा, तो कराये गए निर्माण कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बतावें कि भुगतान प्रक्रिया में भुगतान राशि चेक द्वारा दिए गए हैं या पूर्णावंटित हैं या केश दिया गया है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं विद्युतीकरण मद में कराऐ गये कार्यो की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में उल्लिखित है। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यो में से किसी भी कार्य को पूर्ण किये बिना या कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। (घ) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में उल्लिखित है।

राशियों की जानकारी

74. (क्र. 3999) श्री मधु भगत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा से संबंधित क्षेत्र के विकास तथा अन्य समस्त कार्य हेतु संविधान

के अनुच्छेद 275 (1) अ विशेष केन्द्रीय सहायता मद से कितनी राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष को मिलाकर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त हुई? आवंटित की गई उक्त राशि का व्यय किस प्रकार कहाँ-कहाँ किया गया? (ख) संविधान के उपरोक्त अनुच्छेद तथा विशेष केन्द्रीय सहायता मदों में राशि का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? (ग) क्या इस संबंध में जारी नियम निर्देशों इत्यादि के प्रकरण में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को जो राशि व्यय की गई वह न्यायोचित है यदि हाँ, तो किस आधार पर?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राशि का विभाजन परियोजना की आदिवासी जनसंख्या के आधार पर तथा विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत राशि का विभाजन परियोजना की आदिवासी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। (ग) जी हाँ। विकास खण्ड बैहर एवं बिरसा की तुलना में विकास खण्ड परसवाड़ा में आदिवासी जनसंख्या कम है। राशि का निर्धारण विकासखण्डवार आदिवासी जनसंख्या को दृष्टिगत् रखते हुए किया जाता है, विधानसभा क्षेत्रवार नहीं।

अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिया जाना

75. (क्र. 4016) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री व स्कूल शिक्षा मंत्रीजी द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण/ बेनस अंक आदि के संबंध में कोई घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो घोषणा क्या थी? (ख) क्या म.प्र. के अतिथि शिक्षक, जिन्होंने 3 वर्ष का अध्यापन कार्य कर चुके, उन्हें बी.एड./डी.एड. के समकक्ष माना जाऐगा? क्या अतिथि शिक्षकों को वर्ग-3 में नियमित करने की शासन की कोई योजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) जी नहीं।

राजगढ़ जिले के संविदा शिक्षक वर्ग-3 का नियमितीकरण

76. (क्र. 4019) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में कुल ऐसे कितने संविदा शिक्षक वर्ग-3 के हैं, जिन्होंनें बी.एड./डी.एड. की योग्यता व संविदा अवधि पूरी कर ली है, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार उनको अभी तक नियमित क्यों नहीं किया गया? कब तक नियमित किया जावेगा? सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की जावेगी? हाँ, तो क्या? कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कुल 12 (बारह)। (ख) संबंधितों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज संबंधित निकायों में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अध्यापक संवर्ग में नियुक्त नहीं किये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी कृषकों को उपकरण उपलब्ध कराया जाना

77. (क्र. 4040) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग, रीवा द्वारा मऊगंज विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित पिपराही परियोजना से आदिवासी कृषकों को कृषि विभाग के माध्यम से क्या-क्या उपकरण उपलब्ध कराया जाता है, जानकारी नियम सहित देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विगत दो वर्षों में

कितने आदिवासी कृषकों को क्या-क्या उपकरण प्रदान किये गये हैं, उनका स्थाई पता सहित जानकारी देवें? एवं क्या इस वर्ष आदिवासी कृषकों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की सूची तैयार की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें एवं यदि नहीं तैयार की गई है, तो कब तक सूची तैयार करवाकर कृषि उपकरण उपलब्ध करा दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु डीजल / विद्युत पंप, कीटनाशक दवाईयां, खाद एवं बीज उपलब्ध कराये जाने के प्रावधानातंर्गत उपकरण एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराये गये है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** वर्ष 2014-15 भूमि समतलीकरण एवं मेंढ़ बंधान हेतु सूची तैयार की गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

<u>दोषीयो के विरूद्ध कार्यवाही</u>

78. (क्र. 4041) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि जिला आयुष अधिकारी उमरिया के विरूद्ध आयुष महिला कर्मी को मानसिक उत्पीड़ित करने के कारण विभागीय जाँच प्रारंभिक रूप से आरोपों की पुष्टि के पश्चात् संस्थापित है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के अधीन आरोपों का पूर्ण विवरण क्या है, तथा संबंधित आरोपी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है, विवरण सहित बतावें एवं आगे क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) आरोप पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। विभागीय जाँच प्रचलित है। निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

<u>चिकित्सकों व अन्य पदों की पूर्ति</u>

79. (क्र. 4052) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच विधानसभा क्षेत्र क्र. 229 नीमच अंतर्गत जिला मुख्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों व अन्य पदों के कितने पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में रिक्त पदों के कारण क्या स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं? यदि हाँ, तो इन रिक्त पदों की पूर्ति किस माध्यम से और कब तक की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) नीमच विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 229 अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञों के 35, चिकित्सकों के 30 व अन्य तृतीय/चतूर्थ श्रेणी के 292 पद रिक्त है (ख) जी नहीं, उपलब्ध स्टॉफ द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सा अधिकारियों के 1271 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र.लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार की कार्यवाही प्रचलन में है। पैरामेडिकल संवर्ग के 900 पदों हेतु म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को मांग-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। संभाग/जिला स्तर पर तृतीय/चतूर्थ श्रेणी की पदोन्नति/भर्ती की कार्यवाही जारी रहती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

<u>सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिऐ आयुष योजना का क्रियान्वयन</u>

80. (क्र. 4112) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिऐ आयुष योजना प्रारंभ है? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण स्वास्थ्य के संचालन हेतु शासन ने क्या-क्या नीति एवं मापदण्ड निर्धारित किये हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07, जिला मुरैना में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना के तहत क्या-क्या गतिविधियां संचालित की गई? (ग) यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों में आयुष योजना से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया गया व उसके अंतर्गत क्या-क्या गतिविधियां संचालित की गईं? यदि नहीं, तो क्यों व इस हेतु कौन-कौन जिम्मेदार/जवाबदार हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। इस योजना के द्वारा प्रदेश के समस्त औषधि केन्द्रो के माध्यम से रोग नियंत्रक तथा नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन की नीति निर्धारित की गई है, जिसके तहत आयुष स्वास्थ शिक्षा, आयुष घरेलू उपचार-को बढावा, आयुष प्राथमिक सहायक सेवा, आयुष प्राथमिक चिकित्सा सेवा एवं आयुष विशिष्ट सेवायें सम्मिलित की गई है। इसके संचालन हेतु प्रत्येक जिले में संचालित आयुष औषधालयों से जिले के ग्रामों को संबद्व कर आयुष सेक्टर का गठन कर इसका मुख्यालय उस सेक्टर के आयुष औषधालय को बनाया गया। प्रत्येक सेक्टर में 30 से 35 ग्रामों को शामिल किया गया है जिसकें माध्यम से इस कार्य-योजना द्वारा प्रतिरोधात्मक एवं सामान्य बीमारियों का नियत्रंण सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के प्रचार-प्रसार हेतु ''आयुष सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिये'' पुस्तिका का प्रकाशन भी किया गया। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार**। (ख) चिकित्सा अधिकारियों को निरिक्षण अधिकारी नियुक्त कर विधानसभा क्षेत्र दिमनी 7 जिला मुरैना में आयुष सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष पद्धति से परीक्षण कर रोगियों को चिकित्सा का लाभ प्रदान किया गया। (ग) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** अनुसार ग्रामों में आयुष योजना से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया गया एवं सेक्टर अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर रोगियों को परीक्षण उपरान्त चिकित्सा लाभ प्रदान किया गया।

<u>स्वास्थ्य प्रहरी दल के गठन की जानकारी</u>

81. (क्र. 4113) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक/NRHM/2013/समन्वय/146, भोपाल, दिनाँक 02/9/2013 के द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल का गठन करने का निर्णय लिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो स्वास्थ्य प्रहरी दल के अंतर्गत क्या-क्या गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जावेगा व इस हेतु क्या-क्या नीति/मापदण्ड निर्धारित है? (ग) विधानसभा क्षेत्र दिमनी-07, जिला मुरैना में प्रहरी दल द्वारा कहाँ-कहाँ गतिविधियों का संचालन किया गया, की जानकारी, ग्राम का नाम/ गतिविधि विवरण/ दिनाँक आदि सहित दी जावे? (घ) यदि गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया, तो क्यों, कारण बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**घूमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति के परिवारों हेतु आवास का निर्माण**</u>

82. (क्र. 4143) श्री दुर्गालाल विजय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड जाति के परिवारों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित हैं, इस संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं, बतावें? (ख) उक्त जाति के कल्याण हेतु वर्ष, 2013-14 से वर्तमान तक जिले में कितनी राशि प्राप्त हुई, इससे उक्त जाति के कल्याणार्थ क्या-क्या कार्य कराऐ गये, बतावें? (ग) जिले में उक्त जाति के कितने परिवार कहाँ-कहाँ, कब से रह रहे हैं, इनकी संख्या बतावें? (घ) क्या ये सच है कि श्योपुर शहर में मेंलाग्राउण्ड में विगत 5 दशक से घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड, गाड़ियालुहार (लोहापीटा) जाति के 50-60 परिवार खुले में प्लास्टिक की पाल-पल्ली तान कर रहे रहे हैं, उनके द्वारा सामुहिक रूप से प्रश्नकर्ता के नेतृत्तव में प्रभारी कलेक्टर/ सीईओ, जिला पंचायत श्योपुर को तथा जनसुनवाई में कलेक्टर, श्योपुर को भी इन लोगों के द्वारा आवेदन देकर आवास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई थी? (ड.) यदि हाँ, तो उक्त आवेदनों पर कलेक्टर एवं सीईओ द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कब तक उक्त परिवारों को आवास उपलब्ध करा दिऐ जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। (ख) श्योपुर जिले से नियमानुसार आवंटन की मांग प्राप्त न होने से उक्त जाति के कल्याण हेतु वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक जिले को योजनाओं में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उक्त जाति के परिवारों के निवास के संबंध में सर्वे नहीं होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। (ड.) उक्त आवेदनों पर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर द्वारा सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, श्योपुर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, श्योपुर से नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>**आयुर्वेदिक होम्योपेथिक एवं यूनानी डिस्पेंसरियों में स्टाफ की स्थिति**</u>

83. (क्र. 4144) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्तमान में कितनी आयुर्वेदिक होम्योपेथिक, यूनानी डिस्पेंसरियां कहाँ-कहाँ संचालित हैं, इनमें कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, में से कौन-कौन पद भरे/कब से खाली पड़े हैं व क्यों? इन्हें भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या ये सच है कि जिले के ग्राम पाण्डोला, कराहल, इकलोद को छोड़कर शेष डिस्पेंसरियों में चिकित्सकों के पद कई वर्षों से खाली पडे हैं, ये कम्पाउण्डर, दवासाज व दवाईयों के भरोसे संचालित हो रहे हैं? (ग) क्या ये भी सच है कि आयुष विंग, श्योपुर में होम्योपेथिक व यूनानी चिकित्सक/ अन्य स्टॉफ स्वीकृत मान से पदस्थ नहीं हैं? आयुर्वेदिक चिकित्सा हेतु मरीजों की जाँच व उपचार हेतु पंचकर्म के उपकरणों का स्टाफ व टेक्निशियन के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहा है, इस कारण प्रश्नांश (क) में वर्णित विधाओं के जरिऐ उपचार कराने वाले मरीजों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कठिनाई हो रही है?

(घ) यदि हाँ, तो क्या शासन मरीजों को उपचार का लाभ दिलाने हेतु उक्त डिस्पेंसरियों में उक्त रिक्त पदों को एक निश्चित समयसीमा में भरेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) श्योपुर जिले के अधीन 15 आयुर्वेद, 02 होम्योपैथी, 02 यूनानी डिस्पेंसरियां संचालित है। स्वीकृत, रिक्त व भरे पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। सेवानिवृत्त व छत्तीसगढ आवंटन से होम्योपैथी एवं यूनानी के पदो की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 722 पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से पुनः परीक्षा कराई जा रही है। पैरा-मेंडिकल स्टाफ की भर्ती 4.9.2014 एवं 28.2.2015 को नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है। (ख) जी हाँ। होम्योपैथी एवं यूनानी के पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। आयुर्वेदिक चिकित्सको के 722 पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से पुनः परीक्षा कराई जा रही है। (ग) आयुष विंग श्योपुर में एक चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत है।श्योपुर में होम्योपैथी एवं यूनानी विंग स्वीकृत नहीं है। प्रश्नांश ''क'' के उत्तर अनुसार (घ) होम्योपैथी एवं यूनानी के पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। आयुर्वेदिक चिकित्सको के 722 पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से पुनः परीक्षा कराई जा रही है।पैरा मेंडिकल स्टाफ की पूर्ति व्यापमं से प्राप्त प्रावीण्यता सूची से की जा चुकी है। शेष प्रतीक्षा सूची से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पचास"

माननीय वक्फ न्यायाधीकरण के आदेश का पालन नहीं किया जाना

84. (क्र. 4156) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिला विदिशा स्थित वक्फ मदरसा इस्लामिया कुरवाई के अवैध विनियम आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटिशन नम्बर 1409/14 में सुनवाई कर तीन माह में आदेश जारी करने के आदेश दिये है? (ख) यदि हाँ, तो प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने अपने आदेश क्रमांक एफ 2-2/13/54-2 दिनाँक 06 मई 2013 में इस विनिमय को जनहित में कार्य सम्पादन बावत् किया गया बताया गया और गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले में आदान-प्रदान होना नहीं दर्शाया गया है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित शासन के आदेश को माननीय वक्फ न्यायाधीकरण ने अमान्य कर दिया है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश पर तत्कालीन प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं उप सचिव के हस्ताक्षर है यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ग) के अनुसार वक्फ हितों के विपरीत आदेश पारित करने वालों के विरूद्ध एवं वक्फ न्यायाधीकरण के आदेश के पालन में शासन क्या तथा कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। प्रकरण क्र 1409/13 जिला विदिशा स्थित वक्फ मदरसा इस्लामिया कुरवाई के अवैध विनिमय आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटिशन नंबर 1409/13 उभय पक्ष को सुनवाई करने के आदेश दिये थे। (ख) तत्कालीन प्रमुख सचिव ने उभय पक्ष एवं उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और कागजातों के आधार पर मत

दिया था और प्रकरण सबजूडिस होने की स्थिति बताई थी। इसके अलावा प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित ब्यान में उपरोक्त विनिमय बोर्ड द्वारा बहुमत से पारित होने की स्थिति बताई थी अत: यह मत दिया गया था कि पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। (ग) वक्फ न्यायाधिकरण का आदेश दिनाँक 30.09.2013 का है। (घ) उपरोक्त स्थिति के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जिला मुख्यालय अनूपपुर में जिला स्तरीय चिकित्सालय का निर्माण

85. (क्र. 4172) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला मुख्यालय, अनूपपुर में जिला स्तरीय चिकित्सालय के नवीन भवन के निर्माण कराने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? (ख) क्या नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति क्या है? और यदि नहीं, तो निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराने का क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक/एफ 16-12/2007/17/मेंडि-3 दिनाँक 12.09.2007 को राशि रूपये 409.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। (ख) जी नहीं। प्रशासकीय स्वीकृति कालातीत हो जाने के कारण।

ग्रीन कार्ड धारियों को प्रदाय लाभ

86. (क्र. 4174) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय सेवा भर्ती में ग्रीन कार्डधारी अभ्यार्थियों को क्या-क्या लाभ देने का प्रावधान है? (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) द्वारा भर्ती में ग्रीन कार्ड धारियों को लाभ प्रदाय क्यों नहीं किया जा रहा हैं? (ग) क्या प्रश्नांश ख से संबंधित ग्रीन कार्ड धारियों को लाभ प्रदाय हेतु निर्देश दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) ग्रीनकार्ड में उल्लेखित निर्देश की **प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंन्तर्गत संविदा नियुक्ति शासकीय सेवा नहीं होने के कारण भर्ती में ग्रीनकार्ड धारियों को लाभ प्रदाय नहीं किया जा रहा है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

खरगौन जिले में संस्थाओं की खरीदी

87. (क्र. 4255) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2010 से 2015 तक आदिवासी विकास विभाग, जिला खरगौन द्वारा किस-किस एस.सी./एस.टी. संस्थाओं से खरीदी की गई, नाम/पता एवं रजिस्ट्रेशन नंबर सहित सूची दें? (ख) खरीदी नियम में एस.सी./एस.टी. संस्थाओं से खरीदी का कितना प्रतिशत् अनिवार्यत: खरीदना आवश्यक है? क्या इस प्रतिशत का पूर्णत: पालन किया जा रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वर्ष 2010 से 2015 तक आदिवासी विकास, खरगौन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग क्रय नियम 2002 अनुसार शासन द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं से सामग्री क्रय की गई हैं। एस.सी./एस.टी. संस्थाओं से सीधे क्रय का प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति

कल्याण विभाग क्रय नियम 2002 के प्रावधान अनुसार शासन द्वारा प्राधिकृत एस.सी./एस.टी. संस्थाओं से कम से कम 30 प्रतिशत सामग्री क्रय किये जाने का प्रावधान है। संस्थाओं द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।

आशा कार्यकर्ता के चयन की प्रक्रिया

88. (क्र. 4344) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आशा कार्यकर्ता के चयन की प्रक्रिया क्या है तथा किसे आशा कार्यकर्ता के लिए चयन किया जा सकता है? नियमावली उपलब्ध करावें? (ख) अनूपपुर जिले में विगत एक वर्ष में कितने आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है? नाम, पता, जाति तथा कार्यभार हेतु सौंपे गये ग्रामों का नाम सहित जानकारी प्रदान करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) आशा कार्यकर्ता की चयन प्रक्रिया तथा आशा कार्यकर्ता के चयन हेतु योग्य उम्मीदवार का उल्लेख नियमावली/दिशा निर्देशों में उल्लेखित है। दिशा निर्देशों (नियमावली) की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) अनूपपुर जिले में विगत एक वर्ष में कुल 37 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

लायसेंस/अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

89. (क्र. 4364) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विनियम 2011 के तहत पंजीकृत कितने लायसेंसी/अनुज्ञप्ति धारी खाद्य एवं पेय पदार्थ उत्पादन निर्माता कम्पनिया/प्रतिष्ठान, विक्रेता व व्यवसायी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिनियमों ने पंजीकृत कितने खाद्य/पेय पदार्थ उत्पादन निर्माता कम्पनियों/प्रतिष्ठानों विक्रेता व व्यवसायियों के लायसेंस/अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया है और इनसे नवीनीकरण शुल्क की कितनी राशि की वसूली की गई हैं? वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में पंजीकृत कितने खाद्य/पेय पदार्थ उत्पादन निर्माता कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों/विक्रेता व्यवसायियों ने लायसेंस/अनुज्ञप्ति का निर्धारण समयावधि में नवीनीकरण नहीं कराया है, उनसे विलम्ब शुल्क की किस दर से कितनी राशि की वसूली की गई, तथा कितनों से कितनी राशि वसूल करना बकाया है? बकाया राशि की वसूली हेतु कब किस पर क्या कार्यवाही की गई है? वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्रम कर जमा कराये जाने बाबत्

90. (क्र. 4365) श्री नीलेश अवस्थी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि भवन एवं अन्य संनिर्माण, कर्मकार, उपकर अधिनियम 196 के प्रावधानों अनुसार सभी शासकीय एवं अशासकीय भवनों के निर्माण पर निर्माण राशि का एक प्रतिशत उपकर जमा करना अनिवार्य हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जबलपुर संभाग में उपकर निधारण वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन संस्थाओं/व्यक्तियों को किस-किस दिनाँक को उप कर राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किये गये? (ग) प्रश्न (ख) में उल्लेखित कर जमा कराने का दाईत्व किन-किन पर

हैं? दाईत्व का निर्वाह न कर पाने की वजह से उन के ऊपर कब-कब क्या कार्यवाही की गई? (घ) वर्ष 2010 से जबलपुर संभाग अन्तर्गत किन-किन बिल्डरों, कालोनीनाइजरों द्वारा विभाग में पंजीयन करवाकर, किन-किन प्रोजक्टों का श्रमिक एवं अन्य कर जमा किये गये हैं? जिलेवार सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि विभाग द्वारा इन प्रोजेक्टो कब-कब भौतिक सत्यापन किया गया एवं क्या पाया गया, और क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ"** में है। (ग) प्रश्नांश ख में उल्लेखित कर जमा कराने का दायित्व म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर निर्धारण अधिकारी का है। समस्त उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपकर जमा किये जाने की कार्यवाही की जाती है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब"** में है। जिनमें अनुवर्ती कार्यवाही निरंतरित है।

पिछड़ा वर्ग के जातियों को शामिल करना

91. (क्र. 4395) श्री निशंक कुमार जैन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में मैना, मीणा, कीर, पारधी आदि किन-किन जातियों को पिछड़ा वर्ग से सम्मिलित किए जाने के संबंध में वर्तमान में कौन-कौन सी कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित हैं? (ख) राज्य में ऐसी कौन-कौन सी जाति हैं जिसे किसी एक क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति माना जाकर अन्य क्षेत्रों में पिछड़ी जाति माना जा रहा हैं एवं सामान्य जाति माना जा रहा है? (ग) किसी एक क्षेत्र में जिन जातियों को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति माना जा रहा हैं? अन्य क्षेत्रों में सामान्य जाति माने जाने की बजाय पिछड़ी जाति में शामिल न किए जाने के क्या-क्या कारण हैं? (घ) विदिशा जिले में मैना एवं मीणा जाति को पिछड़ें वर्ग में शामिल करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनाँक 05 नवम्बर 2014 को लिखे गए पत्र पर आयुक्त भोपाल संभाग ने क्या कार्यवाही की कब तक इन्हें पिछड़े वर्ग में सम्मिलित कर लिया जावेगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) मैना जाति संबंधी आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है, जाँच प्रचलित है। मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज व लटेरी तहसील को छोडकर) पूर्व से सूची में सम्मिलित है। सिरोंज एवं लटेरी तहसील को भी सूची में सम्मिलित करने हेतु आयुक्त भोपाल संभाग से सर्वे रिर्पोट चाही गई है। कीर जाति सूची में सम्मिलित है। पारधी जाति संबंधी निर्धारित प्रपत्र में कोई आवेदन म0प्र0 पिछडा वर्ग आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) किसी भी जाति को पिछडे वर्ग की सूची सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछडेपन के मापदण्डों के आधार पर सम्मिलित किया जाता है। पिछडे वर्ग की सूची में सम्मिलित करने हेतु विहित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। (घ) कलेक्टर विदिशा द्वारा इस संबंध में शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछडेपन की जानकारी विधिवत संकलित करने की कार्यवाही की जा रही है। समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "बावन"

राज्य बीमारी सहायता निधि में स्वीकृत प्रकरण

92. (क्र. 4396) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य बीमारी सहायता निधि से सहायता के क्या प्रावधान है इन प्रावधानों में लंबित आवेदनों के निपटारों की क्या व्यवस्था की गई हैं, आवेदनों को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या लंबित रखे जाने के क्या प्रावधान है? (ख) विदिशा जिले से गत दो वर्षों में राज्य बीमारी सहायता निधि से किस व्यक्ति ने किस बीमारी के ईलाज हेतु कितनी सहायता का आवेदन किस दिनाँक को प्रस्तुत किया उस आवेदन पर किस दिनाँक को कितनी राशि स्वीकृत की गई किस आवेदन को किन कारणों से अस्वीकृत किया? किस आवेदन को किन कारणों से लंबित रखा हुआ हैं? (ग) किन-किन गंभीर बीमारियों के लिए सहायत निधि से राशि स्वीकृत किए जाने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई हैं? उस समय में राशि स्वीकृत न किए जाने की स्थिति में ईलाज के अभाव में मृत्यु होने पर किसे जवाब देह माना गया हैं? (घ) राज्य सहायता निधि से समय सीमा के अन्दर प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। विदिशा जिले में गत दो वर्षों से कोई आवेदन अस्वीकृत नहीं किया गया है एवं न ही कोई आवेदन लंबित रखा हुआ है। (ग) योजना अन्तर्गत चिन्हित 20 बीमारीयों (**पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार)** के लिये राशि स्वीकृत किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा 20 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। उक्त समय सीमा में राशि स्वीकृत की जाने की कार्यवाही की जाती है एवं प्रकरण कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जाँच कर इलाज हेतु संबंधित संस्था को ईलाज हेतु लिखा जाता है जिससे समय पर इलाज हो जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) राज्य बीमारी सहायता निधि के प्रकरणो की स्वीकृती हेतु मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित किया गया है। जिसमें पदाभिहित अधिकारी नियुक्त कर समय सीमा 20 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।

अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति व्यायाम निर्देशक के पद पर करने बावत्

93. (क्र. 4406) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यायाम शिक्षकों के पंदाकन की क्या नीति है? म.प्र. व्यायाम शिक्षकों के इन्दौर जिले में कितने पद स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त है? जानकारी प्रदान करें? (ख) इन्दौर जिले में वर्ष 2014 में कितने सहा. शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग को विभाग द्वारा व्यायाम शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है? जानकारी प्रदान करें? (ग) उपरोक्त वर्षों में शासन द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों के वेतन भत्तों, आवास, प्रशिक्षण एवं यात्रा भत्तों पर कितनी राशि व्यय की है? वर्षवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्न (ख) के संदर्भ में उपरोक्त वर्षों में प्रशिक्षित कितने व्यायाम शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान कर व्यायाम निर्देशक के पद पर पदांकित किया गया है? (ड.) क्या यह सत्य है कि सहा. शिक्षकों को प्रशिक्षण उपरांत व्यायाम निर्देशक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है? किन्तु अध्यापक संवर्ग को प्रशिक्षण उपरांत कोई पदोन्नति नहीं दी जाती है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों कारण बतावें? (च) क्या अध्यापक संवर्ग को व्यायाम निर्देशक के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है? यदि नहीं तो क्या निर्णय लिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शास. उच्चतर माध्यमिक विघालयों में स्वीकृत व्यायाम निर्देशक के पद पर पदांकन की नीति है। इन्दौर जिले में व्यायाम शिक्षक के 43 पद स्वीकृत, 30-कार्यरत एवं 13 पद रिक्त है। (ख) वर्ष 2014 में किसी भी सहायक शिक्षक/अध्यापक संवर्ग ने व्यायाम शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। सहायक अध्यापक (व्यायाम) की पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (च) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>मध्यप्रदेश सनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाए</u>

94. (क्र. 4427) श्री जतन उईके : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रसूति सहायता/छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो प्रसूति सहायता एवं छात्रवृत्ति में तीन वर्षों में कितनी सहायता राशि प्रदाय की गई एवं कितने दिनों में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है? (ग) छिन्दवाड़ा जिले में इस योजना के अन्तर्गत जनपद पंचायत/नगरपालिका को कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है? क्या सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित विभागों में विगत छः माह से प्रकरण भी लंबित रखे गये हैं? यदि हाँ, तो संख्या बताएं?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांकित अवधि में योजनावार चाही गई जानकारी निम्नानुसार टेबल अ में दिया गया है। प्रसूति सहायता योजना में 30 कार्य दिवस में तथा शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना (छात्रवृत्ति) में 31 मार्च के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर सहायता राशि वितरित किये जाने का प्रावधान है। (ग) छिन्दवाड़ा जिले में जनपद पंचायत/नगर पालिका को कुल 7,32,72,700/- की राशि उपलब्ध कराई गई है। अतः आवंटन के आभाव में वर्तमान में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। टेबल - अ

क्रमांक	योजना का नाम	वितरित सहायता राशि रू.
1.	प्रसूति सहायता योजना	68,68,81,105 /-
2.	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	1,08,11,78,965 /-

<u>अनुसूचित जनजाति (टंटया भील मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना) में प्राप्त आवेदन पत्र</u>

95. (क्र. 4429) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (टंटया भील) कब प्रारंभ हुई? तथा जब से प्रारंभ हुई प्रति वर्ष जबलपुर संभाग के प्रत्येक जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुऐ जिलेवार बताईयें एवं किस-किस बैंक को टंटया भील योजना के तहत कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये? कितने अस्वीकृत किए गये? (ख) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र पर बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा शासन मार्जिन मनी सहायता राशि कितने प्रतिशत दी जाती है? तथा ऋण का अदायगी बैंक द्वारा ऋण प्रदाय किया जाता है? तथा कितनी राशि का अनुदान शासन द्वारा प्रदाय किया जाता है? (ग) छिन्दवाड़ा जिले में इस योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों का निवारण किया गया तथा कितनी राशि स्वीकृत कर हितग्राहियों को दी गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"क" एवं "ख" अनुसार** है। (ख) योजनान्तर्गत बैंक द्वारा स्वीकृति पगदान की जाती है तथा शासन मार्जिन मनी सहायता राशि ईकाई लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख रूपये दी जाती है। (ग) योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 100 के विरूद्ध 261 प्रकरण प्राप्त हुए इनमें से 30 प्रकरणों में 37.50 लाख राशि स्वीकृत की जबकि 14 वितरित पगकरणों में रूपये 18.00 लाख की राशि वितरित की गई। 231 प्रकरण लम्बित हैं।

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट छात्रावास

96. (क्र. 4431) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलों में उत्कृष्ट छात्रावासों विकास खंडवार संचालित है? यदि हाँ, तो संख्या बताये? (ख) कितने विकासखण्ड़ों में उत्कृष्ट छात्रावास संचालित हैं एवं कितने विकास खण्ड में नहीं? (ग) अगर विकासखण्डों में उत्कृष्ट छात्रावास नहीं है, तो उसकी स्वीकृति कब तक की जावेंगी? (घ) क्या उत्कृष्ट छात्रावासों में शासन द्वारा विशेष सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं यदि हाँ,तो क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। 89 आदिवासी विकासखण्डों में 01 बालक एवं 01 कन्या 50 सीटर कुल 178 उत्कृष्ट छात्रावास संचालित है। (ख) समस्त आदिवासी विकासखण्डों में संचालित है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। दी जा रही विशेष सुविधायें निम्नानुसार हैं- 1. पौष्टिक आहार रूपये 100/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह के मान से दस माह हेतु। 2. पुस्तक एवं स्टेशनरी रूपये 2000/- प्रति विद्यार्थी एक वर्ष हेतु। 3. कोचिंग सुविधा।

पूर्ण कालिक अनिहित अधिकारी की नियुक्ति

97. (क्र. 4435) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राज्य में अभिहित अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य के साथ-साथ कार्य कर रहें हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर ने जनहित याचिका क्रमांक 7677/2012 में पूर्णकालिक अभिहित अधिकारी की नियुक्ति 06 माह के अंदर करने हेतु निर्देशित किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में राज्य शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं? (घ) यदि प्रश्नांश (ख) अनुसार पूर्णकालिक अभिहित अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा में नहीं की गई, तो इससे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत बनाये गये मिलावटी प्रकरणों में क्या प्रभाव पड़ेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 1954 के तहत नियुक्ति/पदोन्नति

98. (क्र. 4436) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में 05 अगस्त 2011 से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम प्रभावी है? यदि हाँ, तो क्या पूर्व से प्रचलित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत विभाग में नियुक्ति/पदोन्नति की जा रही हैं? यदि हाँ, तो किस आधार पर बताएं? (ख) क्या उपरोक्त संबंध में म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा भी सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विभाग को पत्र नये भर्ती नियम बनाने हेतु लिखा है? यदि हाँ, तो क्या लिखा हैं, बताएं एवं भर्ती नियमों में कब तक संशोधन कर दिया जावेगा? (ग) क्या वर्तमान में पुराने निरसित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में वर्णित पद अनुसार ही विभाग में भर्ती/पदोन्नति की जावेगी? यदि हाँ, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शालाओं से संबंधित निर्माण कार्य

99. (क्र. 4445) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर, जिला जबलपुर में कौन-कौन सी शालाओं के उन्नयन/ बाउण्ड्रीवाल/ अतिरिक्त कक्ष/ पेयजल/ खेल मैदान/ शौचालय के प्रस्ताव है? कितने स्वीकृत एवं कितने लंबित हैं? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कौन से निर्माणाधीन है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर, जिला जबलपुर की शालाओं का उन्नयन /बाउण्ड्रीवाला/अतिरिक्ति कक्ष/पेयजल/खेलमैदान /शौचालय के प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

क्र.	निर्माण कार्य	अब तक के प्रस्ताव	स्वीकृत	लंबित
1	उन्नयन	2	2	0
2	बाउण्ड्रीवाल	188	9	172
3	अतिरिक्त कक्ष	238	220	13
4	पेयजल	16	16	0
5	खेल मैदान	0	0	0
6	शौचालय	150	136	14
	कुल	**594**	**383**	**204**

(क) पनागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में एवं 07 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन प्रस्ताव **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार**। बाउण्ड्रीवाल/अतिरिक्त कक्ष/पेयजल/खेल मैदान/शौचायल के स्वीकृत एवं लंबित प्रस्तावों की शालावार सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार**। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार पूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	निर्माण कार्य	स्वीकृत	पूर्ण	निर्माणाधीन
1	उन्नयन	2	1	1
2	बाउण्ड्रीवाल	9	9	0
3	अतिरिक्त कक्ष	220	203	12
4	पेयजल	16	16	0
5	खेल मैदान	0	0	0
6	शौचालय	138	138	0
	कुल	**383**	**370**	**13**

(ख) स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यों की शालावार सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार**।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

100. (क्र. 4451) श्री वीरसिंह पंवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन का नियम है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यान्वित किये जा सकते है? (ख) क्या सिरोंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत पूरे पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है? यदि नहीं तो कितने कार्यरत है और कितने स्थान रिक्त है? (ग) क्या सिरोंज तहसील और विधान सभा क्षेत्र कुरबाई के ग्राम दीपनाखेड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र को पदोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सकती है? (घ) क्या दीपनाखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित और विचाराधीन है तो वह कब तक पूर्ण हो सकेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। वर्तमान में 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत होकर कार्यरत है एवं दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। (ग) परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जावेगा। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा शिक्षक की नियुक्ति

101. (क्र. 4480) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के जन शिक्षा केन्द्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट के द्वारा वर्ष 2011 एवं 2012-13, 2013-14 में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 01, 02, 03 में नियुक्ति हेतु किस-किस संवर्ग के पद रोस्टरानुसार आरक्षित किये गये थे? वर्षानुसार, जनपदवार जानकारी पृथक-पृथक देवें? (ख) क्या यह सही हैं, कि वर्ष 2011 में जनशिक्षा केन्द्र मुख्यकार्यपालन अधिकारी बालाघाट के द्वारा आरक्षित कोटानुसार नियुक्ति हेतु श्रेणी 3 एस.टी.वर्ग के लिए दिनाँक 29.07.2011 को साक्षात्कार हेतु श्रीमती सावित्री मरकाम निवासी भजियादण्ड को बुलवाया गया था? (ग) क्या यह भी सही हैं, कि प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित संवर्ग हेतु श्रीमती सावित्री मरकाम की नियुक्ति शासकीय प्राथ. शा. कन्हारटोला में जनशिक्षा केन्द्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट के पत्र सरल क्रं. 72 दिनाँक 29.07.2011 को शासकीय प्राथमिक शाला कन्हारटोला में सहायक शिक्षक के किस संवर्ग हेतु नियुक्ति की गई थी? (घ) क्या यह भी सही हैं, कि प्रश्नांश (ग) में वर्णित सहायक शिक्षक के द्वारा उपरोक्त शाला में चार दिन ड्यूटी में उपस्थित होने के साथ ही उन्हें एक माह का प्रशिक्षण डाइड बालाघाट में दिलवाया गया था? यदि हाँ, तो उपरोक्त कर्मचारी को अचानक बिना कारण बतायें उन्हें नौकरी से क्यों हटाया गया? कारण सहित स्पष्ट जानकारी देवें? (ड.) क्या यह भी सही हैं, कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा कलेक्टर बालाघाट, जनशिकायत निवारण विभाग म.प्र. शासन एवं सी. एम. हेल्पलाईन में किस-किस दिनाँक को शिकायत प्रस्तुत की गई? उक्त शिकायत पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त कर्मचारी को पुन: संविदा सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित समय सीमा बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ङ.) जी हाँ। कलेक्टर बालाघाट का pg/235151/2013/99, दिनाँक 03/08/2013 एवं सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत क्रं. 341389, दिनाँक 19/10/14 पद दर्ज है। शिकायत की विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी खैरलांजी से जाँच कराई गई। जाँच में शिकायत निराधार पाई गई, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चउवन"

अंशदायी पेंशन कटौत्रा राशि को नियत एजेंसी में भेजने विषयक

102. (क्र. 4499) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन अंतर्गत 01.01.2005 के पश्चात शासकीय/अद्र्धशासकीय संस्थाओं, निगमों मण्डलों, के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है? यदि हाँ, तो क्या स्कूल शिक्षा विभाग/म.शि.मण्डल भोपाल द्वारा कर्मचारियों/ अधिकारियों का अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत 10 प्रतिशत राशि कटौत्रा किया जाकर आज पर्यन्त तक की राशि शासन स्तर से नियत की गई क्रियान्वयन एजेंसी को भेजी गयी है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि नहीं तो कटौत्रा की गई राशि को विभाग द्वारा नियुक्त एजेंसी को नहीं भेजे जाने से हुई आर्थिक हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ग) क्या 01.01.2005 से पूर्व शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के अनुसार अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत कटौत्रा राशि से नियमित कर्मचारियों के अनुसार अग्रिम राशि का आहरण किया जा सकता है? यदि हाँ, तो शासन के किस आदेश के तहत? शासन आदेश की प्रति देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्तियों की अप्रेल 2011 से अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत कटौत्रा अन्तर्गत 10 प्रतिशत राशि एवं उतनी ही (10 प्रतिशत) नियोक्ता अंशदान की राशि नियत की गई एजेन्सी एन. एस. डी. एल. मुम्बई (National Securities Depository Limited) को भेजी जाती है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

डी.पी.एड. धारी शिक्षकों का पदांकन

103. (क्र. 4502) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2013 तक कुल कितने सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों को विभागीय डिप्लोमा इन फिजीकल ऐज्यूकेशन (डी.पी.एड.) प्रशिक्षण के लिये फिजीकल कॉलेज शिवपुरी में भेजा गया है? वर्षवार संख्या बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्षवार प्रशिक्षित सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों में से कितने कितने प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को व्यायाम शिक्षक के पद पर पदांकित किये गये हैं? वर्षवार संख्या बतावें? (ग) यदि नहीं, तो पदांकन नहीं करने का कारण स्पष्ट करें? क्या भविष्य में प्रशिक्षित अध्यापकों को व्यायाम शिक्षक के पद पर पदांकन करने की नीति बनायी गई है? यदि नहीं, तो विभागीय प्रशिक्षण क्यों दिलवाया जाता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ख) निरंक। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रशिक्षित सहायक अध्यापक/अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक को व्यायाम निर्देशक के पद पर पदांकित करने का प्रावधान नहीं होने के कारण पदांकन नहीं किया जाता है। विभागीय प्रशिक्षण (डी.पी.एड.) अनिवार्य नहीं है, बल्कि शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ऐच्छिक सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की गई है।

परिशिष्ट – "पचपन"

गुना जिले के शिक्षा विभाग में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन भवन

104. (क्र. 4513) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या - गुना जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष, स्कूल बाउण्ड्री एवं पेयजल हेतु हेण्ड पम्प तथा शौचालय स्वीकृत हुए हैं? यदि हाँ, तो ब्लॉक वार जानकारी देकर बतायें कि कौन से पूर्ण हो गये, कौन से अपूर्ण हैं? (ख) क्या - प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्यों के निर्माण में गुणवत्ता तथा स्वीकृत राशि डिजाईन में अंतर है? (ग) क्या - प्रश्नांश (क) में जो निर्माण हो गये या निर्माणाधीन है उनके मूल्यांकन हेतु तकनीकी अधिकारी कम है या जानबूझकर व्यवधान करते हैं या अपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन करके गलत भुगतान कराया है? अपूर्ण एवं पूर्ण कार्यों का कारण सहित विवरण दें? (घ) क्या - चांचौड़ा वि.सभा में विभाग द्वारा प्रश्नांक के स्वीकृत कार्यों में पक्षपात किया है या आगामी वर्षों में नवीन स्वीकृति होना है? कितने कार्य अपूर्ण है उनका मूल्यांकन कर की गई अनियमितता, कार्यवाही कारण सहित विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की ब्लॉकवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार।** गुना जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष, स्कूल बाउण्ड्री एवं पेयजल स्वीकृत नहीं हुए हैं। स्वीकृत शौचालय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। 03 उपयंत्रियों के पद रिक्त हैं। कार्य स्थल पर जो वास्तविक कार्य अनुसार मूल्यांकन किया जाता है, जिन निर्माण एजेंसियों ने राशि आहरण कर मौके पर कार्य नहीं कराया है उनके विरूद्ध एस.डी.एम. कोर्ट में वसूली प्रकरण पंजीबद्ध कराये गये हैं। अपूर्ण एवं पूर्ण कार्यो की सूची कारण सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है।"में उल्लेखित है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल में वर्तमान में निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। जी हाँ, आवश्यकता उत्पन्न होने पर। प्रति वर्ष जिले की शालाओं के डाइस डाटा अनुसार आवश्यकता उत्पन्न होने पर कार्य योजना तैयार कर भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की जाती है। अपूर्ण कार्यो के मूल्यांकन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है जिसमें कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है। जी नहीं। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री निर्माण से संबंधित शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ज्ञानपुंज टीम के सदस्यों का चयन

105. (क्र. 4563) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा के आदेश क्रमांक 63 रीवा दिनाँक 04.02.2012 के द्वारा सतना जिले के लिये ज्ञानपुंज टीम के सदस्यों का चयन किया गया था? (ख) क्या यह भी सही है कि आवेदन पत्र में एक प्रमाण पत्र लिया गया था कि संबंधित के विरूद्ध कोई

विभागीय जाँच लंबित नहीं है? (ग) क्या यह सही है कि ज्ञानपुंज टीम का एक सदस्य 25.05.2011 द्वारा निलम्बन से बहाल हुआ था, तथा उसकी विभागीय जाँच के आदेश क्रमांक 2874 दिनाँक 13.06.2014 द्वारा निराकृत की गई है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) व (ग) सही है, तो सतना जिले की पूरी ज्ञानपुंज टीम की पात्रता की जाँच कराई जावेगी? जाँच उपरांत झूठा प्रमाण पत्र देने वाले ज्ञानपुंज टीम सदस्यों को हटाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) ज्ञानपुंज की पूरी टीम की पात्रता की जाँच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सदस्य श्री देशराज प्रजापति, वरिष्ठ अध्यापक जिनके विरूद्ध विभागीय जाँच प्रचलित थी, उनकी विभागीय जाँच कराई जा चुकी है व विभागीय जाँच में कोई भी आरोप उन पर प्रमाणित न होने पर कलेक्टर सतना के अनुमोदन पत्र कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2873-2874/सतर्कता/विभागीय जाँच/2014 सतना, दिनाँक 13.06.2014 द्धारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किया जा चुका है। अत: पुन: जाँच कराये जाने अथवा हटाये जाने का औचित्य नहीं है।

श्योपुर जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या

106. (क्र. 4601) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में कुपोषण को समाप्त करने व कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं इन योजनाओं के लिए वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक की अवधि में कितनी-कितनी राशि जिले को प्रदाय की गई इस अवधि में इस राशि को संचालित योजनाओं के तहत किन-किन कार्यों में व्यय की गई पूर्ण जानकारी वर्ष/योजनावार बतावे? (ख) श्योपुर जिले में उक्त अवधि में कितने कुपोषित बच्चे कहाँ-कहाँ चिहिन्त किये गये की संख्या विधानसभा क्षेत्रवार/वर्षवार पृथक-पृथक बतावे इन बच्चों को सुपोषित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों? कितने कुपोषित बच्चे उकत अवधि में जिला चिकित्सालय की एनआरसी में भर्ती होकर लाभान्वित हुए बतावे? (ग) क्या यह सच है कि शासन द्वारा उक्त योजनाओं के तहत पर्याप्त राशि व सुविधाए उपलब्ध कराने के बावजूद भी जिले से कुपोषण व कुपोषित बच्चों की संख्या समाप्त नहीं हो पा रही हैं इसके क्या कारण हैं इस हेतु कौन उत्तरदायी हैं, के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? (घ) जिले को कब तक कुपोषण मुक्त कर दिया जावेगा इस हेतु क्या कार्यवाही अथवा प्रयास किये गये अथवा किये जा रहे हैं। अवगत करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शाला स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा अंतर्गत संचालित योनजाएं

107. (क्र. 4613) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाला स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में कौन-कौन सी योजना/अभियान वर्तमान में संचालित हैं? योजना के तहत कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं? कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2010 से, प्रश्न दिनाँक तक सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के कार्य स्कूलों में कितनी-कितनी लागत से किन-किन मदों से कब-कब कराये गये? (ख) इन निर्मित इकाईयों में से कितनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है? कितनों का नहीं? स्कूलवार, वर्षवार बतायें? (ग) प्रश्नांक (क) के तहत निर्माण कार्यो, प्रशासनिक कार्यों एवं

कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? कितनी राशि कब-कब खर्च की गई? पृथक-पृथक स्कूलवार, वर्षवार बतायें? (घ) प्रश्नांश (क) के तहत स्वच्छता परिसरों, पेयजल के संसाधनों का उपयोग न होने के क्या कारण हैं? स्कूलों में स्वच्छता के अभाव का कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या कारण है? इस संबंध में क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से (ग) - स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान योजना के तहत प्रत्येक शालाओं में पृथक पृथक (बालक/बालिका) उपयोगी शौचालय एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कार्य इस विभाग से संबंधित नहीं है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के कार्य स्कूलों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कराया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (घ) उत्तरांश "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण</u>

108. (क्र. 4615) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में दर्ज संख्या के आधर पर जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के आदेश क्रं. शालाओं का यु.यु/आदेश/31 कटनी दिनाँक 05/04/2013 कितने विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया है? सूची प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार शासकीय कन्या माध्यमिक शाला बड़गांव जिला कटनी का युक्तियुक्तकरण पर्याप्त दर्ज संख्या एवं इसी परिसर में संचालित बालिका छात्रावास में रह रही छात्राओं की अध्यापन सुविधा के बाद भी क्यों किया गया है? (ग) वर्तमान सत्र में कन्या छात्रावास एवं संचालित विद्यालय में कितनी बालिकायें अध्ययनरत् हैं तथा क्या कलेक्टर कटनी ने उक्त शासकीय बालक माध्यमिक एवं शासकीय कन्या माध्यमिक शाला को पूर्ववत संचालित करने का आदेश प्रदान किया है? यदि हाँ, तो तद्नुसार पालन क्यों नहीं किया गया है? आदेश पालन करने की समय सीमा बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिले में प्रश्नांकित आदेश द्वारा 07 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया। जिनकी सूची "**जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है।" (ख) शासकीय कन्या माध्यमिक शाला बडगांव एवं शासकीय बालक माध्यमिक शाला बडगांव एक ही परिसर में होने के कारण शासकीय कन्या माध्यमिक शाला को पूर्व से संचालित मूल संस्था शासकीय बालक माध्यमिक शाला बडगांव में समाहित किया गया है। बालिका छात्रावास बडगांव तथा माध्यमिक शाला बडगांव एक ही परिसर में है। उक्त माध्यमिक शाला बडगांव में बालक एवं बालिकायें दोनों अध्ययनरत है। अतः बालिकाओं की सुविधा में कोई अंतर नहीं आया है। (ग) वर्तमान में कन्या छात्रावास बडगांव में 100 बालिकायें तथा संचालित विद्यालय में 277 बालिकायें अध्ययनरत है। जी नहीं, शेषांश का प्रश्न नहीं उठता।

<u>परिशिष्ट – "छप्पन"</u>

<u>दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण</u>

109. (क्र. 4618) डॉ. मोहन यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 में म.प्र. के विभिन्न जिलों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (अकुशल, कुशल, अर्धकुशल, उच्चकुशल) के लिये क्या दर निर्धारित है प्रति उपलब्ध करावें? वित्तीय वर्ष 2014-15 में उज्जैन जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को किस दर से भुगतान किया जा रहा है एवं उनके नियमितीकरण के क्या नियम हैं? (ख) क्या यह सही है कि संबंधित विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निर्धारित दर अनुसार भुगतान नहीं किया जाकर कम दर से भुगतान किया जा रहा है, यदि हाँ, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) की जानकारी हाँ है तो क्या अंतर की राशि का संबंधित कर्मचारियों को भुगतान किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये निर्धारित वेतन दर की प्रति **संलग्न परिशिष्ट** पर है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में उज्जैन जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को उक्तानुसार निर्धारित वेतन दर से भुगतान किया जा रहा है। शासकीय विभागों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के नियम संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित किये जाते है। अतः श्रम विभाग द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तर "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "सत्तावन"

स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकीय सुविधाएं

110. (क्र. 4652) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं मिनी स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? सूची देवें एवं इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्या-क्या चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सामुदायिक स्वा.केन्द्र, प्राथ. स्वा.केन्द्र एवं मिनी स्वा. केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, केन्द्रवार सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पदों में कौन-कौन, कब से पदस्थ हैं एवं कौन-कौन से पद, कब से रिक्त हैं? सूची देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पदों को भरने हेतु शासन स्तर पर कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

शासकीय/अशासकीय स्कूल में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप

111. (क्र. 4653) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासकीय व अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा स्कॉलरशिप प्रदाय की जा रही है जिसमें संबंधित छात्र/छात्रा का समग्र आई.डी. होना अनिवार्य किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो समग्र आई.डी. के अभाव में जिन छात्र/छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिली है उस हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) सिवनी जिले में ऐसे कितने

छात्र/छात्रा हैं जिन्हें समग्र आई.डी. के अभाव में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रश्न दिनाँक तक स्कॉलरशिप नहीं दी गई है? संस्थावार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जिन विद्‍यार्थियों का समग्र आई.डी. नहीं है, उनका समग्र आई.डी. स्थानीय निकायों द्‍वारा समग्र पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर विद्‍यार्थियों की शाला से मेंपिंग उपरान्त छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जाती है। (ग) सिवनी जिले में चालू वित्तीय वर्ष में समग्र आई.डी. के अभाव में प्रश्न दिनाँक तक कोई भी छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अभिलेख उपलब्ध करवाना

112. (क्र. 4695) श्रीमती रेखा यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि परि.अता. प्रश्न संख्या 21 दिनाँक 18 जुलाई 2014 में परिभाषित वनभूमि वाले प्रत्येक ग्रामों की ग्रामसभा/ग्राम पंचायतों को पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी एवं निस्तार पत्रक की प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किए गए है की जानकारी दिए जाने के बाद भी भोपाल-होशंगाबाद संभाग में प्रश्नांकित तिथि तक भी ग्रामसभा और ग्राम पंचायतों को प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाई गई? (ख) जिला छतरपुर के कितने राजस्व ग्रामों एवं वनग्रामों में से कितने ग्रामों में वनाधिकार समितियां गठित की गई है इनमें से कितने ग्रामों के पटवारी मानचत्रि, निस्तार पत्रक, खसरा पंजी एवं अधिकार अभिलेख की प्रतियां संबंधित ग्रामसभा या ग्राम पंचायत को प्रश्नांकित दिनाँक तक उपलब्ध करवा दी गई है? (ग) राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख और खसरा पंजी में दर्ज किन-किन मदों की जमीनों को संरक्षित वन भूमि, किन मदों को जमीनों को परिभाषित वन भूमि किन मदों की जमीनों को समझे गए वन माना जा रहा हैं इन भूमियों को किन अधिकारों एवं किन प्रयोजनों की भूमि राजस्व विभाग मान रहा हैं? (घ) राजस्व अभिलेखों में विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज वनभूमियों पर प्रचलित अधिकारों को वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार प्रश्नांकित दिनाँक तक भी लेखबद्‍ध न किए जाने का क्या कारण रहा है यह कार्यवाही कब तक की जावेगी समय सीमा सहित बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत राजगढ एवं बैतूल जिले में प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रचलित है। संभाग के शेष जिलों को प्रतियाँ उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। (ख) 1069 राजस्व ग्रामों में वनाधिकार समितियॉ गठित कर वांछित प्रतियॉ उपलब्ध कराई गई हैं। (ग) छतरपुर जिले में रीवा राजदरबार के आदेश क्रमांक 124, दिनाँक 6.2.1937 के तहत समस्त वनभूमि एवं वेस्टलेण्ड को संरक्षित वनभूमि घोषित किया गया है। राजस्व अभिलेख में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल को ही संरक्षित वनभूमि माना गया है। (घ) छतरपुर जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत परिभाषित ''वनभूमि'' में प्रचलित अधिकारों की मान्यता/लेखबद्‍ध करने की कार्यवाही की जा रही है। 159 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वन भूमि माने जाने के नियम

113. (क्र. 4696) श्रीमती रेखा यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 27 एवं 34 अ में जिन जमीनों को या जिन ग्रामों की समस्त जमीनों को राजपत्र में डीनोटीफाईड कर दिया है, उन जमीनों को या उन ग्रामों की जमीनों को वन अधिकार कानून 2006 की किस धारा में किस श्रेणी की वनभूमि माना गया है? ऐसी जमीनों की वनभूमि माने जाने का माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या आदेश दिया है? (ख) प्रश्न क्रमांक 1924 उत्तर दिनाँक 22 जुलाई 2011 के संलग्न परिशिष्ट में किस जिले के कितने राजस्व ग्रामों में से कितने वीरान ग्राम एवं कितने नगरीय सीमा में शामिल ग्रामों की जानकारी दी जाकर कितने ग्रामों में वन अधिकार समितियों के गठन की जानकारी दी गई है? इन समितियों में से कितने ग्रामों की समस्त वन भूमि राजपत्र में डीनोटीफाईड किया जाना बताया गया है? (ग) वन अधिकार कानून के किस प्रावधान के तहत छतरपुर जिले के जिन ग्रामों की समस्त वन भूमि डीनोटीफाईड कर दी गई उन ग्रामों में वन अधिकार समिति गठित की गई, यदि बिना किसी प्रावधान के ऐसे ग्रामों में समिति गठित की गई हो, तो उसका कारण बतावें? (घ) छतरपुर जिले के जिन ग्रामों की समस्त वन भूमि डीनोटीफाईड कर दी गई उन ग्रामों में गठित वन अधिकार समितियों को भंग किए जाने हेतु 22 जुलाई 2011 से प्रश्नांकित तिथि तक शासन ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की तो कारण बतावें कब तक ऐसी समितियों को भंग कर दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वन अधिकार अधिनियम 2006 धारा-2 (घ) के अन्तर्गत वन भूमि की परिभाषा दी गई है। इसके अन्तर्गत आने वाली भूमि ही इस अधिनियम के लिए वनभूमि होगी। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 27 एवं 34 (अ) में डीनोटिफाईड भूमियों का वैधानिक स्वरूप निर्वणीकरण उपरान्त आरक्षित/संरक्षित वनभूमि नहीं रह जाता है, इनमें से जो भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में परिभाषित वनभूमि में आने वाली भूमि एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक-16-10-सात/2-ए/90 दिनाँक 13/01/1997 में दी गई 'वन' की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली भूमि को वन की श्रेणी में माना जाता है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) प्रावधान अनुसार वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। (घ) मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ9-1/07/5/25 दिनाँक 12 अगस्त 2008 में जारी निर्देश की कण्डिका 3 के अनुसार ग्रामसभा की बैठकों में पूर्ण तथ्य बताते हुए संकल्प किया जा सकता है कि वन अधिकार संबंधी कार्य निरंक होने से वन अधिकार समिति अपना कार्य समाप्त घोषित कर सकती है।

<u>परिशिष्ट - "अट्ठावन"</u>

<u>संस्थाओं को प्रशिक्षणों का भुगतान</u>

114. (क्र. 4761) श्री अनिल जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभाग के द्वारा टीकमगढ़ जिले के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु योजनायें संचालित की जा रही हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 ओर 2014-15 में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की गई हैं? उनसे जिले में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या योजनावार, मदवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार बताई जावे। (ख) क्या विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलवाये गये हैं? यदि हाँ, तो इस मद में वर्षवार वित्तीय लक्ष्य क्या थे? कितनी पूर्ति की गई, कितनी राशि लैप्स

हुई है और कितनी राशि व्यय की जाकर किन-किन प्रशिक्षण संस्थाओं को भुगतान की जा चुकी है और कितनी शेष है? विकासखण्डवार दोनों वर्ष की जानकारी दी जावे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में जिन संस्थाओं अथवा व्यक्तियों की सेवायें ली गई हैं क्या उनके समस्त भुगतान किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो प्रश्न दिनाँक तक भुगतान नहीं किये जाने के कारणों सहित संस्थावार रोक दी गई, राशि बताई जावे तथा यह भी बतावें कि इस प्रकार योजनाओं के लापरवाहीपूर्वक संचालन के लिये कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जानी है? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) में लंबित भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे? समय सीमा बताई जावे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>कर्मचारियों के अनाधिकृत स्थानांतरण</u>

115. (क्र. 4765) श्री अनिल जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में शासन द्वारा एवं शिक्षा (विभाग) द्वारा स्थानांतरण नीति जारी की गई थी? यदि हाँ, तो जून 2013 से प्रश्न दिनाँक तक की अवधि में स्थानांतरण से प्रतिबंध टीकमगढ़ जिले में कब से कब तक हटाया गया था और शिक्षा विभाग में कितने-कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया? (ख) क्या यह भी सही है कि टीकमगढ़ जिले में स्थानांतरण नीति से हटकर एवं प्रतिबंध हटाये जाने की अवधि के अलावा भी किन्हीं संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण हुये हैं? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में किन-किन अधिकारियों के द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं और इन आदेशों से प्रभावित कर्मचारियों की संवर्गवार सूची दी जावे। (ग) कंडिका (ख) में उल्लेखित स्थानांतरण आदेश क्या नियमों के प्रतिकूल जारी हुये हैं? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। स्थानान्तरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 11.3 के अनुसार कलेक्टर महोदय की अनुशंसा पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** 10 कर्मचारियों के प्रशासनिक स्थानान्तरण किए गए। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "उनसठ"</u>

<u>जन स्वास्थ्य रक्षकों को आरोग्य केन्द्रों में पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाया जाना</u>

116. (क्र. 4795) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षक का वर्ष 1995 से 2002 के मध्य 6 माह का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराकर राज्य स्तरीय परीक्षा ली गई थी? (ख) यदि हाँ, तो प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या था? यदि ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाना था, तो स्वास्थ्य रक्षकों के माध्यम से क्यों नहीं? (ग) क्या मध्यप्रदेश में खोले गये आरोग्य केन्द्रों में पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जनस्वास्थ्य रक्षकों को पदस्थ किया जायेगा ताकि ग्रामीणों को सही लाभ मिल सके?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं था। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

फर्जी पी.एम.टी. से प्रवेशित छात्रों की जानकारी

117. (क्र. 4804) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पी.एम.टी. प्रवेश हेतु व्यापम घोटाले से कितनी सीटें एम.बी.बी.एस. एवं अन्य पाठ्यक्रमों में रिक्त की गई हैं? कालेजवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त कार्यवाही से खाली हुई सीटें कैसे भरी जावेगी? क्या ये सीटें वर्तमान इस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित की जावेगी? नहीं तो, क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में व्यापम प्रवेश वर्ष 2015 में वर्गवार रिक्त सीटों को इस वर्ष के अतिरिक्त सीटों को गणना कर अतिरिक्त छात्रों को क्या लाभ दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) व्यापम द्वारा जिन छात्रों के प्रवेश निरस्त किये गये थे उन्हीं छात्रों के प्रवेश को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निरस्त किया गया था। जिन छात्रों के प्रवेश निरस्त किये गये थे उनके द्वारा माननीय न्यायालयों में याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न दिनाँक की स्थिति में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से वैधानिक रूप से कोई सीट रिक्त मान्य नहीं की जा सकती। (ख) किसी भी सत्र में रिक्त बची सीट्स आगामी सत्र में भरने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पदों की स्वीकृत

118. (क्र. 4821) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में अधिकारियों के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? वर्ष 2011 से उन पदों पर कौन-कौन अधिकारी कार्यरत हैं? क्या वे सभी पदों की निर्धारित योग्यता के अनुसार हैं तथा खाली पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई है? (ख) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा वर्ष 2009 की PMT परीक्षा में फर्जीवाड़े की जाँच हेतु गठित कमेंटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट गठन के कितने महीने बाद दी? इस विलम्ब के कारण बतायें तथा बतायें कि इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के नाम बताये तथा उन पर कार्यवाही होगी या नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

टी.पी.एस. मशीन से रोगियों की जाँच

119. (क्र. 4867) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी कि राशि के अभाव में कैंसर, हृदय आदि प्रकार के गम्भीर रोगियों के इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी और राशि की व्यवस्था प्रदेश सरकार करेगी? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि भोपाल के गांधी मेंडिकल कालेज अंतर्गत हमीदिया अस्पताल द्वारा वर्ष 2010 में कैंसर रोगियों के इलाज/जाँच हेतु लगभग 85 लाख रूपये व्यय कर स्वीटजरलैण्ड से टी.पी.एस. मशीन क्रय की गई है और वह आज भी हमीदिया अस्पताल में स्थापित है? (ग) यदि हाँ,

तो उक्त मशीन से अभी तक कितने रोगियों की जाँच की गई? यदि नहीं, तो क्यों इस लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी है और उनके विरूद्ध प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें? (घ) क्या उक्त मशीन से जाँच नहीं करना निजी लैब संचालकों से सांठ-गांठ होना प्रमाणित नहीं होता है? अन्यथा मशीन उपलब्ध होने के बावजूद रोगियों की जाँच किन कारणों से नहीं की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए गए शिक्षक

120. (क्र. 4868) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षकों को दो वेतन वृद्धि एवं पारी बाहर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2009 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में कितने शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए और उनमें से कितनों को पारी बारह पदोन्नति का लाभ दिया गया, तथा कितनों को किन-किन कारणों से लाभ नहीं दिया गया और कब तक दिया जावेगा? जिलेवार वर्षवार बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। (ख) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। 38 सहायक शिक्षक 13 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 सहायक शिक्षकों को पारी बाहर पदोन्नति कर शिक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। शेष सहायक शिक्षकों के संबंध में पात्रतानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। उच्च श्रेणी शिक्षक पद से व्याख्याता पद पर पारी बाहर पदोन्नति का लाभ देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षकों की पूर्ति

121. (क्र. 4881) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत (प्रा.वि.मा.वि., हा.से. हाई स्कूल) में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज बच्चों की तुलना में कितने शिक्षकों की कमी है? (ख) क्या बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदाय हेतु शिक्षक कमी की पूर्ति आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या इसके लिये शासन के पास कोई स्थायी योजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रा.वि. में 137, मा.वि. 148, हाई स्कूल 24, उ.मा.वि. 58 शिक्षकों की कमी है। (ख) जी हाँ। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाकर शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है।

भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शाला भवन का निर्माण

122. (क्र. 4882) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहुत सी शालाओं में भवन नहीं है जिससे बच्चों को शिक्षा लेने में असुविधा होती है? क्या यह कमी पूर्ति पूर्ण की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या यह सही है कि शासन द्वारा बच्चों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है इसके वितरण में बहुत विलंब होता है, इस वितरण हेतु किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निहित की गयी है?

क्या विलंब से भुगतान हेतु अधिकारी दोषी नहीं है? क्या दोषी कर्मचारी/ अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही होगी? (ग) अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विगत वर्षों से माध्यमिक शाला में 400 रूपये के स्थान पर 200/- रूपये छात्रवृत्ति कर दी गयी है? क्या यह उचित है, की बढाने के स्थान पर छात्रवृत्ति घटा दी गयी है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। जी हाँ, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जी नहीं, शिक्षा विभाग द्वारा समग्र छात्रवृत्ति अन्तर्गत समग्र आई.डी. बनाई जाकर मैपिंग कर कम्प्यूटर द्वारा भुगतान किया गया है। प्रथम बार कार्यवाही किये जाने से विलंब हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बीड़ी मजदूरों की आवास योजना

123. (क्र. 4969) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर में बीड़ी मजदूरों के आवास हेतु विगत वर्षों में भूमि का चयन किया जाकर बीड़ी मजदूर आवास योजना स्वीकृत की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त स्वीकृत योजना हेतु चयनित भूमि कितने एकड़ होकर उस पर कितने आवास बनाये जाना प्रस्तावित थे? (ग) क्या इस हेतु विगत वर्षों में चयनित भूमि पर आवास निर्माण हेतु केन्द्र/ राज्य शासन द्वारा बजट भी स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो कुल कितना बजट स्वीकृत हुआ? (घ) साथ ही, चयनित भूमि शासन/ विभाग के आधिपत्य में होकर इस पर आवास योजना कब प्रारंभ की जाएगी?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी, हाँ (ख) जिला योजना समिति की बैठक दिनाँक 1/5/1999 एवं 9/6/1999 के प्रस्ताव अनुसार कस्बा जावरा में सर्वे क्रमांक 228 में 100 आवास हेतु 75,000 वर्ग फीट भूमि आवंटित की गई थी। (ग) चयनित भूमि पर आवास निर्माण हेतु केन्द्र / राज्य शासन द्वारा कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया था। संबंधित बीड़ी श्रमिकों द्वारा अंशदान की राशि जमा कराने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण योजना कार्यन्वित नहीं हो सकी। (घ) वर्तमान में आवास योजना प्रस्तावित नहीं है।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

124. (क्र. 4970) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा जावरा सिविल हास्पिटल, महिला चिकित्सालय तथा पिपलौदा, सुखेड़ा, पंचेवा, मावता एवं कालूखेड़ा के साथ ही ढोढ, रिंगनोद इत्यादि स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो, उपरोक्त स्थानों पर कुल कितने चिकित्सक, नर्से, कम्पाउंडर, वार्ड बॉय इत्यादि तथा कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ होकर कार्यरत हैं? (ग) क्या उपरोक्त समस्त स्थानों पर उपरोक्त समस्त प्रकार के पदों की पदपूर्ति की जाकर इनमें से कितने पद रिक्त होकर कितने कर्मचारी कितने समय से अनुपस्थित हैं? उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं? (घ) क्या सिविल हास्पिटल जावरा में एम.डी., सर्जन, एवं एनेस्थिटिक के पद विगत कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं? यदि हाँ, तो पद पूर्ति कब तक की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांकित संस्थाओं में कुल 158 अधिकारी/कर्मचारी, जिसमें चिकित्सक, नर्स, कम्पाउण्डर, वार्ड बॉय सम्मिलित हैं,

कार्यरत है। (ग) 08 अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित है, इनमें से तीन चिकित्सकों के सेवा समाप्त किए जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। शेष के संबंध में गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) जी नहीं, सि.अ. जावरा में एम0डी0मेंडिसिन योग्यता के एक चिकित्सक डॉ श्याम सुन्दर गुप्ता कार्यरत थे एवं वे दिनाँक 31.01.2014 से अनाधिकृत अनुपस्थित हैं। विभाग द्वारा सर्जरी योग्यता के चिकित्सक डॉ अचल अग्रवाल, चि0अ0 एम0एस0सर्जरी की भी पदस्थापना वर्ष 2013 में लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत की गई थी परंतु वे भी दिनाँक 30.12.2013 से अनाधिकृत अनुपस्थित हो गए हैं। अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। निश्चेतना योग्यता के चिकित्सक डॉ महेश मोर्य, एम.डी.निश्चेतना की पदस्थापना की गई थी परंतु मा. उच्च न्यायालय के स्थगन के फलस्वरूप उनके द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है एवं चिकित्सकों के 1271 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रचलन में है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

<u>मशीनरी उपकरण हेतु प्राप्त बजट</u>

125. (क्र. 4973) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हमीदिया चिकित्सालय भोपाल को वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2015 में मशीनरी उपकरण हेतु कितना बजट प्राप्त हुआ? (ख) हमीदिया चिकित्सालय भोपाल को वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2015 में किस-किस वार्ड में कौन-कौन सी नई मशीनें लगाई गई? मशीन का नाम, प्रदायकर्ता का नाम, उसकी राशि बतावें तथा कौन-कौन सी मशीन विगत तीन वित्तीय वर्षों में खराब हुई? उनकी मरम्मत किन-किन कंपनियों से कराई गई व उनको कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? उसकी मरम्मत पर कितनी राशि खर्च हुई एवं वो मशीन चिकित्सालयों में कब लागई गई थी? (ग) क्या यह भी सत्य है कि जो मशीनें चिकित्सालयों में लगी हुई हैं उनको प्रदायकर्ता फर्मों ने मशीन की गारंटी दी थी? इसके उपरांत भी उक्त मशीन बार-बार खराब हो रही है? (घ) यदि हाँ, तो शासन तत्काल उपकरण के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारियों को निलंबित करते हुए पारदर्शी एवं निष्पक्ष जाँच कराएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र सिझौरा को प्राप्त आवंटन</u>

126. (क्र. 4997) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डला जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सिझौरा में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है? यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13 से 2013-14 में किस-किस मद में, कितना-कितना आवंटन, किस-किस कार्य के लिये प्राप्त हुआ? (ख) प्राप्त आवंटन को किस-किस कार्य में कितना-कितना व्यय किया गया? (ग) वर्ष 2012-13 में प्राप्त आवंटन के अतिरिक्त कम्प्यूटर लेब, अधीक्षक क्वाटर, सी.सी. रोड़ और अन्य कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और उससे क्या-क्या कार्य, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि से कराये गये? (घ) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण

प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से विद्युत उपकरण एवं बिजली फिटिंग का कार्य कराया गया और बिल लगाकर राशि आहरित कर ली गयी? यदि हाँ, तो शासन कब तक और क्या कार्यवाही करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। वर्ष 2012-13 से 2013-14 में निम्नानुसार मदवार आवंटन प्राप्त हुआ है -

वर्ष	आबंटन	मद का विवरण
2012-13	30.00 लाख	व्यावसायिक प्रशिक्षण संचालन अन्तर्गत संस्था के कर्मचारियों का वेतन भत्ता मानदेय प्रशिक्षणार्थियों की छात्रवृत्ति प्रशिक्षण सामग्री प्रशिक्षण शुल्क एवं जल विद्युत इंटरनेट कार्यालय आदि अन्य व्यय।
2013-14	30.00 लाख	

(ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रश्नांकित कार्यों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र सिझोरा में जानकारी निरंक है। (घ) जी नहीं।

<u>परिशिष्ट – "साठ"</u>

राष्ट्रीय स्वा. मिशन एवं आर.सी.एच. कार्यक्रम आवंटन

127. (क्र. 4998) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं आर सी एच कार्यक्रम एवं अन्य जहाँ से भी आवंटन प्राप्त हुआ हो वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मदवार कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? वर्षवार बतायें। (ख) प्राप्त आवंटन को कहाँ-कहाँ, किस-किस मद में कितना-कितना और कब-कब व्यय किया गया? वर्षवार बतायें? (ग) विगत तीन वर्षों में अधीनस्थ संस्था, एन.जी.ओ. एवं अन्य को जो विभाग द्वारा अग्रिम दिया गया उसका समायोजन कब किया गया? कितना अग्रिम शेष है अग्रिम प्रदाय दिनाँक एवं समायोजन दिनाँक, राशि सहित बतायें एवं समयोजन न होने का कारण बतायें? (घ) उपरोक्त का समायोजन न होने के लिये कौन-कौन अधि./ कर्मचारी जिम्मेदार है नाम, पदनाम सहित बतायें? उन पर कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मण्डला जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं आर.सी.एच. एवं अन्य कार्यक्रम से प्राप्त आवंटन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मदवार निम्नलिखित हैः-

क्र.	वर्ष	मद	प्राप्त आवंटन
1	2013-14	आर.सी.एच.	102039780.00
		एन.आर.एच.एम.	91895000.00
		टीकाकरण	7351410.00
2	2014-15	आर.सी.एच.	69790000.00
		एन.आर.एच.एम.	69751000.00
		टीकाकरण	7497000.00

(ख) एन.आर.एच.एम. एवं आर.सी.एच. में प्राप्त आवंटन को जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम आरोग्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय मंडला में मदवार, राशिवार, वर्षवार व्यय का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -**

'अ' अनुसार है। (ग) विगत तीन वर्षों में किसी एन.जी.ओ. को एन.आर.एच.एम. मद से कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया गया है एवं अधीनस्थ संस्था, एवं अन्य को एन.आर.एच.एम. मद से अग्रिम एवं उसका समायोजन, शेष अग्रिम राशि का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'ब' अनुसार** है। (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार बजट आवंटन प्राप्त होने पर गतिविधियों का संचालन किया जाता है। गतिविधियों के संचालन हेतु राशि संस्थाओं को अग्रिम राशि जारी की जाती है तथा समय-समय पर उनका नियमानुसार समायोजन किया जाता है।

सतना व कटनी जिले के अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति

128. (क्र. 5032) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में लगभग दो वर्षों से एक हजार से अधिक पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही लंबित है, जबकि स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी ने 02 अक्टूबर, 14 तक लिखित पत्र जारी करते हुये पदोन्नति की समय सीमा निर्धारित की थी, इस लंबित पदोन्नति की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी और विलंब के लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? (ख) कटनी जिले में विगत एक वर्ष में सहायक अध्यापक से अध्यापक व अध्यापक से वरि.अध्या. पद पर अब तक कितनी पदोन्नतियॉ की गई है? (ग) सतना एवं कटनी जिले में अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के विषयवार पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की संख्या दी जाए? (घ) इन रिक्त पदों पर कब तक पदोन्नति का कार्य पूर्ण किया जायेगा? समय सीमा बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सतना जिले में 751 पदों पर सहायक अध्यापक से अध्यापक एवं 290 पदों पर अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पदोन्नत पद रिक्त है। पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) गत वर्ष 08 पदों पर सहायक अध्यापक से अध्यापक एवं 13 पदों पर अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई है। (ग) प्रश्नांकित जिलों की अध्यापक संवर्ग में विषयावार पदोन्नत रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर**। (घ) पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इकसठ"

शाजापुर जिले में संचालित आश्रम

129. (क्र. 5037) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में बालक/बालिकाओं के कहाँ-कहाँ पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आश्रम संचालित है? (ख) जामनेर के आश्रम में कुल कितने बालक/बालिकाओं के लिये स्थान है? वर्तमान में कितने बालक/बालिकाये अध्ययनरत है? (ग) क्या यह सही है कि जामनेर के आश्रम का भवन जर्जर हो चुका है? इस कारण बालक/बलिकाओं को आश्रम में प्रवेश नहीं दिया गया? (घ) क्या जामनेर के आश्रम के जर्जर भवन को बनने तक बालक/बालिकाओं को अन्य स्थान पर रखा जायेगा? आश्रम का नवीन भवन की स्वीकृति कब तक होगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) शाजापुर जिले में आदिवासी विकास मद से एक बालक आश्रम ग्राम चकदुधाना विकास खण्ड-मो. बडोदिया में संचालित है। (ख) अनुसूचित जाति कन्या आश्रम जामनेर में स्वीकृत सीट संख्या 65 है। वर्तमान में 16 बालिकायें अध्ययनरत हैं। (ग)

जी हाँ। आश्रम में सुरक्षित स्थान अनुसार 16 बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है। (घ) किराये का भवन उपलब्ध होने पर स्वीकृत सीट अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र से बालिकाओं को प्रवेश दिया जायेगा। आश्रम के नवीन भवन की स्वीकृति संबंधी समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अतिथि शिक्षकों के संबंध में

130. (क्र. 5042) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की विभिन्न शालाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षक विगत 8 वर्षों से अपनी शिक्षा सेवाएं दे रहे है? यदि हाँ, तो क्या शासन इनके हित में कोई योजना बना रहा है? (ख) क्या शासन के पास इन अल्प पारिश्रमिक पाने वाले अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर पदस्थ किये जाने संबंधी योजना विचाराधीन है? (ग) क्या यह सही है कि अतिथि शिक्षकों को संबंधित शासकीय संस्था द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है जिसके कारण डी.एड., बी.एड जैसी परीक्षाओं से वंचित रह गये है? यदि हाँ, तो क्या शासन इनकी सेवाओं को बी.एड, डी.एड के समतुल्य मानने पर विचार कर रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2008 से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था प्रभावशील की गई है। संविदा शाला शिक्षक भर्ती में वे अभ्यर्थी जो सरकारी स्कूलों में कम से कम 3 शैक्षणिक सत्रों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत रहें हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का प्रावधान है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा में छात्रावास की स्थापना

131. (क्र. 5060) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र ब्यावरा, सुठालिया एवं लखनवास, मलावर, बैरसिया आदि बड़े शैक्षणिक केन्द्रों पर प्राथमिक/माध्यमिक एवं हाईस्कूल स्तर तक भी पिछड़ा वर्ग के छात्रावास नहीं होने से गरीब एवं कमजोर वर्ग के अभिभावकों को किराये के मकानों में रखकर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है? (ख) क्या शासन उपरोक्त वर्णित सभी शैक्षणिक केन्द्रों पर पिछड़ा वर्ग के छात्रों की औसत दर्ज संख्या के मान से पिछड़ा वर्ग छात्रावास खोलने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) इस संबंध में शासन की घोषित नीति क्या है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। विभाग की छात्रावास योजना केवल उच्च शिक्षा में अध्ययनरत पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। इस हेतु प्रत्येक जिलें में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक एवं 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास की स्थापना की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) भाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रत्येक जिले में एक 100 सीटर बालक तथा 50 सीटर कन्या छात्रावास स्थापना की नीति है।

सहायक शिक्षक (विज्ञान) की पदोन्नति

132. (क्र. 5061) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा सहायक शिक्षक (विज्ञान) की पदोन्नति किस प्रावधान के अनुसार की जाती है एवं इस हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या है तथा इनकी वरिष्ठता क्रम

के निर्धारण हेतु क्या मानदण्ड है? होशंगाबाद जिले के सहायक शिक्षक (विज्ञान) की वरिष्ठता सूची प्रदान करें? (ख) होशंगाबाद जिले की वरिष्ठता सूची में गृह विज्ञान से स्नातक सहायक शिक्षक (विज्ञान) को किस आधार पर कला समूह में सम्मिलित किया गया है? इनको विज्ञान समूह के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) होशंगाबाद जिले में कितने सहायक शिक्षक (विज्ञान) की पदोन्नति से वंचित है? पृथक-पृथक कारण सहित बतावें तथा इनको कब तक पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावेगा? (घ) सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक (विज्ञान) के पदोन्नति नियम समान है अथवा भिन्न-भिन्न? यदि समान है तो क्या कारण है उक्त जिले में बाद में नियुक्त सहायक शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो गया है तथा अपेक्षाकृत पूर्व में नियुक्त सहायक शिक्षक (विज्ञान) अभी भी पदोन्नति से वंचित है? यदि पदोन्नति नियमों में भिन्नता है तो कारण स्पष्ट करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1973 के संशोधन 4 अगस्त 2012 के प्रावधानानुसार। **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर। संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" पर।** (ख) **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" पर।** जी नहीं। (ग) 07। पद उपलब्धता एवं पात्रतानुसार पदोन्नति का लाभ दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ समान हैं। विषयमान से पदोन्नति होने के कारण बाद में नियुक्त सहायक शिक्षकों एवं सहायक शिक्षक विज्ञान को निर्धारित योग्यता एवं पात्रतानुसार पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "बासठ"</u>

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी का प्रदाय

133. (क्र. 5064) श्री राम लल्लु वैश्य : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नागरिक एकता परिषद म.प्र.भोपाल द्वारा दिनाँक 15.02.2013 एवं दिनाँक 01.03.2013 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी चाही गयी थी? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त जानकारी विभाग द्वारा नहीं दिये जाने पर दिनाँक 01.04.2013 को प्रथम अपीलें प्रस्तुत करने पर भी जानकारी आवेदक को नहीं प्रदान की गयी? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी कौन है? इनके विरूद्ध कब तक मैं क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ठेका श्रमिक कुशल, अकुशल, अद्‍र्धकुशल कर्मचारियों को वेतन व बोनस का प्रदाय

134. (क्र. 5071) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर के अमरकंटक ताप विद्‍युत गृह चचाई में और जिला जबलपुर के प्रायवेट हास्पिटलों में कार्यरत ठेका श्रमिक, कुशल, अकुशल, अद्‍र्धकुशल और उच्च कुशल कर्मचारियों को पदस्थापना दिनाँक से 31 दिसम्बर 2014 तक बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अनुसार कितना बोनस दिया जाना चाहिए था तथा कितना दिया गया है? (ख) क्या ताप विद्‍युत गृह और प्रायवेट हास्पिटलों के कर्मचारियों/ श्रमिकों को म.प्र. राजपत्र क्रमांक 41 दिनाँक 10.10.2014 में घोषित कुशल, अद्‍र्धकुशल

एवं उच्च कुशल कर्मचारियों को वेतन भत्ते के अनुसार भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त भुगतान का ब्यौरा नामवार बताएं? यदि नहीं तो क्यों और नियोजक के विरूद्ध कब तक कानूनी कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या प्रायवेट हास्पिटलों के कर्मचारियों को बैंक एकाउन्ट के माध्यम से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? (घ) क्या उक्त कर्मचारियों को बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जिला अनूपपुर के अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में कार्यरत् ठेका श्रमिकों को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में प्रावधानित सीमा अनुसार वार्षिक आधार पर या मासिक आधार पर वेतन में जोड़कर बोनस भुगतान किया जा रहा है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जबलपुर जिले में वासन आइ केयर अस्पताल में ठेकेदार द्वारा मात्र 11 श्रमिक नियोजित है। अतः बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की प्रभावशीलता नहीं होने से बोनस भुगतान की देयता नहीं आती है। **(ख)** अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई तथा जबलपुर जिले के 19 प्रायवेट हास्पिटलों में निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। भुगतान किया जा रहा वेतन निम्नानुसार **टेबल-अ** पर दिया गया है। जबलपुर जिले में 4 हास्पिटलों में निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाना पाया गया है, इनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं है। **(ग)** जबलपुर जिले में 4 प्रायवेट हॉस्पिटलों में कर्मचारियों को बैंक एकाउंट के माध्यम से वेतन भुगतान किया जा रहा है। शेष में बैंक एकाउंट से भुगतान किया जाना नहीं पाया गया। (घ) श्रम कानून में बैंक खाते के माध्यम से भुगतान के प्रावधान नहीं है तथापि इस संबंध में परामर्श के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं है। **टेबल-अ**

क्रमांक	श्रेणी	दैनिक न्यूनतम वेतन	मासिक न्यूनतम वेतन
1.	उच्च कुशल	रू. 374/-	रू. 9735/-
2.	कुशल	रू. 324/-	रू. 8435/-
3.	अर्ध कुशल	रू. 271/-	रू. 7057/-
4.	अकुशल	रू. 228/-	रू. 5939/-

परिशिष्ट – "तिरेसठ"

मुलताई में आदिवासी छात्रावास की जानकारी

135. (क्र. 5076) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधानसभा में कितने आदिवासी छात्रावास है? उसमें कन्या छात्रावास कितने हैं? छात्रावासों की दर्ज संख्या क्या है? (ख) छात्रावास के अधीक्षक कौन-कौन है? उनका मुख्यालय कहाँ है? (ग) छात्रावास में प्रत्येक छात्र को कितना खाद्यान्न प्राप्त होता है? (घ) छात्रावास में अन्य सामग्री क्रय हेतु क्या नियमावली है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 03 आदिवासी बालक छात्रावास संचालित हैं। कन्या छात्रावास संचालित नहीं है। संचालित आदिवासी बालक छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	**छात्रावास का नाम**	**छात्र संख्या**
1.	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास दुनावा	50
2.	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गेंहूबारसा	50
3.	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास घाटबिरोली	50

(ख) मुलताई में विधान सभा क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में निम्नानुसार अधीक्षक कार्यरत है एवं उनका मुख्यालय का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	पदस्थ अधीक्षक का नाम/छात्रावास का नाम	मुख्यालय
1	श्री सुरेश कुमार पवांर, संविदा अधीक्षक, प्री मैट्रिक बालक छात्रावास दुनावा	दुनावा
2	श्री एस.आर. कवडैती, अधीक्षक, प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गेंहूबारसा	गेंहूबारसा
3	श्री नत्थूसिंह ठाकुर, अधीक्षक (अतिरिक्त प्रभार) प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास घाटबिरोली	मुलताई

(ग) प्रति विद्यार्थी प्रति माह 12.500 किलोग्राम खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है। (घ) आदिवासी छात्रावास/आश्रमों में पालक समिति के माध्यम से आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने के निर्देश हैं।

<u>प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

136. (क्र. 5077) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई में कितने हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी है? (ख) कितने हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी कितने प्राचार्य के पद रिक्त है? जानकारी देवें। (ग) क्या प्राचार्य मुख्यालय पर रहते है? जानकारी देवें। (घ) मुख्यालय पर नहीं रहने वाले प्राचार्य के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 24 हाईस्कूल एवं 28 हायर सेकेण्डरी संचालित है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। (घ) मुख्यालय पर नहीं रहने वाले प्राचार्यों के विरूद्व नियमों के प्रकाश में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

<u>स्टाफ नर्स का मुख्यालय पर निवास नहीं करना</u>

137. (क्र. 5082) पं. रमेंश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में कुल कितने चिकित्सक, स्टाफ नर्स, कर्मचारी किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में कब से पदस्थ व कार्यरत हैं? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विछुवा के उपस्वास्थ्य केन्द्र तुमड़ागढ़ी में पदस्थ स्टाफ नर्स के पास एक अन्य उपस्वास्थ्य केन्द्र का भी प्रभार है, किंतु पदस्थ स्टाफ नर्स इन दोनों उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से किन्हीं भी उप स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर निवास न करते हुए अन्यत्र से आना-जाना करती है जिससे उनकी सेवाओं का लाभ दोनों उपस्वास्थ्य केन्द्रों को आवश्यकता अनुसार समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता को क्षेत्र भ्रमण के दौरान उक्त प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रमांक 2168 दिनाँक 15.10.2014 मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा को प्रेषित किया था? यदि हाँ,

तो इस पत्र पर अभी तक कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पत्र पर कब तक कार्यवाही कर क्षेत्र के नागरिकों के शिकायत का निवारण कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ख) जी हाँ, उप स्वास्थ्य केन्द्र तुमड़ागढी में पदस्थ ए.एन.एम. के प्रसूति अवकाश पर होने के कारण, उप स्वास्थ्य केन्द्र सामरबोह में पदस्थ दो ए.एन.एम. में से एक ए.एन.एम. श्रीमती प्रागवती तुमडाम, को तुमड़ागढी में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त ए.एन.एम. अपने मुख्यालय सामरबोह में निवास करते हुए तुमड़ागढी में अतिरिक्त कार्य संपादित कर रही है। (ग) जी हाँ। प्रश्नकर्ता के पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक स्था/नर्सिंग/2014/9613 दिनाँक 30.10.2014 के द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बिछुआ से वस्तुस्थिति ज्ञात की गई एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पत्र क्रमांक स्था.शाखा/2014/1297 दिनाँक 12.11.2014 द्वारा अवगत कराया गया कि तुमडागढ़ी में पदस्थ ए.एन.एम. के प्रसूति अवकाश पर होने के कारण, उप स्वास्थ्य केन्द्र में सामरबोह में पदस्थ दो ए.एन.एम. में से एक ए.एन.एम. श्रीमती प्रागवती तुमडाम, को तुमड़ागढी में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त ए.एन.एम. अपने मुख्यालय सामरबोह में निवास करते हुए तुमड़ागढी में अतिरिक्त कार्य संपादित कर रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश **''ग''** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नसबंदी के असफल होने पर क्षतिपूर्ति का प्रदाय

138. (क्र. 5083) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवार नियोजन योजनान्तर्गत कराये गये नसबंदी के असफल होने पर प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या परिलाभ दिये जाने के संबंध में शासन के नियमों में क्या कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम निर्देश की प्रति संलग्न करें। (ख) बिना पूर्ण सावधानी व जल्दबाजी में नसबंदी करने के कारण नसबंदी असफल होने पर क्या संबंधित चिकित्सक को शासन दोषी मानता है यदि हाँ, तो ऐसे चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु किन नियमों में क्या प्रावधान है और यदि नहीं तो क्यों? (ग) छिंदवाडा जिले में विगत 4 वर्षों में नसबंदी असफल होने के कुल कितने प्रकरण कब-कब प्रकाश में आये हैं तथा क्या उन्हें कोई परिलाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब, कितनी-कितनी धनराशि प्रदाय की गयी है? असफल नसबंदी व्यक्तियों के नाम पता सहित जानकारी दें? (घ) प्रश्नकर्ता ने विधानसभा क्षेत्र चौरई जिला छिन्दवाड़ा के असफल नसबंदी वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के मध्य खण्ड चिकित्साधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा को कुल कितने पत्र कब-कब प्रेषित किये? क्या इन पत्रों पर कार्यवाही हुई? यदि हाँ, तो कब-कब कार्यवाही कर संबंधितों को क्षतिपूर्ति प्रदाय की गयी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार**। (ख) नसबंदी ऑपरेशन प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा पूर्ण सावधानी पूर्वक सम्पादित किये जाते है जिसके असफल होने पर चिकित्सक के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। केवल असफल नसबंदी पर प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। (ग) जी हाँ जानकारी निम्मानुसार है तथा सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार**।

वर्ष	कुल असफल नसबंदी प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति भुगतान राशि रूपय में

2011	23	6,90,000/-
2012	79	23,70,000/-
2013	33	9,90,000/-
2014	34	भुगतान लंबित

(घ) दिनाँक 26.03.2011 को सम्पादित श्रीमती आशा पत्नी विभीसिंग विश्वकर्मा सालई छिन्दी ब्लाक चौरई के असफल नसबंदी का प्रकरण दिनाँक 13.10.2014 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाडा के कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसका भुगतान आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड के साथ अनुबंध दिनाँक 1.04.2013 से समाप्त हो जाने के कारण अब संभव नहीं है।

इंदौर संभाग में संचालित विद्यालयों की गुणवत्ता

139. (क्र. 5100) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में स्कूल शिक्षा के कुल कितने प्रा.वि. मा.वि. एवं हाई स्कूल, हा.से. संचालित हैं तथा प्रत्येक विद्यालय में कितने-कितने शिक्षक कार्यरत हैं, तथा विद्यालयवार छात्र संख्या कितनी है? सत्र 2014-15 की जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि कई विद्यालयों में छात्र अनुपात में शिक्षक नहीं हैं और कई विद्यालयों में अधिक शिक्षक हैं? क्या इनका समायोजन होगा? यदि हाँ, तो कब? (ग) इन्दौर जिले में ऐसे कितने शिक्षक हैं जिन्हें BEO,BRCC, BAC एवं जनशिक्षक प्रतिनियुक्त किया गया है क्या इन्हें अपने मूल दायित्व पढ़ाने हेतु मुक्त किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो कारण बतावें? (घ) इंदौर संभाग में विगत् 2 वर्ष में आयुक्त द्वारा कौन-कौन से वि.खं. में कौन-कौन से विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया है? उनके क्या परिणाम हैं तथा इन विद्यालयों का कब-कब किन अधिकारियों ने निरीक्षण किया?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। यह एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर कोई भी शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। बी.आर.सी.सी., बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक के पद पर कुल 117 कर्मचारी कार्यरत है। जी नहीं, क्यों कि सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत इन कर्मचारियों के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु अकादमिक कार्य संपादित किया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) किसी भी विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय नहीं बनाया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंदौर संभाग में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस की योजना

140. (क्र. 5101) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के इंदौर संभाग में शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक, अध्यापक संविदा कर्मियों की उपस्थिति हेतु ई-अटेन्डेंस की कोई योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या तथा म.प्र. शासन स्तर से यह योजना लागू की जा रही हैं या मात्र इंदौर संभागीय स्तर से ही इसका क्रियान्वयन हो रहा है? (ख) म.प्र. शासन के इस हेतु कोई आदेश हैं अथवा नहीं? यदि हाँ, तो किस विभाग द्वारा कौन सा आदेश जारी हुआ? प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में है? यदि हाँ, तो इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा हुई है? यदि हाँ, तो बतावें? क्या यह योजना ऐच्छिक है? यदि हाँ, तो कई अधिकारी ऐच्छिक योजना होने के बाद भी

दबाव बनाकर एण्ड्राइड मोबाईल खरीदने के लिए शिक्षकों को बाध्य क्यों कर रहे हैं? (घ) क्या यह योजना पूरे प्रदेश में सभी विभागों में लागू की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो केवल शिक्षकों के लिए ही क्यों? शासन सभी विभागों में बायोकेमिस्ट्री मशीन लगायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक 1930/2014/20-2, दिनाँक 28.11.2014 द्वारा इस योजना का पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इन्दौर संभाग में क्रियान्वयन किया जा रहा है। आदेश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है**। (ख) जी हाँ। शेष उत्तरांश क अनुसार। (ग) जी हाँ। पायलेट प्रोजेक्ट से फीडबैक प्राप्त होने पर आंकलन संभव है। योजना स्वेच्छा पर आधारित है। योजना के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा रहा है। (घ) उत्तरांश ग अनुसार विभाग पायलेट प्रोजेक्ट के फीडबैक के आधार पर निर्णय लेगा।

उज्जैन, रतलाम, देवास के कर्मचारियों को स्वत्वों का भुगतान

141. (क्र. 5108) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, रतलाम एवं देवास जिले के उद्योगों में से निकाले गये नौकरी छोड़कर गए कर्मचारियों के कितने वेतन/अन्य भुगतान लंबित है? दिनाँक 01.01.13 से 10.02.15 तक संदर्भ में बतावें? (ख) जिन कंपनियों में भुगतान लंबित नहीं है या जिनमें कितने कर्मचारियों का लंबित है? उनके द्वारा इस संबंध में स्व-प्रमाणित सूची उपलब्ध करावें? (ग) कर्मचारियों का लंबित भुगतान कब तक करा दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें? (घ) इस ओर ध्यान न देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) प्रश्नांकित अवधि में देवास जिले में एस.कुमार्स नेशनवाईड लि. देवास द्वारा 17 श्रमिकों को सेवा पृथक किया गया जिनके वेतन आदि के रूप में रू. 8,73,256/- का भुगतान लंबित है। रतलाम जिले में खेतान केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि, रतलाम के 41 श्रमिक कार्य छोड़कर गए हैं, जिनका कोई भुगतान लंबित नहीं है। उज्जैन जिले में भी कोई भुगतान लंबित नहीं है। (ख) देवास जिले के श्रमिकों के लंबित भुगतान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1** पर है। रतलाम जिले का प्रमाण पत्र **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2** पर है। उज्जैन जिले की जानकारी निरंक है। (ग) उज्जैन एवं रतलाम जिले में कोई भुगतान लंबित नहीं है। देवास जिले के 17 श्रमिकों में से 14 द्वारा श्रम कार्यालय, देवास में आवेदन प्रस्तुत किये हैं जिन पर वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रियाधीन है। अतः समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश क के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "चौंसठ"</u>

विद्यालयों का युक्ति युक्त करण

142. (क्र. 5115) श्री संजय पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में दर्ज संख्या के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के आदेश क्रमांक-शालाओं का यु.यु./आदेश/31 कटनी दिनाँक 05.04.2013 द्वारा कितने विद्यालयों का युक्तियुक्त करण किया गाय है? सूची दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शासकीय कन्या माध्यमिक शाला बडगांव जिला कटनी का युक्तियुक्त करण पर्याप्त दर संख्या एवं इसी परिसर में संचालित बालिका छात्रावास में रह रही छात्राओं की अध्ययन सुविधा के बाद भी क्यों नहीं किया गया है? (ग) वर्तमान सत्र में कन्या छात्रावास एवं संचालित विद्यालय में कितनी बालिकायें अध्ययनरत हैं? तथा क्या

कलेक्टर कटनी ने उक्त शासकीय बालक माध्यमिक एवं शासकीय कन्या माध्यमिक शाला को पूर्ववत संचालित करने का आदेश प्रदान किया है? यदि हाँ, तो तदानुसार पालन क्यों नहीं किया गया आदेश पालन करने की समय-सीमा बतायें? नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिले में प्रश्नांकित आदेश द्वारा 07 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया। जिनकी सूची **संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ख) शासकीय कन्या माध्यमिक शाला बडगांव एवं शासकीय बालक माध्यमिक शाला बडगांव एक ही परिसर में होने के कारण शासकीय कन्या माध्यमिक शाला को पूर्व से संचालित मूल संस्था शासकीय बालक माध्यमिक शाला बडगांव में समाहित किया गया है। बालिका छात्रावास बडगांव तथा माध्यमिक शाला बडगांव एक ही परिसर में है। उक्त माध्यमिक शाला बडगांव में बालक एवं बालिकायें दोनों अध्ययनरत है। अतः बालिकाओं की सुविधा में कोई अंतर नहीं आया है। (ग) वर्तमान में कन्या छात्रावास बडगांव में 100 बालिकायें तथा संचालित विद्यालय में 277 बालिकायें अध्ययनरत है। जी नहीं, शेषांश का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

विभागीय निर्देशों की अनदेखी

143. (क्र. 5116) श्री संजय पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के अंतर्गत कितने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास संचालित है? नाम सहित बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में छात्रावास वार बार्डनों की प्रतिनियुक्ति प्रभार कब से है? (ग) क्या सभी आवासीय छात्रावासों में बार्डनों को शासन के निर्देशानुसार तीन वर्ष पश्चात् परिवर्तित कर नई प्रतिनियुक्ति प्रभार सौंपा गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि नहीं तो किस छात्रावास में पूर्व व्यवस्थानुसार बार्डन कार्यरत है और क्यों इसके लिये कौन दोषी है? संबंधित मामले में क्या कार्यवाही, कब तक की जायेगी समय सीमा बतायें? नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कटनी जिले में कुल 06 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास संचालित है। नामों की सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** पर है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब** पर है। (ग) एवं (घ) जी नहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संलग्न चयनित विद्यालय की एवं महिला शिक्षिका (सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक, उच्च श्रेणी अध्यापक, अध्यापक) द्वारा कार्य करने की सहमति देने पर वार्डन का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। यह प्रतिनियुक्ति नहीं है। जिले में 06 वार्डन के अतिरिक्त प्रभार की अवधि 03 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जिनमें से 02 दो अतिरिक्त प्रभार हटाकर नवीन पदस्थापना की जा चुकी है। शेष 04 वार्डन के अतिरिक्त प्रभार हेतु लिंक शाला में पदस्थ कोई भी महिला शिक्षिका द्वारा सहमति न देने के कारण अभी तक प्रभार नहीं बदला जा सका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छियासठ"

देवरी वि.स. क्षेत्र अंतर्गत विद्यालयों में शौचालयों एवं किचिन शेड की स्थिति

144. (क्र. 5129) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र (जिला सागर) अंतर्गत कितने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय हैं? इन विद्यालयों में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक विभिन्न मदों से स्वीकृत शौचालयों व किचिन शेड की

संख्या क्या है? वर्तमान में कितने शौचालय व किचिन शेड उपयोग करने की स्थिति में है? (ख) क्या प्रत्येक शाला/विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप एक-एक उपयोगी शौचालय व किचिनशेड है? किन-किन में नहीं और क्यों? (ग) विभिन्न आंकड़ों के अनुसार वि.स. क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय हेतु कम से कम एक शौचालय स्वीकृत है, किंतु अनेक विद्यालय उपयोगी शौचालय से विहीन क्यों है? इस संबंध में विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (घ) पंचायत विभाग, समग्र स्वच्छता अभियान आदि से भी विभिन्न मदों के अंतर्गत विद्यालयों में शौचालय स्वीकृत किये गये है? सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत भी इस कार्य हेतु राशि जारी की गई? प्रश्नांश (क) अवधि में कब-कब, किस-किस मद से कहाँ-कहाँ शौचालय बनाये गये? इनके मापदण्ड (निर्माण संबंधी) क्या थे? कब तक सभी विद्यालयों में शौचालय निर्मित करा लिये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र (जिला सागर) अंतर्गत 395 शासकीय प्राथमिक एवं 172 शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक विभिन्न मदों से स्वीकृत शौचालय की संख्या 573 तथा स्वीकृत किचिन शेड की संख्या 105 है। वर्तमान में 978 शौचालय एवं 497 किचिन शेड उपयोग करने की स्थिति में हैं। (ख) जी नहीं। 05 विद्यालय में उपयोगी शौचालय नहीं हैं। 70 विद्यालय में किचिनशेड नहीं हैं। नवीन स्वीकृति, क्षतिग्रस्त होने, स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार।** (ग) जी हाँ। क्षतिग्रस्त होने नवीन स्वीकृत होने एवं स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने के कारण। तीन शौचालय नवीन स्वीकृत भवन के साथ स्वीकृत है तथा 02 अक्रियाशील शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। प्रश्नांश (क) अवधि में मदवार स्थानवार वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" में** है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के मापदण्ड अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के प्रचलित दर अनुसूची पर तथा शहरी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के मापदण्ड अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्रचलित दर अनुसूची पर बनाये जाने थे। जून 2015 तक निर्मित कराया जाना संभावित है।

विद्यालयों में शौचालयों व किचिन शेड की स्थिति

145. (क्र. 5142) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन से प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय वर्तमान में उपयोग करने लायक शौचालय एवं किचिन शेड विहिन हैं? क्यों? (ख) वर्ष 2011 के उपरांत किन-किन विभागों, योजनाओं व मदों से क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया गया? सभी विद्यालयों में उपयोगी शौचालय न होने के क्या कारण है? (ग) कब तक RTE के अनुरूप सभी विद्यालयों में मापदंडानुसार शौचालय निर्मित करा लिये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं में उपयोग न करने लायक 82 शौचालय एवं 134 प्राथमिक/माध्यमिक शालाएँ किचन शेड विहीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र-1 एवं 2 पर** है। (ख) वर्ष 2011 के पश्चात सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ही शौचालयों का निर्माण किया गया है। स्वीकृति एवं बजट के अभाव में है। (ग) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में खाद्य/औषधि निरीक्षकों की स्थानांतरण नीति

146. (क्र. 5194) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग म.प्र. में ऐसे कितने खाद्य एवं औषधि निरीक्षक हैं जिन्हें अपनी पद स्थापना स्थल पर तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है? (ख) तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ शासकीय कर्मियों का स्थानांतरण किए जाने की शासन नीति के बावजूद कितने खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है एवं क्यों? (ग) प्रदेश में ऐसे कितने खाद्य निरीक्षक हैं जिनके पति/पत्नि अन्य विभागों में शासकीय कर्मचारी हैं जिनकी पदस्थापना अलग-अलग जिलों में एवं 100 किमी से दूरी वाले जिलों में है? पति/पत्नि कर्मचारियों के एक साथ रहने के शासन नियमों के बावजूद इन खाद्य निरीक्षकों का स्थानांतरण एक ही जिले या 100 कि.मी. से दूरी वाले जिलों (निकटतम जिलों) में न किए जाने के क्या कारण है? क्या शासन इस प्रकार के स्थानांतरण की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।